वार्षिक रिपोर्ट
2007-08

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

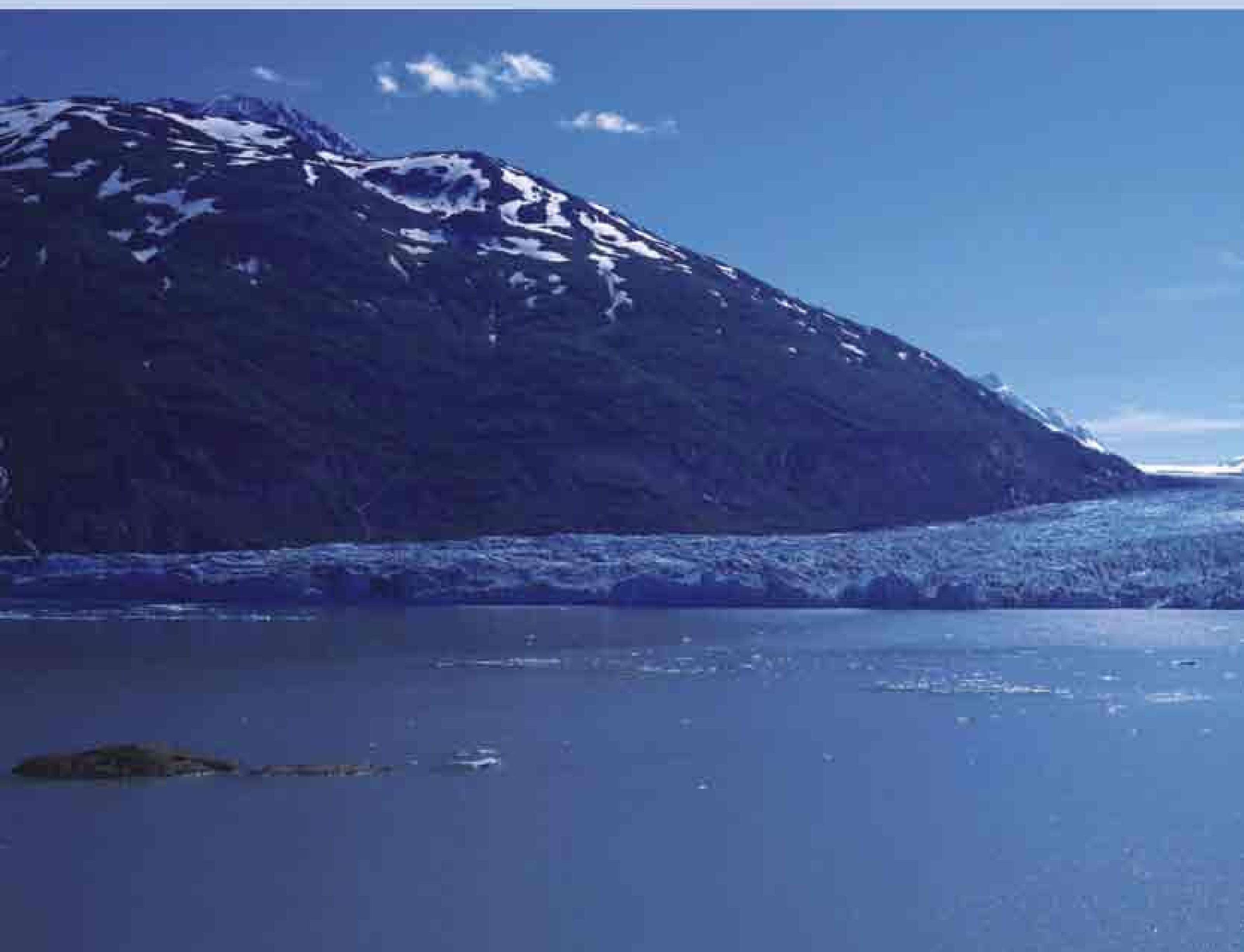

विषय सूची

एनएचपीसी

निगम का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य	-	3
निदेशक मण्डल	-	5
कॉरपोरेट रूपरेखा	-	6
महत्वपूर्ण आंकड़ो का सार (दस वर्ष)	-	8
अध्यक्षीय सम्बोधन	-	11
निदेशकों की रिपोर्ट	-	17
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	-	54
वार्षिक लेखे	-	60

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट	-	97
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	-	105
वार्षिक लेखे	-	112
समेकित वित्तीय विवरण	-	148

निगम का दृष्टिकोण

जल विद्युत तथा जल संसाधनो का पर्यावरण के प्रति पूर्णतः सचेत रहते हुए सतत विकास करने वाला विश्व स्तरीय, बहुविध एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- जल विद्युत एवं बहुविध व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत, पर्यावरणीय अनुकूलता एवं सामाजिक–आर्थिक जिम्मेदारी को निभाते हुए करना।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा ज्ञान विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना।
- नवीन अनुसंधान व विकास के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति को अपनाना।
- कारपोरेट शासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा सशक्त निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था अपनाना।
- आंतरिक निधि जुटाकर तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम धन की व्यवस्था करना।

निदेशक मण्डल

05.08.2008 को

श्री एस.के गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री ए.बी.एल श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

श्री गुरूदयाल सिंह
सदस्य (हाइड्रो), सीईए

श्री जयंत कावले
संयुक्त सचिव (विद्युत मंत्रालय)

श्रीमती कोमल आनंद
अशासकीय अंशकालिक निदेशक

श्री ए.के. मागो
अशासकीय अंशकालिक निदेशक

श्री रमन सिद्धू
अशासकीय अंशकालिक निदेशक

श्री आर.जयासीलन
अशासकीय अंशकालिक निदेशक

डॉ कुरियाकोस ममकुट्टम
अशासकीय अंशकालिक निदेशक

श्री विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

कम्पनी सचिव
विजय गुप्ता

वैधानिक लेखा परीक्षक
मैसर्स जी.एस.ए.एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स,
502, प्रभात किरण,
17, राजेन्द्रा प्लेस,
नई दिल्ली–110008

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स ओ.पी.गर्ग एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स,
40 ए/डी, गांधी नगर,
जम्मू–180004

मैसर्स के.के. घई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स,
806, हेमकुन्ट हाऊस,
6, राजेन्द्रा प्लेस,
नई दिल्ली–110008

मैसर्स के.सी भट्टाचार्जी एण्ड पॉल
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स,
2, चर्च लेन, तीसरा तल,
कमरा नं. 304 बी, कोलकाता–700 001

मैसर्स एन. सरकार एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स,
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट,
कोलकाता–700 072

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
जेएण्डके बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक लि.
ड्यूश बैंक लि.
एक्सिस बैंक लि.
बैंक ऑफ भूटान
स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
आई.डी.बी.आई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : **एनएचपीसी ऑफिस कॉम्पलेक्स, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003**

Cover Cont.

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
बिक्री	**	2243.73	1754.12	1614.11	1449.98
विविध आय	@	911.77	433.38	359.55	393.80
ब्याज़, मूल्य ह्रास तथा कर पूर्व लाभ	$	2201.93	1610.04	1454.71	1438.86
ब्याज एवं मूल्य ह्रास के पश्चात लाभ		1146.65	1087.74	812.16	777.53
ब्याज़, मूल्य ह्रास और कर लाभांश के पश्चात लाभ		1004.09	924.80	742.75	684.58
लाभांश		300.00	278.00	223.00	140.00
आरक्षित एवं अधिशेष (संचित)		6093.34	5367.05	4709.89	4168.49
निगम के स्वामित्व वाली					
सकल नियत परिसंपत्तिया		20639.51	12943.64	12755.52	10876.28
मूल्य ह्रास		3262.66	2850.92	2527.83	2148.20
शुद्ध नियत परिसंत्तियां		**17376.85**	**10092.72**	**10227.69**	**8728.08**
चालू पूंजीगत कार्य		6318.64	11399.92	8844.19	8787.19
निमार्ण भंडार एवं अग्रिम		1077.34	856.43	778.95	770.14
निवेश		3049.22	3322.75	3832.81	3769.43
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां		713.03	-345.60	-225.34	138.69
पश्च लेख न किया गया विविध व्यय		0.34	25.80	24.55	1.18
		28535.42	**25352.02**	**23482.85**	**22194.71**
निगम द्वारा देय					
निवल मूल्य					
– शेयर पूंजी		11182.49	11207.04	10576.09	9933.27
– आरक्षित		6093.34	5367.05	4709.89	4168.49
मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम के रूप में अग्रिम तौर पर प्राप्त आय		1303.26	1245.98	1030.18	1071.15
ऋण		9956.33	7531.95	7166.69	7021.80
		28535.42	**25352.02**	**23482.85**	**22194.71**
प्रचालन कार्य निष्पादन		**2007-2008**	**2006-2007**	**2005-2006**	**2004-2005**
उत्पादन (एम.यू.)		14663	13049	12567	11286
मशीन उपलब्धता (प्रतिशत)		96.13	94.11	98.16	95.30
बिक्री (करोड़ रु.)		2243.73	1754.12	1614.11	1449.98
जनशक्ति (संख्या)		12341	12768	13118	13470

** बिक्री टैरिफ समायोजन और मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम के पश्चात निवल है

@ संविदाओं के प्रति प्राप्ति शामिल है

$ पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात्

(करोड़ रूपये में)

2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1998-99
1276.09	1172.23	1221.00	1179.90	1075.70	1194.40
551.69	302.96	330.40	575.70	202.60	39.10
1477.37	1153.39	1183.50	1209.70	1070.70	999.20
643.48	555.00	513.10	484.20	401.20	305.30
621.38	510.50	470.90	443.40	401.20	305.30
120.00	75.00	50.00	30.00	15.00	15.00
3594.27	3065.70	2598.50	2139.10	1690.60	1272.10
10342.71	8280.95	8113.50	7892.70	7752.70	7090.40
1882.95	1672.19	1526.70	1280.10	1029.00	811.10
8459.76	**6608.76**	**6586.80**	**6612.60**	**6723.70**	**6279.30**
6975.83	7078.00	5218.30	3710.80	2768.60	2576.00
805.55	621.74	525.50	613.00	511.50	322.80
3660.87	2415.66	1965.00	679.90	0.00	0.00
107.76	1889.77	1512.20	1864.20	2100.90	1471.80
0.71	1.20	2.00	9.80	1.90	0.40
20010.48	**18615.13**	**15809.80**	**13490.30**	**12106.60**	**10650.30**
8629.03	7240.61	6345.70	5188.20	4446.20	3825.00
3594.27	3065.70	2598.50	2139.10	1690.60	1272.10
939.40	801.06	648.40	519.90	386.10	245.50
6847.78	7507.76	6217.20	5643.10	5583.70	5307.70
20010.48	**18615.13**	**15809.80**	**13490.30**	**12106.60**	**10650.30**

2003-2004	2002-2003	2001-2002	2000-2001	1999-2000	1998-1999
11046	9863	8912	8774	8691	9917
96.82	96.62	96.86	92.09	91.05	88.39
1276.09	1172.23	1221.00	1179.90	1075.70	1194.40
13648	13017	13054	11850	12150	11860

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (10 वर्ष)

वित्तीय		2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
क ऊर्जा की बिक्री	$	2301.00	1969.93	1661.99	1581.73
ख मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम		57.27	215.81	47.88	131.75
ग अन्य आय (निमार्ण तथा परामर्शी प्राप्ति शामिल है)	#	911.77	433.38	359.55	393.80
घ कुल आय (क) - (ख) + (ग)		**3155.50**	**2187.50**	**1973.66**	**1843.78**
ङ उत्पादन एवं अन्य व्यय (संविदा, तथा परामर्शी व्यय शामिल है)		953.57	577.46	518.95	404.92
च सकल अंतर (घ) - (ङ)		**2201.93**	**1610.04**	**1454.71**	**1438.86**
छ मूल्य ह्रास		443.74	290.55	269.57	248.97
ज सकल लाभ (च) - (छ)		**1758.19**	**1319.49**	**1185.14**	**1189.89**
झ ब्याज एवं वित्त प्रभार		611.54	231.75	372.98	412.36
ञ शुद्ध लाभ (ज) - (झ)		**1146.65**	**1087.74**	**812.16**	**777.53**
ट कर		142.56	162.94	69.41	92.95
ठ कर पश्चात शुद्ध लाभ (ञ) - (ट)		**1004.09**	**924.80**	**742.75**	**684.58**
ड उत्पादित आंतरिक संसाधन (छ) + (ठ) + (ख)		**1505.10**	**1431.16**	**1060.20**	**1065.30**
ढ प्राधिकृत पूंजी		15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
ण प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**	11182.49	11207.04	10576.09	9933.27
त आरक्षित एवं अधिशेष		6093.34	5367.05	4709.89	4168.49
थ ऋण निधि		9956.33	7531.95	7166.69	7021.80
द मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम में प्राप्त आय (ककघ)		1303.26	1245.98	1030.18	1071.15
ध सकल अचल परिसंपत्तियां		20639.51	12943.64	12755.52	10876.28
न मूल्य ह्रास		3262.66	2850.92	2527.83	2148.20
प निवल अचल परिसंपत्तियां (ध) - (न)		**17376.85**	**10092.72**	**10227.69**	**8728.08**
फ चालू पूंजीगत कार्य		6318.64	11399.92	8844.19	8787.19
ब निमार्ण भंडार एवं अग्रिम		1077.34	856.43	778.95	770.14
भ निवेश		3049.22	3322.75	3832.81	3769.43
म कार्यशील पूंजी		713.03	-345.60	-225.34	138.69
य बटट् खाते नहीं डाला गया विविध व्यय		0.34	25.80	24.55	1.18
कक नियोजित सकल पूंजी (प) + (फ) + (ब) + (भ) + (म)		**28535.08**	**25326.22**	**23458.30**	**22193.53**
कख निवल मूल्य (ण) + (त) + (य)		**17275.49**	**16548.29**	**15261.43**	**14100.58**
कग पावर स्टेशनों में उपयोग हेतु मांग सूची		6.15	6.56	12.02	7.73
कघ मूल्यवर्धन (क) - (ख) - (कग)		**2237.58**	**1747.56**	**1602.09**	**1442.25**

$ टैरिफ समायोजन, व्हीलिंग प्रभार और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान शामिल है

** इक्विटी में समायोजन योग्य शेयर जमा तथा भारत सरकार निधि शामिल हैं।

संविदाओं के प्रति प्राप्तियां शामिल हैं।

अनुपात	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
1 नियोजित सकल पूंजी पर प्रतिफल (ज)/(क)	6.16%	5.21%	5.05%	5.36%
2 निवल मूल्य पर प्रतिफल (ठ)/(कख)	5.81%	5.59%	4.87%	4.85%
3 नियोजित सकल पूंजी में निवल बिक्री (क)-(ख)/(कक)	7.86%	6.93%	6.88%	6.53%
4 निवल बिक्री में मूल्यवर्धन (कघ)/(क)-(ख)	99.73%	99.63%	99.26%	99.47%
5 ऋण तथा इक्विटी अनुपात (थ)/(ण)+(त)+(द)	0.54	0.42	0.44	0.46
6 निवल बिक्री में शुद्ध लाभ (ठ)/(क)-(ख)	44.75%	52.72%	46.02%	47.21%

(करोड़ रूपये में)

2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1998-99
1414.43	1324.86	1349.60	1313.70	1216.30	1309.40
138.34	152.63	128.60	133.80	140.60	115.00
551.69	302.96	330.40	575.70	202.60	39.10
1827.78	**1475.19**	**1551.40**	**1755.60**	**1278.30**	**1233.50**
350.41	321.80	367.90	545.90	207.60	234.30
1477.37	**1153.39**	**1183.50**	**1209.70**	**1070.70**	**999.20**
208.14	140.36	231.60	238.70	219.80	215.20
1269.23	**1013.03**	**951.90**	**971.00**	**850.90**	**784.00**
625.75	458.03	438.80	486.80	449.70	478.70
643.48	**555.00**	**513.10**	**484.20**	**401.20**	**305.30**
22.10	44.50	42.20	40.80	0.00	0.00
621.38	**510.50**	**470.90**	**443.40**	**401.20**	**305.30**
967.86	**803.49**	**831.10**	**815.90**	**761.60**	**635.50**
15000.00	10000.00	7000.00	7000.00	5000.00	5000.00
8629.03	7240.61	6345.70	5188.20	4446.20	3825.00
3594.27	3065.70	2598.50	2139.10	1690.60	1272.10
6847.78	7507.76	6217.20	5643.10	5583.70	5307.70
939.40	801.06	648.40	519.90	386.10	245.50
10342.71	8280.95	8113.50	7892.70	7752.70	7090.40
1882.95	1672.19	1526.70	1280.10	1029.00	811.10
8459.76	**6608.76**	**6586.80**	**6612.60**	**6723.70**	**6279.30**
6975.83	7078.00	5218.30	3710.80	2768.60	2576.00
805.55	621.74	525.50	613.00	511.50	322.80
3660.87	2415.66	1965.00	679.90	0.00	0.00
107.76	1889.77	1512.20	1864.20	2100.90	1471.80
0.71	1.20	2.00	9.80	1.90	0.40
20009.77	**18613.93**	**15807.80**	**13480.50**	**12104.70**	**10649.90**
12222.59	**10305.11**	**8942.20**	**7317.50**	**6134.90**	**5096.70**
2.67	2.65	6.90	7.10	6.00	13.30
1273.42	**1169.58**	**1214.10**	**1172.80**	**1069.70**	**1181.10**

2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1998-99
6.34%	5.44%	6.02%	7.20%	7.03%	7.36%
5.08%	4.95%	5.27%	6.06%	6.54%	5.99%
6.38%	6.30%	7.72%	8.75%	8.89%	11.22%
99.79%	99.77%	99.43%	99.40%	99.44%	98.89%
0.52	0.68	0.65	0.72	0.86	0.99
48.69%	43.55%	38.57%	37.58%	37.30%	25.56%

390 मेगावाट, दुलहस्ती पावर स्टेशन, (जम्मू व कश्मीर) – पावर हाउस

अध्यक्षीय सम्बोधन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशकों तथा कर्मचारियों की ओर से आपकी कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है। वार्षिक रिपोर्ट जिसमें साथ 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु लेखे और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, पहले से ही आपके पास विचार तथा अंगीकरण के लिए हैं। मुझे यह उल्लेख करते हुए हर्ष हो रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वार्षिक लेखे पर शून्य टिप्पणी की है। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा गया समझता हूँ।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित "मिनी रत्न" का दर्जा प्रदान किया गया है जो कंपनी को निर्णय लेने में और स्वायत्ता देता है। कंपनी ने अपना नाम "नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड" से बदलकर "एनएचपीसी लिमिटेड", जैसा कि इसका नाम उद्योग में प्रचलित है, रख लिया है। कंपनी ने अपनी संगम अनुच्छेद के मूल खंड में संशोधन करके उसमें विद्युत के विकास को शामिल किया है जिसमें अग्र, पश्च अथवा क्षैतिज एकीकरण, सहायक तथा अन्य संबद्ध उद्योग शामिल हैं। ईआरपी परियोजना के क्रियान्वयन में "ऊर्जा बिक्री लेखांकन" के औपचारिक रूप से प्रारंभ होने के साथ एक उपलब्धि प्राप्त की है और यह मॉडयूल "प्रोजेक्ट किरण" के अंतर्गत 7 व्यापार मॉडयूलों में से पहला है । मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि निगम मुख्यालय पहले से ही अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु आईएसओ -9001:2000, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली हेतु आईएसओ-14001:2004 और अपनी व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली हेतु ओएचएसएमएस -18001 प्रमाणित है। 2 अथवा अधिक प्रबंधन प्रणाली मानकों/विनिर्देशनों को एक समेकित तरीके से क्रियान्वित करने के लिए एनएचपीसी ने बीएसआई (ब्रिटिश स्टैण्डर्ड इंस्टीटयूट) से पीएएस 99 (सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विनिर्देशनों) को क्रियान्वित करने के लिए पहल प्रारंभ की है और इसके लिए प्रमाणित हुई है।

आपकी कंपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इसने सिक्किम में स्थित 510 मेगावाट के प्रतिष्ठित तीस्ता-5 विद्युत स्टेशन को चालू किया है। यह परियोजना एक 90 प्रतिशत आश्रित वर्ष में 2573 मिलियन यूनिटों का वार्षिक उत्पादन करेगी। वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही प्रारंभ हो चुका है और यह डीवीसी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम को काफी अधिक आवश्यकता वाली विद्युत की आपूर्ति कर रही है। आप यह मानेंगे कि यह आशातीत उपलब्धि सभी एनएचपीसी कर्मचारियों द्वारा एक दल के रूप में किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम है। आपकी कंपनी की स्थापित क्षमता देश की कुल जल विद्युत क्षमता का 14.36 प्रतिशत है।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी अनुषंगी कंपनी अर्थात मैसर्स नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट

कंपनी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में 520 मेगावाट के ओमकारेश्वर विद्युत स्टेशन को भी प्रारंभ किया है। दोनों परियोजनाओं के चालू होने से मध्य प्रदेश में मांग तथा आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ये परियोजनाएं निर्धारित समय से काफी पहले प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2006-07 में 248.73 करोड़ रूपये की तुलना में वर्तमान वर्ष हेतु एनएचडीसी का निवल लाभ 329.61 करोड़ रूपये है।

डॉ. मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार का दुलहस्ती पावर स्टेशन 390 मेगावाट किश्तवाड़ के लोकार्पण के अवसर पर स्वागत करते हुए श्री एस.के.गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी

विद्यमान परियोजनाओं की पूर्णता हेतु कर्मचारियों के समर्पण के साथ आपकी कंपनी 11वीं योजना तक 10,000 मेगावाट से अधिक की कंपनी बनने की योजना बना रही है।

प्रचालनात्मक रूप से कंपनी ने पिछले वर्षों के दौरान के कार्य निष्पादन में सुधार को जारी रखा है। कंपनी ने वर्ष 2007-08 के दौरान 14813.16 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जोकि पिछले वर्ष के दौरान उत्पादन से 13.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अधिकांश पावर स्टेशनों ने अपने उत्पादन लक्ष्यों से अधिक उत्पादन किया है और 96.14 प्रतिशत का क्षमता सूचकांक प्राप्त किया है ।

कंपनी ने वर्ष के दौरान 2301 करोड़ रुपये का टर्नओवर प्राप्त किया और 1004.09 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक निवल लाभ अर्जित किया है। आपके निदेशकों ने पिछले वर्ष घोषित किए गए 278 करोड़ रुपये के कुल लाभांश की तुलना में 100 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश सहित 300 करोड़ रुपये के लाभांश की संस्तुति की है। घोषित किया गया लाभांश कंपनी के निवल लाभ का 30 प्रतिशत है और यह अभी तक घोषित किया गया सबसे अधिक लाभांश है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने लाभभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा के प्रति 2237.67 करोड़ रुपये के मूलधन को प्राप्त किया। बिक्री उगाहियों का वसूल किया जाना बिलिंग का 100 प्रतिशत था जोकि विद्युत मंत्रालय द्वारा समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए गए लक्ष्य से अधिक था। वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त हुए बॉण्ड पर ब्याज तथा अन्य आय और बकाया देयों के प्रतिभूतिकरण के प्रति राज्य सरकार को ऋण से 209.22 करोड़ रुपये की आय हुई है।

श्री एस.के.गर्ग अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी श्री अनिल राजदान सचिव (विद्युत) के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करते हुए।

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि पावरहाउस क्षेत्र में स्लोप फेल्योर के कारण सुबानसिरी (लोअर) जल विद्युत परियोजना बाढ के कारण तीस्ता लो डैम परियोजना-III, पार्वती चरण-II में कुल्लू घाटी से संचित के उठान पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण पार्बती जल विद्युत परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई है। उक्त प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है।

चमेरा पावर स्टेशन चरण-I में एवीवाईए हाल का उद्घाटन करने के बाद माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री अनिल राजदान, सचिव (विद्युत) तथा श्री एस.के.गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी के साथ।

भारत सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के माध्यम से 2009 तक "सभी गांवों को विद्युत" और 2012 तक "सभी के लिए विद्युत" के उददेश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दे रही है । इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एनएचपीसी को बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार राज्य में ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी कर रही है।

यह सार्वभौम रूप से माना जाता है कि किसी भी विकासात्मक परियोजना को तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक कि परियोजना के आस-पास के क्षेत्र मे रहने वाले लोगों को इस विकास का लाभ न मिलें । एक कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से भली भाँति परिचित है और इसने अपनी परियोजनाओं के निकट वाले क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य आरम्भ करने के लिए एक व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश बनाए हैं। आपकी कंपनी द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में सामुदायिक विकास पहल में हर्बल पार्क का निर्माण, बड़े पैमाने पर वनीकरण, जलग्राह्य क्षेत्रों उपचार (सीएटी), मछली पालन का प्रबंधन, ग्रामीण युवकों तथा महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर, आधारभूत ढांचे का विकास आदि शामिल हैं।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए बेहद अत्यंत हो रहा है कि आपकी कंपनी को इसकी उपलब्धियों हेतु विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए है । दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने प्रतिस्पर्धी लाभ तथा व्यापार कार्य नीति के एक स्रोत के रूप में प्रशिक्षण, अधिगम तथा विकास का सतत रूप से उपयोग करने के लिए एनएचपीसी के प्रयासों को मान्यता देते हुए "हीरो समूह '' द्वारा स्थापित ''बीएमएल मुंजाल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट" से एनएचपीसी को पुरस्कृत किया था।

श्रीमती शीला दीक्षित, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली से "बीएमएल मुंजाल एवार्ड फार एक्सलेंस एंड डेवलपमेंट" प्राप्त करते हुए श्री एस.के.गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी

मुझे आपको यह सूचित करते हुए भी हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी को स्कोप द्वारा संस्थापित ''स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड फॉर कारपोरेट सोशल रिसपॉसिबिलिटी एण्ड रिसपांसिवनेस" से सम्मानित किया गया है जोकि भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अच्छे कारपोरेट शासन, कर्मचारी कल्याण, कड़ी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएं और सुचारू औद्योगिक संबंधों की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अधिनिगमन के माधयम से एक अच्छा निगमित नागरिक बनने के लिए एनएचपीसी के सतत प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है।

भारत सरकार ने आपकी कंपनी को इनीसियल पब्लिक आर्फर के माध्यम से बाजार शेयर जारी करके निधियां जुटाने के लिए अपनी सहमति दी है । इनीशियल पब्लिक आर्फर इश्यु से पूर्व प्रदत्त पूंजी के 15 प्रतिशत का होगा

जिसमें भारत सरकार की धारिता के 5 प्रतिशत की बिक्री भी शामिल है । रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सेबी के पास दर्ज करवा दिया गया है और इश्यु शीघ्र ही बाजार में आ जाएगा।

यह नोट करना प्रसन्नता का विषय है कि आपकी कंपनी को लगातार उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है अर्थात घरेलू ऋण हेतु एएए और बाहरी ऋण हेतु प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से सम्प्रभुत्व रेटिंग के समतुल्य रेटिंग प्राप्त हुई है जो एनएचपीसी के मजबूत आधारों तथा वित्तीय शक्ति का साक्षी है ।

श्री संतोष मोहन देव माननीय केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम से "स्कोप अवार्ड फार रिस्पांसबिलिटी एंड रिस्पांसिवनेस" प्राप्त करते हुए श्री एस.के.गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी

मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी संयुक्त उद्यम कम्पनी 'नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपेंट कंपनी लिमिटेड' भी हमारे मूल्यों को अपनाती है । इन्दिरा सागर और ओमकारेश्वर परियोजनाएं मध्य प्रदेश राज्य को तुलनात्मक रूप से सस्ती दर पर विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को भूटान में मांगदेचु जल विद्युत परियोजना के डीपीआर को तैयार करने, जम्मू एवं कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना हेतु कार्य, पोर्ट मूट में भारतीय आरक्षित बटालियन हेतु कार्यालय परिसर के विकास, पुलिस विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हेतु पोर्टब्लेयर में आधारभूत ढांचे के विकास के कार्य हेतु परामर्शी कार्य, मैसर्स बीएचईएल के साथ संयुक्त रूप से तजाकिस्तान में वारजोब-1 जल विद्युत संयंत्र के पुनरूद्धार एवं अपरेटिंग का कार्य, पश्चिम बंगाल में दुर्गादुनी टाइडल विद्युत परियोजना (3.65 मेगावाट) के क्रियान्वयन और चमेरा-2 में जमा कार्य आधार पर 400 के.वी के अतिरिक्त जीआईएस बे तथा संबंधित उपकरणों की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा चालू किए जाने हेतु परामर्शी सेवाओं का कार्य भी प्राप्त हुआ । कपंनी को वर्ष के दौरान 21.56 करोड़ रूपये के परामर्शी कार्य भी प्राप्त हुए हैं।

मानव संसाधान किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी परिसंपत्ति हैं और कम्पनी के समग्र उद्देश्यों के प्रति प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । हमारे कर्मचारियों की क्षमताओं को उभारने के लिए कई नूतन योजनाएं/नीतियां प्रारम्भ की गई हैं । यह सूचित करना गर्व का विषय है कि कंपनी में औद्योगिक संबंधों का वातावरण सौहार्दपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण रहा और वर्ष के दौरान किसी भी श्रम दिवस की हानि नहीं हुई। आपकी कंपनी कार्यालयीन व्यवहार में राजभाषा के उपयोग को अत्यधिक महत्व देती है और विभिन्न नूतन योजनाओं के माध्यम से इसके प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है ।

एनएचपीसी व्याख्यानमाला के दौरान डॉ गिरिजा व्यास, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का पुष्प गुच्छ से अभिनंदन करते हुए श्री एस.के.गर्ग अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी

मैं इस अवसर का उपयोग विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना आयोग द्वारा दी गई सहायता तथा समर्थन हेतु उन्हें धन्यवाद देने के लिए करना चाहता हूँ । मैं हमें दिए गए समर्थन तथा मार्ग-दर्शन हेतु वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग आदि और विद्युत बोर्डो/निगमों सहित राज्य सरकार की विभिन्न विभागों के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ । मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थानों को उनके द्वारा एनएचपीसी के प्रति विश्वसनीयता तथा विश्वास बनाए रखने और उनकी सतत् वित्तीय सहायता हेतु हार्दिक धन्यवाद भी प्रकट करना चाहूंगा ।

मैं इस अवसर का उपयोग सभी स्तर पर एनएचपीसी कर्मियों के समर्पण, परिश्रम तथा प्रतिबद्धता और अपने परिवार से हजारों मील दूर अत्यधिक कठिन तथा खतरे वाली स्थितियों में परिवार से हज़ारों मील दूर रहकर उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए विशेष रूप से उल्लेख करते हुए करना चाहूंगा ।

मैं बोर्ड के सभी निदेशकों का उनके मूल्यवान योगदान और सहयोग के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने कंपनी को नए शिखर छूने और उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन प्राप्त करने में समर्थ बनाया।

(एस.के.गर्ग)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 05.08.2008
स्थान : फरीदाबाद

480 मेगावाट उड़ी पावर स्टेशन , (जम्मू व कश्मीर) – पावर हाउस

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

एनएचपीसी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके निगम की कार्य-निष्पादन पर 32वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखा परीक्षित लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखे की समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

31 मार्च, 2008 को वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार निम्नानुसार है :-

सारणी 1

वित्तीय विशिष्टताएं

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2007-2008	2006-2007
बिक्री	2301.00	1962.76
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पूर्व लाभ	2201.93	1610.04
मूल्यह्रास	443.74	290.55
मूल्यह्रास के पश्चात किन्तु ब्याज व कर पूर्व लाभ	1758.19	1319.49
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	611.54	231.75
मूल्यह्रास तथा ब्याज के पश्चात किन्तु कर पूर्व लाभ	1146.65	1087.74
कर	142.56	162.94
मूल्यह्रस, ब्याज तथा कर पश्चात लाभ	1004.09	924.80
पहले के वर्षों के लाभ तथा हानि लेखे का अधिशेष	715.18	2829.74
बॉण्ड शोधन आरक्षित से पश्च लेखन की गई राशि	0.00	83.75
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	1719.27	3838.29
विनियोजन		
बॉण्ड शोधन आरक्षित राशि का हस्तांतरण	23.75	-
अंतरिम लाभांश	100.00	72.00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	200.00	206.00
निगमित लाभांश कर	50.99	45.11
सामान्य आरक्षित राशि का हस्तांतरण	0.00	2800.00
आरक्षित तथा अधिशेष में अग्रेषित लाभ	1344.53	715.18

2. प्रस्तावित लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2007-08 हेतु 300 करोड़ रूपये के अब तक के सबसे अधिक लाभांश की सिफारिश की है जिसमें 100 करोड़ रूपये का अंतरिम लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर) शामिल है जोकि निगम के निवल लाभ का लगभग 30 प्रतिशत होता है ।

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे को, माननीय केन्द्रीय वाणिज्यक एवं विद्युत राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश व श्री अनिल राजदान सचिव (विद्युत) की उपस्थिति में श्री एस.के. गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी लाभांश चैक प्रदान करते हुए।

3. पूंजीगत ढांचा

वर्ष के दौरान निगम ने भारत के राष्ट्रपति को 8.83 करोड़ रूपये के इक्विटी शेयर जारी किए और कोयल कारो परियोजना के बंद होने के कारण शेयर पूंजी में 24.55 करोड़ रूपये की कमी के प्रभाव को लेते हुए 31 मार्च, 2008 को निगम की कुल प्रदत्त पूंजी 11,182. 49 करोड़ रूपये थी।

4. परामर्शी सेवाएं

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 21.56 करोड़ रूपये की राशि के परामर्शी कार्य तथा 30.11 करोड़ रूपये की राशि के भुगतान प्राप्त हुए थे। वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परामर्शी कार्यों में भूटान में मांगडेचू जल विद्युत परियोजना की डीपीआर को तैयार करना, जम्मू एवं कश्मीर में उद्यमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल सम्पर्क परियोजना हेतु कार्य, पोर्ट माउट पोर्ट ब्लेयर में भारतीय रिजर्व बटालियन हेतु एक परिसर का विकास, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर पर पुलिस विभाग हेतु आधारभूत ढांचे का विकास, तजाकिस्तान में वारजोब-1 जल विद्युत संयंत्र का मैसर्स बीएचईएल के साथ संयुक्त रूप से नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन, पश्चिम बंगाल में दुर्गादुआनी टाइडल विद्युत परियोजना (3.65 मेगावाट) का क्रियान्वयन और चमेरा-II में डिपाजिट कार्य आधार पर 400 केवी अतिरिक्त जीआईएस बे और सम्बद्ध उपकरणों की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा प्रारम्भ किए जाने हेतु परामर्शी सेवाएं का कार्य प्राप्त हुआ।

निगम ने भारत तथा विदेश में जल विद्युत के क्षेत्र में बाहरी एजेंसियों को संयुक्त रूप से परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए मांटगोमैरी वाटसन हार्जा अमेरिका कारपोरेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एण्ड वाटर रिर्सोसेज ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन किया हुआ है।

एनएचपीसी विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और कुवैत फंड फॉर अरब इकोनॉमिक डेवलपमेंट (केएफएईडी), कुवैत के साथ भी एक ''परामर्शदाता '' के रूप में पंजीकृत है ।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 3000 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखने के उपरांत श्री अनिल राजदान, सचिव (विद्युत), श्री पृथ्वीराज चौहान, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय श्री डोरजी खांडू, अरूणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य अधिकारियों के साथ श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी।

5. ग्रामीण सड़क परियोजना

निगम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)के अंतर्गत बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी को बिहार में छः जिले आवंटित किए गए हैं नामतः पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली तथा पश्चिमी चम्पारण। 427 सड़कों (लम्बाई 2259 किलोमीटर) के निर्माण हेतु डीपीआर को तैयार कर लिया गया है तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। 304 सड़कों (लम्बाई 1741 किलोमीटर) हेतु अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और अभी तक 495 किलोमीटर हेतु कार्य पूरा किया जा चुका है।

6. ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) परियोजनाएं

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत लगभग 2580 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य के 27 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए एनएचपीसी ने पहल की है। सभी जिलों के कार्य के क्षेत्र में 32400 गांवों और 20.80 लाख बीपीएल परिवारों को सर्विस कनेक्शन शमिल हैं।

27 जिलों में से एनएचपीसी ने 14 जिलों में कार्यों हेतु संविदाएं दे दी हैं। शेष 13 जिलों हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। 1276 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और वर्ष 2007-08 के दौरान 59479 बीपीएल सर्विस कनेक्शन मुहैया करवाए गए थे ।

7. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार

एनएचपीसी मे ईआरपी पहल के अवसर पर श्री एस.के.गर्ग सीएमडी, एनएचपीसी द्वारा "प्रोजेक्ट किरण" के उद्घाटन समारोह पर कार्मिकों को सम्बोधित करते हुए।

एनएचपीसी ने वर्षों से समूचे संगठन में प्रमुख व्यापार क्षेत्रों जैसेकि मानव संसाधन, वित्त, वाणिज्य, व्यापार प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, सामग्री प्रबंधन आदि में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों को लागू किया है। एनएचपीसी ने अपने दूरस्थ स्थानों से कनेक्ट करने के लिए एक व्यापक उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी उपयोगों के सपोर्ट हेतु एक सुदृढ़ आधारभूत ढांचा भी बनाया है।

उच्च स्तर के विचार-विमर्श, समन्वयन तथा सभी कार्यों के मध्य समक्रमणता और एक बदलते हुए व्यापार परिवेश की नई आवश्यकताओं के प्रतिउत्तर में एनएचपीसी की क्षमता में वृद्धि करने के लिए एनएचपीसी समूचे संगठन में सात व्यापार प्रक्रियाओं अर्थात परियोजना प्रबंधन (अवधारणा से प्रारंभ किए जाने तक), विद्युत संयंत्र प्रचालन तथा अनुरक्षण, अधिप्राप्ति तथा संविदाएं, मानव संसाधन, अभियांत्रिकी तथा गुणवत्ता आश्वासन और उर्जा बिक्री लेखांकन में आईएफएस एबी, स्वीडन के आईएफएस ईआरपी समाधान को क्रियान्वित कर रही है।

अक्टूबर, 2009 तक एनएचपीसी के सभी कार्य-स्थलों पर ईआरपी प्रोजक्ट कार्यान्वित होने की संभावना है जो कि संस्था में बेहतर निष्पादन, उत्पादकता तथा लाभदायकता प्रदान करेगी।

<u>वर्ष 2007-2008 के दौरान एनएचपीसी को प्राप्त पुरस्कार -</u>

1. एनएचपीसी में नूतन मानव संसाधन व्यवहारों को मान्यता देते हुए वर्ष 2007-08 हेतु 'आर्गनाइजिंग काउंसिल फार एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस' द्वारा 'वैश्विक मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार' ।

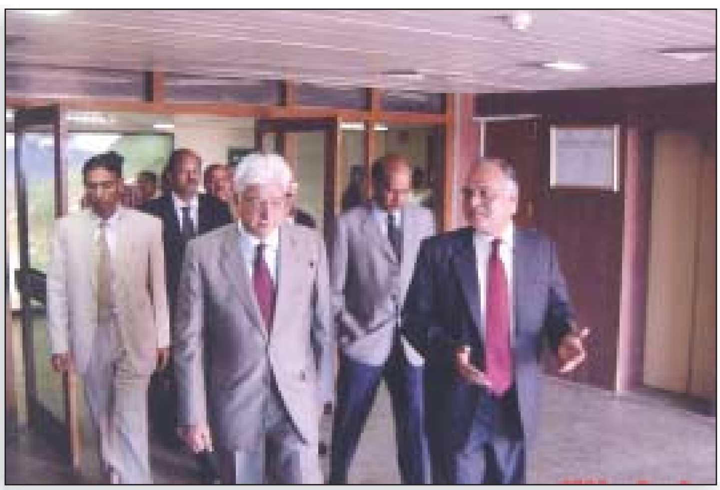

श्री अज़ीम प्रेमजी, अध्यक्ष वा सीईओ, विप्रो लिमिटेड श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी के साथ निगम मुख्यालय के दौरे पर

2. प्रतियोगी लाभ तथा व्यापार कार्य नीति के एक स्रोत के रूप में प्रशिक्षण, अधिगम तथा विकास का सतत् उपयोग करने हेतु एनएचपीसी के प्रयासों को मान्यता देते हुए 'हीरो ग्रुप' द्वारा स्थापित 'बीएमएल मुंजाल अवार्ड फार एक्सीलेंस इन लर्निंग एण्ड डेवलपमेंट'।
3. एमिटी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल द्वारा 'एमिटी अवार्ड फार बेस्ट प्रेक्टिसिस आफ कारपोरेट सोशल रिसपॉंसिबिलिटी'।
4. निगमित शासन, कर्मचारी कल्याण, दृढ़ पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएं और सहज औद्योगिक संबंधों के श्रेष्ठ व्यवहारों को शामिल करके एक अच्छे निगमित नागरिक बनने के एनएचपीसी के सतत् प्रयासों को मान्यता देते हुए स्कोप द्वारा संस्थापित वर्ष 2005-06 हेतु 'स्कोप मेरिटियस अवार्ड फॉर कारपोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी एण्ड रिसपांसिवनेस।
5. विद्युत मानव संसाधन फोरम - 2007 द्वारा 'श्रेष्ठ निगमित नागरिक पुरस्कार'।
6. सार्वजनिक क्षेत्र में महिला विकास हेतु स्कोप -डब्ल्यूआईपीएस द्वारा 'श्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार'।

7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में श्रेष्ठ जल प्रबंधन हेतु 'वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड - 2007-08' ।
8. पर्यावरण प्रबंधन हेतु क्षेत्र-II, बनीखेत और धौलीगंगा पावर स्टेशन को ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा 8वां वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण उत्कृष्टता रजत पुरस्कार ।
9. पर्यावरण प्रबंधन हेतु क्षेत्र-II, बनीखेत को वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा गोल्डेन पीकॉक अवार्ड 2007 ।
10. वित्तीय तथा प्रचालनात्मक दृढ़ता हेतु 2005-06 के लिए आईआईआईई इन्टरप्राइज एक्सेलेंस आवार्ड

माननीय केन्द्रीय वाणिज्य एवं विद्युत राज्य मंत्री, श्री जयराम रमेश को श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी गुलदस्ता प्रदान करते हुए।

8. पर्यावरण प्रबंधन

मानव जाति की भविष्य हेतु बहुमूल्य धरोहर 'प्रकृति' की रक्षा करने तथा इसे बढ़ाने के लिए निगम प्रतिबद्ध है । निगम का प्रयास पर्यावरण की रक्षा और निर्माण क्रियाकलापों के मध्य एक ईष्टतम संतुलन बनाए रखना है । निर्माण क्रियाकलापों के प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हों, को प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, वन्यजीव संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मछली पालन प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, डंपिंग स्थलों तथा खदान स्थलों का पुनरूद्धार आदि जैसे उपाय अपना कर न्यून तथा उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है ।

इसके अतिरिक्त, निगम परियोजना निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए निर्माण-पश्च पर्यावरण प्रभाव आंकलन अध्ययन भी करता है ।

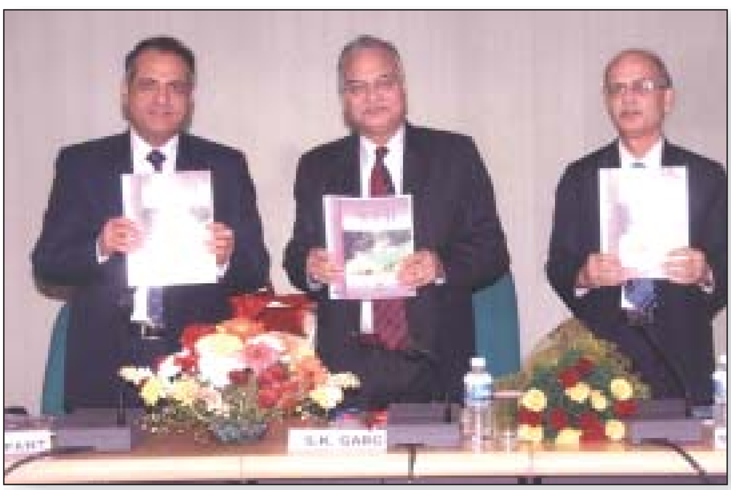

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी श्री विजय राघव पंत, सीवीओ के साथ सर्तकता पत्रिका "चेतना" का विमोचन करते हुए।

9. सतर्कता क्रियाकलाप

एनएचपीसी का सतर्कता विभाग, विभिन्न प्रक्रियाविधियों तथा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए तन्त्र में पारदर्शिता लाने तथा भेदभाव समाप्त करने के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रबंधन के प्रयासों में लगातार सहयोग दे रहा है। संगठन द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्रों/ दिशा-निर्देशों तथा साथ ही भारत सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों को नियमित रूप से इन्ट्रानेट पर अपलोड किया जाता है। निवारात्मक उपाय के रूप में परियोजनाओं पर नियमित रूप से सतर्कता सराहना कार्यक्रम/कार्यशालाएं तथा औचक एवं नियमित निरीक्षण किए जाते हैं । निगम की क्रिया-कलापों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते हुए तथा विद्यमान प्रणाली एवं प्रक्रियाविधियों में लगातार सुधार करते हुए शेयर होल्डरों के हित की रक्षा के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

एनएचपीसी के सतर्कता विभाग ने उत्तरदायित्व तथा जबावदेही की पारदर्शी पद्धति बनाने के साथ इसकी आन्तरिक क्रिया-विधि को मानकीकृत तथा प्रलेखित किया है तथा सतर्कता क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन आई.एस.ओ. 9001:2000 प्राप्त किया है।

10. राजभाषा कार्यान्वयन

निगम मुख्यालय में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन अवसर पर

एनएचपीसी द्वारा भारत सरकार के विभिन्न निर्देशों, राजभाषा नीति के नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए निगम में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। निगम मुख्यालय और निगम की विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/क्षेत्रीय कार्यालयों में 1 से 14 सितम्बर 2007 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया था। प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को निगम में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्मचारियों द्वारा अपना दैनंदिन कार्यालयीन कार्य हिंदी में किए जाने को सुकर बनाए जाने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल 'कार्यालयीन तथा तकनीकी शब्दावली' बनाई गई है ।

निगम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें और हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गई थी। निगम ने विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा की है और इन योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाया है।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि करने के लिए 7 दिसम्बर, 2007 को फिक्की सभागार में एक भव्य 'अखिल भारतीय कवि सम्मेलन' का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर हिंदी के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया था। इस कार्यक्रम को काफी सफलता मिली थी।

निगम की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/इकाइयों में तैनात राजभाषा अधिकारियों हेतु 10 से 14 मार्च, 2008 तक एक उच्च स्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति ने हमारे पावर स्टेशनों तथा इकाइयों का निरीक्षण किया और निगम द्वारा राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि किए जाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

एनएचपीसी को भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, दिल्ली से राजभाषा आभूषण पुरस्कार और नराकास, फरीदाबाद से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है । हमारी तीस्ता-V परियोजना को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) और क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तराखंड), देहरादून को नराकास, देहरादून से राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्राप्त हुई है ।

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित पावर जेन इन्डिया व सेन्ट्रल एशिया-2008 प्रदर्शनी के अवसर पर एनएचपीसी पैवेलियन में।

11. कारपोरेट संचार

कारपोरेट संचार, निगम की छवि को दर्शाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से समूचे देश में एनएचपीसी की उपलब्धियों को उचित रूप से दर्शाया गया था। निगम ने कई राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की जैसेकि प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2007', मुम्बई में इंडिया टेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित 9वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा सम्मेलन 'पावर इंडिया-2007' और जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में दूसरा उत्तरी बंगाल औद्योगिक व्यापार मेला-2008। भारतीय अंतर्राट्रीष्य व्यापार मेला-2007 में एनएचपीसी के पेवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता

श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री 7 नवम्बर, 2007 को एनएचपीसी की 33 वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करते हुए।

हेतु विशेष सराहना पुरस्कार जीता, मुम्बई में आयोजित पावर इंडिया, 2007 में एनएचपीसी ने श्रेष्ठ थीम पेवेलियन का पुरस्कार जीता और दूसरे उत्तरी बंगाल औद्योगिक व्यापार मेला-2008 में एनएचपीसी ने श्रेष्ठ पेवेलियन का पुरस्कार जीता।

'एनएचपीसी न्यूज' आंतरिक संचार का एक प्रभावी माध्यम बना हुआ है । 'सीएमडी की डेस्क से' शीर्षक वाला मासिक संचार कर्मचारियों तक शीघ्रता से सूचना के प्रसार में काफी उपयोगी रहा था ।

एनएचपीसी नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक तथा खेलकूद से संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा देती है और पावर स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड की एक सदस्य है । निगम नवम्बर, 2007 में नीपको द्वारा शिलांग में आयोजित अंतर-सीपीएसयू शतरंज प्रतियोगिता में विजेता के रूप में उभरा। श्री सी.एल.खायुन्गम, अभियंता (ई), रंगित पावर स्टेशन को टूर्नामेंट की एकल स्पर्धा में विजेता घोषित किया गया था। एनएचपीसी ने जनवरी, 2008 में एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में 10वीं अंतर सीपीएसयू कैरम और 12वीं अंतर-सीपीएसयू ब्रिज प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया था जिसमें एनएचपीसी के महिला दल ने कैरम में प्रथम पुरस्कार जीता और निगम मुख्यालय की सुश्री पूर्वा मैनी को व्यक्तिगत स्पर्धा में विजेता घोषित किया गया था। पुरूषों का ब्रिज दल प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा।

एनएचपीसी ने कोरबा में अंतर-सीपीएसयू एथलेटिक प्रतियोगिता और ऋषिकेश में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया और दोनों ही स्पर्धाओं में द्वितीय स्थान प्राप्त किया ।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2007 को मनाने के लिए एक भाग के रूप में एनएचपीसी ने पांच राज्यों नामतः जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित स्कूल के बच्चों हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का संयोजन किया।

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी द्वारा पावर स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में एनएचपीसी द्वारा मेजबानी की गई 10वीं इन्टर-सीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त एनएचपीसी महिला कैरम टीम को शील्ड प्रदान करते हुए।

12. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और नैतिक व्यवहार के प्रति एन.एच.पी.सी. ने अपनी सतत् प्रतिबद्धता के प्रति आंतरिक तथा बाहरी हितबद्धों और समग्र समाज के आर्थिक विकास और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान दिया है। सीएसआर पहलू निगम के लक्ष्य कथन में भी प्रतिध्वनित होता है जो "परियोजनाओं का एक लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल तथा सामाजिक-आर्थिक प्रतिउत्तर देने तरीके से निष्पादन तथा प्रचालन करना" है।

एनएचपीसी एक अच्छे निगमित नागरिक के रूप में अपने आस-पास तथा कार्य करने वाले स्थान के चारों ओर विद्यमान होने वाली सामाजिक समुदाय के प्रति एक गहरी चिन्ता के साथ उनकी सामाजिक बेहतरी के लिए भी जिम्मेदार रहती है ।

कंपनी ने बोर्ड के अनुमोदन के साथ पावर स्टेशनों पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व-सामुदायिक विकास (सीएसआर-सीडी) की पहलों पर एक योजना को अपनाया है ।

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी जल विद्युत के उत्तरोत्तर विकास पर राउंड टेबल में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए। इस अवसर पर श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय विद्युत मंत्री और अनिल राजदान, सचिव (विद्युत) भी उपस्थित थे।

एनएचपीसी ने पावर स्टेशनों तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के आस-पास रहने वाले समुदाय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, परिधीय विकास, खेल एवं संस्कृति, रोजगार अवसर, प्रकृति का संरक्षण आदि के क्षेत्रों में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास (सीएसआर-सीडी) की कई पहलों को लिया है। विभिन्न अन्य पहलें अर्थात् औषधीय लाभ के साथ हर्बल पार्क का निर्माण, बड़े पैमाने पर वनीकरण, जलग्राहय क्षेत्र उपचार (सीएटी), मछली पालन प्रबंधन, ग्रामीण युवा एवं महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर, बुनियादी सुविधाओं का विकास आदि को भी लिया गया था।

अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एनएचपीसी ने आस-पास के समुदायों में लाखों ग्रामीण निर्धनों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल, खेल एवं संस्कृति आदि को बढ़ावा देकर सशक्त किया है जोकि एनएचपीसी के विभिन्न विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं के आस-पास बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक विकास में परिणत हुआ है।

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति के अंतर्गत एनएचपीसी ने निर्माण परियोजनाओं में विभिन्न सामुदायिक-विकास पहलें किए जाने के प्रयोग के लिए निधियों को निर्धारित भी किया है।

एनएचपीसी की सीएसआर पहलें प्रतिष्ठित पुरस्कारों/सम्मानों में चर्चा का एक विषय बन गया है जैसेकि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रतिउत्तर हेतु स्कोप मेरिट पुरस्कार, एक निगमित नागरिक के रूप में श्रेष्ठ व्यवहारों हेतु विद्युत मानव संसाधान फोरम पुरस्कार, श्रेष्ठ सीएसआर व्यवहारों हेतु एमिटी पुरस्कार, पर्यावरणीय उत्कृष्टता हेतु स्वर्ण मयूर पुरस्कार, ग्रीनटेक पर्यावरणीय उत्कृष्टता पुरस्कार, श्रेष्ठ हरित शासन हेतु सृष्टि पुरस्कार आदि से एनएचपीसी को नवाजा गया है।

<u>वर्ष 2007-08 के दौरान की गई कुछ सीएसआर-सीडी पहलें -</u>

- जम्मू शहर के अविकसित/पिछड़े इलाके में अवस्थित अर्वंचित विद्यार्थी समुदाय हेतु सरकारी हाई स्कूल, जानीपुर कालोनी, जम्मू में परीक्षा भवन का निर्माण।
- एनएचपीसी के विभिन्न परियोजना स्थलों द्वारा स्थानीय प्रतिभावान छात्रों की उनकी शिक्षा पूरी करने में सहायता करने के लिए शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां मुहैया करवाई गई थी।
- निर्धन तथा प्रतिभावान छात्रों के हितों की रक्षा के लिए एनएचपीसी के परियोजना स्थलों द्वारा विभिन्न सरकारी/मिडिल/हाई स्कूलों के लगभग 2000 छात्रों को नि:शुल्क वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी मदें, स्कूल के बस्ते आदि वितरित किए गए थे।
- विभिन्न परियोजना स्थलों द्वारा 104 नि:शुल्क चिकित्सा शिविर/नेत्र शिविर आयोजित किए गए थे जिनमें निर्धन ग्रामीणों हेतु नि:शुल्क दवाएं वितरित की गई थी, मोतियाबिंद (आंख) का आपरेशन तथा अन्य सर्जिकल ऑपरेशन किए गए थे।
- सलाल, टनकपुर, चमेरा-1 विद्युत स्टेशन आदि जैसे विभिन्न परियोजना स्थलों में जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं हेतु सिलाई में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मुहैया

सीएसआर-सीडी पहल के तौर पर धौलीगंगा पावर स्टेशन द्वारा सिलाई मशीनों का वितरण।

करवाने के लिए सिलाई केन्द्र चलाए जा रहे हैं और उड़ी विद्युत स्टेशन में ऐसा एक नया केन्द्र खोला जा रहा है । विभिन्न महिला स्व-सहायता समूह, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों आदि को लगभग 70 सिलाई की मशीने नि:शुल्क वितरित की गई थी।

- स्थानीय युवा की नियोजनशीलता में वृद्धि करने के लिए क्रमश: 13 स्थानीय युवाओं को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर टेकनॉलाजी में एक वर्षीय डिप्लोमा (डीसीएसटी) और आईटीआई रोइंग तथा ताबारीजो में 36 स्थानीय युवाओं को आईटीआई प्रशिक्षण जम्मू एवं कश्मीर मे सलाल विद्युत स्टेशन तथा अरूणाचल प्रदेश में सुबानसिरी लोअर परियोजना द्वारा मुहैया करवाया गया था।

एनएचपीसी आवासीय कालोनी, सूरजकुड में वंसत मेला का उद्घाटन करते हुए श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी।

- एनएचपीसी स्थल अवस्थित होने वाले क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहित करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए एनएचपीसी के विभिन्न परियोजना स्थलों द्वारा आधारभूत ढांचा सुविधाएं और खेलकूद की वस्तुएं वितरित की गई थी।

13. निगमित शासन

निगमित शासन पर एक पृथक रिपोर्ट को अनुपालन हेतु प्रमाण-पत्र के साथ निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में **अनुबंध-1** के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इस रिपोर्ट में चर्चा किए अनुसार प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुबंध-2** के रूप में संलग्न है ।

14. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में निगम ने विभिन्न दस्तावेजों/अभिलेखों को अपनी वेबसाइट पर मुहैया करवाया है और कंपनी सचिव को निगम के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नियुक्त किया गया था। सूचना पर राष्ट्रव्यापी पहुंच को समर्थ बनाने के लिए प्रत्येक विद्युत स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय/इकाई पर सहायक जन सूचना अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों पर कार्रवाई की गई है और आवेदकों को उचित उत्तर/सूचना प्रस्तुत की गई है।

15. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

सूचना इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-III** के रुप में संलग्न है।

3000 करोड़ के लाइन आफ क्रेडिट सुविधा हेतु पीफसी के साथ तीन समझौता करार पर हस्ताक्षर के उपरांत श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी एवं श्री वी.के.गर्ग, सीएमडी, पीएफसी

16. कर्मचारियों के ब्यौरे

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना को इस रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

17. लेखा परीक्षक

वर्ज़ 2007-2008 हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स जीएसए एण्ड एसोसिएटस, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया था। मैसर्स एन सरकार एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, कोलकाता, के.सी. भट्टाचार्यजी एण्ड पौल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, कोलकाता, के.के. घई एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस, नई दिल्ली तथा मैसर्स ओ.पी.

गर्ग एण्ड कंपनी, जम्मू को निगम के शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

18. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निगम द्वारा अनुसूची-24 में शामिल की गई विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है जोकि स्वत: स्पष्ट है। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन द्वारा दिए गए उनके उत्तर **अनुबंध-V** में दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-VI** के रूप में संलग्न है । लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन के उत्तर के साथ निगम के समेकित वित्तीय विवरण **अनुबंध-VII** के रूप में संलग्न है।

श्री ए.बी.एल श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) निगम मुख्यालय, फरीदाबाद में लागत लेखापरीक्षकों के सम्मेलन पर सम्बोधित करते हुए।

19. लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-बी के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ वित्तीय-वर्ष 2007-08 हेतु प्रत्येक फर्म के साथ उनके आगे दर्शाए गए अनुसार विद्युत स्टेशन के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखाकारों की निम्नलिखित फर्मों को नियुक्त किया गया था।

फर्म का नाम	पावर स्टेशन का नाम
श्री कृष्ण एस. बर्क, फरीदाबाद	उड़ी-1, तथा दुलहस्ती
मैसर्स चन्द्रा वाधवा एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	सलाल तथा सीपीएस-I
मैसर्स नरसिंहा मूर्ति एण्ड कंपनी, हैदराबाद	धौलीगंगा तथा टनकपुर
मैसर्स राम नाथ अय्यर एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	बैरास्यूल तथा सीपीएस-II
मैसर्स मणि एण्ड कंपनी, कोलकात्ता	रंगित तथा लोकतक
मैसर्स डीजीएम एण्ड एसोसिएट्स, कोलकाता	तीस्ता-V

20. सहायक निगम के लेखे

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हमारे निगम की एक अनुषगी को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत एक विवरण के साथ संलग्न है।

21. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अन्तर्गत यथाअपेक्षित, निदेशकगण इस बात की पुष्टि करते हैं कि

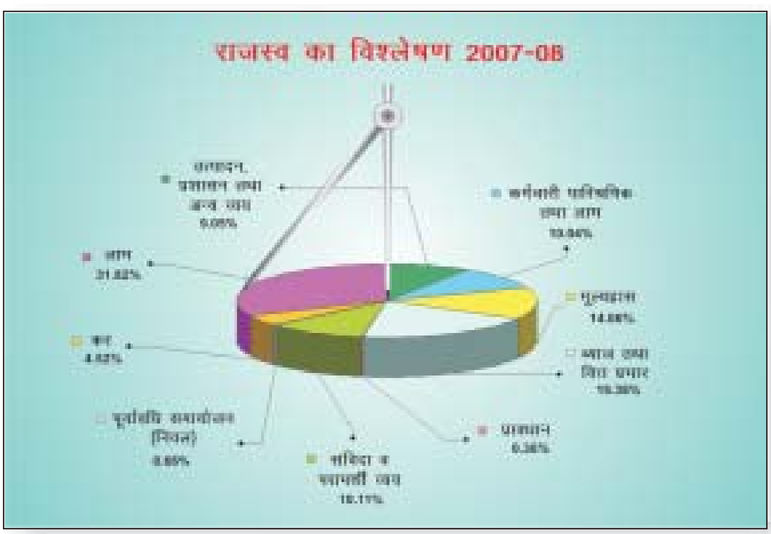

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में भौतिक विपथन संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखाकरण मानक अपनाए गए हैं;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;

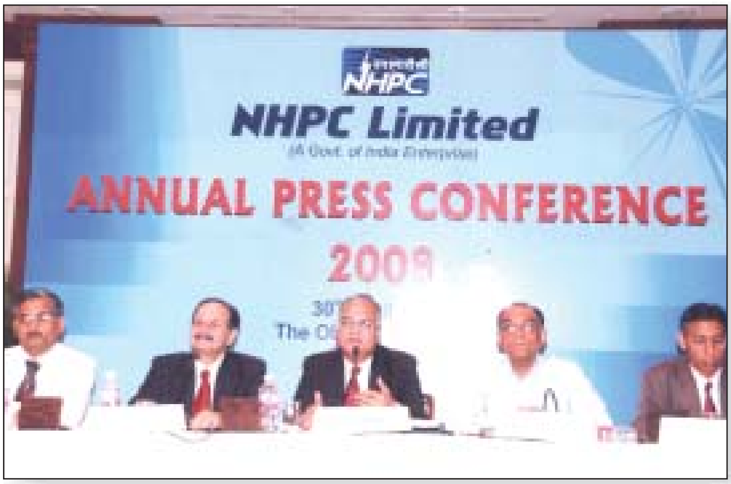

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी, नई दिल्ली में वार्षिक प्रेस कान्फ्रेंस, 2008 को सम्बोधित करते हुए।

(iii) निदेशकों ने अपनी अधिकतम जानकारी के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार समुचित लेखाकरण रिकॉर्डों के रख-रखाव का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे अनवरत संबंद्ध आधार पर तैयार किए हैं।

22. निदेशक मंडल

श्री जयन्त कावले, संयुक्त सचिव (हाइडल), विद्युत मंत्रालय को 6 सितम्बर, 2007 से आपकी कंपनी के बोर्ड में श्री अनिल कुमार कुट्टी, पूर्व संयुक्त सचिव (हाइडल), जो 14 अगस्त, 2007 से निदेशक नहीं रहे हैं, के स्थान पर अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री ए.बी.एल श्रीवास्तव ने 11 फरवरी, 2008 से आपकी कंपनी के निदेशक (वित्त) का प्रभार संभाला। पांच स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री आर. जयसीलन, श्री रमन सिद्धू श्रीमती कोमल आनन्द और श्री ए.के. मागो को भी अप्रैल, 2008 के माह के दौरान आपकी कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था और डा. कुरियाकोस ममकुट्म को जून, 2008 माह में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री एस.पी. सेन, कंपनी के निदेशक (तकनीकी) ने 8 मई, 2008 से समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले ली थी।

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी, सिंगापुर में आयोजित इन्डिया-एशिया इन्वेस्टमेंट फोरम में विचार-विमर्श करते हुए।

23. निगम के नाम में परिवर्तन

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की स्थापना 1975 में देश में जल विद्युत के समेकित विकास हेतु की गई थी । इन 32 वर्षों में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए देश में जल विद्युत के क्षेत्र में अग्रणी रूप में उभरा है। नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन को इसके संक्षिप्त नाम 'एनएचपीसी' के नाम से अधिक जाना जाता है और यह कंपनी का ब्राण्ड नेम बन गया है। इसलिए 28 मार्च, 2008 से आपकी कंपनी का नाम "नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन" से बदलकर 'एनएचपीसी लिमिटेड' कर दिया गया है।

300 मेगावाट की चमेरा-II पावर स्टेशन (हिमाचल प्रदेश) -बांध

24. निगम को मिनी रत्न का दर्जा

आपकी कंपनी को विद्युत मंत्रालय द्वारा 28 अप्रैल, 2008 से मिनी रत्न(श्रेणी-I) का दर्जा प्रदान किया गया है । इस दर्जे से आपकी कंपनी न केवल नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरण के क्रय आदि पर सरकार के अनुमोदन के बिना एक निश्चित सीमा तक पूंजीगत व्यय करने की पात्र होगी बल्कि यह इसे निर्धारित सीमाओं के भीतर संयुक्त उद्यम करने, टैकनोलॉजी संयुक्त उद्यम करने, सामरिक गठबंधन बनाने और कुछ अन्य लाभों का भी पात्र बनाएगा।

25. दीर्घावधि ऋण आवश्यकता

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान निगम ने अपनी चालू परियोजनाओं की पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2538 करोड़ रूपये का ऋण लिया था। निगम ने चालू परियोजनाओं की शेष ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4006 करोड़ रूपये की राशि हेतु पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के साथ नए समझौते भी किए थे। निगम ने मूलधन तथा ब्याज की चुकौती के संबंध में अपनी देयताओं को पूर्णत: समय पर चुकाया है।

2000 मेगावाट की सुबानसिरि सोअर परियोजना (अरूणाचल प्रदेश) - बांध स्थल

26. इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग

भारत सरकार ने पूर्व निर्गत प्रदत्त पूंजी के 15 प्रतिशत की राशि जिसमें भारत सरकार की धारिता के 5 प्रतिशत की बिक्री शामिल है, हेतु इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है । अप्रैल, 2007 में एक मसौदा रेड-हेरिंग प्रोसपेक्टस दायर किया गया था किन्तु स्वतंत्र निदेशकों की तैनाती में विलंब के कारण उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। निगम ने इश्यू के प्रयोजन हेतु फिर से डीआरएचपी को पुन: फाइल करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है। इश्यू के पश्चात भारत सरकार की धारिता 86.36 प्रतिशत होगी।

आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विशेषकर विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा उनके मंत्रालय व विभागों/बोर्डों से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रति कृतज्ञापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा साथ ही भारतीय निवेशकों का भी निगम में निरन्तर सहायता देने, उस पर अपना भरोसा तथा विश्वास बनाए रखने के लिए आभारी है।

निदेशक मंडल विद्युत लेने वाले लाभग्राहियों तथा परामर्शी कार्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में संविदाकारों, बैंकरों, विक्रेताओं तथा परामर्शदाताओं के योगदान के लिए उनके प्रयास हेतु विशेष आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभारी है। इसके साथ ही निदेशक मंडल एनएचपीसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है जिनके उत्साह, समर्पण तथा सहयोग से संतोषजनक कार्य निष्पादन की प्राप्ति संभव हुई है। बोर्ड इसके प्रति भी आश्वस्त है कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में भी अपना श्रेष्ठ योगदान देना जारी रखेंगे।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एस. के. गर्ग

(एस.के.गर्ग)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक :31.07.2008

स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध-I

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन उन कानूनों, व्यवहारों तथा स्पष्ट नियमों से संबंधित है जो किसी कंपनी की उसके दावाकर्ताओं विशेषकर उसके शेयरधारक, ऋणदाता तथा ग्राहकों के संबंध में सूचित प्रबंधकीय निर्णय लेने की क्षमता को निर्धारित करते हैं। एनएचपीसी प्रबंधन सदैव अपने सभी हितबद्धों के श्रेष्ठ हित में कार्य करने का प्रयास करता है और इसने हितबद्धों की अधिकतम संख्या को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छे निगमित शासन व्यवहारों को अपनाया है।

1. शासन के कोड का दर्शन -

(i) प्रचालन में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली होना और बोर्ड को समय पर एक पारदर्शी तरीके से सूचना देना ताकि बोर्ड अपने प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व को पूरा कर पाने में समर्थ हो सके।

(ii) निगम और समूचे देश की संपत्ति की सृजन हेतु व्यापार उद्यम की दक्षता में वृद्धि करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी तथा बोर्ड निगमित मूल्यों का पालन करते हैं और उन्हें अपने आचरण में लाते हैं।

2. बोर्ड का संघटन और निदेशकों के ब्यौरे-

(i) बोर्ड का संघटन

कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) में सात निदेशक होते हैं जिसमें से अध्यक्ष सहित पांच निदेशक कार्यपालक निदेशक होते हैं और दो गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, तथापि रिपोर्ट की तिथि को भारत सरकार द्वारा 6 (छः) गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया गया था।

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड का संघटन और निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक तथा समिति के पद निम्नानुसार हैं-

नाम	कार्यपालक/ गैर कार्यपालक/ स्वतंत्र	धारित अन्य निदेशक पद	धारित अन्य समिति पद	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
श्री एस.के. गर्ग	कार्यपालक अध्यक्ष	1	शून्य	1
श्री एस.के. चतुर्वेदी	कार्यपालक निदेशक	शून्य	शून्य	1
श्री एस.पी. सेन*	कार्यपालक निदेशक	1	शून्य	शून्य
श्री एस.के. डोडेजा	कार्यपालक निदेशक	शून्य	शून्य	1
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव**	कार्यपालक निदेशक	1	शून्य	शून्य
श्री गुरुदयाल सिंह	गैर-कार्यपालक	4	1	1
श्री जयन्त कावले***	गैर-कार्यपालक	3	शून्य	1

* श्री एस.पी. सेन 08.05.2008 से निदेशक नहीं रहे थे।

** श्री ए.बी.एल श्रीवास्तव को 11.02.2008 को नियुक्त किया गया था।

*** श्री जयन्त कावले को 06.09.2007 को नियुक्त किया गया था।

भारत सरकार ने रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को नामित किया था -

क्रम सं.	नाम
1	सुश्री कोमल आनन्द
2	श्री ए.के. मागो
3	श्री आर. जयसीलन
4	श्री रमन सिद्धू
5	डॉ. कुरियाकोस ममकुट्टम
6	श्री के. धर्मराजन

(ii) गैर-कार्यपालक निदेशकों का मुआवजा तथा प्रकटीकरण-

कंपनी ने गैर-कार्यपालक निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

(iii) बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें तथा प्रक्रियाविधि -

(क) प्रत्येक वर्ष बोर्ड की न्यूनतम चार बैठकें होती हैं जो कि पूर्व निर्धारित होती हैं। बोर्ड की चार निर्धारित बैठकों के अतिरिक्त बोर्ड बैठकों को उचित नोटिस देकर बुलाया जा सकता है। व्यापार आकस्मिकता अथवा मामले की तात्कालिकता के मामले में संकल्प को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है।

(ख) निदेशक मंडल को प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक में कंपनी के परियोजना कार्यान्वयन तथा प्रचालनों को कवर करने वाला प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड को सूचना डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत की जाती है।

(ग) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड की ग्यारह बैठकें आयोजित की गई थी। कंपनी ने प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बोर्ड बैठक की और दो बैठकों के मध्य अधिकतम समय अंतराल तीन माह से अधिक का नहीं था। बोर्ड बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

क्रम सं.	दिनांक	बोर्ड में संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	1 मई, 2007	6	6
2	26 मई, 2007	6	6
3	13 जुलाई, 2007	6	6
4	7 अगस्त, 2007	6	5
5	14 अगस्त, 2007	6	6
6	20 सितम्बर, 2007	6	5
7	19 अक्टूबर, 2007	6	5
8	30 नवम्बर, 2007	6	5
9	7 दिसम्बर, 2007	6	6
10	18 फरवरी, 2008	7	6
11	13 मार्च, 2008	7	7

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों तथा वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

निदेशक का नाम तथा निदेशक की श्रेणी	वर्ष 2007-08 के दौरान बैठकों में उपस्थिति	
	बोर्ड की बैठक	अंतिम वार्षिक आम बैठक
श्री एस.के. गर्ग (का)	11	हाँ
श्री एस.के. चतुर्वेदी (का)	9	हाँ

श्री एस.पी. सेन (का)	10	हाँ
श्री एस.के. डोडेजा (का)	10	हाँ
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव (का)	2	नहीं
श्री गुरुदयाल सिंह (गैर-का)	11	हाँ
श्री ए.के. कुट्टी (गैर-का)	5	लागू नहीं
श्री जयन्त कावले (गैर-का) (06.09.2007 से)	5	हाँ

*एनई-गैर-कार्यपालक निदेशक, ई-कार्यपालक निदेशक

(घ) निदेशक मंडल ने समय-समय पर कंपनी सचिव द्वारा प्रस्तुत विधिक अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की थी।

(iv) आचरण संहिता

कंपनी व्यापार नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यापार करने और लागू कानूनों, नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापार आचरण संहिता और निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नैतिक मूल्यों को तैयार किया जा रहा है।

(v) धोखाधड़ी तथा जोखिम प्रबंधन नीति-

निदेशक मंडल ने निगमित तथा प्रचालनात्मक उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण तथा व्यवस्थीकरण सुनिश्चित किया है और यह कि जोखिम प्रबंधन को एक सामान्य व्यापार प्रक्रिया के भाग के रूप में लिया जाए और न कि विभिन्न समयों पर एक अलग कार्य के रूप में।

कंपनी की पहले ही एक "धोखाधड़ी नीति" है और "जोखिम प्रबंधन नीति" को तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(vi) बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए नए निदेशकों को कंपनी के दृष्टिकोण, रणनीतिक दिशा, वित्तीय मामलों सहित प्रमुख मूल्यों तथा व्यापार प्रचालनों के संबंध में औपचारिक प्रारंभिक तथा अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाता है।

बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज/ब्राशर, रिपोर्ट तथा आंतरिक नीतियाँ भी मुहैया कराई जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रियाविधि तथा व्यवहार से परिचित होने में समर्थ हो सके।

3. लेखा परीक्षा समिति -

लेखा परीक्षा समिति का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति में 31.3.2008 को निम्नानुसार दो गैर-कार्यपालक निदेशक और एक कार्यपालक निदेशक थे -

i) श्री गुरूदयाल सिंह — गैर-कार्यपालक निदेशक

ii) श्री ए.के. कुट्टी — गैर-कार्यपालक निदेशक 14 अगस्त, 2007 तक

iii) श्री जयन्त कावले — गैर-कार्यपालक निदेशक (6.9.2007 से)

iv) श्री एस.के.चतुर्वेदी — कार्यपालक निदेशक

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्री गुरूदयाल सिंह समिति के अध्यक्ष थे। समिति के अध्यक्ष सहित कोई भी सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं था। निदेशक मंडल ने अब कंपनी के बोर्ड में छः स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया है और लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया है :

1.	श्री ए.के. मागो	अध्यक्ष
2.	श्री गुरूदयाल सिंह	सदस्य
3.	श्री जयन्त कावले	सदस्य
4.	श्री रमन सिद्धू	सदस्य
5.	सुश्री कोमल आनन्द	सदस्य
6.	श्री कुरियाकोस ममकूट्टम	सदस्य

वर्ष के दौरान समिति ने 7 बैठकें की थी। इन बैठकों में निदेशक (वित्त) द्वारा भी भाग लिया गया था। आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखा परीक्षक भी विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे। दो लेखा परीक्षा समिति बैठकों के मध्य 4 माह से अधिक का अंतर नहीं था। कंपनी के सचिव ने समिति के सचिव के रूप में कार्य किया था।

क्रम सं.	दिनांक	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	26 मई, 2007	3	3
2	20 सितम्बर, 2007	3	2
3	19 अक्तूबर, 2007	3	3
4	30 नवम्बर, 2007	3	3
5	7 दिसम्बर, 2007	3	3
6	18 फरवरी, 2008	3	2
7	19 मार्च, 2008	3	3

लेखा परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त को सूचना हेतु बोर्ड के समक्ष रखा गया था। समिति की संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं-

(क) हमारी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और हमारे वित्तीय सूचना प्रकटन की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं।

(ख) लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना।

(ग) सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं हेतु भुगतान का अनुमोदन।

(घ) बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अर्धवार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

(ड़) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन, बाहरी तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा।

(च) आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का ढांचा, स्टाफ, विभाग के प्रमुख पदाधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति शामिल है।

(छ) किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष अथवा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।

(ज) भौतिक प्रकृति की किसी धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता का संदेह होने वाले मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा और उस मामले को बोर्ड को सूचित करना।

(झ) लेखा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श, लेखा परीक्षा की प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र और साथ ही चिन्ता के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा पश्चात विचार-विमर्श।

(ञ) हमारी वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा।

(ट) जमाकर्ताओं, ऋण-पत्र धारकों, शेयरधारकों तथा लेनदारों को भुगतान के संबंध में किसी भारी चूक के कारण का पता लगाना।

(ठ) सचेतन तंत्र, यदि उसे बनाया गया हो, के कार्यकरण की समीक्षा करना।

(ड) प्रबंधन के साथ किसी इशू (पब्लिक इशू, राइटस इशू, अधिमानी इशू, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के प्रयोग/उपयोग के विवरण, ऑफर दस्तावेज/प्रोसपेक्टस/सूचना में बताए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु निधियों के उपयोग के विवरण और पब्लिक अथवा राइटस इशू की प्राप्तियों के उपयोग का प्रबोधन करने वाली प्रबोधन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु निधियों के उपयोग के विवरण की समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

(ढ़) लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित अन्य किसी कार्य को करना।

(ण) बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अर्धवार्षिक, वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा।

(त) बाहरी तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा।

(थ) आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा।

(द) कम्पनी की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा।

(ध) अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा।

4. निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

हमारी कंपनी एक केंद्र सरकार का उपक्रम होने के चलते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। इसलिए बोर्ड निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं करता है। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई दर पर केवल बैठक शुल्क दिया जाता है और इसे सरकार द्वारा बोर्ड की बैठकों तथा साथ ही समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुमोदित किया गया होता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

निदेशक	पदनाम	वेतन (रु.)	लाभ (रु.)	कार्य-निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन (रु.)	कुल (रु.)
श्री एस.के. गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	680747	475802	44075	1200624
श्री एस.के. चतुर्वेदी	निदेशक (कार्मिक)	695287	368664	43754	1107705
श्री एस.पी. सेन	निदेशक (तकनीकी)	717683	404246	39978	1161907
श्री एस.के. डोडेजा	निदेशक (परियोजनाएं)	769106	294138	45411	1108655
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव (11 फरवरी, 2008 को नियुक्त)	निदेशक (वित्त)	76619	10122	0	86741

5. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

निदेशक मंडल ने निवेशकों की शिकायतों के समाधान तंत्र का प्रबोधन करने के लिए "शेयरधारक शिकायत समिति" नामक एक समिति गठित की थी। 31 मार्च, 2008 को इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

1.सदस्य (हाइड्रो), सीईए

2.निदेशक (वित्त)

3.निदेशक (परियोजनाएं)

निवेशकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए समिति की कोई बैठक नहीं आयोजित की गई थी।

6. अनुषंगी कंपनी

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है जिसमें एनएचपीसी के 51 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। एनएचडीसी के बोर्ड ने एनएचपीसी के स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अनुषंगी कंपनी के कार्यवृत्त को एनएचपीसी के बोर्ड के समक्ष रखा गया था और अनुषंगी कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं को आवधिक रूप से एनएचपीसी बोर्ड की जानकारी में लाया गया था।

7. आम सभा बैठक

पिछले तीन वार्षिक आम बैठक की तिथि, समय तथा स्थल निम्नानुसार हैं-

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थल
2004-05	25.08.2005	सायं 5.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद में
2005-06	28.07.2006	प्रात: 10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद में
2006-07	07.08.2007	प्रात: 10.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद में

8. डाक मत के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी के संगम अनुच्छेद के उद्देश्य खंड में डाक मत के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव द्वारा संशोधन किया था । यह संशोधन कंपनी के व्यापार क्षेत्र के विस्तार के संबंध में था जिसमें उद्देश्य खण्ड के खण्ड 1(ए) तथा 3 में ''भारत तथा विदेश में'' और ''व्यापार'' शामिल किया गया था। कंपनी के संगम अनुच्छेद के उद्देश्य खण्ड के खण्ड 4 में शब्द ''फारवर्ड, बैकवर्ड अथवा क्षैतिज एकीकरण'' शब्दों को भी जोड़ा गया था।

9. प्रकटीकरण-

(i) संबंधित पक्ष कारोबार -

प्रोमोटर अथवा निदेशक अथवा प्रबंधन, संयुक्त उद्यम कंपनी/अनुषंगी आदि में भौतिक प्रकृति वाले ऐसे कोई कारोबार नहीं थे जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध होता हो। संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के ब्यौरों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-18 के अनुसार लेखाओं का भाग होने वाली टिप्पणियों में शामिल किया गया है। कंपनी सेबी सहित नियामक प्राधिकारियों के कानूनों तथा दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देती है। कंपनी द्वारा स्टाक एक्सचेंजों/सेबी के विभिन्न प्रावधानों/आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दण्ड/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

(ii) लेखांकन व्यवहार -

कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित किए अनुसार लेखांकन मानकों का पालन किया है ।

10. संचार के साधन -

कंपनी के आवधिक वित्तीय परिणामों को सूचीकरण समझौते के अनुसार समय-रेखा के भीतर घोषित किया जाता है। इन परिणामों को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। कंपनी ने आवधिक परिणामों/रिकार्डो को शेयरधारक के प्रत्येक परिवार को नहीं भेजा था क्योंकि सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामितियों द्वारा धारित हैं। तथापि, उक्त को कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर रखा गया था। कंपनी ने महत्वपूर्ण निगमित निर्णयों और क्रियाकलापों पर समाचार विज्ञप्ति भी जारी की थी और उन्हें अपनी वेबसाइट पर रखा था।

11. शेयरधारकों की सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक

दिनांक - 7 अगस्त, 2007
समय - पूर्वाहन 10.00 बजे
स्थल - पंजीकृत कार्यालय, एनएचपीसी परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003

(ii) वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु वित्तीय कलेंडर:

लेखांकन अवधि - 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008
वार्षिक आम बैठक (अगले वर्ष) - अगस्त, 2008 (परिवर्तनशील)

छः माह की अवधि हेतु कंपनी द्वारा प्रकाशित गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है-

समाचार पत्र	छमाही को समाप्त माह हेतु परिणामों के प्रकाशन की तिथि	
	30.09.2007	**31.03.2008**
हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया	21.10.2007	01.05.2008
अमर उजाला, नवभारत टाइम्स	21.10.2007	01.05.2008

(iii) बही निपटान/रिकार्ड तिथि-

क. बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान

बॉण्ड श्रृंखला	ब्याज भुगतान की देय तिथि	दर्ज तिथि
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड (स्ट्रप-ए से स्ट्रप-जे)	30.06.2007	14.06.2007

ख. बॉण्डों का विमोचन

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान बॉण्डों का कोई विमोचन नहीं किया गया था। इसलिए विमोचन के प्रयोजन हेतु कोई दर्ज तिथि निर्धारित नहीं की गई थी।

(iv) लाभांश इतिहास

वित्तीय वर्ष	अदा किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रुपये में)	वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश की घोषणा की गई थी
2004-05	140 (60 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश सहित)	25.08.2005
2005-06	223 (64 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश सहित)	28.07.2006
2006-07	278.00 (72 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश सहित)	07.08.2007

(v) प्रतिभूतियां निम्नलिखित पर लिस्टिड हैं-

एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड निम्नलिखित पर सूचीबद्ध हैं-

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज प्लाजा, भूतल, बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई

क. स्टॉक कोड-

प्रतिभूति का नाम	एनएसई स्क्रिप कोड
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-ए	एनएचपीसी 09
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-बी	एनएचपीसी 10
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-सी	एनएचपीसी 11
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-डी	एनएचपीसी 12
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-ई	एनएचपीसी 13
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-एफ	एनएचपीसी 14
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-जी	एनएचपीसी 15
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-एच	एनएचपीसी 16
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-आई	एनएचपीसी 17
एनएचपीसी के विमोच्य, गैर-संचयी, कर योग्य ''ओ'' श्रृंखला बॉण्ड स्ट्रप-जे	एनएचपीसी 18

ख. बाजार मूल्य डाटा–

एनएसई से प्राप्त बाजार मूल्य डाटा नीचे दिया गया है–

इशु विवरण	व्यापार तिथि	व्यापार की संख्या	व्यापार मात्रा	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत 2009 (स्ट्रप) एस–ओ	20 सितम्बर, 2007	1	1000 लाख रुपये	98.1338 रुपये	98.1338 रुपये

एक्सचेंज में सूचिबद्ध प्रतिभूतियां गैर–परिवर्तन योग्य बॉण्ड हैं और उनकी बीएसई सेंसेक्स से तुलना नहीं की जा सकती है जोकि एक इक्विटी आधारित सूचकांक है।

(vi) रजिस्ट्रार अंतरण एजेंट और शेयर अंतरण प्रणाली –

कंपनी ने गैर–विमोच्य संचित बॉण्डों हेतु निम्नलिखित रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को नियुक्त किया है–

मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (पी) लिमिटेड
बी–106, सैक्टर–2, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश) फोन 0120–4015880
ई–मेल : info@rcmcdelhi.com

(vii) बॉण्ड अंतरण प्रणाली –

बॉण्डों का अंतरण, यदि कोई हो, के नियमित मामलों को देखने का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट का है जोकि निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा अनुमोदन के अधीन है।

(viii) धारिता के वितरण का पैटर्न और शेयर तथा लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन–

एनएचपीसी भारत सरकार का संपूर्ण स्वामित्व वाला एक उद्यम है और भारत के राष्ट्रपति तथा उनके नामिति कंपनी के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारित किए हुए हैं। इसलिए शेयर धारिता के वितरण को कोई पैटर्न नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से उनके द्वारा धारित शेयरों को डीमैटिरियलाइज करने का अनुरोध किया है। तथापि, उक्त उल्लिखित जारी किए गए सभी बॉण्ड डीमैटिरियलाइज रूप में धारित किए गए हैं।

एनएचपीसी ने कोई जीडीआर/एडीआर वारंट अथवा अन्य परिवर्तनशील उपकरण जारी नहीं किया है।

(ix) संयंत्र अवस्थिति

बैरास्यूल	एनएचपीसी लिमिटेड, सुरगनी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
लोकतक	एनएचपीसी लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस लोकतक, कोमकेरप, मणिपुर
सलाल	एनएचपीसी लिमिटेड, पो.ऑ. ज्योतिपुरम, द्वारा रियासी, जिला रियासी, जम्मू एवं कश्मीर
टनकपुर	एनएचपीसी लिमिटेड, पो.ऑ. टीपीएस कैम्पस, बनबसा, जिला चम्पावत, उत्तराखंड
चमेरा–1	एनएचपीसी लिमिटेड, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
उड़ी	एनएचपीसी लिमिटेड, गिंगल, पो.ऑ. मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर
रंगित	एनएचपीसी लिमिटेड, रंगित नगर, साउथ सिक्किम
चमेरा–II	एनएचपीसी लिमिटेड, कैरिअन, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
धौलीगंगा–1	एनएचपीसी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं.1, तपोवन, धारचूला, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड
दुलहस्ती	एनएचपीसी लिमिटेड, चिनाव नगर, सैक्टर–2, किश्तवाड़, जिला किश्तवाड़, जम्मू एवं कश्मीर
तीस्ता–5	एनएचपीसी लिमिटेड, पो.ऑ. सिंगताम, ईस्ट सिक्किम

(x) पत्राचार हेतु पता

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी
प्रथम तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सैक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा)
टेलीफोन-0129-2278018, फैक्स-0129-2278018
ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायत के समाधान हेतु पूर्णत: समर्पित ई-मेल आईडी companysecretary@nhpc.nic.in है।

12. अनुपालन रिपोर्ट

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु निगमित शासन पर दिशा-निर्देश, 2007 के साथ पढ़े जाने वाले सूचीकरण समझौते के अंतर्गत निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन की पुष्टि करने वाला पूर्णकालिक प्रैक्टिस वाले मैसर्स पी.सी. जैन एण्ड कंपनी, कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण-पत्र वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : फरीदाबाद **(एस.के. गर्ग)**
दिनांक: 31.07.2008 **अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक**

पी.सी.जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव

2382, सेक्टर-16,
फरीदाबाद-121002
हरियाणा (भारत)
टेलीफोन 0129-404338
मोबाइल :919811078338
ई-मेल: pcjcs@airtelmail.in

सेवा में,
सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है जोकि उक्त कंपनी के प्रतिदेय गैर-संचयी कर योग्य "ओ" श्रृंखला के बाण्ड के संबंध में सूचीकरण समझौते, जिसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाता है, में यथानिर्धारित किए अनुसार है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारा परीक्षण कंपनी द्वारा यथा निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाविधि और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित है। यह न तो एक लेखा-परीक्षा है और न ही कंपनी की वित्तीय प्रणालियों पर कोई मत व्यक्त किया जाना है।

हमारे मतानुसार और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं निदेशकों तथा प्रबंधन द्वारा हमारे समक्ष दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु निगमित शासन पर दिशा-निर्देश, 2007 के साथ पढ़े जाने वाले सूचीकरण समझौते में यथा निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के-

1 निगमित शासन पर रिपोर्ट के पैरा 2 (1) में यथा सूचित किए अनुसार निदेशक मंडल के संघटन में बोर्ड की कुल संख्या में न्यूनतम 50% स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

2 निगमित शासन पर रिपोर्ट के पैरा 3 में यथा सूचित लेखा-परीक्षा समिति के संघटन में अध्यक्ष सहित स्वतंत्र सदस्य शामिल नहीं है।

3 कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु आचार एवं नैतिक मूल्यों की संहिता को लागू नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप निगमित शासन पर रिपोर्ट में कंपनी में आचार-संहिता के अनुपालन पर मुख्य कार्यपालक द्वारा घोषणा शामिल नहीं है।

4 निगमित शासन पर रिपोर्ट के पैरा 6 में सूचित किए अनुसार कंपनी द्वारा अपनी अनुषंगी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति अभी की जानी है।

हम आगे यह सूचित करते है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की अर्थक्षमता का और न ही प्रबंधन द्वारा दक्षता तथा प्रभावी रूप से कंपनी के मामलों को चलाने का आश्वासन है।

कृते पी.सी.जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक :

(पी.सी.जैन)
प्रोपाइटर
सदस्यता सं. एफसीएस 4103

अनुबंध-II

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

I उद्योग ढांचा तथा विकास

विद्युत किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कारकों में से एक है और विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश के लिए जहाँ उच्चतर तथा बेहतर जीवन स्तर वहन किए जा सकने वाले मूल्य पर विद्युत की पर्याप्त तथा विश्वसनीय उपलब्धता पर निर्भर करता है। अन्य वस्तुओं के विपरीत मांग और आपूर्ति का तंत्र विद्युत पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसका भण्डारण नहीं किया जा सकता है। विद्युत का विकास मूलतः सरकार के पास है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार का अंश क्रमशः 34 तथा 52 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र भी विद्युत के विकास में भागीदारी कर रहा है।

31 मार्च, 2008 के अनुसार भारत में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 1,43,061 मेगावाट थी जिसमें से तापीय, जल तथा परमाणु विद्युत का अंश क्रमशः 91,907 मेगावाट (64 प्रतिशत), 35,909 मेगावाट (25 प्रतिशत) और 4,120 मेगावाट (3 प्रतिशत) तथा नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से 11,125 मेगावाट (8 प्रतिशत) था। पिछले कुछ वर्षों से कुल स्थापित क्षमता में जल विद्युत के अंश में धीरे-धीरे कमी आई है जो प्रतिकूल जल-तापीय मिश्रण में परिणत हुआ है जिससे कई तकनीकी तथा प्रचालनात्मक असमान्यताएं आई हैं।

विद्युत की कमी (विशेषकर अधिकतम विद्युत) और प्रतिकूल जल-तापीय मिश्रण के अतिरिक्त भारतीय विद्युत परिदृश्य ऐतिहासिक रूप से कई समस्याओं से ग्रस्त है जैसेकि विषम टैरिफ, बेकार तथा निम्न स्तरीय वितरण नेटवर्क, उच्च संचित तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि आदि। राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति में निजी निवेशकों को निवेश करने से रोकने के अतिरिक्त विद्युत की बिक्री से प्राप्त लाभ को पुनः निवेश करने की सीपीएसयू की क्षमता को भी कम किया है।

हाल के वर्षों में विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं जैसे कि राष्ट्रीय विद्युत नीति को प्रारम्भ किया जाना जिसमें ''वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत'' और 2011-12 तक विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 1000 यूनिट से अधिक करना परिकल्पित है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के समूचे विद्युत क्षेत्र हेतु व्यापक प्रभाव होंगे जो उत्पादन तथा वितरण क्षेत्रों में प्रतियोगिता लाने के अतिरिक्त निजी क्षेत्र से निवेश में वृद्धि भी करेगा। नोट करने योग्य है कि यह अधिनियम विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण एवं व्यापार में अवसर खोल देगा। अधिनियम विद्युत उत्पादकों को अपनी बिजली एसईबी के माध्यम से न बेचने का भी विकल्प मुहैया करवाता है। देश ने विद्युत में व्यापार हेतु विद्युत विनिमय को प्रारम्भ किए जाने को देखा है।

II अवसर

बिगड़ता हुआ जल-तापीय मिश्रण, अधिकतम कमी में वृद्धि, बार-बार आवृत्ति में अंतर, जल प्रबंधन में समस्याएं आदि से नीति निर्माताओं का ध्यान जल विद्युत के विकास की ओर करने में परिणत हुआ है। जल विद्युत न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करती है बल्कि यह क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, नौवहन, वृद्धित रोजगार अवसर, औद्योगिक विकास, मनोरंजन सुविधाएं आदि भी मुहैया करवाती हैं। भारत सरकार ने वृद्धित जल विद्युत विकास के लिए पहल में इसके विकास पर विशेष बल दिया है। पूर्वोत्तर भारत जिसे 58,971 मेगावाट के व्यापक दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता का वरदान प्राप्त है, में जल विद्युत का विकास देश के इस कम विकसित भाग हेतु अर्थ-व्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प माना जाता है।

III खतरे/जोखिम

प्रबंधन निम्नलिखित को जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में खतरा/जोखिम मानता है-

पर्यावरण एवं वन स्वीकृति

वन स्वीकृति और एनबीडब्ल्यूएल (जहाँ कहीं लागू हो) से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कड़े मानदण्ड और जटिल प्रक्रियाविधि परियोजनाओं हेतु मंजूरी प्राप्त करने में विलंब में परिणत होते हैं जो क्षमतावर्धन कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है।

भूमि अधिग्रहण

अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पहाड़ी तथा दुष्कर क्षेत्र में स्थित हैं जिसके लिए आधारभूत कार्यों तथा जलमग्न होने वाले क्षेत्र सहित परियोजना घटकों हेतु भूमि के बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जटिल है और इसकी प्रक्रियाविधियों को सरल किए जाने की आवश्यकता है।

भू-वैज्ञानिक आश्चर्य

शेष जल विद्युत संभाव्यता का अधिकांश भाग हिमालयी क्षेत्र में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक आश्चर्य विशेषकर भूमिगत कार्यों में काफी आम है जो समय तथा लागत आधिक्य में परिणत होते हैं।

अंतर-राज्यीय नदी विवाद

विभिन्न राज्यों से गुजरने वाली नदियों पर कई परियोजनाएं अंतर-राज्य नदी विवादों के कारण रुकी हुई हैं।

प्राकृतिक आपदाएं

चूंकि जल विद्युत परियोजनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित हैं, भू-स्खलन, पहाड़ी के ढाल का ढहना तथा सड़कों का बंद हो जाना, बाढ़ तथा बादल के फटने से निर्माण कार्यक्रम को काफी धक्का लगता है।

अप्रत्याशित जटिलताएं

परियोजनाओं का विकास अप्रत्याशित जटिलताओं तथा विलंब के अधीन होता है जो विकासशील परियोजनाओं की वास्तविक लागत हमारे अनुमानों से काफी भिन्न होने में परिणत होता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन हमारे नगदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणामों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। उत्पादन क्षमता भी जलवायु स्थितियों के कारण जल प्रवाह में अंतर के कारण काफी भिन्न हो सकती है जो हमारे राजस्व तथा लाभों में भारी उतार-चढ़ाव में परिणत हो सकता है।

विचारणीय तथ्य

सीपीएसयू हेतु इक्विटी पर प्रतिफल की दर कर पश्चात 16 प्रतिशत से कम करके 14 प्रतिशत किए जाने का राजस्व की वसूली तथा कंपनी के नगदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ेगा और यह एक चिंता का विषय है। चूंकि जल विद्युत योजनाएं पूंजी प्रधान हैं और इनकी प्रतिफल अवधि लम्बी होती है, निधियों की उपलब्धता को सदैव देश में उपलब्ध व्यापक जल विद्युत संभाव्यता के दोहन हेतु एक प्रमुख बाधा के रूप में देखा जाता है।

IV खंड-वार अथवा उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

निगम 3655 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक उत्पादक कम्पनी है। इसने देश मे विभिन्न संगठनों हेतु कई परामर्शी कार्य किए हैं। दी गई परामर्शी सेवाओं से 30.11 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

V भावी परिदृश्य

देश में जल विद्युत का विकास मंद रहा है जो प्रतिकूल जल-तापीय मिश्रण में परिणत हुआ है। सीईए द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार देश में 148700 मेगावाट की स्थापित क्षमता की हाइड्रो संभाव्यता है और इसके अतिरिक्त 94000 मेगावाट की 56 पम्प भण्डारण परियोजनाओं की पहचान की गई है।

31.3.2008 के अनुसार 35909 मेगावाट जल विद्युत संभाव्यता का दोहन किया जा चुका है और 13574 मे.वा. विकास के अधीन हैं इसलिए जल विद्युत विकास के क्षेत्र में निवेशकों/निष्पादकों हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। समग्र विद्युत क्षेत्र और विशेष रूप से जल विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु विभिन्न पहलें की गई हैं जैसे कि 2001 में सीईए द्वारा संभावित जल विद्युत स्थलों का रैंकिंग अध्ययन, विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनिगमन, मई, 2003 में 50000 मेगावाट हाइड्रोइलैक्ट्रिक पहलें और जल विद्युत नीति, 2008 को प्रारम्भ किया जाना है।

एनएचपीसी को केन्द्रीय क्षेत्र के एक प्रमुख संगठन होने के कारण जल विद्युत के तीव्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। निगम का प्रबंधन आशान्वित है और 11वीं योजना (2007-2012) में 5,322 मेगावाट और 12वीं योजना (2012-17) तथा उससे आगे 13,966 मेगावाट के व्यापक क्षमतावर्धन की योजना है।

बदला हुआ परिदृश्य देश में जल विद्युत के विकास हेतु नए अवसर मुहैया करवाएगा ।

VI आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

निगम के कार्यात्मक तथा प्रचालनात्मक क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं और कारोबार/प्रक्रिया शक्तियों के प्रत्यायोजन, प्रलेखित नीतियों, दिशा-निर्देशों तथा मैनुअलों द्वारा शासित होते हैं। संगठनात्मक ढांचा प्राधिकार और किसी विशेष वरिष्ठता स्तर पर अंतर्ग्रस्त जिम्मेवारी के रूप में सुपरिभाषित है।

निगम का एक पृथक तथा पूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग निगम मुख्यालय में है और क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ हैं जिनमें लेखा परीक्षा करने के लिए अनुभवी दक्ष लोग है। लेखा परीक्षा अभिमतों और कृत कार्रवाई रिपोर्ट का एक सार

लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख रखा जाता है। समिति की सिफारिशों तथा दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है और उन्हें तदनुसार सूचित किया जाता है।

VII प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर चर्चा

क. वित्तीय कार्य-निष्पादन

आपके निगम के वित्तीय कार्य निष्पादन में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाना जारी रखा। वर्ष के दौरान कुल बिक्री टर्न-ओवर **2301** करोड़ रुपये था जबकि पिछले वर्ष **1962.76** करोड़ रुपये था। निवल लाभ में **924.80** करोड़ रुपये में से **1004.09** करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो **8.57** प्रतिशत होता है। वर्ष के दौरान निगम ने मूलधन बकाया के प्रति 2237.67 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है जिसमें बकाया और बिक्री प्राप्तियों की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 100 प्रतिशत वसूली शामिल है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने वर्ष 2007-08 के दौरान यूआई प्रभारों के प्रति 92.67 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की है। निगम ने बकाया देयों के प्रतिभूतिकरण की प्रति पहले जारी किए गए बॉण्ड पर 209.22 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की तथा इस पर 1.92 करोड़ रुपये का अधिभार भी प्राप्त किया। 01.10.2001 के पश्चात मूल राशि के प्रति वर्तमान बकाया देय 10.33 करोड़ रुपये (31.3.2007 को) से कम होकर 4.26 करोड़ रुपये (31.3.2008 को) हो गए हैं और इस प्रकार औसत बिलिंग के माह के रूप में बकाया देयों में कमी 0.07 से 0.02 रही है।

(ख) परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन

प्रचालनाधीन

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि 26.4.2008 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 390 मेगावाट दुलहस्ती पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया था। वर्ष के दौरान आपके निगम ने सिक्किम में तीस्ता-V जल विद्युत परियोजना को प्रारम्भ करके 510 मेगावाट को जोड़ा है। पहली उत्पादक इकाई अर्थात यूनिट संख्या-II को 25 फरवरी, 2008 से वाणिज्यिक प्रचालन वाली घोषित किया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कुल उत्पादन 14813.16 एमयू था जोकि बहुत अच्छी रेटिंग के 13093.65 एमयू के एमओयू लक्ष्य से 6.52 प्रतिशत अधिक है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 13.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्षमता सूचकांक 96.14 प्रतिशत था जोकि बहुत अच्छी रेटिंग हेतु 93.50 प्रतिशत के एमओयू लक्ष्य से 2.64 प्रतिशत अधिक है। क्षमता सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में 2.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य-वार उत्पादन का सारांश नीचे दिया गया है-

विद्युत स्टेशन-वार वार्षिक उत्पादन

तालिका-2

पावर स्टेशन	बहुत अच्छी एमओयू रेटिंग हेतु 2007-08 का उत्पादन लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2007-08	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2006-07	बहुत अच्छी एमओयू रेटिंग हेतु 2007-08 का सीआई लक्ष्य (प्रतिशत)	वास्तविक सीआई (प्रतिशत) 2007-08	वास्तविक सीआई (प्रतिशत) 2006-07
बैरास्यूल 180 मे.वा.	779.00	609.31	698.37	91.68	94.93	94.22
लोकतक 90 मे.वा.	448.00	604.48	475.43	84.84	90.20	91.98
सलाल 690 मे.वा.	3082.00	3231.64	3462.54	96.72	98.19	97.90
टनकपुर 94.2 मे.वा.	452.19	438.21	455.20	86.61	83.39	99.91
चमेरा-I 540 मे.वा.	1665.00	2101.30	2365.67	94.30	98.04	95.62
उड़ी 480 मे.वा.	2587.00	2595.67	2818.09	97.81	99.79	98.78
रंगित 60 मे.वा.	339.00	335.84	201.10	89.48	87.31	62.58
चमेरा-II 300 मे.वा.	1500.00	1408.14	1431.59	92.92	96.90	95.90
धौलीगंगा 280 मे.वा.	1134.69	1186.06	1094.00	90.10	92.83	77.58
दुलहस्ती* 390 मे.वा.	1716.30	2210.00	46.77	89.53	95.32	
तीस्ता-V* 510 मे.वा.	203.77	92.51	-	92.67	55.56	
कुल	**13906.95**	**14813.16**	**13048.76**	**93.50**	**96.14**	**94.13**

* उत्पादन में इनफर्म पावर शामिल है।

टिप्पणी- वर्ष 2007-08 हेतु सीआई (प्रतिशत) आंकड़े अनंतिम हैं जोकि संबंधित आरपीसी द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन हैं।

चालू परियोजनाएं

वर्तमान में निगम निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कार्यरत है-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/देश	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	पार्बती-II	हिमाचल प्रदेश	800
2.	सेवा-II	जम्मू एवं कश्मीर	120
3.	सुबानसिरी लोअर	अरूणाचल प्रदेश	2000
4.	तीस्ता लो डैम-III	पश्चिम बंगाल	132
5.	उड़ी-II	जम्मू एवं कश्मीर	240
6.	चमेरा-III	हिमाचल प्रदेश	231
7.	तीस्ता लो डैम-IV	पश्चिम बंगाल	160
8.	पार्वती-III	हिमाचल प्रदेश	520
9.	निम्मो बाजगो	जम्मू एवं कश्मीर	45
10.	चुटक	जम्मू एवं कश्मीर	44
11.	किशनगंगा	जम्मू एवं कश्मीर	330
		कुल	**4622**

चालू परियोजनाओं की स्थिति

पार्बती जल विद्युत परियोजना, चरण-II (800 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप जोर-जोर से चल रहे हैं। बांध का उत्खनन पूर्ण कर लिया गया है और कंक्रीटिंग प्रगति पर है। अन्य प्रमुख सिविल कार्य प्रगति पर हैं। कार्यों में वर्ष 2006-07 में स्लश में टीबीएम के आंशिक दब जाने से बाधा आई थी, टीबीएम की मरम्मत पूरी हो चुकी है। कार्य हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कुल्लू घाटी से संचयन के उठान में लगाए गए प्रतिबंध के कारण भी प्रभावित हुए थे। परियोजना के दिसम्बर, 2010 में प्रारम्भ होने की प्रत्याशा है।

सुबानसिरी (लोअर) जल विद्युत परियोजना (2000 मे.वा.), अरूणाचल प्रदेश

नदी का डाईवर्सन दिसम्बर, 2007 में पूर्ण हुआ है। बांध की नींव का उत्खनन प्रारम्भ किया गया था परन्तु जून, 08 में कॉफर डैम के ओवर टॉपिंग के पश्चात उसे रोकना पड़ा था तथा इसे मानूसन के पश्चात फिर से प्रारंभ किया जाएगा। क्षैतिज प्रेशर शॉफ्ट पर प्रमुख उत्खनन कार्य पूर्ण हो चुके हैं। यद्यपि विद्युत गृह का उत्खनन पूरा नहीं किया गया है, पिछले हिस्से के ढाल की विफलता से कार्यों को धक्का पहुंचा जोकि अंतर्वाह तक पहुंच सड़क में बाधा के कारण था। परियोजना के जनवरी, 2012 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

सेवा जल विद्युत परियोजना चरण-II (120 मे.वा.) जम्मू एवं कश्मीर

बांध तथा विद्युत गृह में उत्खनन पूर्ण हो चुका है और कंक्रीटिंग प्रगति पर है। एचआरटी में अधिकांश उत्खनन पूरा हो चुका है। ईएण्डएम तथा एचएम कार्यों सहित अन्य कार्य प्रगति पर हैं यूनिट-1 के जनरेटर का स्थापन पूरा कर लिया गया है। एचआरटी में खराब भू-विज्ञान, संविदाकारी समस्या और श्रमिक संघों के विरोध के चलते परियोजना पूर्णता में विलंब हुआ है। परियोजना को जून, 2009 में प्रारम्भ किए जाने की प्रत्याशा है।

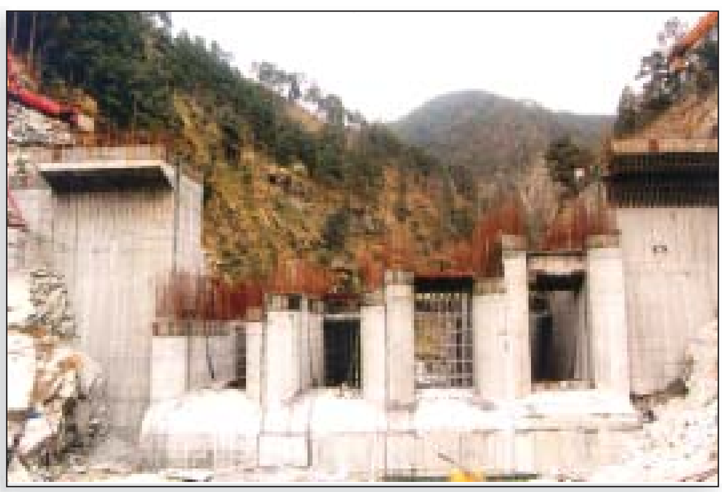

120 मेगावाट की सेवा-II परियोजना (जम्मू व कश्मीर)-निमार्णाधीन बांध के अपस्ट्रीम का दृश्य

तीस्ता लो डैम परियोजना, चरण-III (132 मेगावाट), पश्चिम बंगाल

वर्तमान में इंनटेक, बैराज बे 3 से 7 और सेल्यूलर वॉल में कंक्रीटिंग लगभग पूर्ण हो चुकी है। सभी 4 इकाइयों हेतु ड्राफ्ट ट्यूबों को स्थापित किया जा चुका है। भारी बाढ़ के कारण कॉफर बांध टूट गया था जिससे कार्यों की प्रगति को धक्का लगा है और

परियोजना की पूर्णता में विलंब हुआ है। ईएण्डएम घटकों की आपूर्ति प्रगति पर है। परियोजना को दिसम्बर, 2009 में प्रारंभ किया जाना प्रत्याशित है।

उड़ी जल विद्युत परियोजना, चरण-II (240 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

बांध उत्खनन तथा आरबीएल तक कंक्रीटिंग को पूरा कर लिया गया है और आरबीएल से ऊपर यह प्रगति पर है। एचआरटी के हेडिंग उत्खनन को पूरा कर लिया गया है और बेंचिंग प्रगति पर है। विद्युत गृह का उत्खनन पूर्ण कर लिया गया है और टीआरटी में प्रमुख उत्खनन पूर्ण हो चुका है। एचएम पैकेज 09.5.2007 को मैसर्स ओम मैटल्स-एसपीएमएल (जेवी) को दिया गया है। अक्तूबर, 2005 में भूकंप के कारण और मार्च, 07 में भारी वर्षा तथा बाढ़ के दौरान कॉफर बांध के बह जाने के कारण भी कार्यो में बाधा आई थी। परियोजना को अगस्त, 2010 में प्रारम्भ किया जाना प्रत्याशित है।

240 मेगावाट की उड़ी-I परियोजना, (जम्मू व कश्मीर) - आउट सेट से डाइवर्सन टनल हेडिंग।

चमेरा जल विद्युत परियोजना, चरण-III (231 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

सभी सिविल कार्य प्रगति पर हैं और नदी का अपवर्तन किया गया है। एचआरटी तथा टीआरटी के प्रमुख उत्खनन कार्य पूरे किए जा चुके हैं। विद्युत गृह का उत्खनन पूर्ण हो चुका है और इसकी कंक्रीटिंग प्रगति पर है। परियोजना को अगस्त, 2010 में प्रारंम्भ किया जाना प्रत्याशित है।

231 मेगावाट की चमेरा-III परियोजना, (हिमाचल प्रदेश) - डाइवर्सन टनल का इनलेट

पार्बती जल विद्युत परियोजना, चरण-III (520 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश

प्रमुख सिविल कार्य प्रगति पर हैं। रॉक फिल डैम का उत्खनन लगभग पूर्ण हो चुका है। एचआरटी तथा टीआरटी का उत्खनन प्रगति पर है। डिसिल्टिंग चैम्बरों में कंक्रीटिंग प्रगति पर है। इनटेक टनल, प्रेशर साफ्ट, जीओसी तथा सर्ज शॉफ्ट बॉटम के एडिट में उत्खनन पूरा कर लिया गया है। नदी का डाइवर्सन 14.3.2007 को किया गया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य पैकेज हेतु संविदा दी जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कुल्लू घाटी से कंकरीट के उठान पर प्रतिबंध के कारण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए थे और अब प्रतिबंध को हटा लिया गया है। परियोजना को नवम्बर, 2010 में प्रारम्भ किया जाना प्रत्याशित है।

तीस्ता लो डैम परियोजना, चरण-IV (160 मेगावाट), पश्चिम बंगाल

डैम स्पिल-वे, पावर डैम, टीआरसी तथा एल/बी एनओएफ खंड तथा एनर्जी डिसीपेटर के प्रमुख उत्खनन कार्य को पूरा कर लिया गया है। विद्युत गृह और सेल्यूलर वॉल के संबंध में उत्खनन कार्य पूरा हो चुका है तथा कंक्रीटिंग प्रगति पर है। जुलाई, 07 में भारी बाढ़ के दौरान कॉफर बांध में दरार आ गई थी और संपूर्ण सेल्यूलर वॉल, बांध तथा विद्युत गृह

520 मेगावाट की पार्वती-III परियोजना, (हिमाचल प्रदेश) - डिसिल्टिंग चैम्बर-III अपस्ट्रीम ट्रांजिशन

क्षेत्र जलमग्न हो गया था। पुनरूद्धार कार्य पूर्ण हो चुका है और सभी ओर कार्यो को पुन: प्रारम्भ किया जा चुका है। परियोजना को अगस्त, 2010 में प्रारम्भ किया जाना प्रत्याशित है।

निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना (45 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

प्रमुख सिविल कार्य पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं और कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। नदी को 22.11.2007 को अपवर्तित किया गया था। बांध, सेल्यूलर वॉल तथा विद्युत गृह का उत्खनन प्रगति पर है। सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार इस परियोजना की पूर्णता की निर्धारित तिथि अगस्त, 2010 है। कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

45 मेगावाट की निम्मो बाजगो परियोजना (जम्मू व कश्मीर) - बांध स्थल

चुटक जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

प्रमुख सिविल कार्य अवार्ड किए जा चुके हैं। अत्यधिक प्रतिकूल कार्य स्थितियों के बावजूद कार्यों की प्रगति संतोषजनक है और नदी को 22.11.2007 को अपवर्तित किया गया था। एचआरटी हेडिंग तथा विद्युत गृह का उत्खनन प्रगति पर है। विद्युत गृह निकास टनल उत्खनन को पूरा किया जा चुका है। ईएण्डएम कार्यों हेतु संविदाएं दी जा चुकी हैं। परियोजना की पूर्णता की प्रत्याशित तिथि फरवरी 2011 है।

किशनगंगा जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

स्वीकृति की तिथि से 7 वर्ष अर्थात जुलाई, 2014 तक परियोजना को पूर्ण करने हेतु सीसीईए मंजूरी 20.7.2007 को प्रदान की गई थी। प्रमुख कार्यों हेतु संविदा जल्द ही दी जा रही है। 208 मीटर अपवर्तन टनल का उत्खनन विभागीय रूप से किया गया है। पीएच स्थल पर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 17 के अंतर्गत अधिसूचना जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है।

6. नई योजनाएं

क. सरकारी स्वीकृति के अधीन परियोजनाएं

1. लोकतक डाउनस्ट्रीम (66 मेगावाट), मणिपुर

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संशोधित प्रस्ताव को तकनीकी आर्थिक मंजूरी (टीईसी) प्रदान कर दी गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्माण पूर्व क्रियाकलापों हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लोक निवेश बोर्ड ने परियोजना की सिफारिश की है। मणिपुर सरकार तथा एनएचपीसी के मध्य लोकतक डाउनस्ट्रीम (66 मेगावाट) परियोजना को मणिपुर सरकार तथा एनएचपीसी के मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी के द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन प्रक्रियाधीन है।

2. पकल दुल (1000 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

परियोजना को एमओडब्ल्यूआर द्वारा सिंधु जल समझौते के अंतर्गत मंजूरी दे दी गई है। सीईए द्वारा टीईए प्रदान कर दी गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है। किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क (केएचएएनपी) के बाहर वाले वन क्षेत्र हेतु वन मंजूरी जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई है। परियोजना के निर्माण हेतु किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क के एक भाग वाली वन भूमि की वि-अधिसूचना के संबंध में प्रस्ताव की सिफारिश एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति द्वारा की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के लिए एनएचपीसी द्वारा एक याचिका दायर की गई है। पीआईबी सिफारिश प्रतीक्षित है। केएचएएनपी के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के वि-आरक्षण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने में बाधा है।

परियोजना का एनएचपीसी से राज्य क्षेत्र को अंतरण

एनएचपीसी, जेएण्डके पीडीसी तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मध्य जम्मू कश्मीर में पकल दुल बरसर आदि जल विद्युत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने का प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

3. कोटली भेल 1-ए (195 मेगावाट) उत्तराखंड; कोटली भेल 1-बी (320 मेगावाट), उत्तराखंड तथा कोटली भेल II (530 मेगावाट) उत्तराखंड

सीईए द्वारा टीईसी को प्रदान किया जा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने परियोजना हेतु किसी आपत्ति को संप्रेषित नहीं किया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। कोटली भेल 1-ए तथा 1-बी के संबंध में वन स्वीकृति प्रस्ताव पर वन परामर्शी समिति द्वारा चर्चा की गई थी और इसकी मंजूरी प्रतीक्षित है।

पीआईबी ने परियोजनाओं की सिफारिश सरकार की स्वीकृति हेतु कर दी है। परियोजनाओं के मसौदा सीसीईए नोट की सामग्री को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

4. व्यासी (120 मेगावाट), स्टैन्ड एलोन आधार

एनएचपीसी ने परियोजना की डीपीआर को तैयार किया है और उसे सहमति हेतु सीईए को प्रस्तुत किया है। सीईए ने संप्रेषित किया है कि परियोजना की डीपीआर को नहीं लिया जा रहा है और इस वापस लौटाया हुआ मान लिया जाए क्योंकि परियोजना के क्रियान्वयन समझौते पर अभी उत्तराखंड सरकार तथा एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना को वन स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वन प्रस्ताव अभी भेजा जाना है।

5. दिबांग (3000 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश

एनएचपीसी तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य एनएचपीसी द्वारा स्वामित्व आधाार पर परियोजना के निष्पादन हेतु संशोधित एमओए पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। सीईए ने परियोजना को अपनी सहमति प्रदान की है। ईआईए तथा ईएमपी रिपोर्टो को जन परामर्श की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रस्तुत किया गया है। एक जिले हेतु लोक सुनवाई हुई थी और अन्य जिले हेतु प्रस्तावित थी परन्तु खराब मौसम और स्थानीय लोगों द्वारा विरोध और सड़क बन्द किए जाने के कारण उसे नहीं किया जा सका था। परियोजना द्वारा वन स्वीकृति प्रस्ताव रखे गए हैं।

पीआईबी ने कुछ अभिमतों तथा सुझावों के अधीन आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के विचार हेतु परियोजना की सिफारिश की है।

6. तीस्ता-IV (520 मेगावाट), सिक्किम

एनएचपीसी तथा सिक्किम सरकार के मध्य क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना के चरण-I व चरण-II को स्थल मंजूरी दी है। ईआईए/ईएमपी अध्ययन प्रगति पर हैं। परियोजना की डीपीआर 31.3.08 को सीईए को प्रस्तुत की गई थी। स्थानीय गड़बड़ियों के कारण आधारभूत ढांचे के कार्यो में विलंब हो रहा है।

ख. डीपीआर/एफआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

1. बरसर (1020 मेगावाट) जम्मू एवं कश्मीर

वाणिज्यिक व्यवहार्यता का सीईए द्वारा पता लगाया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-II की स्थल स्वीकृति प्रदान की गई है। केएचएएनपी से बाहर आने वाली वन भूमि हेतु वन मंजूरी को जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान किया जा चुका है। केएचएएनपी के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के वि-आरक्षण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि वन्यजीवों पर परियोजना के प्रभाव का एक विस्तृत अध्ययन डब्ल्यूआईआई द्वारा किया जाए और प्रस्ताव को स्थायी समिति के विचार हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाए। जम्मू एवं कश्मीर में परियोजना हेतु ईआईए तथा ईएमपी अध्ययन सीआईएसएमएचई, दिल्ली विश्वविद्यालय को दिए गए हैं। इन अध्ययनों को आगे विन्यास योजना/परियोजना की मुख्य विशेषताओं को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किया जाएगा।

<u>बाधाएं</u>

- ❖ कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति डीपीआर को तैयार करने हेतु एस एण्ड आई कार्य में विलंब कर रही है।
- ❖ केएचएएनपी के अंतर्गत आने वाली वन भूमि का वि-आरक्षण।

2. चुंगरचल (240 मेगावाट) उत्तराखंड

एनएचपीसी तथा उत्तराखंड सरकार के मध्य क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना के चरण-1 स्थल स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी है कि यदि परियोजना असकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के भीतर आती है तो एनबीडब्ल्यूएल से स्वीकृति की आवश्यकता होगी, और परियोजना असकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है। ईआईए/ईएमपी अध्ययनों को दिया जा चुका है। डीपीआर को तैयार किए जाने का कार्य एनबीडब्ल्यूएल/ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।

3. गरबा तवाघाट (630 मेगावाट) उत्तराखंड

एनएचपीसी तथा उत्तराखंड सरकार के मध्य क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। परियोजना असकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य से प्रभावित होती है इसलिए डीपीआर को तैयार किए जाने के कार्य को रोक दिया गया है। चूंकि परियोजना में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी शामिल है इसलिए मामले को जल संसाधन मंत्रालय के साथ उठाया गया था जिन्होंने इस परियोजना हेतु सर्वेक्षण/अन्वेषण किए जाने के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श करने हेतु भारत सरकार

से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाने का परामर्श दिया था। एनएचपीसी ने अपने 1.10.2007 के पत्र के माध्यम से विद्युत मंत्रालय से इस संबंध में नवीनतम स्थिति बताने का अनुरोध किया है। विद्युत मंत्रालय/भारतीय दूतावास से प्रतिउत्तर प्रतीक्षित है।

4. खारतोली लूमटी टुली (55 मेगावाट) उत्तराखंड

एनएचपीसी तथा उत्तराखंड सरकार के मध्य क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। परियोजना असकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य से प्रभावित होती है इसलिए डीपीआर को तैयार किए जाने के कार्य को रोक दिया गया है।

5. लाचेन (210 मेगावाट) सिक्किम

एनएचपीसी तथा सिक्किम सरकार के मध्य क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना हेतु चरण-1 की स्थल मंजूरी प्रदान कर दी है। स्थानीय गड़बड़ियों के कारण एस एण्ड आई कार्यो में विलंब हो रहा है।

6. तवांग-I (750 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश तथा तवांग-II (750 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश

एनएचपीसी द्वारा स्वामित्व आधार पर परियोजना के निष्पादन हेतु एनएचपीसी तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य संशोधित एमओए पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रस्तावित स्थलों पर निर्माण पूर्व क्रियाकलापों हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। एनएचपीसी ने वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए दोनों परियोजनाओं की पीएफआर को सीईए को प्रस्तुत किया है। ईआईए तथा ईएमपी अध्ययन दिए गए हैं जोकि प्रगति पर हैं। एफआर/डीपीआर को तैयार करने के लिए एस एण्ड आई कार्य प्रगति पर हैं।

7. सुबानसिरी मिडिल (1600 मेगावाट) व सुबानसिरी अपर (2000 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश

सीईए ने एनएचपीसी को डीपीआर तैयार करने और आवश्यक आधारभूत ढांचा कार्य प्रारम्भ करने का परामर्श दिया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-II की स्थल मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण डीपीआर को तैयार करने के लिए एस एण्ड आई कार्य स्थगित रखा गया है। चरण-II की स्थल मंजूरी हेतु प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था किन्तु उसे सुबानसिरी लोअर परियोजना के मामले में आईबीडब्ल्यूएल की इस सिफारिश पर अस्वीकार कर दिया गया था कि ''भविष्य में सुबानसिरी नदी के बांध के अपस्ट्रीम में कोई निर्माण नहीं होगा''। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि आईबीडब्ल्यूएल द्वारा लगाई गई कुछ शर्तो को पूरा किए जाने के अधीन सुबानसिरी लोअर परियोजना हेतु अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकार ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में उनके आदेश की समीक्षा हेतु एक समीक्षा याचिका दायर की है। सुनवाई के पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि ''इन स्थितियों में छूट अथवा संशोधन के लिए मामले को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को संदर्भित किया जाए''। मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय/एनबीडब्ल्यूएल के विचाराधीन है।

ग. आनेवाली/विचाराधीन परियोजनाएं

1. गौरीगंगा-III ए (120 मेगावाट), उत्तराखंड

परियोजना की डीपीआर को वर्ष 1991-92 में टीईसी हेतु सीईए को प्रस्तुत किया गया था। सीईए ने दिनांक 15.5.98 के पत्र के माध्यम से सुझाव दिया था कि यदि मदकिनि जल विद्युत परियोजना गौरीगंगा III ए तथा III बी जल विद्युत परियोजनाओं के कारण प्रभावित हो रही है तो गौरीगंगा III ए तथा III बी की प्रस्तावित योजनाओं को संशोधित किए जाने और मंजूरी हेतु सीईए को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति ने असकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र के अपवर्तन की सिफारिश की है जैसाकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सम्प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय को अनुमति हेतु संपर्क किया था। इस मामले पर सुनवाई 06.2.2008 को हुई थी जिसमें अनुमोदन प्रदान किया गया था। एनएचपीसी निर्माण पूर्व क्रियाकलापों हेतु मंजूरी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संपर्क करेगी जिसके लिए एनएचपीसी तथा उत्तराखंड सरकार के मध्य क्रियान्वयन समझौता एक पूर्व-आवश्यकता है।

2. धौलीगंगा-इन्टरमीडिएट (210 मेगावाट), उत्तराखंड

एनएचपीसी ने अद्यतन डीपीआर (परियोजना की स्थापित क्षमता 210 मेगावाट के साथ) को 20.11.1996 को प्रस्तुत किया था। सीईए/सीडब्ल्यूसी के अधिकांश अभिमतों का उत्तर दे दिया गया है। सीईए ने पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की स्थिति के बारे में पूछा था। पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण डीपीआर पर सीईए में आगे कार्रवाई नहीं की गई थी।

वन मंजूरी हेतु प्रस्ताव को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था किन्तु उसे परियोजना के ''असकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य'' में अवस्थित होने के कारण वन्यजीव की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त न होने के चलते लौटा दिया गया था।

वर्ष 2000 में वन भूमि के अपवर्तन हेतु प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था परन्तु उसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस आधार पर वापस लौटा दिया गया था कि परियोजना असकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के अंतर्गत आ रही थी। वन भूमि के वि-आरक्षण के प्रस्ताव पर 06.4.2005 को एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति की बैठक में चर्चा की गई थी और प्रस्तावित परियोजना के असकोट अभ्यारण्य तथा आस-पास के वनों में संभावित प्रभाव पर राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इकोलॉजी, देहरादून से मत लिए गए थे। एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति ने असकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र के अपवर्तन की सिफारिश की है जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 06.7.06 के पत्र के माध्यम से सम्प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी

ने माननीय उच्चतम न्यायालय को अनुमति हेतु एप्रोच किया था। इस मामले पर सुनवाई 06.2.2008 को हुई थी जिसमें अनुमोदन प्रदान किया गया था। एनएचपीसी निर्माण पूर्व क्रियाकलापों हेतु मंजूरी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संपर्क करेगी जिसके लिए एनएचपीसी तथा उत्तराखंड सरकार के मध्य क्रियान्वयन समझौता एक पूर्व-आवश्यकता है।

3 कीरू (600 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

इस परियोजना हेतु चरण-I तथा चरण-II की स्थल स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 19.4.2006 को प्रदान की जा चुकी है। कीरू परियोजना के डीपीआर को अंतिम रूप देकर 31.3.06 को सीईए को प्रस्तुत किया गया था। सीईए ने 12.4.2006 के पत्र संख्या 2/एनएचपीसी/ 54/06-पीएसी/616 के माध्यम से परियोजना की डीपीआर को यह कहते हुए लौटा दिया था कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने एनएचपीसी को कीरू जल विद्युत परियोजना स्थापित, प्रचालित तथा अनुरक्षित करने के लिए एनएचपीसी को प्राधिकृत नहीं किया है।

मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने दिनांक 21.8.2007 के अपने अ.शा. पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) के निदेशक मंडल ने कीरू जल विद्युत परियोजना को जेकेएसपीडीसी तथा एनएचपीसी के मध्य एक संयुक्त उद्यम समझौते के माध्यम से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

4 कवार (520 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

इस परियोजना हेतु चरण-1 की स्थल स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 28.2.2005 को दी गई थी। कवार परियोजना के डीपीआर को तैयार करके 30.3.2007 को सीईए को प्रस्तुत किया गया था। सीईए ने सूचित किया है कि मूल्यांकन/सहमति हेतु प्राप्त कवार जल विद्युत परियोजना की डीपीआर को लौटाया हुआ माना जाए क्योंकि परियोजना एनएचपीसी को केवल डीपीआर तैयार करने के लिए दी गई थी और जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने एनएचपीसी को कवार जल विद्युत परियोजना स्थापित, प्रचालित तथा अनुरक्षित करने के लिए एनएचपीसी को प्राधिकृत नहीं किया है।

13.4.2008 को माननीय विद्युत राज्य मंत्री के एनएचपीसी कार्यालय परिसर में दौरे के दौरान इस परियोजना के निष्पादन पर श्री हसीब दराबू, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के सलाहकार और आयुक्त-सह-सचिव (विद्युत), जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ चर्चा की गई थी जिसमें पकल दुल (1000 मेगावाट), किरू (600 मेगावाट) और कवार (520 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं को एनएचपीसी तथा जेकेएसपीडीसी द्वारा संयुक्त उद्यम प्रणाली के अंतर्गत निष्पादित किए जाने पर सहमति बनी थी।

एनएचपीसी से राज्य क्षेत्र को परियोजना का अंतरण

जम्मू एवं कश्मीर में पकल दुल, बरसर जल विद्युत परियोजना के निष्पादन हेतु एनएचपीसी, जेएण्डके पीडीसी तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मध्य एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

5. रैटले (690 मेगावाट) जम्मू एवं कश्मीर

इस परियोजना हेतु चरण-1 तथा चरण-II की स्थल स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी। रैटल परियोजना के डीपीआर को तैयार करके 28.3.2007 को सीईए को प्रस्तुत किया गया था। सीईए ने सूचित किया है कि मूल्यांकन/सहमति हेतु प्राप्त रैटल जल विद्युत परियोजना की डीपीआर को लौटाया हुआ माना जाए क्योंकि परियोजना एनएचपीसी को केवल डीपीआर तैयार करने के लिए दी गई थी और जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने एनएचपीसी को रैटल जल विद्युत परियोजना स्थापित, प्रचालित तथा अनुरक्षित करने के लिए एनएचपीसी को प्राधिकृत नहीं किया है।

एनएचपीसी ने जम्मू कश्मीर सरकार से एनएचपीसी को आवंटित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अपनी स्वीकृति संप्रेषित करने का अनुरोध किया है ताकि साथ-साथ ईआईए तथा ईएमपी अध्ययनों को करके इन परियोजनाओं को तीव्र गति से विकसित किया जा सके। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना का क्रियान्वयन जेकेएसपीडीसी द्वारा आईपीपी के माध्यम से बीओओटी आधार पर किया जाएगा। जेकेएसपीडीसी ने सूचित किया है कि जेकेएसपीडीसी के निदेशक मंडल ने एनएचपीसी को रैटल की डीपीआर को सौंपे जाने पर उसको तैयार करने में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। रैटले जल विद्युत परियोजना की डीपीआर को सौपे जाने के संबंध में निर्णय एनएचपीसी द्वारा विद्युत मंत्रालय से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात लिया जाएगा।

वर्ष के दौरान अरूणाचल प्रदेश में दो परियोजनाएं अर्थात सियांग मिडिल (सियोम) और सियांग लोअर जल विद्युत परियोजना को अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा वापिस ले लिया गया था और इसलिए इन दो परियोजनाओं की डीपीआर को इन परियोजनाओं के डेवलपरों को सौंप दिया गया था।

मानव संसाधन विकास में प्रगति

कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे बहूमूल्य संपत्ति होते हैं और उनके मध्य सृजनात्मकता, नूतन पहल और कार्य निष्पादन श्रेष्ठता को विकसित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण आवश्यक है। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान निगम ने अपना ध्यान कर्मचारियों की क्षमता के वर्धन पर केंद्रित किया था ताकि एनएचपीसी में दक्ष, प्रशिक्षित तथा विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट मानव संसाधन को विकसित किया जा सके ताकि उनके द्वारा चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा किया जा सके।

निगम ने अपने कर्मचारियों की वैश्विक बाजार में हो रहे परिवर्तनों से अवगत रखने के लिए काफी प्रयास किए हैं। कर्मचारियों के श्रेष्ठ प्रशिक्षण मुहैया करवाने के उद्देश्य से एनएचपीसी ने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि-आई.आई.एम-अहमदाबाद, आई.आई.टी. रुड़की, एम.डी.आई.-गुड़गांव, एमिटी, आई.एम. आई.-नई दिल्ली, आई.एम.टी.-गाजियाबाद, एएससीआई-हैदराबाद,

एनआईएफएम-फरीदाबाद, आईआईएम-इंदौर, सीएसएमआरएस-नई दिल्ली और एबीबी, अरीवा (टी एण्ड डी), वीए-टेक, बीएचईएल आदि जैसी कंपनियों के साथ सामरिक गठबंधन किया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संगठनात्मक चुनौतियों को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप समाहित करते हुए तथा अल्पावधि एवं दीर्घावधि व्यक्तिगत प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए बनाया गया था।

- वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 702 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें 10226 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था जोकि विभिन्न स्तरों पर श्रमशक्ति का 82.8 प्रतिशत होते हैं।
- अनुसूचित जाति श्रेणी के 76.4 प्रतिशत कर्मचारियों, अनुसूचित जनजाति के 78.8 प्रतिशत कर्मचारियों और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 95 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था।
- उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करने हेतु 2007-08 के लिए 2.5 प्रतिशत के एमओयू लक्ष्य की तुलना में प्रशिक्षण तथा विकास में कर्मचारियों के सकल वेतन के 2.51 प्रतिशत का निवेश किया गया है।
- एनएचपीसी की प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास नीति को समूचे संगठन में क्रियान्वित किया गया है।
- वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 109 श्रमिकों ने विभिन्न ट्रेड नामत: इलेक्ट्रीशियन, वैज्ञानिक सहायक, ईओटी क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर (जनरेटर/टरबाइन) में कुशलता/बहु-कुशलता प्राप्त किया है।
- ''उच्चतर अध्ययन सुविधाओं हेतु एनएचपीसी योजना'' के अंतर्गत एक कार्यपालक को आईसीपीई, स्लोवेनिया से ''व्यवहार्य विकास प्रबंधन'' में विशेषज्ञता के साथ एक वर्षीय एमबीए कार्यक्रम को करने के लिए प्रायोजित किया गया है।
- एनएचपीसी ने एनएचपीसी प्रायोजित प्रतिभागियों के संबंध में ''आधारभूत ढांचे'' में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम हेतु अकादमिक सहयोग के लिए द एनर्जी एण्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 2008-09 से प्रारम्भ होकर पांच अकादमिक वर्षों हेतु प्रोग्राम को करने के लिए एक कार्यपालक को नामित किया जाएगा। टेहरी विश्वविद्यालय में संकाय हेतु स्थायी निधि 56.75 लाख रुपये की राशि अदा की गई है।

प्रमुख प्रशिक्षण क्षेत्र -

- प्रकार्यात्मक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रबंधन विकास कार्यक्रम
- सॉफ्ट कौशल विकास कार्यक्रम
- नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- ओडी हस्तक्षेपों के अनुसार कार्यक्रम
- सूचना प्रौद्योगिक तथा कम्प्यूटर संबंधित कार्यक्रम
- महिला सशक्तिकरण एवं विकास कार्यक्रम
- जीवनशैली/स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम
- श्रमिकों हेतु बहु-कौशल/कौशल उन्नयन कार्यक्रम
- दल विकास कार्यक्रम
- अंतर-प्रकार्यात्मक कार्यक्रम
- क्यूएमएस/ईएमएस/ओएचएसएएस से संबंधित कार्यक्रम
- सुरक्षा तथा सुरक्षा आधारित कार्यक्रम

महिला कर्मचारी

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करने के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है। समिति की अध्यक्ष एक महिला कर्मचारी हैं और इसमें महिला कर्मचारियों की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। समिति में तृतीय पक्ष प्रतिनिधित्व के रूप में एक एनजीओ सेंटर फार वूमेंस डेवलपमेंट स्टडीज से भी एक प्रतिनिधि शामिल है।

औद्योगिक संबंध तथा कर्मचारी कल्याण

कर्मचारी तथा नियोक्ता के मध्य औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण रहें। हड़ताल/तालाबंदी के कारण किसी श्रम दिवसों की हानि नहीं हुई थी। कर्मचारी कल्याण क्रिया-कलापों पर विशेष ध्यान दिया गया था। कर्मचारियों को उनके कार्य-स्थिति, कल्याण

आदि से संबंधित क्षेत्रों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण

निगम, सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति हेतु जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुदेशों का पालन करता है।

निशक्त व्यक्तियों का कल्याण

निशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष रूप में ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार रोज़गार में आरक्षण प्रदान किया गया। निशक्त कर्मचारियों हेतु एक अनुकूल कार्यस्थल मुहैया करवाने और निशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति की सिफारिशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा पुनर्वास हेतु एक समन्वय समिति बनाई गई है। एनएचपीसी आकस्मिक/विशेष आकस्मिक अवकाश नियमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों हेतु एक नया प्रावधान लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं :

(क) एक कैलेंडर वर्ष में निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित निशक्तता वाले भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय एजेंसियों द्वारा आयोजित निशक्तता तथा विकास कार्यक्रमों से संबंधित सम्मेलन /संगोष्ठी/प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए अधिकतम 10 दिवस तक का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(ख) 10 दिन से अधिक की अवधि के अवकाश को देय तथा लागू प्रकार का नियमित अवकाश माना जाएगा।

अनुषंगी निगम

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है।** एनएचडीसी ने 1000 मेगावाट की इन्दिरा सागर परियोजना और 520 मेगावाट की ओंकारेश्वर परियोजना दोनों को चालू कर दिया है तथा राज्य को काफी अधिक आवश्यकता वाली विद्युत मुहैया करवाई है।

सचेतक टिप्पणी

इस रिपोर्ट में विहित मत तथा भविष्य की टिप्पणियां प्रबंधन के विचार हैं और कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताओं के अधीन हैं जिसे वास्तविक परिणाम इन विवरणों में दर्शाए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। पाठक इस रिपोर्ट में और कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी गई अन्य जानकारी की भी ध्यानपूर्वक समीक्षा करें। कंपनी की नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं अथवा अन्यथा के परिणाम स्वरूप इन भविष्य के विवरणों को सार्वजनिक रूप से अद्यतन तथा संशोधित करने का कोई दायित्व नहीं है।

अनुबंध-III

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी विनिमय अर्जन पर निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

क. ऊर्जा संरक्षण

(क) किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय;

कार्य निष्पादन के आकलन तथा इसे ईष्टतम करने के उद्देश्य से सीपीआरआई, बंगलौर द्वारा रंगित और चमेरा-1 विद्युत स्टेशनों के ऊर्जा लेखापरीक्षा जाँच की गई थी। सीपीआरआई द्वारा ऊर्जा की बचत हेतु उपायों में सुधार के लिए की गई सिफरिशों को यथासमय एक चरणबद्ध रुप में कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) ऊर्जा के उपभोग में कमी करने हेतु क्रियान्वित किए जा रहे अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव, यदि कोई हो;

वर्तमान वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान उड़ी व चमेरा-1 पावर स्टेशनों की ऊर्जा जाँच की जा रही है ।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख), में उल्लिखित उपायों के प्रभाव से ऊर्जा उपभोग में कमी और वस्तुओं की उत्पादन लागत पर परिणामस्वरूप प्रभाव

i) कमतर कार्य-निष्पादन करने वाले औजारों/उपकरणों को ऊर्जा-दक्ष से एक चरणबद्ध रुप में स्थापित किया जाएगा।

ii) फिच फ्यूल कैटलिस्ट एक पूर्वदहन, उत्सर्जन-कम करने वाला तथा ईंधन किफ़ायती सुधार तकनीक है जो इंजन की शक्ति में बढ़ोत्तरी, हानिकारक उत्सर्जन में कमी तथा अनुरक्षण व परिचालन लागत में कमी करती है।

ख प्रौद्योगिकी समावेशन

(घ) तकनीकी समावेशन हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा संलग्न फार्म-बी में दिया गया है।

ग विदेशी विनिमय अर्जन तथा व्यय

(ड़) निर्यात से संबंधित क्रियाकलाप, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पाद तथा सेवाओं हेतु नई बाजारों का विकास, और निर्यात योजनाएं

एनएचपीसी की कोई निर्यात योजनाएं नहीं हैं।

(च) कुल विदेशी विनिमय का उपयोग तथा अर्जन

	विवरण	करोड़ रूपये में 2007-08	करोड़ रूपये में 2006-2007
1.*	सीआईएफ आधार पर आकलित आयातितों का मूल्य		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	0.07	83.77
	ii) कलपुर्जे	1.76	1.18
2.*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज्ञान	2.28	2.36
	ii) ब्याज	97.62	112.38
	iii) अन्य विविध	164.48	162.36
3.*	प्रचालन इकाइयों में उपयोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	- आयातित	4.23 (68.78%)	3.52 (40.70%)
	- देशीय	1.92 (31.22%)	5.13 (59.30%)
4**	आय (नगदी आधार पर)		
	i) ब्याज आय	-	-
	ii) अन्य	-	-
	* प्रोद्भूत आधार		
	** नकद आधार		

फार्म-बी

1. **विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) किया जा रहा है:**

- आईटीआरसीईएस., चीन तथा एनएचपीसी के मध्य विभिन्न आर एण्ड डी परियोजनाओं हेतु सहयोग/समन्वय।
- राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना - हाइड्रो जनरेटर के टरबाइन के लिए सिल्ट अवरोधक तत्व का विकास।
- टाइडल विद्युत के विकास हेतु 3.75 मेगावाट दुर्गादुआनी मिनी टाइडल विद्युत परियोजना।
- ई एण्ड एम उपकरण/औजार/कलपुर्जों हेतु आयात प्रतिस्थापन।
- भू-तापीय विद्युत का विकास।
- डाउन स्ट्रीम जल के छोड़े जाने का प्राथमिक अध्ययन।
- टाइडल पावर स्टेशन के लिए उचित टरबाइन-जनरेटर इकाइयों के चयन हेतु तकनीकी-आर्थिक अध्ययन।
- मापक तथा जाँच उपकरणों का मानकीकरण।
- कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डॉयनेमिक साफ्टवेयर प्रयोगशाला।

2. **उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ**

- आईआरटीसीईएस, चीन और एनएचपीसी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा एनएचपीसी आवश्यकताओं से संगत विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा आईआरटीसीईएस, चीन के साथ अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों हेतु पृथक समझौते के लिए विचार-विमर्श प्रक्रियाधीन हैं। दोनों देशों के जलीय भण्डारों में अवसाद के प्रति एक निवारात्मक कदम उठाने के लिए एनएचपीसी तथा आईआरटीसीईएस, चीन के मध्य जलीय संसाधनों में अवसाद के प्रबंधन पर एक सहयोगी अनुसंधान किया जा रहा है।
- "हाइड्रो जनरेटर के टरबाइन हेतु गाद रोधी प्रतिरोधी पदार्थ के विकास" पर एक आर एण्ड डी परियोजना एनएमएल (नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेट्री), जमशेदपुर द्वारा निष्पादन के अधीन है जिसमें एनएचपीसी भी सीपीआरआई तथा एसजेवीएनएल के साथ एक प्रतिभागी एजेंसी है।
- एमएनईएस ने एनएचपीसी से पश्चिम बंगाल में टाइडल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया है। दुर्गादुआनी टाइडल विद्युत परियोजना के निष्पादन हेतु एनएचपीसी तथा पश्चिम बंगाल रिन्यूअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (डब्ल्यूबीआरईडीए) के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की सहायता से अद्यतन डीपीआर को डब्ल्यूबीआरईडीए को प्रस्तुत किया गया है।
- अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ने धौलीगंगा तथा चमेरा-II विद्युत स्टेशनों के लिए आंशिक रूप से उपकरणों/औजारों/घटकों/कलपुर्जो हेतु स्थानीय विक्रेताओं की पहचान की है । विद्युत स्टेशनों द्वारा आवश्यक शेष उपकरणों/औजारों हेतु स्थानीय विक्रेताओं की पहचान करने हेतु प्रयास प्रक्रियाधीन हैं। एनएचपीसी देशीय रूप से उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु विपरीत अभियांत्रिकी करने के लिए एजेंसियों की पहचान करने का प्रयास भी कर रही है।
- देश के भीतर भू-तापीय ऊर्जा की संभाव्यता के आंकलन तथा विकास हेतु भू-तापीय ऊर्जा के क्षेत्रों में रत विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध जानकारी के परीक्षण तथा संकलन हेतु एक विशेषज्ञ दल हाल ही में गठित किया गया है जिसमें सीईए, एमएनआरई, एनएचपीसी, जीएसआई, एनजीआरआई तथा मैसर्स जीओ-सिंडिकेट के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- जल विद्युत परियोजनाओं के जल को डाउनस्ट्रीम में छोड़े जाने के प्रारंभिक अध्ययनों को एक अनुसंधान परियोजना के रूप में लिया गया है। इस अध्ययन के सटीक कार्य क्षेत्र के निरूपण हेतु जल बांध से डाउनस्ट्रीम पानी को छोड़े जाने से संबंधित सूचना/डाटा (पर्यावरणीय, वाणिज्यिक, विधिक तथा अन्य डाटा), को परियोजनाओं, संबंधित कार्यात्मक समूह और अन्य संगठन (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय) से एकत्र किया जा रहा है। जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं से बांध/बैराज की डाउनस्ट्रीम द्वारा प्रवाह का अध्ययन पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इस अध्ययन के आधार पर एक व्यापक तुलनात्मक डाटा विकसित किया जा सकता है।
- मापन तथा प्रबोधन उपकरणों/औजारों की एक मानक न्यूनतम सूची तैयार की गई है। मापन तथा प्रबोधन उपकरणों हेतु विनिर्देशन भी तैयार किए गए हैं।
- सीएफडी को जल पथ में घटकों के डिजाइन में बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है जैसेकि स्पाइरल केसिंग, स्टे वेन्स, गाइड वेन्स, रनर ब्लेड और ड्राफ्ट ट्यूब में और इसका उपयोग हाइड्रो टरबाइन के कार्य-निष्पादन को ईष्टतम करने के लिए हानियों के सटीक पूर्वानुमान और डिजाइन विश्लेषण सहायता करने में किया जा रहा है । उन्नत जल विद्युत डिजाइन हेतु व्यापक डिजाइन सपोर्ट मुहैया करवाने के लिए सीएफडी विश्लेषण का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

3. **वर्ष 2008-2009 के लिए भवि कार्रवाई योजना**

उपर्युक्त वर्णित अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के वर्ष 2008-2009 में भी जारी रहने की संभावना है।

- अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा हाइड्रो जनरेटर के टरबाइन के लिए गाद प्रतिरोधी पदार्थ के विकास पर

राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास योजना को अनुमोदित किया गया है। एनएचपीसी का अंश सीपीआरआई को दे दिया गया है। एनएमएल इस अनुसंधान परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। इसके पूर्ण होने की अवधि तीन वर्ष है।

- एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में स्ट्रीट लाइट के लिए आधुनिक ऊर्जा स्रोत अर्थात् सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- उड़ी व चमेरा-II पावर स्टेशनों की ऊर्जा लेखा परीक्षण।
- जलीय तथा अन्य आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए हरित गृह गैस स्राव और बांध तथा बैराज के डाउन स्ट्रीम द्वारा प्रवाह के अनुमान हेतु हाइड्रो जलाशयों के अध्ययन को राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के रूप में लेना।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कुल 21,29,220 रुपये व्यय किए गए थे।

प्रौद्योगिकी समावेश, प्रयोग तथा नवीनीकरण

1. प्रौद्योगिकी समावेश, प्रयोग और नवीनीकरण के लिए किए गए प्रयासों की संक्षेप में जानकारी

जल के भीतर रहने वाले टरबाइन घटकों हेतु हार्ड कोटिंग के क्षेत्र में विशेषीकृत संगठनों के साथ विभिन्न प्रयोगात्मक अध्ययन/परीक्षण किए गए ताकि गाद से कटाव के प्रति उनके कार्य-निष्पादन में सुधार किया जा सके और संभावित हल के रुप में तापीय स्प्रे तकनीकों की पहचान की जा सके।

2. उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात् उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि निम्नानुसार हैं:

हार्डकोटिंग एक जारी प्रक्रिया है और इससे लाभ हाइड्रोटरबाइन के जल के भीतर वाले घटकों हेतु लाभकारी होने वाले अंतिम कोटिंग पदार्थ को अंतिम रुप दिए जाने के पश्चात् ही प्राप्त होंगे। एचवीओएफ प्रक्रिया के साथ टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट कोटिंग ने उत्साहजनक परिणाम दर्शाए हैं।

3. पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी-

शून्य

अनुबंध - IV

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना

क) संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारियों के विवरण जिन्होंने समूचे वर्ष 24,00,000/- रूपये अथवा उससे अधिक या कम पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया था :

नाम व पदनाम (श्री/ सर्वश्री)	रोजगार की प्रकृति तथा कार्य की प्रकृति	कर्मचारी की अर्हता व अनुभव	रोजगार प्रारम्भ करने की तिथि	आयु (वर्ष)	पारिश्रमिक (रूपये)	पिछला रोजगार	टिप्पणी
वी.के.कपूर, कार्यपालक निदेशक	नियमित	बी.एस.सी इंजीनियरिंग, (सिविल), 30 वर्ष 9 माह का अनुभव	6 मई, 1977	54	25,18,049	दिल्ली विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ अभियंता	

ख) वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष के भाग हेतु नियोजित कर्मचारियों के विवरण जिनका पारिश्रमिक प्रतिमाह 2,00,000/- रूपये से कम नहीं था-

नाम व पदनाम (श्री/ सर्वश्री)	रोजगार की प्रकृति तथा कार्य की प्रकृति	कर्मचारी की अर्हता व अनुभव	रोजगार प्रारम्भ करने की तिथि	आयु (वर्ष)	पारिश्रमिक (रूपये)	पिछला रोजगार	टिप्पणी
पी. वेणुगोपाल, पूर्व मास्टर तकनीशियन (मैकेनिकल)	नियमित	- एनएचपीसी में 23 वर्ष का अनुभव	3 जुलाई, 1984	58	10,70,877	-	

टिप्पणी -

1. उक्त नामित व्यक्ति कंपनी के कर्मचारी थे।
2. पारिश्रमिक में वेतन, भत्ते, अवकाश नकदीकरण, अवकाश यात्रा रियायत, सबसिडी दिए गए पटटे वाले आवास हेतु भुगतान, कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में नियोक्ता का योगदान शामिल है। तथापि, इसमें कंपनी की डिस्पेंसरियों/परियोजना स्थल पर अस्पतालों में मुहैया करवाए गए चिकित्सा उपचार का कोई मौद्रिक मूल्य शामिल नहीं है क्योंकि इसे कर्मचारी-वार मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी कंपनी के नियमों के अनुसार उपदान/समूह बीमा के पात्र हैं।
3. उपर्युक्त उल्लिखित पारिश्रमिक मे वर्ष के दौरान अदा किए गए सेवानिवृत्ति/पृथकीकरण लाभ शामिल हैं और यह कंपनी के कर्मचारियों के किसी नियमित पारिश्रमिक ढांचे का कोई सूचक नहीं है।

अनुबंध-V

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
एनएचपीसी लिमिटेड सेवा में सदस्यगण

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां

1. हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (पूर्व में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपारेशन) के 31 मार्च, 2008 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ एवं हानि लेखा और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है जिसमें (1) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एक क्षेत्रीय कार्यालय, निगम मुख्यालय तथा 3 अन्य कार्यालय, (2) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नही की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।
3. कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 जिसे कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) संशोधन आदेश, 2004(जिसे एतदपश्चात आदेश कहा गया है) की अपेक्षानुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) की शर्तों के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
4. संगम अनुच्छेद के संशोधित खंड 33 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक सदस्य संख्या के 50% से कम नहीं होनी चाहिए, जिसके अनुपालन की आवश्यकता है।
5. ***कंपनी ने 73.05 करोड़ रुपए के स्व-बीमा आरक्षित (निवल) को लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित करके बनाया है बजाए इसके लाभ एवं हानि विनियोजन लेखे पर प्रभारित करने के। यह उस सीमा तक निवल लाभ को कम बताने में परिणत हुआ है।***

प्रबंधन का उत्तर

(4) निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। जून 2008 तक 5 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

(5) कंपनी 1997-98 से एक जैसी लेखा प्रक्रिया अपना रही है। तथापि आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए लेखा प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।

6. ***(क) सुबानसिरी (मिडिल और ऊपरी) तथा सियांग (अपर) परियोजनाओं में निर्माण कार्य अदालत/राज्य सरकार के हस्तक्षेप/ जन आंदोलन आदि की वजह से लंबित हुए काफी अधिक समय बीत चुका है अर्थात 2 वर्ष से अधिक। कंपनी ने ऐसी परियोजनाओं पर राजस्व व्यय किए जाने को जारी रखा है। वर्ष के दौरान ऐसे व्यय की राशि 9.04 करोड़ रुपए थी और 31.3.07 तक किए गए व्यय की राशि 26.34 करोड़ रुपए थी। सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऐसे असामान्य व्यय/हानियों को राजस्व पर प्रभारित किया जाना होता है न कि पूंजीकृत किया जाना। चूंकि इनसे परियोजनाओं के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती है और इन्हें राजस्व पर प्रभारित करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारे मत में वर्तमान वर्ष हेतु लाभ को 9.04 करोड़ रुपए से, चालू पूंजीगत कार्य और आरक्षित तथा अधिशेष को 35.68 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है।***

(ख) चालू पूंजीगत कार्यों में परियोजनाओं नामत: सुबानसिरी (मिडिल तथा अपर) और सियांग (अपर) पर अदालत/राज्य सरकार/जन आंदोलन के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप क्रियाकलाप स्थगित होने की अवधि के दौरान सर्वेक्षण तथा जाँच पर खर्च की गई 1.90 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका है।

7. पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध पर हमारी टिप्पणियों के आगे हम सूचित करते हैं कि

भारत सरकार द्वारा भारतीय विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य किया गया था। इसके लिए भारत सरकार द्वारा इक्विटी समर्थन भी उपलब्ध कराया गया था। उक्त अधिसूचना अभी तक वापस नहीं ली गई है। कंपनी निरंतर वित्तीय वर्ष 2007-08 की लेखा नीति में दिए गए प्रावधानों का पालन कर रही है तथा ऐसी परियोजनाओं के चार्जिंग ऑफ खर्च को परियोजनाओं के लाभ/हानि खाते में डाला जा रहा है जबकि परियोजनाओं को छोड़ने का निर्णय लिया गया है। चूंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को छोड़ने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है इसलिए इन परियोजनाओं पर आने वाले सर्वेक्षण, अन्वेषण खर्चों (आकस्मिक खर्चों सहित) को चालू कार्य पूंजी में जारी रखा गया है।

(i) हमने वे सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त की हैं जो हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा मद के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

(ii) लेखापरीक्षकों के मध्य कार्य का आवंटन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के एनएचपीसी को संबोधित दिनांक 31.7.2007 के पत्र सं. सीए5/सीओवाई/केन्द्र सरकार/एनएचपीसी(5)/79 में विहित निदेशों के अनुसार किया गया है।

(iii) हमारे मतानुसार जहाँ तक इन बहियों का हमारे परीक्षण द्वारा प्रतीत होता है विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों का कंपनी द्वारा अनुरक्षण किया गया है। शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमें अग्रेषित की गई है और उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है।

(iv) कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपनी दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या फाइल सं. 8/5/2001-सीएल5 के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(v) इस रिपोर्ट द्वारा प्रयुक्त तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211

की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(vi) कंपनी मामले विभग, वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. एफ सं. 8/5/2001 -सीएल.वी दिनांक- 21 अक्टूबर, 2003 के अनुसार अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1)(जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगें।

(vii) केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 के अंतर्गत देय किसी उपकर की राशि को निर्धारित नहीं किया है और हम उक्त को जमा करने में कंपनी के नियमित होने अथवा अन्यथा पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

(viii) उक्त पैराग्राफ 5, 6(क) तथा 6(ख) में उल्लिखित हमारे अभिमतों के अधीन, पता लगाए जाने की सीमा तक उक्त का वर्ष हेतु लाभ को 64.01 करोड़ रुपए से कम बताए जाने, चालू पूंजीगत कार्य को 35.38 करोड़ रुपए से अधिक बताए जाने और आरक्षित तथा अधिशेष को 35.38 करोड़ रुपए से कम बताए जाने का निवल प्रभाव हुआ है। हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे तत्संबंधी टिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं -

उपरोक्तानुसार

(क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2008 को कंपनी की स्थिति का,

(ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का, और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

कृते जी एस ए एण्ड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.-83899

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 मई, 2008

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समसंख्यक तिथि के रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

(i) (क) कम्पनी ने सामान्यत: उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार इस सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखा बहियों की तुलना में कोई बड़ी विसंगति नहीं पाई गई थी।

(ग) वर्ष के दौरान सियोम जल विद्युत परियोजना (मिडिल) का सरकार के निदेश के अंतर्गत 53.96 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों का निपटान किया है, तथापि, चालू महत्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान भण्डार, कलपुर्जे, इस्पात तथा सीमेंट की मालसूची का प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रियाविधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है।

(ग) हमारे मतानुसार कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में पाई जाने वाली विसंगति जहाँ कहीं बड़ी होती है, उसका लेखा बहियों में उचित निपटान किया गया है।

(iii) (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।

ख. दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों से कोई ऋण, प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत, नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (´), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के क्रय और विद्युत की बिक्री तथा सेवाओं हेतु एक पर्याप्त आंतरित नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

(v) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो।

(ख) उक्त उप-खंड (क) के मद्देनजर यह उप-खंड लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कवर होने वाले किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

(vii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण और कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। तथापि, इसके कार्य-क्षेत्र तथा कवरेज को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(viii) हमने केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों की मोटे तौर पर समीक्षा की है और प्रथम दृष्टया हमारा यह मत है कि विहित लेखा तथा अभिलेखों को रखा तथा अनुरक्षित किया गया है। तथापि, हमने उनकी सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन अभिलेखों का एक विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा बचाव निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्तिकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों के संबंध में अविवादित सार्वधिक देयों को सामान्यत: नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के साथ जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2008 को देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में देय कोई बकाया राशि नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और उपकर के देयों की राशि 2045.41 करोड़ रुपए है।

सांविधि	देयों की प्रकृति	जिस फोरम पर विवाद लंबित है	करोड़ रुपए में
विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	1931.19
	बिक्री कर	अपीलीय प्राधिकरण अधिकरण, जम्मू	112.34
	बिक्री कर	एसीसीटी पश्चिम बंगाल बिक्री कर	0.22
	बिक्री कर	टीटीओ खटीमा	1.41
	प्रवेश कर	कर अधीक्षक - धीमाजी, असम	0.25
		कुल	**2045.41**

(x) कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

(xi) अभिलेखों के सत्यापन तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान/बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमारे द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अन्यों को शेयर तथा ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है ।

(xiii) कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 का खण्ड 4(13) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) हमारे मतानुसार कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसके मद्देनजर इस खण्ड के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xv) कंपनी ने बैंको/वित्तीय संस्थानों ने लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर सावधि ऋणों का उपयोग उगाहे गए प्रयोजनों हेतु ही किया गया था।

(xvii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई गई है।

(xviii) कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 1956 की धारा, 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

(xix) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी द्वारा जारी किए गए बॉण्ड के संबंध प्रतिभूति का सृजन किया है।

(xx) कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान किसी प्रतिभूति का कोई पब्लिक इश्यू नहीं निकाला है।

(xxi) हमें सूचित किया गया है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वित्तीय कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ किसी धोखा-धड़ी को नहीं पाया गया है अथवा सूचित नहीं किया गया है।

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 मई, 2008

132 मेगावाट तीस्ता लो डैम–III परियोजना (पश्चिम बंगाल) – यूनिट–I में प्रेशर शाफ्ट लाइनर का स्थापन

एनएचपीसी लिमिटेड

(पूर्व में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड)

31 मार्च, 2008 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रूपये में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2008			31 मार्च, 2007		
निधियों के स्रोत							
ए. शेयरधारकों की निधि							
i) शेयर पूंजी	1		11182.49			11198.21	
ii) इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			-			8.83	
iii) आरक्षित तथा अधिशेष	2		6093.34	17275.83		5367.05	16574.09
बी. ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3		7003.49			4622.79	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		2952.84	9956.33		2909.16	7531.95
सी. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि				1303.26			1245.98
डी. विलंबित कर देयता (निवल)							
विलंबित कर देयताएं			2017.06			1768.93	
घटाएं – प्राप्य विलंबित कर			2017.06	-		1768.93	-
कुल				**28535.42**			**25352.02**
निधियों का उपयोग							
ए. स्थिर पूंजी व्यय							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
क) सकल ब्लाक		20639.51			12943.64		
घटाएं मूल्यह्रास		3262.66			2850.92		
ख) निवल ब्लाक			17376.85			10092.72	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		6318.64			11399.92	
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7		1077.34	24772.83		856.43	22349.07
बी निवेश	8			3049.22			3322.75
सी वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9						
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		91.91			103.54		
ii) मालसूची		40.17			44.95		
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		699.46			279.98		
iv) विविध देनदार		348.06			291.22		
v) नकदी तथा बैंक शेष		1841.27			466.90		
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		215.17			154.30		
vii) ऋण तथा अग्रिम		843.84	4079.88		445.32	1786.21	
घटाएं – वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		1862.66			1071.68		
ii) प्रावधान		1504.19	3366.85		1060.13	2131.81	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां				713.03			(345.60)
डी विविध व्यय (बटटेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11			0.34			25.80
कुल				**28535.42**			**25352.02**
लेखांकन नीतियां	23						
लेखे पर टिप्पणी	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

ए.बी.एल.श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2008

एनएचपीसी लिमिटेड
(पूर्व में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड)

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रुपये में)

	अनूसूची	31 मार्च, 2008			31 मार्च, 2007		
आय							
i) बिक्री	12		2301.00			1962.76	
घटाएं - टैरिफ समायोजन			-			(7.17)	
घटाएं - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	12ए		57.27	2243.73		215.81	1754.12
ii) संविदाएं तथा परामर्शी आय	13			326.63			128.81
iii) अन्य आय	14			585.14			304.57
कुल आय				**3155.50**			**2187.50**
व्यय							
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15			285.56			182.56
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16			316.78			237.19
iii) मूल्यह्रास	17			443.74			290.55
iv) ब्याज तथा वित्त प्रभार	18			611.54			231.75
v) प्रावधान	19			11.43			23.74
vi) संविदा तथा परामर्शी व्यय	20			319.10			126.43
कुल व्यय				**1988.15**			**1092.22**
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन				**1167.35**			**1095.28**
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21			20.70			7.54
कर पूर्व लाभ				**1146.65**			**1087.74**
कराधान हेतु प्रावधान							
i) वर्तमान कर			117.96			125.78	
ii) छुट-पुट लाभ कर			9.50			8.90	
iii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन			15.10			28.26	
iv) विलंबित कर		248.13			167.55		
घटाएं -प्राप्य विलंबित कर समायोजन		248.13	-	142.56	167.55	-	162.94
कर पश्चात लाभ				**1004.09**			**924.80**
पिछले वर्ष के लेखे से लाया गया शेष				715.18			2829.74
बॉण्ड विमोच्य आरक्षित से पश्च लेखन की गई राशि			-				83.75
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष				**1719.27**			**3838.29**
i) बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित				23.75			-
ii) सामान्य आरक्षित को अंतरित			-				2800.00
iii) लाभांश							
- अंतरिम				100.00			72.00
- प्रस्तावित				200.00			206.00
iv) लाभांश पर कर							
- अंतरिम				17.00			10.10
- प्रस्तावित				33.99			35.01
तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष				**1344.53**			**715.18**
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10/- रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य पर)							
आधारभूत				**0.90**			**0.88**
-कम की गई				**0.90**			**0.85**
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	22						
लेखांकन नीतियां	23						
लेखाओं पर टिप्पणियां	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

ए.बी.एल.श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2008

अनुसूची 1 – शेयर पूंजी

(करोड़ रुपये में)

	01.04.2007 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2008 के अनुसार अंतिम शेष
प्राधिकृत : 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रूपये प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर)	15,000.00	-	-	**15,000.00**
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त : पूर्णत: पदत्त 10/- रुपए प्रत्येक के 11,182,493,430 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 11,198,212,500 इक्विटी शेयर) पूर्णत: प्रदत्त (उक्त में से 10/- प्रत्येक के 62,952,960 शेयरों को भारत सरकार के साथ समझौते के अनुपालन में नकदी के अन्यथा विचार पर आवंटित किया गया है)	11,198.21	8.83	24.55*	**11,182.49**
कुल	**11,198.21**	**8.83**	**24.55**	**11,182.49**

*** देखें लेखे की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 3 (अनुसूची 24)**

अनुसूची – 2 आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2008				31 मार्च, 2007			
	01.04.2007 को प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2008 को अंतिम शेष	01.04.2006 को प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2007 को अंतिम शेष
पूंजीगत आरक्षित	0.06	-	0.06	-	0.06	-	-	0.06
बॉण्ड विमोचन आरक्षित	118.75	23.75	-	142.50	202.50	-	83.75	118.75
सामान्य आरक्षित	4,120.00	-	(0.06)	4,120.06	1,320.00	2,800.00	-	4,120.00
लाभ एवं हानि लेखा	715.18	1,004.09	374.74	1,344.53	2,829.74	924.80	3,039.36	715.18
स्व-बीमा आरक्षित	414.43	83.75	10.70	487.48	357.98	57.34	0.89	414.43
घटाएं - स्व-बीमा आरक्षित से प्रतिपूर्ति योग्य हानियां	1.37 413.06	10.73 73.02	10.87 (0.17)	1.23 486.25	0.39 357.59	0.98 56.36	- 0.89	1.37 413.06
कुल	**5,367.05**	**1,100.86**	**374.57**	**6,093.34**	**4,709.89**	**3,781.16**	**3,124.00**	**5,367.05**

अनुसूची 3 – ऋण निधियां – प्रतिभूत

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2008	31 मार्च 2007
ए. बॉण्ड	570.00	570.00
बी. दीर्घावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण – भारतीय मुद्रा	6433.49	4052.79
कुल (परिशिष्ट देखें)	**7003.49**	**4622.79**

अनुसूची - 3 का परिशिष्ट

ऋण निधियां - प्रतिभूत

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
(ए). बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)		
बॉण्ड - ओ श्रृंखला *2 (100,000,000/- रूपए प्रत्येक के 7.7% 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (सबसे पहले विमोचन 31.3.09) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 57 करोड़ रूपए)	570.00	570.00
कुल बॉण्ड (ए)	**570.00**	**570.00**
(बी) सावधि ऋण		
केनरा बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 17 करोड़ रूपए) (31.01.09 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	85.00	85.00
इंडियन ओवरसीज बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 12.50 करोड़ रूपए) (06.12.08 से 4 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	50.00	50.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 4 करोड़ रूपए) (09.07.07 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	36.00	40.00
बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रूपए) (24.12.06 से 10 वर्षों की 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	85.00	95.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रूपए) (01.05.04 से 5 करोड़ रूपए की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	60.00	70.00
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 14.28 करोड़ रूपए) (13.02.07 से 14 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	78.57	92.86
पंजाब एण्ड सिंध बैंक *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रूपए) (24.10.06 से 10 वर्षों की 40 त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	85.00	95.00
पंजाब नैशनल बैंक *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 15 करोड़ रूपए) (26.10.04 से 10 वर्षों की 20 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	97.50	112.50
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.14 करोड़ रूपए) (30.01.07 से 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	39.29	46.43
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.14 करोड़ रूपए) (07.01.07 से 7 वर्षों की 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	39.29	46.43
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 21.43 करोड़ रूपए) (18.09.06 से 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	107.14	128.57
केनरा बैंक *4 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रूपए) (28.06.09 से 4 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	50.00	50.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रूपए) (15.04.09 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	2500.00	2062.00
केनरा बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रूपए) (09.11.07 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	180.00	200.00
सिंडिकेट बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.30 करोड़ रूपए) (23.02.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	164.70	183.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रूपए) (31.03.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	180.00	200.00

अनुसूची - 3 का परिशिष्ट

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2	100.00	100.00
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु शून्य रूपए) (27.12.11 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
भारतीय जीवन बीमा निगम *6	1496.00	296.00
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रूपए) (30.04.12 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
इंडियन बैंक *1	100.00	100.00
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रूपए) (28.02.12 से 3 समान किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8	50.00	-
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रूपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *9	120.00	-
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 60,000,000/- रूपए) (15.10.08 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *9	70.00	-
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रूपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *10	190.00	-
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रूपए) (15.04.10 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *11	260.00	-
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रूपए) (15.07.09 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *11	210.00	-
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रूपए) (15.04.09 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
कुल प्रतिभूत ऋण (बी)	**6433.49**	**4052.79**
कुल (ए+बी)	**7003.49**	**4622.79**

अनुसूची - 3 का परिशिष्ट

टिप्पणी -

*1. कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन /बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।

*2. कारपोरेशन के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन /बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।

*3. कारपोरेशन के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन-II के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन /बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।

*4. कंपनी के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*6. कंपनी के अरूणाचल प्रदेश राज्य में स्थित सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की अचल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लो डैम-III जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता-5 जल विद्युत परियोजनाओं की अचल /चल परिसंपत्तियों को समान बंधक/रेहन रखकर संरक्षित।

*7. कंपनी की उत्तरांचल राज्य में अवस्थित धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम प्रभार द्वारा संरक्षित। प्रभार को 9.5.2008 को आरओसी के समक्ष दायर किया गया है।

*9. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों

को रेहन रखकर प्रथम प्रभार द्वारा संरक्षित। प्रभार को 2.5.2008 को आरओसी के समक्ष दायर किया गया है।

*10. जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित क्रमश: उड़ी- I विद्युत स्टेशन तथा चमेरा-II विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की अचल/चल परिसंपत्तियों को बंधक/रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित। प्रतिभूत का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार को अभी आरओसी के समक्ष दायर किया जाना है।

*11. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा- I विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की अचल/चल परिसंपत्तियों को बंधक/रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित। प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार को अभी आरओसी के समक्ष दायर किया जाना है।

अनुसूची - 4 ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
सावधि ऋण		
बैंकों / वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा		
(ए) भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	2737.41	2710.04
(बी) अन्य	215.43	199.12
कुल (परिशिष्ट देखें)	**2952.84**	**2909.16**

अनुसूची 4 का परिशिष्ट

ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा				
(ए) भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत				
i) **नौरडिक इंवेस्टमेंट बैंक** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20.21 करोड़ रुपए)	60.62		88.20	
ii) **क्रेडिट कमर्शियल डीई फ्रांस** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 107.30 करोड़ रुपए)	268.25		346.38	
iii) **एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 54.74 करोड़ रुपए)	402.42		439.60	
iv) **जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन ट्रांच-1** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 9.77 करोड़ रुपए)	175.89		171.61	
v) **जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन ट्रांच-2** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 32.06 करोड़ रुपए)	641.14		607.43	
vi) **जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन ट्रांच-3** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	472.48		422.95	
vii) **डॉश बैंक तथा अन्य** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	716.61	2,737.41	633.87	2,710.04
बी) अन्य				
ईसीबी - बारक्ले तथा एससीबी (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)		215.43		199.12
कुल		**2,952.84**		**2,909.16**

अनुसूची - 5 अचल परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

		सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2007	वर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2008	01.04.2007	वर्ष हेतु	समायोजन	31.03.2008	31.03.2008	31.03.2007
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	186.83	6.02	0.02	192.83	-	-	-	-	192.83	186.83
ii)	भूमि-पटटेवाली	44.97	24.17	3.18	65.96	2.94	0.56	(0.90)	2.60	63.36	42.03
iii)	भूमि-अवर्गीकृत/उपयोग का अधिकार	512.77	172.35	9.67	675.45	9.45	0.92	-	10.37	665.08	503.32
iv)	भवन	1,295.76	344.22	24.31	1,615.67	300.97	44.19	(21.21)	323.95	1,291.72	994.79
v)	सड़कें तथा पुल	305.22	49.34	7.89	346.67	42.73	7.17	(5.85)	44.05	302.62	262.49
vi)	रेलवे साइडिंग	13.33	11.27	0.35	24.25	0.48	0.51	(0.35)	0.64	23.61	12.85
vii)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाईड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	7,000.79	4,938.21	1.72	11,937.28	1,387.35	234.31	0.16	1,621.82	10,315.46	5,613.44
viii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,118.29	2,179.77	4.28	5,293.78	886.87	162.57	(0.90)	1,048.54	4,245.24	2,231.42
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	83.65	2.76	4.39	82.02	33.52	2.68	(4.36)	31.84	50.18	50.13
x)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	42.58	25.97	13.04	55.51	16.42	2.25	(11.85)	6.82	48.69	26.16
xi)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	22.17	1.27	1.70	21.74	7.73	1.12	(1.35)	7.50	14.24	14.44
xii)	निर्माण उपकरण	73.38	2.73	7.05	69.06	40.13	6.84	(5.96)	41.01	28.05	33.25
xiii)	जल आपूर्ति प्रणाली/निकास तथा सीवरेज	22.17	2.23	0.55	23.85	1.94	0.46	(0.50)	1.90	21.95	20.23
xiv)	विद्युत संस्थापनाएं	3.09	0.14	0.01	3.22	0.45	0.19	-	0.64	2.58	2.64
xv)	वाहन	31.99	0.69	5.74	26.94	25.24	1.80	(5.50)	21.54	5.40	6.75
xvi)	विमान/नौका	1.11	-	0.24	0.87	0.81	0.06	(0.23)	0.64	0.23	0.30
xvii)	फर्नीचर तथा फिक्सचर	32.57	4.00	2.32	34.25	10.98	2.59	(1.84)	11.73	22.52	21.59
xviii)	कम्प्यूटर	35.86	6.60	2.94	39.52	26.73	4.54	(2.06)	29.21	10.31	9.13
xix)	संचार उपकरण	22.74	2.79	3.44	22.09	11.81	1.57	(1.77)	11.61	10.48	10.93
xx)	कार्यालय उपकरण	31.08	3.22	1.94	32.36	9.23	2.36	(1.37)	10.22	22.14	21.85
xxi)	अनुसंधान एवं विकास	0.16	-	-	0.16	0.03	0.01	-	0.04	0.12	0.13
xxii)	अमूर्त परिसंपत्तियां (सॉफ्टवेयर)	7.31	1.68	1.51	7.48	5.87	1.27	(0.58)	6.56	0.92	1.44
xxiii)	अन्य परिसंपत्तियां	37.13	4.75	3.11	38.77	13.29	2.06	(2.32)	13.03	25.74	23.84
xxiv)	एनएचपीसी का स्वामित्व न होने वाली परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय	1.75	11.33	0.09	12.99	0.35	0.35	-	0.70	12.29	1.40
xxv)	कम मूल्य 750 रु. से अधिक तथा 5000 रुपए से कम वाली अचल परिसंपत्तियां	15.61	2.03	1.93	15.71	15.60	1.97	(1.87)	15.70	0.01	0.01
xxvi)	अप्रचलित/अधिशेष परिसंपत्तियां	1.33	0.53	0.78	1.08	-	-	-	-	1.08	1.33
	कुल	**12,943.64**	**7,798.07**	**102.20**	**20,639.51**	**2,850.92**	**482.35**	**(70.61)**	**3,262.66**	**17,376.85**	**10,092.72**
	गत वर्ष	12,755.52	349.39	161.27	12,943.64	2,527.83	328.57	(5.48)	2,850.92	10,092.72	10,227.69

अनुसूची 6 चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपये में)

		01.04.2007	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2008
i	भवन	947.29	210.57	(425.07)	338.74	394.05
ii	सड़कें तथा पुल	68.78	37.67	9.30	49.22	66.53
iii	रेलवे साइडिंग	4.50	-	0.01	-	4.51
iv	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाईड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	4,216.65	1,050.47	1,988.46	4,932.39	2,323.19
v	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	1,832.20	500.02	826.59	2,168.38	990.43
vi	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	0.81	1.71	(0.18)	2.32	0.02
vii	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	22.96	2.64	0.18	23.76	2.02
viii	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	1.18	2.17	(0.06)	1.55	1.74
ix	निर्माण उपकरण	-	0.01	-	0.01	-
x	जल आपूर्ती प्रणाली / निकास तथा सीवरेज	1.72	1.69	(0.30)	1.63	1.48
xi	अमूर्त परिसंपत्तियां	-	1.24	-	-	1.24
xii	एनएचपीसी के स्वामित्व में न होने वाली परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय	11.94	15.10	(0.06)	11.23	15.75
xiii	सर्वेक्षण, जाँच, परामर्शी तथा पर्यवेक्षण प्रभार	121.24	9.68	(14.51)	-	116.41
xiv	प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	0.44	-	(0.45)	-	(0.01)
xv	निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय	4,170.21	824.03*	(2,592.96)	-	2,401.28
	कुल	**11,399.92**	**2,657.00**	**(209.05)**	**7,529.23**	**6,318.64**
	विगत वर्ष	8844.19	2737.32	(25.91)	155.68	11399.92

*** देखें अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय**

अनुसूची 7 निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
ए. निर्माण भंडार				
(लागत पर मूल्यांकित तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	72.21		79.68	
ii) खुले औजार	0.03		0.07	
iii) रद्दी मालसूची	0.07		0.05	
iv) परिवहन में/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	58.95		0.86	
v) संविदाकारों/फैब्रीकेटर्स को जारी सामग्री	61.20		79.19	
घटाएं - निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान	3.29	189.17	16.20	143.65
बी. पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
i) प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	75.82		78.00	
ii) अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)				
- बैंक गारंटी के प्रति	711.34		564.31	
- अन्य	101.01		70.47	
iii) अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	2.28		2.28	
घटाएं - संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान	2.28	888.17	2.28	712.78
कुल		**1077.34**		**856.43**
निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16.20		13.28	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		2.98	
वर्ष के दौरान समायोजन	(12.91)		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-		0.06	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-		-	
अंतिम शेष		**3.29**		**16.20**
संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2.28		0.02	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		2.26	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-		-	
अंतिम शेष		**2.28**		**2.28**

अनुसूची 8 - निवेश

(करोड़ रुपये में)

	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों/ की संख्या वर्तमान वर्ष/ (गत वर्ष)	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपए में)	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
दीर्घावधि (व्यापार - जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों)				
ए. उद्धृत				
इक्विटी शेयर $				
पीटीसी इंडिया लि.	12000000 (12000000)	10	12.00	12.00
इंडियन ओवरसीज बैंक (गैर-व्यापार)	360800 (360800)	10	0.36	0.36
उप-जोड़ (ए)			**12.36**	**12.36**
बी. अनुद्धृत				
ए) अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर				
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	10024200 (10024200)	1,000	1,002.42	1,002.42

अनुसूची 8 - निवेश

(करोड़ रुपये में)

	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों/ की संख्या वर्तमान वर्ष/ (गत वर्ष)	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपए में)	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
बी) बॉण्ड $				
निम्नलिखित राज्य सरकार के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड				
अरूणाचल प्रदेश	7776 (8748)	1,000	0.78	0.87
बिहार	152560 (171630)	1,000	15.26	17.16
हरियाणा	4520000 (5085000)	1,000	452.00	508.50
हिमाचल प्रदेश	142944 (160812)	1,000	14.29	16.08
जम्मू एवं कश्मीर	6165568 (6936264)	1,000	616.56	693.63
झारखंड	114480 (128790)	1,000	11.45	12.88
मेघालय	4256 (4788)	1,000	0.43	0.48
मिजोरम	25680 (28890)	1,000	2.57	2.89
नागालैंड	55360 (62280)	1,000	5.53	6.23
पंजाब	1782480 (2005290)	1,000	178.25	200.53
राजस्थान	284910 (512838)	1,000	28.49	51.28
सिक्किम	18688 (21024)	1,000	1.87	2.10
त्रिपुरा	21344 (24012)	1,000	2.13	2.40
उत्तर प्रदेश	6295120 (7082010)	1,000	629.51	708.20
उत्तराखंड	699440 (786870)	1,000	69.94	78.69
पश्चिम बंगाल	53776 (60498)	1,000	5.38	6.05
उप जोड़ (बी)			**3,036.86**	**3,310.39**
जोड (ए+बी)			**3,049.22**	**3,322.75**

$ डीमैट रूप में

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
उद्धृत निवेश		
(i) संचयी लागत	12.36	12.36
(ii) संचयी बाजार मूल्य		
- एनएसई उद्धृत	121.03	75.17
- बीएसई उद्धृत	120.20	75.18
अनुद्धृत निवेश		
संचित लागत	3,036.86	3,310.39

अनुसूची-9 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च 2008			31 मार्च 2007	
क. निवेश पर प्रोद्‌भूत ब्याज			91.91			103.54
ख. माल सूचियां						
(प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)						
i) भंडार तथा कलपुर्जे		60.36			45.73	
ii) खुले औजार		0.64			0.55	
iii) कबाड़ माल सूची		1.11			0.91	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ		0.41			0.19	
v) निर्माण स्थल पर सामान		10.61			7.72	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान		2.75			3.03	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जो के लिए प्रवाधान *1		35.71			13.18	
जोड़			40.17			44.95
ग. चालू कार्य						
चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)		699.46			279.98	
घ.विविध देनदार (असंरक्षित)						
i) 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण						
- अच्छे माने गए		132.19			125.07	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए		77.13			75.94	
ii) अन्य ऋण						
- अच्छे माने गए		215.87			166.15	
[(नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से देय 0.05 करोड़ रूपये शामिल है (पिछले वर्ष 0.10 करोड़ रूपये)]		425.19			367.16	
घटाँए संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *2		77.13			75.94	
कुल			348.06			291.22
च. नकद एवं बैंक शेष						
i) हाथ में नकदी (0.09 करोड़ रूपये के चैक, ड्राफ्ट, हस्तगत मोहरे शामिल हैं, पिछले वर्ष 53.81 करोड़ रूपये)		0.48			54.24	
ii) बैंक शेष						
• अधिसूचित बैंकों के साथ						
- चालू खाते में		286.71			176.46	
- जमा खाते में		1553.90			236.00	
• अन्य बैंकों के साथ						
- चालू खाते में						
बैंक ऑफ भूटान, फुंटेशोहलिंग		0.18			0.07	
डॉश बैंक, टोकियो शाखा		-			0.13	
जोड़			1841.27			466.90
छ. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां						
i) प्रोद्‌भूत ब्याज						
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम		15.31			-	
- उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		32.97			43.75	
- जमा		13.36			3.55	
ii) अन्य		64.70			63.51	
iii) विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त दावे		104.71			61.50	
घटाएं - संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3		15.88			18.01	
कुल			215.17			154.30
ज. ऋण तथा अग्रिम						
क) ऋण						
i) कर्मचारी (प्रोद्‌भूत ब्याज सहित)						
- प्रतिभूत	103.23			97.51		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	23.82			28.02		
ii) उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार का ऋण						
- अच्छे माने गए अप्रतिभूत	215.58			253.62		
iii) अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम						
- अच्छे माने गए अप्रतिभूत	225.00			-		

अनुसूची-9 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च 2008			31 मार्च 2007	
ख) अग्रिम						
(नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में प्राप्य)						
i) अनुषंगी कंपनियां						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-			2.31		
ii) ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ता						
- प्रतिभूत	0.07			35.14		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए):						
> बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	20.84			16.85		
> अन्य	11.22			8.85		
- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	0.50			0.46		
iii) कर्मचारी						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	3.91			1.99		
iv) अन्य अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	0.43			0.63		
घटाएं - संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान ***4**	0.50	604.10		0.46	444.92	
v) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां		219.37			-	
ग) जमा						
अग्रिम आय कर	455.56			331.08		
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान ***5**	435.19	20.37		330.68	0.40	
जोड़			843.84			445.32
जोड़ (क से ज)			**4079.88**			**1786.21**

गैर-अधिसूचित बैंकों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्योरे

	2007-08	**2006-07**
बैंक ऑफ भूटान		
i) चालू खाता	0.30	0.19
ड्यूश बैंक, टोकियो शाखा		
i) चालू खाता	12.92	0.99

निदेशकों से दय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे

i) अवधि के अंत में देय राशि	0.02	0.02
ii) वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि	0.03	0.06

उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रूपये (पिछले वर्ष शून्य रूपये)

वर्ष के दौरान किसी भी समय अनुषंगी कंपनी पर अधिकतम शेष राशि का ब्यौरा

नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2.65	4.07

प्रावधानों के ब्यौरे

अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जो हेतु प्रावधान *1				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	13.18		9.67	
वर्ष के दौरान वर्धन	10.20		8.70	
वर्ष के दौरान समायोजन	12.91		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.53		5.06	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.05		0.13	
अंतिम शेष		**35.71**		**13.18**
सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	75.94		77.07	
वर्ष के दौरान वर्धन	1.19		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		1.13	
अंतिम शेष		**77.13**		**75.94**
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	18.01		18.87	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.78		1.21	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.01		2.07	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2.90		-	
अंतिम शेष		**15.88**		**18.01**

अनुसूची-9 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च 2008		31 मार्च 2007	
संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.46		0.44	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.04		0.02	
वर्ष क दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		**0.50**		**0.46**
कराधान हेतु प्रावधान *5				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	330.68		197.59	
वर्ष के दौरान वर्धन	142.56		162.94	
वर्ष के दौरान समायोजन	21.26		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	59.03		29.85	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.28		-	
अंतिम शेष		**435.19**		**330.68**

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च, 2008			31 मार्च, 2007	
ए. देयताएं						
i) विविध देनदार						
क) लघु औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रूपये)		-			-	
ख)मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रूपये)		-			-	
ग) अन्य		631.06			459.91	
ii) जमा/धरिता राशि		84.43			50.43	
iii) जमा कार्यो के प्रति अग्रिम		77.85			81.67	
घटाएं : जमा कार्यो पर प्राप्य राशि		(23.31)			(0.05)	
iv) ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज		193.56			128.85	
v) परियोजना/संविदाओं की लागत के प्रति अग्रिम	669.29			273.47		
vi) अनुषंगियों को देय		0.20			-	
vii) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव देयताएं		67.86			-	
viii) अन्य देयताएं		161.72			77.40	
कुल देयताएं (ए)			**1862.66**			**1071.68**
ख.प्रावधान						
i) प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		206.00			159.00	
वर्ष के दौरान वर्धन		200.00			206.00	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		206.00			159.00	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-			-	
अंतिम शेष			200.00			206.00
ii) प्रस्तावित लाभांश पर कर						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		35.01			22.30	
वर्ष के दौरान वर्धन		33.99			35.01	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		35.01			22.30	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-			-	
अंतिम शेष			33.99			35.01
iii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		39.95			73.11	
वर्ष के दौरान वर्धन		148.92			39.95	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		0.87			45.19	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.04			27.92	
अंतिम शेष			187.96			39.95

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007	
iv)	**उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	29.65		28.59	
	वर्ष के दौरान वर्धन	33.66		29.33	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	25.17		16.42	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	4.48		11.85	
	अंतिम शेष		33.66		29.65
v)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	506.62		420.08	
	वर्ष के दौरान वर्धन	107.44		112.67	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	45.25		26.13	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		568.81		506.62
vi)	**प्रावधान - अन्य**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.72		0.28	
	वर्ष के दौरान वर्धन	33.53		3.51	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.13		0.07	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		36.12		3.72
vii)	**परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	8.87		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		8.87	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		8.87		8.87
viii)	**आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.73		1.77	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		0.04	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.63		-	
	अंतिम शेष		0.10		1.73
ix)	**हेजिंग कारोबार पर हानि हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	23.00		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		23.00		-
x)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		69.89	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		62.72	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		7.17	
	अंतिम शेष		-		-
xi)	**विद्युत के स्व-उपभोग हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	6.45		6.45	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6.45		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		-		6.45
xii)	**प्रतिबद्ध) पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	222.13		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	215.18		222.13	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	24.04		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.59		-	
	अंतिम शेष		411.68		222.13
	कुल प्रावधान (बी)		**1504.19**		**1060.13**
	कुल (ए+बी)		**3366.85**		**2131.81**

अनुसूची-11 विविध व्यय
(बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
i) शेयर जारी करने का व्यय (आईपीओ)		0.34		1.25
ii) समायोजन प्रतीक्षित व्यय		-		24.55
iii) बट्टेखाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतिक्षा वाली हानियां	2.90		2.60	
घटाएं : जाँच लंबित हानियों हेतु प्रावधान	2.90	-	2.60	-
कुल		**0.34**		**25.80**

अनुसूची - 12 बिक्री

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
विद्युत की बिक्री	2340.23	1963.10
घटाए : विद्युत के उत्पादन से आय – प्रारंभ किए जाने से पूर्व **(अनुसूची 22 (i) को अंतरित)**	39.23	0.34
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**2301.00**	**1962.76**

अनुसूची - 12 ए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
वर्ष के दौरान विलंबित	72.16	223.45
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेख में डाला गया	14.89	7.64
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**57.27**	**215.81**

अनुसूची - 13 संविदाएं तथा परामर्शी आय

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
संविदा आय	324.53	125.46
परामर्शी आय	2.10	3.35
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**326.63**	**128.81**

अनुसूची - 14 अन्य आय

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
i) **दीर्घावधि निवेश से आय**		
a) **व्यापार**		
- अनुषंगियों से लाभांश	34.75	10.82
- लाभांश – अन्य	1.20	1.20
- ब्याज		
सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% करमुक्त बॉण्ड)	189.28	212.53

अनुसूची - 14 अन्य आय

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
b) **गैर-व्यापार**		
- लाभांश - अन्य	0.11	0.09
ii) **अन्य आय**		
a) ब्याज		
- उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	19.94	21.56
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	15.31	-
- भारतीय बैंक (सकल) (स्रोत पर कटौती किया गया कर 18,86,647/- रूपये, पिछले वर्ष 4,519/- रूपये)	63.27	29.83
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	6.28	6.36
- लाभोक्ता राज्यों से ब्याज	0.25	1.46
- अन्य	48.66	36.73
ख) विलंब भुगतान अधिभार	0.90	7.92
ग) परियोजना के अंतरण पर लाभ	52.00	-
घ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.03	0.68
ड) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नही हैं #	12.23	42.64
च) विनियम दर अंतर	3.80	43.43
छ) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव समायोजन (ऋण)	189.53	-
ज) अन्य	19.71	22.36
कुल	**660.25**	**437.61**
घटाएं आईईडीसी को अंतरित **(देखें अनुसूची 22 ई (ii), 22 (ii) से (vi) तथा 22 जे (i))**	72.11	130.77
घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित आय **(देखें अनुसूची - 20)**	3.00	2.27
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**585.14**	**304.57**
# पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/प्रावधानों के ब्यौरे		
क) खराब तथा संदिग्ध	-	1.13
ख) खराब तथा संदिग्ध दावे	2.90	-
ग) भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.05	0.13
घ) आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान	1.63	-
ड) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	0.04	27.92
च) उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	4.48	11.85
छ) अन्य प्रावधान/देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	3.13	1.61
कुल	**12.23**	**42.64**

अनुसूची - 15 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
i) भंडार तथा कलपुर्जो का उपभोग		6.15		6.56
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण:				
- भवन	21.29		13.63	
- मशीनरी	29.51		31.36	
- अन्य	37.88	88.68	33.29	78.28
iii) किराया/किराया प्रभार		23.33		20.88
iv) दरें तथा कर		2.63		1.01
v) बीमा		2.43		2.84
vi) स्व-बीमा आरक्षित		83.74		57.34

अनुसूची - 15 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
vii)	सुरक्षा व्यय	62.98	46.08
viii)	विद्युत प्रभार	21.75	21.17
ix)	यात्रा एवं वाहन	16.64	15.14
x)	स्टाफ कार पर व्यय	9.02	11.17
xi)	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	8.26	7.06
xii)	विज्ञापन तथा प्रचार	7.14	7.20
xiii)	मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय	0.43	0.46
xiv)	दान	0.07	0.03
xv)	मुद्रण तथा स्टेशनरी	5.75	4.71
xvi)	पुस्तकें तथा आवधिक पत्रिकाएं	0.43	0.51
xvii)	परामर्शी प्रभार - देशीय	2.84	3.65
xviii)	परामर्शी प्रभार - विदेशी	0.23	0.46
xix)	प्रतिपूरक वनीकरण/कैचमेंट क्षेत्र उपचार पर व्यय	20.96	47.39
xx)	निगम के स्वामित्व में न आने वाली भूमि पर व्यय	41.20	19.31
xxi)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	1.59	0.67
xxii)	बट्टेखाते में डाले खराब ऋण/अग्रिम/दावे	-	0.01
xxiii)	बट्टेखाते में डाले गए भंडार	0.34	0.33
xxiv)	बट्टेखाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियां	0.60	0.06
xxv)	मध्यस्था/अदालती मामलों पर ब्याज	0.66	3.09
xxvi)	अन्य सामान्य व्यय	35.36	20.40
xxvii)	विनिमय दर अतंर	15.79	18.32
xxviii)	विदेशी मुद्रा उतार-चढाव समायोजन (डेबिट)	17.37	-
xxix)	लेखा-परीक्षा व्यय	0.74	0.59
xxx)	अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.02	0.02
	कुल	**477.13**	**394.74**
	घटाएं : आईईडीसी को अंतरित व्यय देखें अनुसूची 22बी, 22सी, 22ई (i) और 22जे (ii)}	185.20	206.62
	घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	6.37	5.56
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**285.56**	**182.56**

अनुसूची - 16 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	597.27	458.43
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	82.82	65.55
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	75.34	89.17
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	0.05	0.10
	कुल	**755.48**	**613.25**
	घटाएं : आईईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची-22ए तथा 22जे (3))	414.33	359.88
	घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 20)	24.37	16.18
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**316.78**	**237.19**

अनुसूची – 17 मूल्यह्रास

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	482.35	328.58
घटाएं : आईईडीसी को अंतरित (देखें अनुसूची – 22जी तथा 22जे (4))	38.06	37.74
घटाएं : संविदा तथा परामर्शी को अंतरित (देखें अनुसूची 20)	0.55	0.29
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**443.74**	**290.55**

अनुसूची – 18 ब्याज तथा वित्त प्रभार

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
i) निम्नलिखित पर ब्याज :				
क) बॉण्ड	43.89		75.41	
ख) विदेशी ऋण	99.38		112.80	
ग) सावधि ऋण	429.42		270.13	
घ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	0.06		0.04	
क) ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	183.35	756.10	-	458.38
ii) हेजिंग लेन-देन पर हानि		23.00		-
iii) बॉण्ड निर्गत/सेवा व्यय		1.03		1.25
iv) बट्टेखाते में डाले गए शेयर निर्गत व्यय		1.11		-
v) उपभोक्ताओं को छूट		27.75		24.16
vi) प्रतिबद्धता शुल्क		0.27		0.47
vii) ऋण पर गारंटी शुल्क		32.52		34.66
viii) लाभोक्ता राज्यों को ब्याज		0.16		2.25
ix) बैंक प्रभार		1.11		0.89
x) अन्य वित्त प्रभार		4.70		4.67
कुल		**847.75**		**526.73**
घटाएं : आईईडीसी को अंतरण द्वारा पूंजीकृत ब्याज तथा वित्त प्रभार (देखें अनुसूची 22डी तथा 22जे (5))		234.65		293.42
घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची – 20)		1.56		1.56
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**611.54**		**231.75**

अनुसूची – 19 प्रावधान

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च 2007
i) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	1.19	-
ii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0.04	2.28
iii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	0.78	1.21
iv) भंडार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	10.03	8.40
v) कैट योजना/पर्यावरण व्यय हेतु प्रावधान	46.73	184.94
vi) प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	-	8.87
vii) बट्टेखाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान	0.17	0.30
viii) अन्य	0.01	3.26
कुल	**58.95**	**209.26**
घटाएं : आईईडीसी को अंतरित व्यय – (देखें अनुसूची 22एफ तथा 22जे (6))	46.74	185.52
घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची – 20)	0.78	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**11.43**	**23.74**

अनुसूची - 20 संविदा एवं परामर्शी व्यय

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च 2007
i) प्रत्यक्ष व्यय		391.61		166.45
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	17.38		10.97	
- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना को अंशदान	1.96		1.22	
- स्टाफ कल्याण व्यय	1.76	21.10	1.57	13.76
iii) मरम्मत तथा अनुरक्षण				
- भवन	0.23		0.15	
- मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	0.07		0.03	
- अन्य	0.45	0.75	0.79	0.97
iv) प्रशासन तथा अन्य व्यय				
- किराया/किराया प्रभार	1.61		1.21	
- यात्रा एवं वाहन	1.08		0.73	
- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.40		0.32	
- बीमा	0.02		0.02	
- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0.36		0.23	
- विज्ञापन एवं प्रचार	0.13		0.09	
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.17		0.19	
- अन्य व्यय	0.88		0.89	
- दरें तथा कर	-		0.01	
- सुरक्षा	0.25		0.21	
- विद्युत	0.12		0.08	
- परामर्शी प्रभार	0.02	5.04	0.01	3.99
v) मूल्यह्रास		0.43		0.20
vi) ब्याज तथा वित्त प्रभार		1.56		1.56
vii) प्रावधान		0.78		-
viii) प्रगति पर कार्य				
- निर्माण संविदा		(103.41)		(61.46)
ix) निगमित/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय				
क) अन्य आय	(0.07)		(0.12)	
ख) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	0.58		0.60	
ग) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	3.27		2.42	
घ) मूल्यह्रास	0.12	3.90	0.09	2.99
कुल व्यय		**321.76**		**128.46**
x) घटाएं : प्राप्तियां तथा वसूली		2.93		2.15
वर्ष के दौरान निवल व्यय		**318.83**		**126.31**
xi) पूर्वावधि समायोजन		0.27		0.12
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**319.10**		**126.43**

अनुसूची - 21 पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
आय				
i) अन्य	6.31		(3.48)	
उप जोड़		6.31		(3.48)
व्यय				
i) वेतन तथा मजदूरी	0.57		0.19	
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	(9.56)		0.35	
iii) ब्याज	-		0.74	
iv) अन्य	51.04		9.42	
v) मूल्यह्रास	1.62		2.69	
उप जोड़		43.67		13.39
जोड़		**37.36**		**16.87**
घटाएं : आईईडीसी को अंतरित व्यय- (देखें अनुसूची 22एच तथा 22जे (7))				
पूर्वावधि व्यय	16.46		9.26	
घटाएं - पूर्वावधि आय	0.07		0.05	
जोड़		**16.39**		**9.21**
घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		0.27		0.12
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**20.70**		**7.54**

अनुसूची - 22 वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	222.37		185.23	
ii) उपदान और भविष्य निधि को अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	31.14		26.31	
iii) स्टाफ कल्याण व्यय	26.20		37.66	
iv) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-		0.10	
उप जोड़		279.71		249.30
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण				
i) भवन	5.67		4.23	
ii) मशीनरी	3.83		4.89	
iii) अन्य	7.55		10.76	
उप जोड़		17.05		19.88
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय				
i) किराया/किराया प्रभार	15.42		13.31	
ii) दरें तथा कर	0.27		0.34	
iii) बीमा	0.47		0.68	
iv) सुरक्षा प्रभार	19.00		22.96	
v) विद्युत प्रभार	6.02		10.75	
vi) यात्रा एवं वाहन	5.58		7.04	
vii) स्टाफ कार पर व्यय	3.89		6.79	
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.90		2.54	
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	1.83		2.15	
x) मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय	0.17		0.15	
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी	1.35		1.67	
xii) लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	0.01		0.01	
xiii) डिजाइन तथा परामर्शी प्रभार				
- देशीय	0.55		1.10	
- विदेशी	0.23		0.18	
xiv) प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	20.96		46.69	
xv) निगम का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय	40.96		18.72	
xvi) बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	0.80		0.27	
xvii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.07		-	
xviii) अन्य सामान्य व्यय	10.35		4.86	
उप जोड़		130.83		140.21

अनुसूची - 22 वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
घ. ब्याज तथा वित्त प्रभार				
i) निम्नलिखित पर ब्याज				
क) बॉण्ड	0.41		24.64	
ख) विदेशी ऋण	10.42		53.09	
ग) सावधि ऋण	185.79		197.01	
घ) ब्याज लागत को समायोजन माने गए विनिमय अंतर	25.20		-	
ii) निर्गत बॉण्ड/सेवा व्यय	0.59		0.91	
iii) प्रतिबद्धता शुल्क	0.05		0.12	
iv) ऋण पर गारंटी शुल्क	7.09		12.70	
v) अन्य वित्त प्रभार	5.01		4.89	
उप जोड़		234.56		293.36
ङ. विनिमय दर अंतर (निवल)				
i) विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)	0.72		16.71	
घटाएं :				
ii) विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)	3.80		40.10	
उप जोड़		(3.08)		(23.39)
च. प्रावधान	46.73		185.46	
उप जोड़		46.73		185.46
छ. मूल्यह्रास	31.35		30.87	
उप जोड़		31.35		30.87
ज. पूर्वावधि व्यय (निवल)				
i) पूर्वावधि व्यय	15.73		8.97	
ii) घटाएं : पूर्वावधि आय	0.07		0.05	
उप जोड़		15.66		8.92
झ. घटाएं : प्राप्तियां तथा वसूली				
i) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व		39.23		0.34
ii) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	47.58		38.66	
iii) विविध प्राप्तियां	9.33		14.46	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.13		0.06	
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान	3.43		29.65	
vi) संयंत्र तथा मशीनरी, पर किराया प्रभार/आउट टर्न	2.86	63.33	0.28	83.11
उप जोड़		102.56		83.45
ञ. निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय				
i) अन्य आय	(4.98)		(7.56)	
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	36.60		29.82	
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	134.62		110.58	
iv) मूल्यह्रास	6.71		6.87	
v) ब्याज तथा वित्त प्रभार	0.09		0.06	
vi) प्रावधान	0.01		0.06	
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)	0.73		0.29	
उप जोड़		173.78		140.12
कुल (क से ज) आई+जे) (अनुसूची-6 को अंतरित)		**824.03**		**961.28**

अनुसूची - 23 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां-

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोदभवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं।

2. अचल परिसंपत्ति

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है लेकिन संपत्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षो) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि पर सृजित ऐसी परिसंपत्ति जो कारपोरेशन की नहीं हैं, अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई है।

2.3 जहाँ न तो भूमि और परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित किया जाना होता है जो परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 35 वर्ष माना जाता है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत अधिप्राप्त की जाने वाली/बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में नही गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कुलपुर्जे

3.1 (ए) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जो को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जो की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है।

3.1 (बी) कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे इस्तेमाल में लाए, जाते हैं। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और उपयोग किए गए कलपुर्जो के मूल्य को उसी वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है।

3.1 (सी) जब संबंधित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तो ऐसे कलपुर्जों की लागत शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली में से, जो भी उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को भंडार एवं कलपुर्जे माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची ओर खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। निर्माणधीन परियोजनाओं के संबंध में निर्माण के दौरान प्रयुक्त अचल परिसंपत्तियों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित प्रासंगिक तथा आरोप्य व्ययों (प्रासंगिक आय का निवल) को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के रूप में किया जाता है जिसे परियोजना के चालू होने पर भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिससंपत्तियों पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता हैं अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 मूल्यह्रास को टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90: की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के मामले में जहाँ सीईआरसी द्वारा विनियमों के द्वारा दर को अधिसूचित नहीं किया गया है, वहाँ मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के समानरूपी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया करवाया जाता है, सिवाय कम्प्यूटर तथा पेरीफेरलों के, जहाँ कंपनी द्वारा आंकलित दरों (30% की दर से) को अपनाया जाता है।

5.2 कोई वस्तु जिस वर्ष उपलब्ध कराई जाती है मूल्यह्रास उसी वर्ष यथानुपात आंका जाता है।

5.3 5000/- रूपये या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रूपये से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रूपये या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रूपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रूपये तक है उनका पूजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर खर्च को अमूर्त परिसंपत्ति माना जाता है और तीन वर्ष से अधिक में इसका ऋण शोधन किया जाता है।

5.6 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अतिशेष का भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना मूल्यह्रास की दर के आधार पर की जाती है।

5.7 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 (क) अधिशेष निर्माण उपकरणों के हिस्से पुर्जे और कबाड़ को छोड़कर भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन भारित औसत लागत के अनुसार किया जाता है।

(ख) कबाड़ की लागत का आंकलन उससे प्राप्त होने वाली निवल लागत के आधार पर किया जाता है।

(ग) अधिशेष निर्माण उपकरणों के कलपुर्जे की लागत का आंकलन मूल्य के निम्न स्तर पर और प्राप्त होने वाले निवल मूल्य पर किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों के प्रति क्षति को लेखे में मुहैया करवाया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनकी लागत 5000/- रूपए अथवा उससे कम है उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बटटेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी किए गए भंडार किंतु स्थल पर अनुप्रयुक्त पड़े हुए को वर्ष के अंत में इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में करोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में आईईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों पर लेखांकन मानक-15 (2005) में यथापरिभाषित सेवानिवृत्ति पश्च लाभ हेतु प्रावधान को वर्ष अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 सेवानिवृत्ति पर अवकाश यात्रा रियायत, अवकाश नकदीकरण और अनुमय सामान भत्ते हेतु प्रावधान बहियों में वर्ष अंत में किए गए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए पैरामीटर तथा पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के आंकलन पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि वे बड़े न हों, तो संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) ऋणों की चुकौती को सुकर बनाने के लिए प्रारंभिक वर्ष में टैरिफ के एक घटक के रूप में दिए गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है और उसे आने वाले वर्षों की बिक्री में शामिल की जाने वाली विलंबित आय के रूप में माना जाता है।

10.2 (क) निर्माण संविदाओं से राजस्व को निम्नानुसार पूर्णता के प्रतिशत पद्धति पर माना जाता है-

अनुमानित संविदा लागत के रूप में कार्य की प्रगति	राजस्व की प्राप्ति
(क) 66.67% तक	व्यय की गई लागत की सीमा तक जिसकी प्राप्ति संभाव्य है
(ख) 66.67 % से अधिक	पूर्णता के चरण को संदर्भ द्वारा

संविदाओं में प्रत्याशित हानियों सहित हानियों को तत्काल पहचाना जाता है। आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान उन मामलों में और उस सीमा तक किया जाता है जहां ऐसे किसी दावे को कवर करना आवश्यक समझा जाए जो दोषपूर्ण देयता अवधि के दौरान उत्पन्न होते हों।

10.2 (ख) अन्य परियोजना प्रबंधन/परामर्शी संविदाओं/लागत जमा संविदा के संबंध में राजस्व को समझौते की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर लिया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 उपभोक्ताओं से आय/अधिभारक प्राप्ति पर अथवा एकत्रीकरण की तर्कसंगत निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. निगम मुख्यालय के व्ययों का आवंटन

निगम मुख्यालय के खर्चों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है -

(क) विद्युत गृहों पर करों और शुल्कों को छोड़कर वर्ष में उनकी ऊर्जा की बिक्री के एक प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को मिले और उसके द्वारा कराए जाने वाले निर्माण संबंधी अनुबंधित कार्यों के लिए वर्ष के दौरान हुए परियोजना खर्च के 5% दर से। इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मामले शामिल नहीं हैं जिनमें उपलब्ध कराई गई सेवाओं के आधार पर खर्च का अलग से आवंटन किया जाता है।

(ग) बकाया खर्च का आवंटन निर्माण परियोजनाओं में वर्ष के दौरान हुए निवल पूंजी खर्च के अनुपात में किया जाता है।

12. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तारीख को विद्युत गृहों के ग्रास ब्लाक का 0.5 प्रतिशत वार्षिक "स्व-बीमा आरक्षित निधि" में वार्षिक आधार पर अंतरित कर दिया जाता है। इसे लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है और विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।

13. विविध

13.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत निर्माण कार्य संबंधी देयताओं को निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति तक हिसाब में नहीं लिया जाता।

13.2 विद्युत गृहों से बनाई जा रही परियोजनाओं को दी जाने वाली विद्युत के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

13.3 50,000/- रूपये और इससे कम के पहले से भुगतान शुदा खर्चों और अवधि पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

13.4 बीमा दावों को वसूली की संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

14. ऋण लागत

निर्माण/आधुनिकीकरण और मरम्मत के दौरान आने वाली स्थिर परिसंपत्तियों की ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

15. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। आयकर को प्रमुख क्रियाकलाप अर्थात विद्युत के उत्पादन से संबंधित सीमा तक लाभग्राहियों को अंतरित किया जाता है।

विलंबित कर की पहचन वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनिगमित अथवा प्रभावी कर दरों तथा कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहॉं इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य की पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

अनुसूची - 24 लेखे पर टिप्पणियां

1. क) निम्नलिखित के अनुसार आकस्मिक देयताएं: -

(करोड़ रूपये में)

विवरण	01.04.2007 को प्रारंभिक शेष	31.03.2008 को अंतिम शेष
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है। - पूंजीगत कार्य - भूमि मुआवजा मामले - अन्य	 1819.78 125.55	 3193.93 84.48
विवादित आयकर मांग	-	-
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	-	-
विवादित बिक्री कर मांग	2055.53	2045.53
अन्य	280.56	340.02
कुल	**4281.42**	**5663.96**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) उन दावों की राशि जहाँ मध्यस्था/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके हैं परन्तु कंपनी में परीक्षण के अधीन हैं, वे आकस्मिक देयता बने हुए हैं और उनके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं।

घ) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं हैं।

च) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति 0.03 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.03 करोड़ रूपये) की प्रतिपूर्ति की संभावना है।

2. पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि 8454.03 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 8588.66 करोड़ रूपये) है।

3. कोयलकारो परियोजना को परित्यक्त करने के विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अनुपालन में 24.55 करोड़ रूपये के व्यय, जोकि परियोजना की इक्विटी पूंजी के समान हैं, को भारत सरकार द्वारा वहन किया गया है। तद्नुसार, शेयरधारकों ने 28.7.2006 को हुई वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव के द्वारा इक्विटी पूंजी में कटौती को अनुमोदित कर दिया है। इक्विटी में कमी हेतु प्रविष्टि को वर्तमान वर्ष में किया गया है क्योंकि शेयर पूंजी में कटौती की पुष्टि कंपनी कार्य मंत्रालय के 9.4.2007 के आदेश सं. 40/4/2006-सीएल-3 के माध्यम से प्राप्त हुई है और इसे कंपनियों के पंजीयक द्वारा 20.4.2007 को पंजीकृत किया गया है।

4. क) 2080.40 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2103 हेक्टेर) के क्षेत्रफल को कवर करने वाली कुछ परियोजनाओं/इकाइयों की भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/स्वामित्व, जिसकी राशि 52.10 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 59.51 करोड़ रूपये) होती है, को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। तत्संबंधी पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क आदि पर व्यय को किए जाने पर लेखांकित किया जाएगा।

ख) जम्मू एवं कश्मीर में कुछ यूनिटों के पटटा अभिलेख का निष्पादन लंबित होने के चलते उनकी पट्टे की अवधि का 99 वर्ष लिया गया है, सिवाय कुछ मामलों के जहाँ इस 30 अथवा 40 वर्ष लिया गया है, जैसा भी मामला हो, और भूमि की लागत को तदनुसार परिशोधित किया गया है। प्रारंभिक भुगतान/पटटा किराया, जहाँ-कहीं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं हैं, उसे निर्धारण के वर्ष में लेखांकित किया जाएगा।

ग) भूमि में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से 99 वर्ष की अवधि हेतु 1 रूपया प्रति वर्ष के नामितिक किराए पर ली गई भूमि शामिल नहीं है।

घ) सलाल विद्युत स्टेशन के संबंध में 722 कनाल और 18 मरल्ला की भूमि तथा उस पर बनाया गया ढांचा यद्यपि जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कब्जे में है, यह संबंधित स्थिर परिसंपत्ति शीर्ष में दर्शाया जा रहा है।

5. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने पर अनुमोदित मात्राओं से अधिक कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, उन्हे चालू पूंजीगत कार्य अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

6. क) एफईआरवी (1.07 करोड़ रूपये) और आयकर ((-) 16 करोड़ रूपये) के प्रति वर्ष अंत समायोजन के कारण बिलिंग को अभी किया जाना है।

ख) दुलहस्ती तथा तीस्ता-5 (यूनिट संख्या 2) विद्युत स्टेशन के संबंध में बिक्री को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम टैरिफ के आधार पर लेखांकित किया गया है।

7. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि वसूली योग्य पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम विविध कर्जदार संविदाकर्ताओं के अग्रिम विविध ऋणदाताओं और सविंदाकर्ताओं को जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं।

ख) बिक्री के लिए देनदारी के अंतर्गत 120.81 करोड़ रूपये (निवल) की राशि शामिल है, जो मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्व डेसू) से वसूल की जानी है, जो वित्त वर्ष 1996-97 से पहले की अवधि से संबंधित है। प्रबंधन की राय में इस बारे में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी वसूली का मामला विद्युत मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा हैं।

ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

घ) चूंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को इन्सेंटिव के भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, (इसलिए अन्य चालू परिसंपत्तियों) (अनुसूची-9) और (अन्य देयताओं) (अनुसूची-10) के अंतर्गत 32.97 करोड़ रूपये का दर्शाया जाना जारी है।

च) वसूली योग्य दावों में जम्मू कश्मीर पीडीसी की ओर बकाया 16.65 करोड़ रूपये शामिल हैं, जो बगलिहार परियोजना से संबद्ध है। यह परियोजना भारत सरकार के आदेशों के अनुसार उन्हें सौंप दी गई थी। सावलकोट परियोजना के बारे में परियोजना के अंतिम रूप से सौंपे जाने के लंबित रहते 10.33 करोड़ रूपये का कुल पूंजी खर्च निगम की परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में जारी है, लेकिन इस परियोजना के संदर्भ में जे एण्ड के पीडीसी से प्राप्त 5.36 करोड़ रूपये की तद्र्थ अग्रिम राशि को (चालू देयताओं) के रूप में दर्शाया गया है, जिसे अंतिम हिसाब-किताब के समय समायोजित किया जाएगा।

8. क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा सियांग, सुबानिसिरी और दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजनाएं निगम को हस्तांतरित की गई। इन परियोजनाओं को अंतिम रूप से सौंपे जाने की प्रक्रिया और दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना तथा तवांग बेसिन परियोजनाओं को छोड़कर अरूणाचल प्रदेश राज्य में सभी योजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और अंतिम हिसाब-किताब का मामला ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लंबित रहते इन परियोजनाओं के संदर्भ में परिसंपत्तियों को निगम द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक दर्ज किया गया है।

ख) दिवांग बहुउद्देशीय परियोजना तथा तवांग बेसिन परियोजनाओं हेतु समझौता ज्ञापन के कारण अरूणाचल प्रदेश सरकार को क्रमश: 150 करोड़ रूपये तथा 75 करोड रूपये की राशि अग्रिम के रूप में अदा की गई है। यह अग्रिम 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राज्य को दी जाने वाली नि:शुल्क विद्युत के मूल्य के प्रति समायोजित किया जाएगा जिसके लिए अरूणाचल प्रदेश राज्य में पहले प्रारम्भ होने वाली एनएचपीसी की किसी भी परियोजना से विद्युत लेने के लिए राज्य सरकार पात्र होगी।

ग) भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में निगम ने जे एण्ड केपीडीसी से उड़ी-II, किशनगंगा, पकलदुल, सेवा-II, बरसर, निम्मो-बाजगो, चुटक परियोजनाएं, अधिगृहीत कर ली हैं, जिनके लिए जे एण्ड के पीडीसी ने 84.89 करोड़ रूपये की मांग रखी है। परियोजनाओं को अधिगृहीत करने के बाद हुए व्यय के अतिरिक्त कारपोरेशन ने सेवा-II परियोजना के अंतर्गत हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों की जाच और जे. एण्ड केपीडीसी के खातों के समाधान के आधार पर 33.66 करोड़ रूपये का कुल व्यय दर्ज किया है, जबकि उक्त परियोजना के लिए 41.45 करोड़ रूपये का दावा किया गया था। 33.66 करोड़ रूपये में से 26 करोड़ रूपये चुकौती कर दी गई है। जे एण्ड केपीडीसी द्वारा मांगे गए शेष व्यय को उनके द्वारा प्रस्तुत मदों और लेखों के अंतिम समाधान पर दर्ज किया जाएगा।

घ) 1 नवम्बर, 2003 को एनएचपीसी और उत्तराखंड सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुपालन में लखवार व्यासी परियोजना एनएचपीसी को सौंपी गई थी। उत्तराखंड सरकार के साथ क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर लंबित होने के चलते इस परियोजना के एनएचपीसी को सौंपे जाने से पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा खर्च की गई 246.86 करोड़ रूपये की राशि लेखा बहियों में शामिल नहीं की गई है।

9. क) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश सं. आईएसएसस 966 और 1012 के कारण सुबनासिरी अपर और सुबानसिरी मिडल परियोजनाओं का काम लंबित है। इन आदेशों में सुबानसिरी नदी के ऊपर भाग (अपस्ट्रीम) में बांध के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। किंतु इसके बाद अरूणाचल प्रदेश सरकार ने परियोजना के निर्माण के लिए आईए सं. 1362-63 दाखिल की। जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 21.07.2006 को सुनवाई की गई और यह मामला राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति को सौप दिया गया। इस बारे में समिति की सिफारिश तथा निर्णय के लंबित रहते उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमश: 38.01 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 35.73 करोड़ रूपये) और 33.89 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 32.79 करोड़ रूपये) का पूंजी खर्च चालू पूंजी कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर लंबित होने के कारण सियांग अपर परियोजना के संबंध में 36. 27 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 29.94 करोड़ रूपये) का खर्च (चालू पूंजी कार्य) के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह परियोजना सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एनएचपीसी को सौंपी गई थी।

ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार भारत के आदेश के अनुपालन में निगम ने टिप्पणी संख्या 08 (ए) में उल्लिखित सियोम तथा सियांग लोअर परियोजना, जिन्हें मूलत: ब्रह्मपुत्र बोर्ड से लिया गया था, को निजी डेवलपरों को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। दोनों परियोजनाओं की डीपीआर दिसम्बर, 2007 में सौंपी गई थी। सियोम परियोजना की अन्य स्थिर परिसंपत्तियों तथा

सीडब्लयूआईपी को 17.04.2008 को अंतरण के ज्ञापन के माध्यम से मैसर्स सियोम हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर लिमिटेड को सौंप दिया गया है, सिवाय कुछ परिसंपत्तियों के जिन्हें एनएचपीसी द्वारा स्वयं रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, परियोजना की बिक्री से बहियों में 52 करोड़ रूपये के लाभ को लिए गया है। तथापि, मैसर्स जयप्रकाश लिमिटेड को संयांग लोअर परियोजना को सौंपो जाने का अभी पूर्ण किया जाना है और अभी तक 41.90 करोड़ रूपये का व्यय स्थिर परिसंपत्ति तथा सीडब्ल्यूआईपी की अनुसूची के अंतर्गत दर्शाया जा रहा और मैसर्स जयप्रकाश लिमिटेड से प्राप्त 78.78 करोड़ रूपये की राशि वर्तमान देयताओं की अनुसूची के अंतर्गत दर्शाई जा रही है।

घ) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार लोकतक डाउनस्ट्रीम परियोजना के निष्पादन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के बारे में एनएचपीसी और मणिपुर सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर लंबित रहने के कारण 29.80 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 29. 44 करोड़ रूपये) का व्यय चालू पूंजी कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

10). विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 8.1.2007 के आदेश सं. 16/47/2001अ.शा. (एनएचपीसी) के माध्यम से प्रदत्त शेयर पूंजी के 10% हेतु इनीशियल पब्लिक ऑफर हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 8.3.2007 के समसंख्यक आदेश द्वारा भारत सरकार ने निगम को अपने 5% अंश को ऑफलोड करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। पात्र इश्यू व्यय एनएचपीसी तथा भारत सरकार के मध्य बांट जाएगे क्योंकि वह बेचने वाला शेयरधारक हैं। एनएचपीसी से संबंधित व्यय को इश्यू की प्रीमियम प्राप्तियों में से समायोजित किया जाएगा।

11). कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित हैं। वेतन समझौते के बारे में भारत सरकार द्वारा गठित समिति का निर्णय लंबित होने के कारण तर्कसंगत अनुमान आधार पर वर्तमान वर्ष की बहियों में 148.92 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, अन्य संगठन से एनएचपीसी में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में 01.01.2006 से संशोधित वेतन बकाया के प्रति 28.32 करोड़ रूपये की राशि मुहैया कराई गई है।

12). अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को निगम की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5 (अनुसूची-23) के अनुसार प्रभारित किया जाता है। विद्युत मंत्रालय ने एक ऐसी टैरिफ नीति अधिसूचित की है जो यह प्रावधान करती हैं कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दर टैरिफ तथा लेखांकन के प्रयोजन हेतु भी लागू होगी। टैरिफ नीति के अनुरूप सीईआरसी द्वारा मानदण्डों का निरूपण लंबित होने के कारण वर्तमान टैरिफ मानदंडों के अंतर्गत अधिूसचित दरों को वर्ष हेतु मूल्यहास प्रभारित करने के लिए उचित समझा जाता है।

13). भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की हानि को व्युत्पन्न प्रभार पर मुहैया करवाने की घोषणा के अनुपालन में बाजार मूल्यांकन के मार्क के आधार पर हेंजिग कारोबार पर बहियों में 23 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसे 2003-04 में 534.70 करोड़ जापानी येन के विदेशी मुद्रा ऋण को लेने के लिए किया गया था।

14). क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है। (करोड़ रूपये में)

		वर्ष 2007-08 के लिए	वर्ष 2006-07 के लिए
(i)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	15.07	(1.72)
(ii)	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(3.08)	(23.39)
(iii)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(1.00)	28.43
(iv)	अचल परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में जोड़ द्वारा समायोजित राशि	6.94	(44.41)

ख) एफईआरवी को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन मानक-11, जिसे लेखांकन मानक-16 पर एएसआई 10 के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार लेखांकित किया जाता है परन्तु यह लाभग्राही राज्यों से बिक्री के माध्यम से नकद आधार पर प्राप्य है। दोनों अवधारणाओं को समान स्तर पर लाने के लिए विलंबित वर्तमान परिसंपत्तियों/विलंबित वर्तमान देयताओं की लेखांकन प्रक्रिया को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति के मतानुसार 1.4.2004 से पूर्वदर्शी प्रभाव से इस प्रकार प्रारम्भ किया गया है कि लाभ पर कोई प्रभाव न हो। परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष के समायोजन के अतिरिक्त इस कारण से पूर्वावधि हेतु समायोजन (निवल) 20.65 करोड़ रूपये (डेबिट) होता हैं।

ग) वर्ष के दौरान निर्माण के दौरान प्रसांगिक व्यय (आईईडीसी) को अंतरण के द्वारा पूंजीकृत ऋण लागत की राशि 228.96 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 287.56 करोड़ रूपये) हैं।

15. क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारम्भ/संशोधित किया गया है: -

नीति सं.	विवरण	वर्ष के लाभ पर प्रभाव
नीति सं. 4.3	सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय पर लेखांकन नीति को प्रारम्भ किया जाना	यह व्यवहार नीति में परिवर्तित किया गया है और अभी तक कोई प्रभाव नहीं
नीति सं. 5.1	कम्प्यूटरों के संबध में मूल्यह्रास नीति में 30 प्रतिशत शब्द को जोड़ा जाना	यह व्यवहार नीति में परिवर्तित कियाा गया है अभी तक कोई प्रभाव नहीं
नीति सं. 8	विदेशी मुद्रा कारोबार पर लेखांकन नीति में संशोधन	लेखांकन नीति प्रारम्भ किए जाने के मद्देनज़र लाभ पर कोई प्रभाव नहीं, इसे टिप्पणी संख्या 14 (बी) में संदर्भित किया गया है।
नीति सं. 10.2 (बी)	लागत जमा लेखे से राजस्व की प्राप्ति के संबंध में लेखांकन नीति के शब्दों में बदलाव	7.53 करोड़ रूपये

16. 31.03.2008 तक की वर्तमान अवधि के लिए कर्मचारी लाभों हेतु बीमांकित मूल्यांकन का उपयोग कर प्रावधान किया गया है। तद्नुसार 31.03.2008 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखा मानक 15 'कर्मचारी लाभ' के तहत किए गए प्रावधान का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

तालिका 1 निम्नलिखित तिथि को बीमांकित मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकित प्राप्ति -

विवरण	31.03.2008	31.03.2007
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी(1994-96) यथासंशोधित	एलआईसी(1994-96) यथासंशोधित
छूट दर	8%	7.5%
भविष्य की वेतनवृद्धि	5.5%	5%

तालिका-2 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान
वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ	225.38	140.56	111.39	16.45	3.19	9.65
ब्याज लागत	18.03	11.25	8.91	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	12.82	10.02	4.77	19.40	0.39	3.85
अदा किया गया लाभ	(10.60)	(19.04)	(1.17)	(12.08)	(0.07)	(2.29)
बीमांकित (लाभ)/हानि	(4.67)	19.17	3.49	-	-	-
वर्ष के अंत में पीवीओ	240.96	161.96	127.39	23.77	3.51	11.21

तालिका-3 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान
वर्ष के अंत में पीवीओ	240.96	161.96	127.39	23.77	3.51	11.21
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	-	-	-	-	-	-
वित्त-पोषण की स्थिति	(240.96)	(161.96)	(127.39)	(23.77)	(3.51)	(11.21)
न माने गए बीमांकित लाभ / हानि	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	240.96	161.96	127.39	23.77	3.51	11.21

तालिका-4 लाभ एवं हानि लेखा/आईईडीसी लेखे में ली गई राशि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान
वर्तमान सेवा लागत	12.82	10.02	4.77	19.40	0.39	3.85
ब्याज लागत	18.03	11.25	8.91	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	-	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु दिया गया निवल बीमांकित (लाभ)/हानि	(4.67)	19.17	3.49	-	-	-
वर्ष हेतु लाभ एवं हानि/ आईईडीसी में लिया गया व्यय	26.18	40.44	17.17	19.40	0.39	3.85

17. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य हैं। अन्य कार्य अर्थात संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।
(ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

18. इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक - 18 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार हैं -

क) पूर्णकालिक निदेशक

श्री एस.के.गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एस.के.चतुर्वेदी	निदेशक (कार्मिक)
श्री एस.पी.सेन	निदेशक (तकनीकी) - 8.5.2008 से सेवामुक्त
श्री एस.के.डोडेजा	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त) - 11.2.2008 से नियुक्त

ख) संबंध

संयुक्त उद्यम कंपनी	शून्य

ग) सामान्य व्यापार के दौरान संबंधित पक्षों से किए गए कारोबार

(1)	उक्त मद (क) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित ब्यौरे	शून्य
(2)	उक्त मद (ख) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित ब्यौरे	लागू नहीं

19. कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रैजिट कैम्पस) के लिए परिचालन पटटों (आपरेटिंग लीज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं जो ऐसी नहीं है, उन्हें रद्द न किया जा सके, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 10.41 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 11.43 करोड़ रुपए) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत किराया/किराया प्रभार के रूप में दर्शाया गया हैं।

20. प्रति शेयर अर्जन –

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गण्ना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं –

	वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए)	1004.09	924.80
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
– आधारभूत	11174850574	10502319459
- कम की गई	11183030042	10822615290
प्रति शेयर अर्जन - आधारभूत	0.90	0.88
- कम की गई	0.90	0.85
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए)	10	10

21. भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा (जारी आय पर करों हेतु लेखांकन) पर लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में, वर्तमान वर्ष के दौरान 248.13 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 167.55 करोड़ रूपये) की विलंबित कर देयता का प्रावधान किया गया है। संचित विलंबित कर देयता के मद-वार ब्यौरे निम्नानुसार है –

(करोड़ रूपये में)

	01.04.2007	31.03.2008
विलंबित कर देयता		
i) मूल्यह्रास	2147.11	2433.76
घटाएं - विंलबित कर परिसंपत्तियां		
ii) संचित समाहित न किया गया मूल्यह्रास	-	-
iii) मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम जिसे कर गणना में आय माना जाना है	131.23	131.23
iv) संदेहास्पद ऋणों, स्व-बीमा, आकस्मिकताओं तथा अन्य प्रावधानों हेतु प्रावधान	179.84	208.63
v) कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	67.11	76.84
विलंबित कर देयता (निवल)	**1768.93**	**2017.06**

22. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2008 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

23. (क) निदेशकों को अदा किया गया/अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक (करोड़ रुपये में)

		वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
(i)	वेतन तथा भत्ते	0.40	0.28
(ii)	भविष्य निधि में अशंदान	0.03	0.03
(iii)	आवासीय परिसर हेतु किराया	0.09	0.08
(iv)	अन्य लाभ	0.02	0.03
(v)	सिटिंग शुल्क	-	-

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को भी निम्नानुसार भुगतान किए जाने पर एक वित्त वर्ष में 12000 किलोमीटर तक अधिकारिक यात्राओं तथा निजी यात्राओं हेतु कंपनी के कार के उपयोग की अनुमति दी गई थी –

	नॉन ए.सी. कार	ए.सी. कार
16 एचपी तक	325 रुपए प्रति माह	520 रुपए प्रति माह
16 एचपी से अधिक	490 रुपए प्रति माह	780 रुपए प्रति माह

24. सांविधिक लेखा-परीक्षकों को पारिश्रमिक (करोड़ रुपये में)

	वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.33	0.22
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.06	0.04
लेखा परीक्षा व्यय	0.25	0.24
अन्य मामले	0.03	0.02
लागत लेखा परीक्षक		
– लेखा परीक्षा शुल्क	0.06	0.05
– लेखा परीक्षा व्यय	0.01	0.02

25. उत्पादित तथा बिक्री की गई ऊर्जा के संबंध में मात्रात्मक ब्यौरे –

		वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
(i)	लाइसेंस क्षमता (एमडब्ल्यू)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	स्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)*	3274.20	2714.20
(iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)**	14662.69	13048.76
(iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)***	12779.62	11282.62

* दुलहस्ती विद्युत स्टेशन की सभी तीन यूनिटों का वाणिज्यिक उत्पादन 07.04.2007 से और तीस्ता-V विद्युत स्टेशन की यूनिट-2 का वाणिज्यिक उत्पादन 1.3.2008 से प्रारम्भ हुआ (170 मे.वा.)। तीस्ता-V विद्युत स्टेशन की यूनिट संख्या 1 तथा 3 जिन्होंने अप्रैल, 2008 में वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ किया है (340 मे.वा.) को उक्त (2) में नहीं लिया गया है।

** अपुष्ट विद्युत शामिल हैं तथा सहायक उपभोग एवं ट्रांसफोरमेशन हानि शामिल नहीं है।

*** अपुष्ट विद्युत तथा गृह राज्यों को निःशुल्क विद्युत छोड़कर।

26. (करोड़ रुपये में)

		वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
(क)*	i) सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य		
	ii) पूंजीगत वस्तुएं	0.07	83.77
	iii) कलपुर्जे	1.76	1.18
(ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) तकनीकी जानकारी	2.28	2.36
	ii) ब्याज	97.62	112.38
	iii) अन्य विविध मामले	164.48	162.36
(ग)*	i) प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य		
	ii) आयातित	4.23 (68.78%)	3.52 (40.70%)
	iii) देशीय	1.92 (31.22%)	5.13 (59.30%)
(घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	-	-

* प्रोदभवन आधार
** नकद आधार

27. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रूपये में)

सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
वर्तमान वर्ष हेतु सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को प्रोदभूत ब्याज और शेष चुकाई न गई राशि	शून्य
सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
पिछले लेखांकन वर्ष से अग्रेणीत ब्याज की राशि के साथ ऐसे ब्याज पर वर्तमान वर्ष के लिए ब्याज	शून्य

28. नकदी तथा नकदी-तुल्य में साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए बैंकों के पास रखी गई सीमांत राशि के प्रति 15.57 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल हैं जो 31.3.2008 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

29. जहाँ कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को पुनः समूह। पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

विजय कुमार	**ए.बी.एल.श्रीवास्तव**	**एस.के.गर्ग**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2008

तुलन पत्र सार और कंपनी के सामान्य व्यापार की प्रोफाइल

I पंजीकरण ब्यौरे

पंजीकरण संख्या: 3 2 5 6 4

राज्य कोड: 0 5

तुलन-पत्र तिथि: 31 03 2008

II अर्ध-वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी **(करोड़ रुपए में)**

पब्लिक इश्यू: शून्य

राइट इश्यू: शून्य

बाँड इश्यू: शून्य

निजी स्थापन*: (-) 24.55

* शेयर पूंजी कटौती (तुलन-पत्र की अनुसूची 24 की टिप्पणी संख्या 3 देखें)

III निधियों को जुटाने तथा उनकी नियोजन की स्थिति **(करोड़ रूपये में)**

कुल देयताएं: 31902.27

कुल परिसंपत्तियां: 31902.27

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी: 11182.49

आरक्षित तथा अधिशेष: 6093.34

प्रतिभूत ऋण: 7003.49

अप्रतिभूत ऋण: 2952.84

निधियों का उपयोग

निवल अचल परिसंपत्तियां: 24772.83 @

निवेश: 3049.22

निवल वर्तमान परिसंपत्तियां: 713.03

विविध व्यय: 0.34

संचित हानि: शून्य

@ 6318.64 करोड़ रूपये के चालू पूंजीगत कार्य और 1077.34 करोड़ रूपये के निर्माण भंडार एवं अग्रिम शामिल हैं।

IV **कंपनी का कार्य-निष्पादन (करोड़ रूपये में)**

टर्नओवर

2	5	7	0	.	3	6

**

कुल व्यय

2	0	0	8	.	8	5

कर पूर्व लाभ

1	1	4	6	.	6	5

कर पश्चात लाभ

1	0	0	4	.	0	9

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन

0	0	-	9	0

लाभांश राशि (करोड़ रूपये में)

3	0	0	.	0	0

** 585.14 करोड़ रूपये की अन्य आय शामिल नहीं है।

V **कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के जेनरिक नाम**

i) उत्पाद विवरण

वि	द्यु	त		का		उ	त्	पा	द	न

मद कोड संख्या

	-	

ii) उत्पाद विवरण

नि	र्मा	ण		सं	वि	दा	एं

मद कोड संख्या

	-	

iii) उत्पाद विवरण

प	रा	म	र्शी		से	वा	एं

मद कोड संख्या

	-	

हमारी समसंख्यक तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

ए.बी.एल.श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2008

एनएचपीसी लिमिटेड
(पूर्व नाम नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड)

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
ए. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		1146.65		1087.74
जोड़ें -				
पूर्वावधि सहित मूल्यह्रास	444.37		292.01	
टैरिफ समायोजन/मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	57.27		208.64	
छूट के अतिरिक्त ब्याज	585.35		209.13	
स्व-बीमा	73.19		55.47	
अन्य प्रावधान/समायोजन	4.64		9.84	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि / (लाभ)	(53.38)		0.05	
विनिमय दर अंतर/उतार-चढ़ाव समायोजन लेखा	(136.44)		(1.71)	
लाभांश आय	(36.06)	938.94	(12.12)	761.31
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		2085.59		1849.05
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(5.76)		(1.66)	
चालू संविदा कार्य में (वृद्धि)/कमी	(419.49)		(186.81)	
प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(267.27)		(247.75)	
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	1095.15	402.63	673.93	237.71
कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		2488.22		2086.76
घटाएं - अदा किया गया कर		162.37		212.08
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ए)		**2325.85**		**1874.68**
बी. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों का क्रिय/बिक्री और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)		(2686.36)		(2544.67)
परियोजना के अंतरण पर बिक्री प्राप्तियां		105.96		-
निवेश में कमी /(वृद्धि)		273.54		256.44
प्राप्त लाभांश		36.06		12.12
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (बी)		**(2270.80)**		**(2276.11)**
सी. वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां		-		630.95
अदा किया गया लाभांश तथा लाभांश कर		(358.00)		(263.40)
ऋण से प्राप्तियां		2577.48		1442.80
ऋणों का पुनर्भुगतान		(351.22)		(1037.04)
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार		(548.94)		(447.18)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (सी)		**1319.32**		**326.13**
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि)/(कमी) (ए+बी+सी)		**1374.37**		**(75.30)**
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य		466.90		542.20
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य		1841.27		466.90

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकदी तथा तकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी और बैंक शेष, जिसमें चैक/हस्तगत ड्राफ्ट शामिल हैं, आते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें 15.57 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है जिसे साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए सीपांत राशि के प्रति बैंकों में रखा गया है जो 31.03.2008 के उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।
2. ऋणों के निपटान हेतु निगम को आवंटित बॉण्ड और उन पर अर्जित ब्याज जोकि प्रमुख उत्पादन क्रियाकलाप से संबंधित है, को प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी का भाग माना गया है।
3. अचल परिसंपत्तियों और चालू निर्माण कार्य में निवेश में पूंजीकृत 234.64 करोड़ रुपए के ब्याज तथा वित्तीय प्रभार शामिल नहीं हैं।
4. 31.03.2008 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 8215.43 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6781.70 करोड़ रुपए) है।
5. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहब) पुनः व्यवस्थित/री-कास्ट किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 83899	**विजय गुप्ता** कम्पनी सचिव	**ए.बी.एल.श्रीवास्तव** निदेशक (वित्त)	**एस.के.गर्ग** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2008

अनुबंध–VI

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किया जाना कंपनी के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखांकन तथा सुनिश्चितता मानकों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा अपनी दिनांक 30 मई, 2008 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा ऐसा किए जाने को सूचित किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेजों पर पहुँच के बिना की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की जांच और कुछ लेखांकन अभिलेखों के एक चयनित परीक्षण पर आधारित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं आया है जिससे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(गजाला मीनई)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2008

अनुषंगी कंपनी से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुपालन के विवरण

1. कंपनी का नाम एवं पता	नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश)।
2. अनुषंगी कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन	31 मार्च, 2008
3. एनएचपीसी और इसके नामितों द्वारा उपरोक्त तारीख को धारित अनुषंगी कंपनी की हिस्सेदारी	
(क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	1000/– रूपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1,00,24,200 इक्वटी शेयर
(ख) धारण की सीमा जारी किए गए	1,9625,800 शेयरों में से 1,00,24,200 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।
4. अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में नहीं दर्शाया गया है।	
(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष	क) तुलन–पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 213.93 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 109.10 करोड़ रुपए। ख) 50.43 करोड़ रुपए का लाभांश जो 98.88 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।
(ii)अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्त वर्षों के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है।	तुलन–पत्र में अग्रेनीत लाभ के रूप में 492.41 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 251.13 करोड़ रुपए
5. अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/ (हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में दर्शाया गया हो।	
(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतझ	शून्य
(ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है'	50.27 करोड़ रुपए का लाभांश जो 98.57 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।
6. अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बीच अनुषंगी कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन	शून्य
7. वर्तमान देय्ताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए अनुषंगी कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋण देने और लेने के लिए अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वास्तविक परिवर्तन	शून्य

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता कम्पनी सचिव	**ए.बी.एल.श्रीवास्तव** निदेशक (वित्त)	**एस.के.गर्ग** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण,

नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखा परीक्षित लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखे पर टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

लाख रुपए में

विवरण	2007-08	2006-07*
बिक्री	68110	74854
मूल्यह्रास, ब्याज (वित्त प्रभार सहित) तथा कर पूर्व लाभ	66279	71201
मूल्यह्रास	10194	6617
मूल्यह्रास के पश्चात तथा ब्याज व कर पूर्व लाभ	56085	64584
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	18425	12977
मूल्यह्रास तथा ब्याज के पश्चात किन्तु कर पूर्व लाभ	37660	51607
कर	4699	6176
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पश्चात लाभ	32961	45431
पहले के वर्षो के लाभ तथा हानि लेखे का अधिशेष	45255	11783
वापस लिया गया अधिक प्रावधान – लाभांश	3986	-
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	82202	57214

*पुनः समूहबद्ध किए अनुसार

विनियोजन :

प्रस्तावित लाभांश	9888	10222
आयकर हेतु प्रावधान (लाभंश पर)	1680	1737
आरक्षित तथा अधिशेष को ले जाया गया शेष लाभ	70634	45255

वर्ष के दौरान आपके निगम का कारोबार 2006-07 की अवधि से संबंधित 205.58 करोड़ रुपए की बकाया बिक्री को अलग रखते हुए, 542.96 करोड़ रुपए से बढ़कर 681.10 करोड़ रुपए हो गया है जोकि मुख्यत: चरणों में ओमकारेश्वर विद्युत स्टेशन की सभी 8 इकाइयों के प्रारम्भ हो जाने के कारण है। तदनुसार, पिछले वर्ष के 248.73 करोड़ रुपए (205.58 करोड़ रुपए के बकाया बिक्री लाभ के अतिरिक्त) से वृद्धि होकर निवल लाभ बढ़कर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 329.61 करोड़ रुपए हो गया है।

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी व एनएचडीसी श्री राघव जी, माननीय वित्तमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार को एनएचडीसी दिवस समारोह के अवसर पर स्मृति चिन्ह् प्रदान करते हुए

11 बैंकरों की एक संघ व्यवस्था के अंतर्गत ओएसपी हेतु लिया गया 1350 करोड़ रुपए का दीर्घावधि ऋण जून, 2008 को चुका दिया गया है क्योकि ब्याज दरों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण बैंकरों ने उनके पास उपलब्ध "कॉल विकल्प" को चुना था। आपके निगम ने अब पीएफसी से 1350 करोड़ रुपए का एक नया दीर्घावधि ऋण लिया है जिसके लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर 26 जून, 2008 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

1000 मेगावाट, इंदिरा सागर पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश)- बांध

2. बकाया देयों की वसूली :

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान 787.17 करोड़ रुपए का एक रिकार्ड राजस्व एकत्रीकरण दर्ज किया गया था और इसमें पूर्वावधि बकाया के प्रति 154.53 करोड़ रुपए शामिल थे। 448.25 करोड़ रुपए के बकाया देयों का निष्प्रभावी करने के लिए एनएचडीसी, एमपी ट्रेडको तथा एमपीएसईबी के मध्य 26 मार्च, 2008 को एक त्रिपक्षीय प्रतिभूतिकरण समझौते को निष्पादित किया गया था। तदनुसार, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ बकाया देयों को ईएमआई के माध्यम से अप्रैल, 2012 तक परिसमाप्त कर दिया जाएगा।

3. नई परियोजना को प्रारम्भ करना :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने 520 मेगावाट ओमकारेश्वर परियोजना को प्रारम्भ किया है।

4. विद्युत उत्पादन :

वर्ष के दौरान कुल उत्पादन 3431.87 एमयू था जोकि पिछले वर्ष से 31.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है जो मुख्यत: ओएसपी पर क्षमतावर्धन और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 98.6 प्रतिशत समय में मशीनों की उपलब्धता के कारण था। इन्दिरा सागर विद्युत स्टेशन में 2729 एमयू के अपने अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करके उत्पादन लक्ष्यों से अधिक का उत्पादन किया।

5. लाभांश :

कंपनी ने वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान 681.10 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। कंपनी की 329.61 करोड़ रुपए की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इक्विटी पर लाभ के 30 प्रतिशत लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है जोकि आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

520 मेगावाट की ओमकारेश्वर पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश) - बांध

6. क्रेडिट रेटिंग्स :

आपकी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी, क्रेडिट एनालिसेस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर) द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बकाया सावधिक ऋणों को दूसरी सबसे बड़ी ''केअर एए'' क्रेडिट रेटिंग्स की पुष्टि की गई जोकि ऋण बाध्यताओं को समय पर पूरा करने हेतु उच्च सुरक्षा तथा बहुत निम्न क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है।

इसी प्रकार आपकी कंपनी के बॉण्ड इशु को केअर द्वारा ''केअर एए'' (एसओ) (डबल ए) (ढांचागत बाध्यता) और फिच रेटिंग द्वारा एए (इंड) (डबल ए माइनस) (इंड) रेटिंग दी गई है। ऐसी रेटिंग स्थिर परिदृश्य को दर्शाती हैं।

7. कार्यों की प्रगति :

1) इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन (आईएसपीएस) :

आईएसपीएस के कारण जलमग्न होने के चलते पुनर्वासित किए जाने वाले कुल 44086 परियोजना प्रभावित परिवारों में से केवल 2188 परियोजना प्रभावित परिवार ही जून, 2008 तक शेष हैं। 34 पूर्णत विकसित पुनर्स्थापन स्थलों में प्रस्तावित 10,153 प्लाटों में

से 9629 प्लाट पहले ही विकसित किए जा चुके हैं जबकि 4397 प्लाटों को जून, 2008 तक परियोजना प्रभावित परिवारों को आवंटित किया गया है।

2) ओमकारेश्वर परियोजना (ओएसपीएस):

ओएसपी की पहली इकाई से 20 अगस्त, 2007 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ किया गया था और बाद में क्रम-वार शेष इकाइयों को वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत रखा गया था तथा अंतिम 8वीं इकाई से 15 नवम्बर, 2007 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी जबकि भारत सरकार का लक्षित कार्यक्रम फरवरी, 2008 का था। सभी इकाइयों को 65 मेगावाट की रेटिड क्षमता के बजाए 50 मेगावाट उत्पादन हेतु प्रारम्भ किया गया है जोकि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ओएसपी के जलाशय को ईएल 196.60 एमके एफआरएल के बजाए ईएल 189.0 एम तक ही भरे जाने की शर्त के कारण हैं।

520 मेगावाट की ओमकारेश्वर पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश) - पावर हाउस

कुल 30 गांव प्रभावित हो रहे हैं जिसमें से 3 गांवों में केवल सरकारी भूमि ही प्रभावित हो रही है। सभी 27 गांवों को धारा 4,6 जारी कर दी गई है और सभी 27 गांवों हेतु पंचाट दे दिया गया है। स्थानांतरित किए जाने वाले कुल 5960 परियोजना प्रभावित परिवारों में से 3227 परियोजना प्रभावित परिवारों का जून, 2008 तक पुनर्वास किया जा चुका है। 10 पूर्णतः विकसित पुनर्स्थापन स्थलों में प्रस्तावित 1905 प्लाटों में से 1716 प्लाटों को विकसित किया जा चुका है और जून, 2008 तक परियोजना प्रभावित परिवारों को 1599 प्लाट दिए जा चुके हैं।

8. विविधीकरण क्रियाकलाप :

एनएचडीसी का व्यापार विकास समूह निकट भविष्य में नए उद्यमों अर्थात पन/तापीय आदि में प्रवेश करने की संभावनाओं का पता लगा रहा हैं और इस दिशा में आगामी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

9. पर्यावरण एवं वन :

पर्यावरणीय चिंताओं हेतु निगमित उत्तरदायित्तवों को पूर्णतः स्वीकार करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सभी शर्तो का वास्तविक अर्थ में अनुपालन किया जा रहा है। 86030.000 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण कार्य को इंदिरा सागर परियोजना में और 11660.000 हेक्टेयर को ओमकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार वन तथा गैर-वन क्षेत्रों में कैचमेंट क्षेत्र उपचार कार्यो को इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत 62975.000 हेक्टेयर और ओमकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत् 25526.000 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्रफल में पूरा किया गया है।

10. सतर्कता संबंधी गतिविधियां :

एनएचडीसी सतर्कता विभाग सुचारू रूप से कार्य करते हुए सामान्य अनियमितताओं एवं त्रुटियों को रोकने हेतु समय-समय पर परियोजनाओं एवं निगम मुख्यालय के कार्यो एवं अभिलेखों का नियमित/आकस्मिक निरीक्षण आयोजित करता है। सतर्कता कार्य योजना के तहत कारपोरेट कार्यालय एवं परियोजनाओं की सतर्कता अधिकारियों की टीम द्वारा सीटीई टाईप निरीक्षण किए जा रहे हैं।

प्रतिरोधात्मक सतर्कता के भाग के रूप में एवं कर्मचारियों में जागरूकता लाने के प्रयोजन से निगम मुख्यालय एवं परियोजनाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान एनएचडीसी सतर्कता विभाग की पत्रिका ''जागृति'' का भी प्रकाशन किया गया था।

11. राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट :

एनएचडीसी निगम कार्यालय, भोपाल के राजभाषा विभाग ने राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किए है। निगम को राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

- एनएचडीसी को कोवलम, त्रिरूअनंतपुरम (केरल) में भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, नई दिल्ली से **''राजभाषा अलंकरण''** पुरस्कार।

● नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (निगम), भोपाल से एनएचडीसी को **''द्वितीय पुरस्कार''**।
● दुष्यन्त कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय से राजभाषा पत्रिका ''आरोहण'' को **''गणेश शंकर विद्यार्थी''** पुरस्कार।
● अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा संगठन, गाजियाबाद से राजभाषा क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राजभाषा प्रमुख को **''राष्ट्रभाषा गौरव''** पुरस्कार।
● उक्त उल्लिखित संगठन से वार्षिक राजभाषा पत्रिका ''आरोहण'' को **''द्वितीय पुरस्कार''**।

विशिष्ट कार्य :

वार्षिक राजभाषा पत्रिका ''आरोहण'' का प्रकाशन, विशिष्ट हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा **''काव्य संध्या''** का भव्य आयोजन।

12. मानव संसाधन विकास :

कर्मचारी निगम की मुख्य परिसंपत्ति है एवं तदनुसार संगठनात्मक लक्ष्यों, प्राथमिकताओं एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में निरंतर विकास के लिए वातावरण उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय प्रयास किए गए हैं। कर्मचारियों के निष्पादन स्तर को सुधारने हेतु मानव संसाधन पहलें की गई हैं। सभी स्तरों पर कर्मचारियों को बहु-कौशल तथा पुनर्नियोजन हेतु प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा रहा है। निगम की अनूठी कार्य शैली विश्वास एवं खुलेपन पर आधारित है। संगठन प्रत्येक कर्मचारी को एक उपलब्धिकर्ता मानता है जो अनूठे कार्य के लिए संकल्पित है।

विकास को सुगम बनाने एवं दृष्टिकोण को विस्तृत करने के लिए सावधि कार्य चक्रानुक्रम एवं आंतरिक स्थिति अनुसार स्थानांतरण किए गए हैं। मानव संसाधन लक्ष्यों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए संगठित दृष्टिकोण का अनुकरण किया जाता है। एक सीखने वाले संगठन के रूप में नए भर्ती होने वाले पदाधिकारियों को कंपनी की संस्कृति में समामेलित होने के लिए एक व्यवस्थित तथा औपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ लगाया जाता है। उच्चतर उत्तरदायित्व वाले पदों को संभालने के लिए कर्मचारियों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण क्रियाकलाप तैयार किए गए हैं। निगम ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से नेतृत्व क्षमता के विकास और सामरिक अभिमुखीकरण पर भी ध्यान देना जारी रखा है।

कार्मिकों हेतु अपनी उच्च चिंता को दर्शाते हुए आपके निगम ने कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु एक तंत्र विकसित किया है जोकि प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर पर पहुंचाता है। आपके निगम ने जीवन की श्रेष्ठ गुणवत्ता के साथ आधुनिक टाउनशिप विकसित की है जिसने कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए सभी सुविधाएं जैसे कि शैक्षणिक, चिकित्सा तथा मनोरंजन सुविधा मुहैया कराई गई हैं। कर्मचारियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थलों पर और अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है।

13. सामाजिक उत्तरदायित्व :

एनएचडीसी एक नैतिकता वाला निगमित नागरिक होने के चलते व्यापार तथा समाज के मध्य एक सही संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में आपके निगम ने एक व्यापक एनएचडीसी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व-सामुदायिक विकास नीति (सीएसआर) तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत आस-पास के क्षेत्रों/समुदायों तथा समाज के लाभ हेतु विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ/क्रियान्वित किया है।

तदनुसार, वर्ष 2007-08 के दौरान आपके निगम ने विभिन्न पर्यावरणीय। शैक्षणिक तथा समाज कल्याण क्रियाकलाप किए हैं जैसेकि वृक्षारोपण, अवंचित स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री का वितरण, परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित स्कूलों को फर्नीचर तथा फनिर्शिंग वस्तुओं का वितरण, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक एकत्रीकरण हेतु सामुदायिक केन्द्रों को निर्माण, नि:शुल्क चिकित्सा तथा नेत्र शिविरों का आयोजन, परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं मुहैया करवाना, शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों हेतु खेलने की किटों का वितरण शामिल है।

14. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता तथा जबावदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 अक्तूबर, 2005 से प्रभावी हुआ था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में निगम ने लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त किए हैं और सूचना पर व्यापक पहुंच मुहैया करवाने के लिए परियोजनाओं पर सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) भी नियुक्त किए गए हैं।

15. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध परिवेश शांतिपूर्ण बना रहा था। कंपनी मानव मूल्यों पर ध्यान देने के लिए सक्रिय कदम उठाती है तथा मुक्त द्वार नीति को अपनाती है। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण के कारण वर्ष के दौरान मानव दिवस की कोई क्षति नहीं हुई थी।

16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण :

निगम कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति हेतु समय-समय पर सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों के आरक्षण के संबंध में जारी किए गए निदेशों के अनुसार अनुदेशों का पालन करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर उचित ध्यान देने के लिए सम्पर्क अधिकारियों को नामित किया गया है।

17. ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी अंगीकरण और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई), जिसे कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के साथ पढ़ा जाता है, के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण, तकनोलॉजी अंगीकरण और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय के संबंध में जानकारी को इस रिपोर्ट के **अनुबंध-क** में दिया गया है।

18. लेखा परीक्षक :

वर्ष 2007-08 हेतु लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स ओ.पी.टोटला एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, इंदौर को ''सांविधिक लेखा परीक्षक'' के रूप में नियुक्त किया गया था।

19. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट :

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट संदर्भ अनुसूची 24 में निगम द्वारा विहित विभिन्न टिप्पणियों से है जोकि स्वत: स्पष्ट हैं। लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां तथा के उत्तर, यदि कोई हो, को **अनुबंध 'ख'** में दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के **अनुबंध ग** के रूप में संलग्न है।

20. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के विषय में कंपनी संशोधन अधिनियम, 2000 की धारा 217 (2एए) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार एतद द्वारा यह पुष्टि की जाती है:-

31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का भौतिक विपथन हेतु उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया है।

कंपनी ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है कि वे वित्तीय वर्ष अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं।

कंपनी ने परिसंपत्तियों की रक्षा एवं धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रख-रखाव के लिए उचित उपाय किए हैं।

31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ''अनवरत संबंध'' आधार पर लेखे तैयार किए गए हैं।

21. लेखा परीक्षा समिति :

लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अंतर्गत यथाअपेक्षा के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व समीक्षा की थी।

22. कर्मचारियों के ब्यौरे :

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना शून्य मानी जाए।

23. निदेशकों का विवरण :

बोर्ड के संरचना में श्री एस.के.गर्ग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा छ: अन्य निदेशक शामिल हैं। एनएचपीसी ने श्री के.एम. सिंह को दिनांक 11 जून, 2008 से श्री डी.पी. भार्गव के स्थान पर पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

भारत सरकार ने 11 सितम्बर, 2007 से एनएचडीसी के बोर्ड में श्री जयन्त कावले, संयुक्त सचिव (हाइडल), विद्युत मंत्रालय को नामित किया है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री ए.के.कुट्टी, संयुक्त सचिव (हाइडल), विद्युत मंत्रालय अब एनएचडीसी के निदेशक नहीं रहे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने श्री प्रदीप भार्गव, अपर मुख्य सचिव, एनवीडीडी तथा उपाध्यक्ष, एनवीडीए और श्री वी.के.भाटिया, सदस्य (इंजीनियरिंग), एनवीडीए को क्रमशः 11 दिसम्बर, 2007 और 10 दिसम्बर, 2007 से एनएचडीसी के बोर्ड में नामित किया है।

श्री उदय कुमार वर्मा, प्रधान सचिव, एनवीडीडी तथा उपाध्यक्ष, एनवीडीए और श्री आई.सी.जैन, सदस्य (विद्युत), एनवीडीए जो मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब एनएचडीसी के निदेशक नहीं रहे हैं।

बोर्ड कंपनी से निवृत्त होने वाले निदेशकों के योगदान तथा मार्गदर्शन हेतु अपना आभार व्यक्त करता है।

आभार :

विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्य के विभिन्न स्तर पर दिए गए सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल कृतज्ञापूर्वक आभार व्यक्त करता है। बोर्ड सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के कार्यालय, बैंकरों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है। इसके साथ ही बोर्ड एनएचडीसी के परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता है जिनके साहस, समर्पण व योगदान से निगम को संतोषजनक उपलब्धियां प्राप्त हो सकी हैं। बोर्ड को यह भी विश्वास है कि कर्मचारी आने वाले वर्षो में अधिकाधिक योगदान देते रहेंगे।

हस्ता/-

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 22.07.08

स्थान : दिल्ली

अनुबंध-क

ऊर्जा संरक्षण

क्रम सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
(क)	किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय	1. विद्युत गृह के मशीन हॉल को इस प्रकार बनाया गया है कि वह अधिकतम प्राकृतिक वातायन तथा रोशनी का उपयोग करें। 2. विद्युत गृह के मशीन हॉल तथा सर्विस बे में प्रकाश को छोटे सर्किटों में पृथक किया गया है। इस प्रकार सर्किट को किसी विशेष क्षेत्र में प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार स्विच ऑन/ऑफ किया जा सकता है। 3. अधिकतम आउटपुट हेतु लैम्प तथा साज-सज्जा की आवधिक सफाई। 4. निगमित कार्यालय और परियोजना कार्यालयों तथा विद्युत गृह में जहाँ कहीं संभव हो प्रकाश हेतु सीएफएल लैम्पों का उपयोग किया गया है। 5. निगमित कार्यालय में स्पिलिट एसी और परियोजनाओं में स्पिलिट/टावर/विंडो एसी लगाए गए हैं जिनका प्रचालन आवश्यकता के अनुसार पृथक रूप में किया जा सकता है। 6. विद्युत कारक सुधार हेतु एनएचडीसी परिसर में एपीएफसी प्रणाली स्थापित की गई है। 7. जल स्तर सेंसरों के माध्यम से निकास तथा जल निकालने वाले पम्पों के प्रचालन को नियंत्रित किया जा रहा है जोकि मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करते हैं जिससे पम्पों का खाली प्रचालन न्यूनतम हो जाता है। 8. अधिक जल के प्रभाव को कम करने के लिए टरबाइन-जनरेटर सेट हेतु कूलिंग वाटर के प्रवाह का उचित नियंत्रण। 9. जहाँ तक संभव हो पृथक ड्रेनेज हैडर स्थापित करके विद्युत ट्रांसफार्मर के कूलिंग वाटर का निकास किया जाता है। 10. दक्षता में वृद्धि करने के लिए नियमित अंतराल पर पम्प के फुटवाल्व/स्ट्रेनर की सफाई और सभी पम्प/मोटरों की उचित ग्रीसिंग एवं एलाइनमेंट। 11. उच्चतम संभव दक्षता को प्राप्त करने के लिए टरबाइन दक्षता वक्र के अनुसार उपलब्ध शीर्ष पर उत्पादक इकाइयों के भार को बदला जाता है। 12. अत्यधिक उपभोग बिन्दु का पता लगाने के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर मीटरिंग ताकि अधिक उपभोग, यदि कोई हो, को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाए किए जा सकें। 13. मैनुअल प्रचालन का कम करने के लिए टाइमर स्विच की सहायता से आउटडोर लाइटों को चलाया जा रहा है ताकि समय पर इन लाइटों को स्विच ऑन/ऑफ किया जा सके। 14. बिजली के दुरुप्रयोग को कम करने के लिए साइनबोर्ड, कैप्शन तथा स्टीकरों की सहायता से ऊर्जा संरक्षण के प्रति सामान्य जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। 15. कम्प्रेसर, हाइड्रोलिक गेट, ओपीयू तथा गाइड वेन आदि के सभी लीकेज बिंदुओं पर सील एवं बेडिंग को उचित अनुरक्षण द्वारा सही स्थिति में रखा जाता है।
(ख)	ऊर्जा के उपभोग में कमी करने हेतु क्रियान्वित किए जा रहे अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव, यदि कोई हो	यूनिट संख्या 1 के ओपीयू पम्प हेतु चल आवृति ड्राइव स्टार्टर को परीक्षण आधार पर स्थापित किया गया है।
(ग)	उपर्युक्त (क) तथा (ख), में उल्लिखित उपायों के प्रभाव से ऊर्जा उपभोग में कमी और वस्तुओं की उत्पादन लागत पर परिणामस्वरूप प्रभाव	(क) तथा (ख) पर उल्लिखित सभी बिन्दुओं ने ऊर्जा बचत और विद्युत उपभोग में कमी में बड़ा योगदान दिया है।
(घ)	अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में फार्म-ए तथा उससे संबंधित अनुबंध के अनुसार कुल ऊर्जा उपभोग और उत्पादन की प्रति इकाई पर ऊर्जा उपभोग।	एनएचडीसी इस अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों की श्रेणी में नही आती है।

फार्म-बी

क्रम सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
(क)	विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया गया है।	वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट आर एण्ड डी कार्य नहीं किया गया था।
(ख)	उक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ।	वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट आर एण्ड डी कार्य नहीं किया गया था।
(ग)	भविष्य की कार्ययोजनाएं	अनुसंधान एवं विकास कार्य को आंतरिक विशेषज्ञता और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ परामर्श से आईएसपी/ओएसपी को लगातार चलाने तथा उसके पश्चात विशिष्ट समस्याओं की पहचान करके किया जाएगा।
(ग)	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (क) पूंजी (ख) आवृत्ति (ग) कुल (घ) कुल टर्न-ओवर के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	वर्तमान में अनुसंधान एवं विकास पर कोई विशिष्ट व्यय नहीं किया गया है।

तकनीकी आत्मसात, अंगीकरण तथा नूतन पहल

क्रम सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
(क)	तकनीकी आत्मसात, अंगीकरण तथा नूतन पहल के संबंध में किए गए प्रयास संक्षेप में	1. परियोजनाओं पर ऑरेकल आधारित समेकित वित्तीय पैकेज का क्रियान्वयन 2. निगमित कार्यालय में इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) का क्रियान्वयन
(ख)	उक्त के परिणाम प्राप्त लाभ अर्थात उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि	1. परियोजनाओं पर शीघ्र तथा सटीक लेखांकन प्रणाली। 2. वेंडरों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफसर के माध्यम से सीधे उनके खातों में ऑन लाइन भुगतान।
(ग)	पिछले पॉच वर्षो के दौरान आयातित तकनीक	**शून्य**

विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय

क्रम सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
(1)	निर्यात संबंधित क्रियाकलाप, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पाद तथा सेवाओं हेतु नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं	लागू नहीं
(2)	कुल विदेशी मुद्रा आय कुल विदेशी मुद्रा व्यय	शून्य 3382 लाख रुपए

अनुलग्नक ''बी''

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
सदस्यगण नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (एम.पी.)

हमने **नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल** के 31 मार्च, 2008 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ एवं हानि लेखा और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नही की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की अपेक्षानुसार भारत द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) की शर्तो के अनुसार, और हमारे द्वारा उचित समझे जाने वाली ऐसी जाँच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

उक्त उल्लिखित अनुबंध पर हमारी टिप्पणियों के आगे हम सूचित करते हैं कि

1) हमने वे सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त की हैं जो हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा मद के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे;

2) हमारे मतानुसार जहाँ तक इन बहियों का हमारे परीक्षण द्वारा प्रतीत होता है विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों का कंपनी द्वारा अनुरक्षण किया गया है;

3) इस रिपोर्ट द्वारा प्रयुक्त तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

   हमारे मतानुसार इस रिपोर्ट द्वारा प्रयुक्त तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

4) कंपनी कार्य विभाग द्वारा अपने दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 के सामान्य परिपत्र संख्या 829 (ई) के माध्यम से जारी परिपत्र के अनुसार यह निदेश दिए गए हैं कि निदेशकों की अपात्रता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं इसलिए हमारे मतानुसार इस खण्ड की आवश्यकता इस कंपनी पर भी लागू नहीं होती है;

5) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे तत्संबंधी टिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं-

   क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2008 को कंपनी की स्थिति का,

   ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का, और

   ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

कृते ओ.पी. टोटला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(सी ए एस.आर. टोटला)
भागीदार
सदस्यता सं. 71774

स्थान : कैंप, नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2008

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु

(हमारी समसंख्यक तिथि के रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 मे उल्लिखित)

(i) (क) कम्पनी ने उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान तर्कसंगत अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करवाया गया है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सम्मुख प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार ऐसे भौतिक प्रमाणीकरण में पाई गई विसंगतियां हमारे मतानुसार वास्तविक थी परंतु लेखा बहियों में उनसे उचित रूप से निपटा गया है।

(ग) चूंकि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू महत्व आधार पर वित्तीय विवरण को तैयार किया जाना इससे प्रभावित नहीं हुआ है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मार्गस्थ मदों के अतिरिक्त कंपनी की मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रियाविधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध तर्कसंगत है।

(ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है और भौतिक सत्यापन में कोई विसंगति नही पाई गई थी।

(iii) (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं। उक्त के मदेद्नजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।

(ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों से कोई ऋण, प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत, नहीं लिए हैं। उक्त के मदेद्नजर खण्ड (3) के उप खंड (ड.), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपतियों के क्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरित नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई प्रमुख कमी नहीं पाई गई थी, तथापि, माल-सूची और अचल परिसंपतियों के संबंध में इसे और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(v) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा विश्वास एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो। वर्ष के दौरान 5 लाख से अधिक के कारोबार की तर्कसंगतता का प्रश्न ही नहीं उठता है।
उक्त उप-खंड (क) के मदेद्नजर यह उप-खंड लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धार 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कवर होने वाले किसी जमा को स्वीकार नही किया है।

(vii) हमारे मतानुसार कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(viii) हमने केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डो के अनुरक्षण हेतु बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों की मोटे तौर पर समीक्षा की है और प्रथम दृष्टया हमारा यह मत है कि विहित लेखा तथा अभिलेखों को रखा तथा अनुरक्षित किया गया है। तथापि, हमने उनकी सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन अभिलेखों का एक विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी द्वारा हमें मुहैया करवाए गए अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा बचाव निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्तिकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों, जिन्हें नियमित रूप से प्राधिकारियों

के पास जमा करवाया जाना होता है, के संबंध में अविवादित सावंधिक देयों को सामान्यत: नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के साथ जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2008 को देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में देय कोई बकाया राशि नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार किसी विवाद के कारण उचित प्राधिकारियों के पास जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क के विवादित देय शून्य है सिवाय 2.77 करोड़ रूपये के श्रमिक श्रम कल्याण उपकर के-

सांविधि	**देयों की प्रकृति**	**जिस फोरम पर विवाद लंबित है**	**राशि**
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक उपकर 1996	श्रमिक श्रम कल्याण उपकर आंकलन अधिकारी आदेश, 2007	अपर श्रम आयुक्त (अपीलीय प्राधिकरण)	2.77 करोड़ रुपए

(x) कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है और न ही इसने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

(xi) अभिलेखों के सत्यापन तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान/बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नही की है।

(xii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अन्यों को शेयर तथा ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम नही दिया है।

(xiii) कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए आदेश का खण्ड कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है।

(xv) कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंको/वित्तीय संस्थानों ने लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) समग्र आधार पर दीर्घावधि ऋणों से संबंधित निधियों के उपयोग की समीक्षा और हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना के आधार पर कंपनी दीर्घावधि ऋणों का उपयोग उगाहे गए प्रयोजनों हेतु ही किया है। 31 मार्च, 2008 को दीर्घावधि ऋणों का लंबित उपयोग 0.32 लाख रुपए था और इन ऋण निधियों के कुछ भाग को अल्पावधि ब्याजधारी जमा के रूप में नियोजित किया गया था।

(xvii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधि जुटाई नहीं गई है। इसलिए अल्पावधि निधियों का उपयोग दीर्घावधि निवेश के लिए किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(xviii) कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा, 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आंवटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण पत्र जारी नहीं किया है इसलिए उनके संबंध में प्रतिभूति अथवा प्रभार के सृजन का प्रश्न नहीं उठता है।

(xx) कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रतिभूति का कोई पब्लिक इश्यू नहीं निकाला है इसलिए ऐसे/इश्यू द्वारा उगाही गई राशि के अंत उपयोग की प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(xxi) अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ किसी धोखा-धड़ी को नहीं पाया गया है अथवा सूचित नहीं किया गया है।

कृते ओ.पी. टोटला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एस.आर.टोटला)
भागीदार
सदस्यता सं. 71774

स्थान : कैंप नई दिल्ली
तिथि : 23 मई, 2008

240 मेगावाट उड़ी-II परियोजना, (जे.एंडके.) - बांध स्थल

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किया जाना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त किये गए सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखांकन तथा सुनिश्चितता मानकों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा अपनी दिनांक 23 मई, 2008 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा ऐसा किए जाने को सूचित किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय विवरणों की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेजों पर पहुंच के बिना की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कम्पनी के कार्मिकों की जाँच और कुछ लेखांकन अभिलेखों के एक चयनित परीक्षण पर आधारित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नही आया है जिससे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
(गजाला मीनई)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 जुलाई, 2008

1000 मेगावाट की इंदिरा सागर पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश) - पावर हाउस का जेनरेटर फ्लोर

31 मार्च, 2008 के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रूपये में)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2008			31 मार्च, 2007		
निधियों के स्रोत							
ए शेयरधारकों की निधि							
i) शेयर पूंजी	1		196258			196258	
ii) शेयर पूंजी जमा	1A		-			-	
iii) आरक्षित तथा अधिशेष	2		199820	396078		163284	359542
बी ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3		289917			293984	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		-	289917		-	293984
सी मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि				-			-
डी विलंबित कर							
निवल विलंबित कर देयताएं			41214			26014	
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर			41214	-		26014	-
कुल				685995			653526
निधियों का उपयोग							
ए स्थिर पूंजी व्यय							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
(क) सकल ब्लाक		659225			408487		
घटाएं-मूल्यह्रास		34535			22311		
(ख) निवल ब्लाक			624690			386176	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		1927			201506	
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7		41	626658		524	588206
बी निवेश	8			-			-
सी वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9						
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		-			-		
ii) मालसूची		258			217		
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		-			-		
iv) विविध देनदार		55656			62326		
v) नकदी तथा बैंक शेष		50457			34940		
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		1981			1137		
vii) ऋण तथा अग्रिम		13477			9623		
			121829			108243	
घटाएं-वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		16249			22480		
ii) प्रावधान		46243			20443		
			62492			42923	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां				59337			65320
डी विविध व्यय (बटटेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11			-			-
कुल				685995			653526
लेखांकन नीतियां	23						
लेखे पर टिप्पणी	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

कृते ओ.पी. टोटला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर.के. तनेजा
निदेशक

डी.पी. भार्गव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(एस.आर. टोटला)
भागीदार
सदस्यता सं. 71774

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

एम.डब्ल्यू. खान
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 23 मई, 2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा

(लाख रूपये में)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेतु		
आय							
i) बिक्री	12		68110			74854	
घटाएं – टैरिफ समायोजन			-			-	
घटाएं – मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम			-	68110		-	74854
ii) संविदाएं तथा परामर्शी आय	13			-			-
iii) अन्य आय	14			8697			1814
कुल आय				**76807**			**76668**
व्यय							
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15			6012			3884
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16			2315			1391
iii) मूल्यह्रास	17			10194			6617
iv) ब्याज तथा वित्त प्रभार	18			18425			12977
v) प्रावधान	19			-			-
vi) संविदा तथा परामर्शी व्यय	20			-			-
vii) लाभग्राही राज्यों को प्रोत्साहन				-			-
कुल व्यय				**36946**			**24869**
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन				**39861**			**51799**
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21			2201			192
कर पूर्व लाभ				37660			51607
कराधान हेतु प्रावधान							
i) वर्तमान कर			4634			6110	
ii) छुट-पुट लाभ कर			67			56	
iii) पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन			(2)			10	
iv) विलंबित कर		15200			18381		
घटाएं– प्राप्य विलंबित कर समायोजन		15200	-	4699	18381	-	6176
कर पश्चात लाभ				32961			45431
पिछले वर्ष के लेखे से अग्रेणीत शेष				45255			11783
वापस लिया गया अत्यधिक प्रावधान–लाभांश				3986			-
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष				**82202**			**57214**
i) पूंजीगत आरक्षित को अंतरित			-			-	
ii) बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित			-			-	
iii) सामान्य आरक्षित को अंतरित			-			-	
iv) लाभांश:							
- अंतरिम			-				
- प्रस्तावित			9888			10222	
v) लाभांश पर कर:							
- अंतरिम			-			-	
- प्रस्तावित			1680	11568		1737	11959
तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष				**70634**			**45255**
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 1000/- रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले)							
आधारभूत ईपीएस (रुपए प्रति शेयर)				**167.95**			**231.48**
कम किया गया ईपीएस (रुपए प्रति शेयर)				**167.95**			**231.48**
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	22						
लेखांकन नीतियां	23						
लेखाओं पर टिप्पणियां	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

कृते ओ.पी. टोटला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर.के. तनेजा
निदेशक

डी.पी. भार्गव
मुख्य कार्यपालक निदेशक

एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(एस.आर. टोटला)
भागीदार
सदस्यता सं. 71774

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

एम.डब्ल्यू. खान
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 23 मई, 2008

अनुसूची 1 – शेयर पूंजी

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार	31 मार्च, 2007 के अनुसार
प्राधिकृत :		
प्राधिकृत पूंजी : 1000/- रुपए प्रत्येक के 30000000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 30000000)	300000	300000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त :	**196258**	**196258**
1000/- रुपए प्रत्येक के 1,96,25,800 (पिछले वर्ष 1,96,25,800) पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर। उक्त में से 100,24,200 (पिछले वर्ष 100,24,200) शेयर धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद को और 96,01,600 पिछले वर्ष 96,01,600) शेयर मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किए गए हैं।		
टिप्पणी :		
उक्त इक्विटी शेयरों में से 74,83,528 (पिछले वर्ष 74,83,528) इक्विटी शेयरों को नकदी प्राप्त हुए बिना समझौता ज्ञापन के अनुपालन में पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों के रूप में आवंटित किया गया था!		
कुल	**196258**	**196258**

अनुसूची 1ए – शेयर पूंजी जमा लेखा

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार	31 मार्च, 2007 के अनुसार
1 एनएचपीसी लिमिटेड से (धारक कंपनी)	-	-
2. एनवीडीए लेखे से	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची – 2 आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार					31 मार्च, 2007 के अनुसार				
	01.04.2007	वर्धन	कटौतियां	समायोजन	31.03.2008	01.04.2006	वर्धन	कटौतियां	समायोजन	31.03.2007
क <u>पूंजीगत आरक्षित</u>										
1 इंदिरा सागर परियोजना के सिंचाई घटकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहायता अनुदान के तौर पर सामानुपातिक अंशदान!	33792	1881	725	-	34948	34218	273	699	-	33792
2 एन वी डी ए लेखे से हस्तांतरित सरदार सरोवर परियोजना हेतु आर्थिक सहायता।	43188	2403	927	-	44664	43724	348	884	-	43188
3 इंदिरा सागर परियोजना के आर एण्ड आर कार्यों हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंशदान	19819	1835	453	-	21201	20186	-	367	-	19819
4 ओमकारेश्वर परियोजना के सिंचाई घटकों हेतु सहायता अनुदान के तौर पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सामानुपातिक अंशदान	15954	956	177	-	16733	12042	3912	-	-	15954
5 ओमकारेश्वर परियोजना के आर एण्ड आर कार्यों हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंशदान।	-	3107	33	-	3074	-	-	-	-	-
ख. लाभ व हानि लेखे	45255	32961	11568	3986	70634	11783	45431	11959	-	45255
ग. स्व बीमा आरक्षित	5276	3290	-	-	8566	3255	2021	-	-	5276
कुल	**163284**	**46433**	**13883**	**3986**	**199820**	**125208**	**51985**	**13909**	**-**	**163284**

अनुसूची 3 - ऋण निधियां - प्रतिभूत

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार	31 मार्च, 2007 के अनुसार
सावधि ऋण		
बैंकों से सावधि ऋण - भारतीय मुद्रा - प्रतिभूत (अनुसूची-3 का अनुबंध देखें)	289917	293984
कुल	**289917**	**293984**

टिप्पणी :

सावधि ऋण चल संपत्ति/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख को रख कर और किसी विशेष परियोजना/विद्युत स्टेशन हेतु बकाया दीर्घावधि ऋण के संबंधित भाग हेतु कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों के रेहन के रूप में ऋणदाता के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित है।

अनुसूची-3 का परिशिष्ट

ऋण निधियां - प्रतिभूत

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार	31 मार्च, 2007 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
(ए). इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन		
1 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1666.66 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	18333	20000
2 जम्मू एवं कश्मीर बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 833.33 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	9167	10000
3 बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 2916.66 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	32083	35000
4 आंध्रा बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 833.33 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	9167	10000
5 कैनरा बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1250.00 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	13750	15000
6 देना बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 833.33 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	9167	10000
7 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 833.33 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	9167	10000
8 पंजाब एंड सिंध बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 416.66 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	4583	5000
9 सिडबी (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 833.33 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	9167	10000
10 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 833.33 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	9167	10000
11 पंजाब नैशनल बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 2291.66 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	25208	27500
12 इंडियन ओवरसीज बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 416.66 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	4583	5000
13 बैंक ऑफ बडौदा (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 125.00 लाख रुपए) (31.12.2007 से 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1375	1500
कुल	**154917**	**169000**

अनुसूची-3 का परिशिष्ट

ऋण निधियां - प्रतिभूत

(लाख रूपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार	31 मार्च, 2007 के अनुसार
	दीर्घावधि ऋण		
	(बी) ओमकारेश्वर विद्युत स्टेशन		
1	यूनियन बैंक आर्फ इंडिया (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 3000.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	30000	29017
2	इंडियन ओवरसीज बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 500.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	5000	4833
3	कारपोरेशन बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1000.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	10000	9676
4	कैनरा बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1040.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	10400	10057
5	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1380.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	13800	13348
6	पंजाब नैशनल बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1730.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	17300	16737
7	सिडबी (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 350.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	3500	3384
8	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 750.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	7500	7447
9	सिंडिकेट बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 750.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	7500	7255
10	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1500.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	15000	14509
11	इलाहाबाद बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1500.00 लाख रुपए) (31.03.2009 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	15000	8721
	कुल	**135000**	**124984**

अनुसूची - 4 ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार	31 मार्च, 2007 के अनुसार
	-	-
कुल	-	-

अनुसूची - 5 अचल परिसंपत्तियां

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2007 के अनुसार	अंतर यूनिट हस्तांतरण के कारण वृद्धि/ समायोजन	अन्य के कारण वृद्धि/ समायोजन	अंतर-यूनिट हस्तांतरण के कारण कटौती/ समायोजन	अन्य के कारण कटौती समायोजन	31.03.2008 के अनुसार	01.04.2007 के अनुसार	वर्ष हेतु	समायोजन	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार	01.04.07 के अनुसार
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	70	-	1	-	(1)	70	-	-	-	-	70	70
ii)	भूमि-लीज़होल्ड	173	-	-	-	(7)	166	11	6	(7)	10	156	162
iii)	भूमि-अवर्गीकृत-इस्तेमाल के अधिकार वाली	10	-	-	-	-	10	1	-	-	1	9	9
iv)	भवन	44153	-	21324	-	(117)	65360	3291	1444	(109)	4626	60734	40862
v)	सड़कें व पुल	1417	-	25	-	(46)	1396	197	26	(45)	178	1218	1220
vi)	रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii)	बांध, जल संवाहक प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट्स, सुरंगें आदि	285821	-	142847	-	(214)	428454	12800	7445	-	20245	408209	273021
viii)	उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	74146	17	83174	-	-	157337	5294	3117	6	8417	148920	68852
ix)	संयंत्र व मशीनरी सबस्टेशन	540	-	1891	-	(3)	2428	28	60	(4)	84	2344	512
x)	संयंत्र व मशीनरी पारेषण लाइनें	186	-	74	-	(12)	248	10	10	(9)	11	237	176
xi)	संयंत्र व मशीनरी-अन्य	239	-	79	-	-	318	34	16	(1)	49	269	205
xii)	निर्माण उपकरण	214	-	276	-	(1)	489	43	38	(1)	80	409	171
xiii)	जल आपूर्ति प्रणाली/जल निकास और सीवरेज	167	-	73	-	(3)	237	5	4	(3)	6	231	162
xiv)	विद्युत संस्थापन	16	-	-	(2)	(2)	12	7	1	(4)	4	8	9
xv)	वाहन	127	4	30	(4)	(13)	144	94	16	(12)	98	46	33
xvi)	एयरक्राफ्ट/बोट	15	-	-	-	-	15	7	3	-	10	5	8
xvii)	फर्नीचर व फिक्सचर	353	1	67	(3)	(21)	397	86	34	(17)	103	294	267
xviii)	कम्प्यूटर	218	4	35	(3)	(54)	200	148	34	(51)	131	69	70
xix)	संचार उपकरण	47	-	8	-	(3)	52	8	3	(3)	8	44	39
xx)	कार्यालय उपस्कर	258	1	21	(15)	(31)	234	53	32	(30)	55	179	205
xxi)	अनुसंधान व विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xxii)	अगोचर परिसंपत्तियां	1	-	6	-	-	7	-	3	-	3	4	1
xxiii)	अन्य परिसंपत्तियां	147	-	36	-	(3)	180	25	11	(1)	35	145	122
xxiv)	उन परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो एन एच डी सी के स्वामित्व में नहीं हैं।	-	-	1359	-	-	1359	-	272	1	273	1086	-
xxv)	मामूली कीमत की अचल परिसंपत्तियां >750रू और <1500रू	169	-	8	-	(69)	108	169	8	(69)	108	-	-
xxvi)	अप्रचलित/अधिशेष परिसंपत्तियां	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	कुल	**408487**	**27**	**251338**	**(27)**	**(600)**	**659225**	**22311**	**12583**	**(359)**	**34535**	**624690**	**386176**
	पिछले वर्ष	397189	24	11437	(24)	(139)	408487	13437	8698	176	22311	386176	383752

नोट

वर्ष हेतु मूल्यह्रास	12583
लाभ व हानि लेखे में भारित	10194
आई ई डी सी में भारित	74
पूंजीगत आरक्षित में भारित	2315

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौतियों को दर्शाते हैं।

अनुसूची - 6 चालू पूंजीगत कार्य

(लाख रूपये में)

विवरण	01.04.2007	अवधि के दौरान वर्धन	समायेजन	अवधि के दौरान पूंजीकृत	31.03.2008 के अनुसार
i) भवन	17012	2137	-	(18868)	281
ii) सड़कें तथा पुल	11	4	(11)	-	4
iii) रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
iv) बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग आदि	77544	8848	-	(86368)	24
v) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	66833	3427	-	(70238)	22
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	1476	233	-	(1663)	46
vii) संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	33	46	-	(79)	-
viii) संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	-	-	-	-	-
ix) निर्माण उपकरण	-	178	-	(178)	-
x) जल आपूर्ति प्रणाली / निकास तथा सीवरेज	-	90	-	(90)	-
xi) अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
xii) एनएचडीसी के स्वामित्व में न होने वाली परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय	952	405	-	(1357)	-
xiii) सर्वेक्षण, जाँच, परामर्शी तथा पर्यावेक्षण प्रभार	3073	101	-	(2652)	522
xiv) राहत एवं पुनर्वास तथा प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	14686	30507	-	(44165)	1028
xv) निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईईडीसी)- अनुसूची-6 का अनुबंध देखे	19886	5337*	-	(25223)	-
कुल	**201506**	**51313**	**(11)**	**(250881)**	**1927**
विगत वर्ष	131061	81508	(1)	(11062)	201506

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौतियों को दर्शाते है।

* देखें अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय।

अनुसूची - 6 का अनुबंध - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(लाख रूपये में)

		31 मार्च, 2008 के अनुसार		31 मार्च, 2007 के अनुसार	
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ					
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	-		1908	
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना को अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	-		185	
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	-		229	
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-		26	
	उप-जोड़		-		2348
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण					
i)	भवन	-		26	
ii)	मशीनरी	-		11	
iii)	अन्य	-		243	
	उप-जोड़		-		280
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय					
i)	किराया	-		262	
ii)	दरें तथा कर	-		4	
iii)	बीमा	-		2	
iv)	सुरक्षा व्यय	-		17	
v)	विद्युत प्रभार	-		111	
vi)	यात्रा एवं वाहन	-		159	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय	-		173	
viii)	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	-		47	
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	-		53	
x)	मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय	-		3	
xi)	मुद्रण एवं स्टेशनरी	-		38	
xii)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-	
xiii)	डिजाइन तथा परामर्शी प्रभार:				
	- देशीय	-		838	
	- विदेशी	-		-	
xiv)	प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	-		-	
xv)	निगम का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
xvi)	भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास	-		-	
xvii)	बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	-		-	
xviii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		-	
xvix)	अन्य सामान्य व्यय	-		4977	
	उप-जोड़		-		6684
घ. ब्याज तथा वित्त प्रभार					
	निम्नलिखित पर ब्याज -				
i)	(क) भारत सरकार का ऋण	-		-	
	(ख) बॉण्ड	-		-	
	(ग) विदेशी ऋण	-		-	
	(घ) सावधि ऋण	-		12714	
	(ड) नकद ऋण सुविधा/ डब्ल्यूसीडीएल	-		-	
	(च) ब्याज लागत को समायोजन माने गए विनिमय अंतर	-		-	
ii)	बॉण्ड निर्गत / सेवा व्यय	-		-	
iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
iv)	ऋण पर गारंटी शुल्क	-		11	
v)	अन्य वित्त प्रभार	-		534	
	उप-जोड़		-		13259
ङ. विनिमय दर अंतर (निवल)					
i)	विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)	-		13	
ii)	घटाएं - : विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)	-		248	
	उप-जोड़		-		(235)
च. प्रावधान		-		-	
	उप-जोड़		-		-
छ. मूल्यहास		-		314	
	उप-जोड़		-		314
ज. पूर्वावधि व्यय (निवल)					
i)	पूर्वावधि व्यय	-		22	
ii)	घटाएं : पूर्वावधि आय	-		-	
	उप-जोड़		-		22
झ. घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली					
i)	विद्युत उत्पादन से आय - संचालन पूर्व	-		-	
ii)	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	-		442	
iii)	विविध प्राप्तियां	-		3759	
iv)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
v)	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान	-		34	
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	-		-	
	उप-जोड़		-		4235
ञ. निगमित कार्यालय प्रबंधन व्यय		-		1449	
चालू पूंजीगत कार्य को अंतरित राशि (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ-ञ)			-		19886

अनुसूची – 7 निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार		31 मार्च, 2007 के अनुसार	
ए. निर्माण भंडार				
1. भंडार और कलपुर्जे	-		-	
2. खुले औजार	-		-	
3. रद्दी मालसूची	-		-	
4. परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	-		131	
5. ठेकेदारों/फेब्रीकेटरों को जारी सामग्री		-		-
घटाएं – निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान	-		-	
उप जोड़	**-**		**131**	
बी. पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
1. प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-		-	
2. अप्रतिभूत – बैंक गांरटी के प्रति (अच्छे माने गए)	32		374	
3. अप्रतिभूत – अन्य (अच्छे माने गए)	9		19	
4. अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-		-	
घटाएं – संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान	-		-	
उप जोड़		**41**		**393**
कुल		**41**		**524**
निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान	**-**		**-**	
वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची 19	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि–अनुसूची 14	-		-	
अंतिम शेष	-		-	
संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन – अनुसूची 19	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि – अनुसूची - 14	-		-	
अंतिम शेष	-		-	

अनुसूची – 8 निवेश

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार	31 मार्च, 2007 के अनुसार
दीर्घावधि		
ए. **निवेश - अनुषंगी कंपनी (व्यापार)**	-	-
इक्विटी शेयर (अनुद्धत)		
बी. **निवेश - अन्य (व्यापार)**	-	-
इक्विटी शेयर		
सी. **निवेश - अन्य (व्यापार)**	-	-
बॉण्ड		
एसईबी बॉण्डों में निवेश		
डी. **निवेश - अनुषंगी कंपनी (गैर-व्यापार)**	-	-
इक्विटी शेयर		
ई. **निवेश - अन्य (गैर-व्यापार)**	-	-
इक्विटी शेयर		
एफ. **निवेश - अन्य (गैर-व्यापार)**	-	-
बॉण्ड		
एस ई बी बाण्डो में निवेश		
जी. **दीर्घावधि अग्रिम**	-	-
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड		
अल्पावधि		
ए. **निवेश - अनुषंगी कंपनी (व्यापार)**	-	-
इक्विटी शेयर		
बी. **निवेश - अन्य (व्यापार)**	-	-
इक्विटी शेयर		
सी. **निवेश - अन्य (व्यापार)**	-	-
डी. **निवेश - अनुषंगी कंपनी (गैर-व्यापार)**	-	-
इक्विटी शेयर		
ई. **निवेश - अन्य (गैर-व्यापार)**	-	-
इक्विटी शेयर		
एफ. **निवेश - अन्य (गैर-व्यापार)**	-	-
बॉण्ड		
जी. **विकास अधिभार आरक्षित से संबंधित निवेश**	-	-
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान		
कुल	**-**	**-**

अनुसूची - 9 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(लाख रूपये में)

	31 मार्च, 2008 के अनुसार			31 मार्च, 2007 के अनुसार		
ए. निवेश पर उपाजित ब्याज			-			-
बी. माल सूचियां (लेखांकन नीति सं. 7 के अनुसार मूल्यांकन)						
i) भंडार तथा कलपुर्जे		207			162	
ii) खुले औजार		4			6	
iii) रद्दी माल सूची		10			10	
iv) मार्गस्थ/भंडार / लंबित निरीक्षण		3			49	
v) निर्माण स्थल पर सामान		44			-	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया सामान		-			-	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जो के लिए प्रावधान		(10)	258		(10)	217
सी. चालू कार्य						
i) चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)		-			-	
ii) चालू परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)		-	-		-	-
घ. विविध देनदार (अप्रतिभूत)						
i) 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण						
- अच्छे माने गए (इसमें 44825 लाख रुपए की प्रतिभूत की गई राशि शामिल है, (पिछले वर्ष शून्य)		46123			3488	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए		-			-	
ii) अन्य ऋण						
- अच्छे माने गए		9533			58838	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए		-			-	
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		-	55656		-	62326
ङ. नकद एवं बैंक शेष						
i) हस्तगत नकदी (40 लाख रुपए के चैक तथा हस्तगत मोहरे शामिल हैं, पिछले वर्ष 431 लाख रुपए)		6			437	
ii) बैंक शेष		-			-	
अधिसूचित बैंकों के साथ		-			-	
चालू खाते में		14866			12397	
बचत खाते में (स्व बीमा आकस्मिकताओं के प्रति निर्दिष्ट जमा)		35585			22106	
अन्य बैंकों के साथ		-			-	
चालू खाते में		-			-	
बचत खाते में		-	50457		-	34940
च. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां						
i) जमा पर प्रोद्भूत ब्याज		1058			415	
ii) अन्य		589			492	
iii) अन्य एजेंसियों से प्राप्य दावे		355			259	
घटाएं - संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान		(21)	1981		(29)	1137
छ. ऋण तथा अग्रिम						
ए) ऋण						
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	-			-		
प्रतिभूत	537			366		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	83			148		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-	620		-	514	
बी) अग्रिम						
(नकदी अथवा वस्तु रूप में या मूल्य हेतु प्राप्य)						
i) धारक कंपनी	-			-		
प्रतिभूत	18			-		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-			-		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
ii) संविदाकर तथा आपूर्तिकर्ता	-			-		
प्रतिभूत	-			-		
अप्रतिभूत अच्छे माने गए						
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	-			-		
- अन्य	17			63		
अप्रतिभूत संदेहास्पद माने गए	-			-		

अनुसूची - 9 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(लाख रूपये में)

	31 मार्च, 2008 के अनुसार		31 मार्च, 2007 के अनुसार	
iii) कर्मचारी	-		-	
अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	9		7	
अप्रतिभूत - संदिग्ध माने गए	-		-	
iv) अन्य अग्रिम	-		-	
अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	-		-	
अप्रतिभूत - संदिग्ध माने गए	-		-	
घटाएं : संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान	-		-	
v) अन्य प्राप्य	-	44	-	70
ग. जमा				
अग्रिम आय कर तथा स्रोत पर कटौती किया गया कर	12813	13477	9039	9623
जोड़		**121829**		**108243**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौतियों को दर्शाते है।

(लाख रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
गैर - अधिसूचित बैंकों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे	शून्य	शून्य
निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे		
वर्ष के अंत में देय राशि	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि	शून्य	0.06

उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

प्रावधानों के ब्यौरे

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जो हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10		10	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		10		10
संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	29		31	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	8		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		2	
अंतिम शेष		21		29
संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(लाख रूपये में)

		31 मार्च, 2008 के अनुसार			31 मार्च, 2007 के अनुसार		
ए.	**देयताएं**						
1	विविध देनदार						
	(क) एमएसएमईडीए-2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के कुल बकाया देय		-			-	
	(ख) अन्य		10238			8095	
2.	जमा / एजेंसी पर व्यय न की गई राशि		-			-	
3.	जमा / धारित राशि		1690			5635	
4.	जमा कार्यो के प्रति अग्रिम		-			-	
	घटाएं : जमा कार्यो पर प्राप्य राशि		-			-	
5.	ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज		-			1102	
6.	परियोजना / संविदाओं की लागत के प्रति अग्रिम		-			-	
7.	सहायता अनुदान - जिनका उपयोग लंबित है		3859			6921	
8.	अनुषंगियों / धारक कंपनी को देय		-			242	
9.	अन्य देयताएं		462			485	
	कुल देयताएं (ए)			16249			22480
ख.	**प्रावधान**						
1.	**प्रस्तावित कराधान हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	7773			1719		
	वर्ष के दौरान वर्धन	4701			6176		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	386			122		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2			-		
	अंतिम शेष		12086			7773	
2.	**प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10222			2122		
	वर्ष के दौरान वर्धन	9888			10222		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6815			2122		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3407			-		
	अंतिम शेष		9888			10222	
3.	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1737			298		
	वर्ष के दौरान वर्धन	1680			1737		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1158			298		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	579			-		
	अंतिम शेष		1680			1737	
4.	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	207			160		
	वर्ष के दौरान वर्धन	1067			206		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			159		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
	अंतिम शेष		1274			207	
5.	**उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	181			122		
	वर्ष के दौरान वर्धन	247			181		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	190			83		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			39		
	अंतिम शेष		238			181	
6.	**अवकाश नकदीकरण लाभ हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	134			69		
	वर्ष के दौरान वर्धन	135			90		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	18			25		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
	अंतिम शेष		251			134	

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(लाख रूपये में)

	31 मार्च, 2008 के अनुसार		31 मार्च, 2007 के अनुसार	
7. उपदान हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	63		41	
वर्ष के दौरान वर्धन	54		30	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4		8	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		113		63
8. आरईएचएस हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	59		57	
वर्ष के दौरान वर्धन	10		2	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		69		59
9. अवकाश यात्रा रियायत हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	41		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	25		59	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	26		18	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		40		41
10. अवकाश नकदीकरण पर एम.सी. हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	16		16	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		30		16
11. टीटीए (सेवानिवृत्ति पर बैगेज भत्ता) हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	10		10	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		20		10
12. अन्य व्ययों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	146		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		146		-
13. परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
14. आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
15. टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
16. विद्युत के स्व-उपभोग हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
17. प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	21867		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1459		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		20408		-
कुल प्रावधान (बी)		**46243**		**20443**
कुल (ए+बी)		**62492**		**42923**

अनुसूची - 11 विविध व्यय

(बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 के अनुसार		31 मार्च, 2007 के अनुसार	
प्रारंभिक व्यय	-		144	
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार शेष		-		144
घटाएं - अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाला गया		-		-
अन्य विलंबित राजस्व व्यय	-		-	
बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतिक्षा वाले परियोजना व्यय		-		-
बट्टेखाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतिक्षा वाली हानियां		-		-
घटाएं - जांच लंबित हानियों हेतु प्रावधान		-		-
कुल		**-**		

अनुसूची - 12 बिक्री

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेतु
विद्युत की बिक्री	64371	68925
विद्युत की बिक्री (एफबीटी)	67	56
विद्युत की बिक्री (एमएटी)	4090	5873
घटाएं-विद्युत के उत्पादन से आय- प्रारंभ किए जाने से पूर्व (अनुसूची-22 (I) (i) को अंतरित)	(418)	-
लाभ एवं हानि लेखे में ले जाया गया कुल	**68110**	**74854**

अनुसूची - 12ए - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान	-	-
घटाएं - वर्ष के दौरान बट्टेखाते में डाला गया		
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**-**	**-**

अनुसूची - 13 संविदाएं तथा परामर्शी आय

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
संविदा आय	-	-
परामर्शी आय	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**-**	**-**

अनुसूची - 14 अन्य आय

(राशि लाख रूपये में)

विवरण		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
i)	**दीर्घावधि निवेश से आय**		
क)	**व्यापार**		
	अनुषंगियों से लाभांश	-	-
	लाभांश - अन्य	-	-
	ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8-5% करमुक्त बॉण्ड)	-	-
ख)	**गैर-व्यापार**		
	लाभांश - अन्य	-	-
ii)	**अन्य आय**		
क)	ब्याज	-	-
	- उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-	-
	- भारतीय बैंक (सकल) (स्रोत पर कटौती किया गया कर शून्य रूपये, पिछले वर्ष 5 लाख रूपये)	2678	2020
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	36	28
	- लाभग्राही राज्यों से ब्याज	5910	-
	- अन्य	-	-
ख)	विलंब भुगतान अधिभार	117	-
ग)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
घ)	देयताएं /प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	30	52
ड)	विनिमय दर अंतर	65	248
च)	अन्य	295	195
	कुल	**9131**	**2543**
घटाएं	आईईडीसी को अंतरित (देखें अनुसूची 22 (ई) (ii), 22 (I) (ii) से (vi) तथा 22 (जे) (i)}	434	72
घटाएं	संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित आय अंतरित आय (देखें अनुसूची - 20)	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल	**8697**	**1814**

(राशि लाखें रूपये में)

#	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/प्रावधानों के ब्यौरे		
क)	खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	-
ख)	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-	-
ग)	खराब तथा संदिग्ध दावे	-	2
घ)	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	-	-
ड)	भण्डार तथा कलपुर्जो में कमी	-	-
च)	आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान	-	-
छ)	निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	-	-
ज)	मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	-	-
झ)	अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान	-	7
ञ)	जांच लंबित होने वाली हानियों हेतु प्रावधान	-	-
ट)	उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	-	33
ठ)	टैरिफ समायोजन हेतुं प्रावधान	-	-
ड)	देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	30	10
	कुल	**30**	**52**

अनुसूची - 15 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(राशि लाख रूपये में)

विवरण		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
i)	भंडार तथा कलपुर्जो का उपभोग	193	19
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण		
	- भवन	242	158
	- मशीनरी	98	61
	- अन्य	562	391
iii)	किराया	325	244
iv)	दरें तथा कर	18	16
v)	बीमा	10	10
vi)	स्व-बीमा आरक्षित	3290	2021

अनुसूची - 15 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(राशि लाख रूपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
vii)	सुरक्षा व्यय	248	170
viii)	विद्युत प्रभार	897	658
ix)	यात्रा एवं वाहन	135	177
x)	स्टाफ कार पर व्यय	42	99
xi)	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	56	71
xii)	विज्ञापन तथा प्रचार	92	77
xiii)	मनोरंजन तथा अतिथ्य व्यय	15	21
xiv)	दान	-	2
xv)	मुदण तथा स्टेशनरी	56	48
xvi)	पुस्तके तथा आवधिक पत्रिकाएं	7	4
xvii)	परामर्शी प्रभार - देशीय	74	118
xviii)	परामर्शी प्रभार - विदेशी	-	-
xix)	प्रतिपूरक वनीकरण / कैचमेंट क्षेत्र उपचार पर व्यय	-	-
xx)	निगम का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय	-	-
xxi)	बट्टेखाते में डाले गए परियोजना व्यय	-	-
xxii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	2
xxiii)	बट्टेखाते में डाला गया विलंबित राजस्व	-	-
xxiv)	बट्टेखाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय	-	144
xxv)	बट्टेखाते में डाले गए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व्यय	-	-
xxvi)	बट्टेखाते में डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे	-	-
xxvii)	बट्टेखाते में डाले गए भंडार	-	-
xxviii)	बट्टेखाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियां	-	-
xxix)	मध्यस्था/अदालती मामलों पर ब्याज भुगतान	-	
xxx)	अन्य सामान्य व्यय	208	220
xxxi)	विनिमय दर अंतर	-	13
xxxii)	लेखा-परीक्षा व्यय (लेखे की टिप्पणियां देखें)	12	11
xxxiii)	निदेशक व्यय	-	-
xxxiv)	अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
	कुल	**6580**	**4755**
	घटाएं आईईडीसी को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 22 (बी), 22 (सी), 22 (ई) (i) और 22 (जे) (iii)}	568	871
	घटाएं संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची- 20)	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा मे ले जाया गया कुल	**6012**	**3884**

अनुसूची - 16 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(राशि लाख रूपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	3255	2542
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना मे योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	356	287
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	412	349
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
	कुल	**4023**	**3178**
	घटाएं आईईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत {देखें अनुसूची 22 (ए) तथा 22 (जे) (ii)}	1708	1787
	घटाएं संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 20)	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल	**2315**	**1391**

अनुसूची - 17 मल्यह्रास

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	12583	8698
कुल	**12583**	**8698**
घटाएं आईईडीसी को अंतरित {देखें अनुसूची 22 (जी) तथा 22 (जे) (iv)}	74	131
घटाएं संविदा तथा परामर्शी को अंतरित मूल्यह्रास (देखें अनुसूची - 20)	-	-
घटाए पूंजी अरक्षित से अंतरित (बट्टे खाते में डाला गया अनुदान (देखें अनुसूची 2)	2315	1950
लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल	**10194**	**6619**

अनुसूची - 18 ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
i) निम्नलिखित पर ब्याज :		
क) भारत सरकार ऋण	-	-
ख) बॉण्ड	-	-
ग) विदेशी ऋण	-	-
घ) सावधि ऋण	21895	19752
ड) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
च) ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	-	-
च) अन्य ब्याज प्रभार	-	-
ii) बॉण्ड निर्गत/सेवा व्यय	-	-
iii) उपभोक्ताओं को छूट	334	-
iv) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
v) ऋण पर गांरटी शुल्क	-	-
vi) रायल्टी	-	-
vii) लाभग्राही राज्यों को ब्याज	-	-
viii) बैंक प्रभार	13	5
ix) अन्य वित्त प्रभार	22	8
कुल	**22264**	**19765**
घटाएं आईईडीसी को अंतरण द्वारा पूंजीकृत ब्याज तथा वित्त प्रभार- {देखें अनुसूची 22 (डी) तथा 22 जे(5)}	3839	6788
घटाएं संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित ब्याज तथा वित्त प्रभार (देखें अनुसूची-20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल	**18425**	**12977**

अनुसूची - 19 प्रावधान

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
i) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	-
ii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम / जमा	-	-
iii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	-	-
iv) भंडार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	-	-
v) प्रावधान किए गए भंडार तथा कलपुर्जो में कमी	-	-
vi) आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान	-	-
vii) निवेश के मूंल्य में कमी के प्रति प्रावधान	-	-
viii) प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	-	-
ix) अचल परिसंपत्तियों/भंडार पर हानियों के लिए किए गए प्रावधान	-	-
x) कैट योजना/पर्यावरण व्यय हेतु प्रावधान	-	-
xi) अन्य व्यय हेतु प्रावधान	-	-
कुल	-	-
घटाएं आईईडीसी को अंतरित व्यय- { देखें अनुसूची 22 (एफ) तथा 22 (जे)(vii)}	-	-
घटाएं संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित प्रावधान (देखें अनुसूची-20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल	-	-

अनुसूची - 20 संविदा एवं परामर्शी व्यय

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
i) प्रत्यक्ष व्यय	-		-
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ			
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	-		-
- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना को अंशदान	-		-
- स्टाफ कल्याण व्यय	-		-
iii) मरम्मत तथा अनुरक्षण			
- भवन	-		-
- मशीनरी तथा निमार्ण उपकरण	-		-
- अन्य	-		-
iv) प्रशासन तथा अन्य व्यय			
- किराया	-		-
- यात्रा एवं वाहन	-		-
- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	-		-
- बीमा	-		-
- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	-		-
- विज्ञापन एवं प्रचार	-		-
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	-		-
- लेखा-परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-
- अन्य व्यय	-		-
- दरें तथा कर	-		-
- सुरक्षा	-		-
- विद्युत	-		-
- आकस्मिकताएं	-		-
- परामर्शी प्रभार	-		-
- ईआरवी	-		-
v) मूल्यह्रास	-		-
vi) ब्याज तथा वित्त प्रभार	-		-
vii) निर्माण संविदाओं पर हानि	-		-
viii) प्रावधान	-		-
ix) प्रगति पर कार्य			
- निमार्ण संविदा	-		-
- परामर्शी	-		-
x) निगमित कार्यालय व्यय (निवल)	-		-
कुल व्यय	-		-
घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली	-	-	-
वर्ष के दौरान निवल व्यय	-	-	-
पूर्वावधि समायोजन	-		-
लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल	-		-

अनुसूची - 21 पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेत
आय		
i) विद्युत की बिक्री	(2113)	(2)
ii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-	-
iii) पश्च लेखन मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	-	-
iv) अन्य	-	(117)
व्यय		
i) वेतन तथा मजदूरी	-	-
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	-	-
iii) ब्याज	-	-
iv) अन्य	83	13
v) मूल्यह्रास	5	178
कुल	**2201**	**310**
घटाएं- आईईडीसी को अंतरित व्यय {देखें अनुसूची 22 (एच) तथा 22 (जे) (vi)}		
पूर्वाधि व्यय	-	1
घटाएं - पूर्वाधि आय	-	(117)
कुल	-	**118**
घटाएं- संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची-20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल	**2201**	**192**

अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(राशि लाख रूपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेतु	
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	1193		1133	
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना को अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	52		84	
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	110		120	
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-		-	
	उप-जोड़		**1355**		**1337**
ख.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
i)	भवन	56		55	
ii)	मशीनरी	9		15	
iii)	अन्य	33		53	
	उप-जोड़		**98**		**123**
ग.	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
i)	किराया	123		158	
ii)	दरें तथा कर	3		6	
iii)	बीमा	1		1	
iv)	सुरक्षा व्यय	7		11	
v)	विद्युत प्रभार	70		64	
vi)	यात्रा एवं वाहन	31		73	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय	11		14	
viii)	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	12		27	
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	13		43	
x)	मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय	2		6	
xi)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	14		10	
xii)	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-	
xiii)	डिजाइन तथा परामर्शी प्रभार				
	- देशीय	40		112	
	- विदेशी	-		-	
xiv)	प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	-		-	
xv)	निगम का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
xvi)	भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास	-		-	
xvii)	बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	-		-	
xviii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		-	
xix)	अन्य सामान्य व्यय	11		40	
	उप-जोड़		**338**		**565**
घ.	**ब्याज तथा वित्त प्रभार**				
i)	निम्नलिखित पर ब्याज -				
	क) भारत सरकार का ऋण	-		-	
	ख) बॉण्ड	-		-	
	ग) विदेशी ऋण	-		-	
	घ) सावधि ऋण	3838		6782	

अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(राशि लाख रूपये में)

	विवरण		31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेतु	
	ड.) नकद ऋण सुविधा/डब्ल्यूसीडीएल अंतर		-		-	
	च) ब्याज लागत को समायोजन माने गए विनिमय अंतर		-		-	
ii)	बॉण्ड निर्गत/सेवा व्यय		-		-	
iii)	प्रतिबद्धता शुल्क		-		-	
iv)	ऋण पर गारंटी शुल्क		-		-	
v)	अन्य वित्त प्रभार		1		6	
		उप-जोड़		**3839**		**6788**
ड.	**विनिमय दर अंतर (निवल)**					
i)	विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)		-		13	
ii)	घटाएं - विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)		(184)		(248)	
		उप-जोड़		**(184)**		**(235)**
च.	**प्रावधान**		-		-	
		उप-जोड़		-		-
छ.	**मूल्यह्रास**		50		113	
		उप-जोड़		**50**		**113**
ज.	**पूर्वावधि व्यय (निवल)**					
i)	पूर्वावधि व्यय		-		1	
ii)	घटाएं - पूर्वावधि आय		-		(117)	
		उप-जोड़		-		**118**
झ.	**घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली**					
i)	विद्युत उत्पादन से आय - संचालन पूर्व		418		-	
ii)	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		1		1	
iii)	विविध प्राप्तियां		231		426	
iv)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		-		-	
v)	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान		-		39	
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न		-		-	
		उप जोड़		**650**		**466**
ञ.	**जोड़े : निगमित कार्यालय प्रबंधन व्यय**					
i)	अन्य व्यय		(18)		(15)	
ii)	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय		353		450	
iii)	कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		132		170	
iv)	मूल्यह्रास	24		18		
v)	ब्याज तथा वित्त प्रभार		-		-	
vi)	प्रावधान		-		-	
vii)	पूर्वावधि समायोजन (निवल)		-		-	
		उप-जोड़		**491**		**623**
	चालू पूंजीगत कार्य को अंतरित राशि (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ+ज+झ-ञ)		**5337**		**8966**	

अनुसूची - 23 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परंपराएं

निगम के लेखे लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं ।

2. अचल परिसंपत्तियां

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताए गए हैं। जिन मामले में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है लेकिन परिसंपत्ति पूरी है और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) के पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं ।

2.2 भूमि पर सृजित ऐसी अचल परिसंपत्तियां जो कारपोरेशन की नहीं है अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिनका सृजन पुनर्वास हेतु किया गया हो।

2.3 जहाँ न तो भूमि और न परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहां परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद अचल परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.4 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत हासिल की जाने वाली/बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.5 अधिशेष घेषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (ए) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपूर्जो को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के कलपुर्जो की कीमत पता हो और उनका संबधित संयत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल पर पूरी तरह मूल्यह्रास हो जाए तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है। अगर इस तरह के कलपुर्जे की कीमत पता न हो, विशेषकर जब मुख्य संयंत्र के साथ खरीदा जाता है, तो इसका मुख्य संयत्र के साथ पूंजीकरण एवं मूल्यह्रास किया जाता है।

3.1 (बी) कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपूर्जे इस्तेमाल मे लाए जाते हैं। इसी तरह किसी खास वर्षो में खरीदे और उपयोग किए गए कलपुर्जो के मूल्य को उसी वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है ।

3.1 (सी) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तथा ऐसे कलपुर्जो की लागत शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य में से जो भी कम हो उसके आधार पर आंकी जाती है । लेकिन अगर इस्तेमाल में नही आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नही जाता तो संबंधित कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बटटे खाते में डाल दिया जाता है ।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''स्टोर्स एंड स्पेयर्स' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तब उन्हें माल-सूची अंर खर्च का हिस्सा माना जाता है ।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू की जा रही परियोजनाओं और अन्य चालू पूंजीगत कार्यो को लागत आधार पर किया जाता है। चालू परियोजनाओं में निर्माण के दौरान उपयोग में लाई जा रही अचल परिसंपत्तियों पर ब्याज और मूल्यह्रास सहित सभी अनुषंगिक और नैमित्तिक खर्चो को अनुषंगिक खर्च में शामिल किया जाता है और परियोजना के पूरा होन तक इसे भूमि और अवसंरचना सुविधाओं के अलावा प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों में डाल दिया जाता है।

4.2 निमार्णाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन आदि के खर्च को निमार्ण के दौरान अनुषंगिक खर्च में डाल दिया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेक्षण पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में लिया जात है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूर्ण होन पर परियोजना लागत के रूप में पूंजीगत किया जाता है। अथवा उसे उस वर्ष में व्यय माना जाता है जिसमें परियोजना को त्यागने का निर्णय लिया जाता है।

5. मूल्यह्रास और ऋण शोधन

5.1 मूल्यह्रास को सीधी रेखा विधि के आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन हेतु अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत की 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारित किया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी दरों की अधिसूचना सीईआरसी के विनियमों के अंतर्गत जारी नही की गई है, वहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुरूप दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया करवाया जाता है, सिवाय कम्पयूटर तथा उसके सहायक उपकरणों के मामले के जिनमें कंपनी द्वारा 30 प्रतिशत की दरों का आंकलन किया गया है।

5.2 कोई वस्तु जिस वर्ष उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जाती है मूल्यह्रास उसी वर्ष यथानुपात आंका जाता है ।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल संपत्ति को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 5000/- रुपए या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जता है और उनका शेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्तियों के रूप में है (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/-रुपए तक है उनका पूंजीकरण नही किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को “अमूर्त परिसंपत्ति” माना जाता है और तीन वर्ष से अधिक में इसका ऋण शोधन किया जाता है।

5.6 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव के कारण दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी होने से मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों की लागत में कमी आती है तो ऐसी परिसंपत्तियों की शेष राशि पर संभावित मूल्यह्रास की दर के आधार पर शेष अवधि के लिए मूल्यह्रास की गणना की जाती है।

5.7 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत खर्च का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

6. निवेश

निवेश दीर्घावधि के लिए किए जाते हैं और उन्हें लागत पर ही लिया जाता है।

7. माल-सूची

7.1 (ए) अधिशेष निर्माण उपकरणों के कलपुर्जे और कबाड़ को छोड़कर भंडार सामग्री और कलपुर्जो का आंकलन भारित औसत लागत के अनुसार किया जाता है।

(बी) कबाड़ का मूल्यांकन वसूली योग्य निवल मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अधिशेष निर्माण उपकरणों के कलपुर्जों की लागत का आकलन, लागत से कम मूल्य और प्राप्त होने वाले शुद्ध मूल्य पर किया जाता है।

7.2 समीक्षा के दौरान पहचान किए गए बेकार और अप्रचलित भण्डार तथा कलपुर्जो पर हानि लेखे में प्रावधान किया जाता हे।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए जिन छुटपुट औजारों की लागत जिनकी 5,000/- रुपए या इससे कम है उन्हें खपत खाते में डाल दिया गया है और अन्य औजारों को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में बट्टेखाते में डाला गया है।

7.4 विद्युत गृहों के लिए संचालन और अनुरक्षण के लिए जारी की गई भंडार वस्तुए परंतु जो वर्ष के अंत में कार्य स्थल पर अप्रयुक्त पड़ी हैं, उनका मूल्यांकन इंजीनियरी अनुमानों में किया गया है और उन्हें भंडार वस्तुओं में शामिल किया गया हैं।

8. विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को लेन-देन की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है । प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान विनिमय दर में परिवर्तित किया जाता है ।

8.2 विनियम अंतरों को प्रचालनात्मक स्टेश्नों के मामले में उत्पन्न होने वाली अवधि में लाभ एवं हानि लेखे में आय तथा व्यय के रूप में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में आईईडीसी के रूप में दर्शाया जाता है । तथापि, 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य की देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत पर समायोजित किया जाता है ।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभ संबधी लेखा मानक संख्या-15 में परिभाषित रोजगार परवर्ती लाभ के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किए जाते है।

9.2 छुट्टी यात्रा रियायत, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर स्वीकार्य समान भत्ते के लिए लेखों में प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्याकन के आधार पर किए जाते हो।

10. राजस्व

10.1 (ए) बिजली की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित शुल्क के अनुसार नहीं किया गया है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में, जहाँ शुल्क अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री का हिसाब उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडो और विधि के अनुसार अनंतिम दरों के आधार पर किया गया है। विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों के सिलसिले में मुद्रा विनियम संबंधी उतार-चढ़ाव के लिए वसूली/भुगतान और आय कर की वसूली को वार्षिक आधार पर लेखे में लिया गया है।

(बी) प्रोत्साहनों/ हतोत्साहनों का आकलन शुल्क अधिसूचनाओं के आधार पर किया गया है। ऐसे विद्युत स्टेशनों के मामले में जहाँ शुल्क की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, प्रोत्साहनों का आकलन इनके स्वीकृत होने की संभावना के आधार पर अनंतिम रूप से किया गया है।

(सी) वैश्विक खातों को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन हालांकि वास्तविक नहीं है।, लेकिन उन्हे अंतिम रूप दिए जाने वाले वर्ष में किया गया है।

(डी) ऋणों के भुगतान को आसान बनाने के लिए प्रारंभिक वर्षों में शुल्क के घटक के रूप में दिए जाने वाले मूल्यह्रास के लिए अग्रिम को बिक्री में से कम कर लिया गया है और अगले वर्षों की बिक्री में शामिल कर लिया गया है।

10.2 (ए) लागत डिपॉजिट/टर्न-की आधार पर संविदा कार्य से राजस्व की पहचान निम्नानुसार कार्य की पूर्णता प्रतिशत पर की जाती है-

कार्य की प्रगति	**राजस्व की पहचान**
ए) 66.67 प्रतिशत तक	व्यय की गई लागत की उस सीमा तक जहां तक वसूली संभव है।
बी) 66.67 प्रतिशत से अधिक	पूर्णता के चरण के संदर्भ में।

ठेकों में पूर्वानुमानित हानियों सहित सभी नुकसानों का शीघ्र आंकलन किया जाता है। ऐसे मामलों में आकस्मिक खर्चो के लिए प्रावधान किया जाता है और यह उस सीमा तक होता है जहां तक वास्तविक अवधि के दौरान किए जाने वाले दावों के निपटाने केलिए जरूरी होता है।

10.2 (बी) परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों / लागत जमा, संविदाओं के संबध में राजस्व को समझौते की शर्तों और संविदा अंतर्गत किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर लिया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोदभवन आधाार पर लेखे में लिया जाता है ।

10.4 ग्राहकों से लिए जाने वाले ब्याज / अधिभार को प्रप्तियों पर आमदनी माना जाता है बशर्ते उनकी वसूली की पर्याप्त संभावना हों

11. निगम मुख्यालय के खर्चो का आवंटन

निगम मुख्यालय के खर्चो का आबंटन इस प्रकार किया जाता है–

(ए) विद्युत स्टेशनो पर करों और शुल्कों को छोड़कर वर्ष में उनकी ऊर्जा की बिक्री के एक प्रतिशत की दर से।

(बी) निगम को मिले और उसके द्वारा कराए जाने वाले निर्माण संबंधी अनुबंध कार्यो के लिए वर्ष के दौरान हुए परियोजना खर्च के 5 प्रतिशत की दर से । लेकिन इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मामले शामिल नहीं है। जिनमें उपलब्ध कराई गई सेवाओं के आधार पर खर्च का अलग से आबंटन किया जाता है।

(सी) बकाया खर्च का आबंटन निर्माण परियोजनाओं में वर्ष के दौरान हुए शुद्ध पूंजी खर्च के अनुपात में किया जाता है।

12. स्व बीमा

तुलन-पत्र की तारीख को विद्युत स्टेशनों के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ''स्व-बीमा आरक्षित निधि'' में वार्षिक आधार पर अंतरित कर दिया जाता है और इसे लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है और विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस निधि को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

13. विविध

13.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नही हुए पूंजीगत निर्माण कार्य संबंधी देयताओं को निगम द्वारा लंबित निरीक्षण और स्वीकृति तक हिसाब में नहीं लिया जाता ।

13.2 पावर स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है ।

13.3 50,000/-रुपए और इससे कम के लिए पहले से भुगतान किए खर्चो और अवधि पूर्व खर्चो/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है ।

13.4 बीमा दावों को वसूली की पक्की संभावना के आधार पर लेखांकित किया जाता है ।

13.5 अनुग्रह राशि और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत नोटिस वेतन के भुगतान पर किए गए व्यय को होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

14. ऋण लागत

निर्माण/आधुनिकीकरण और मरम्मत के दौरान आने वाली अचल परिसंपत्तियों की ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है । अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे ।

15. आय पर कर

15.1 वर्तमान अवधि हेतु आय पर करों का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है । आयकर प्रमुख क्रियाकलाप अर्थात विद्युत के उत्पादन के संबंध में लाभग्राहियों को एक अंतरित की जाने वाली मद है

15.2 वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतर वाले विलंबित कर की पहचान की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तिथि को अथवा उसके बाद बनाए गई कर दरों तथा कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है । समाहित न किए गए मूल्यह्रास अथवा आगे ले जाई गई हानियों हेतु विलंबित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है और उन्हें कर नियमों के अंतर्गत उस सीमा तक आगे ले जाया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत संभावना हो तथा इसके पर्याप्त परिणाम हों कि भविष्य में ऐसी विलंबित कर परिसंपत्तियों के प्रति उचित कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूला जा सकेगा । अन्य विलंबित कर परिसंपत्तियों की पहचान तथा उन्हें आगे ले जाया जाना उस सीमा तक किया जाता है जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इन विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूला जा सकेगा । प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जहां तक कर व्यय आगामी वर्ष में वास्तविक भुगतान आधार पर लाभग्राहियों से प्रभार्य हो।

16. पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन व्यय

जलमग्न होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे तथा अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान को पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन व्यय माना जाता है और उन्हें बांध लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है ।

17. सहायता अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार से ''सिंचाई तथा आर एण्ड आर घटक'' और गुजरात सरकार से ''सरदार सरोवर घटक'' के प्रति प्राप्त अंशदान की राशि पृथक परिसंपत्तियों की लागत से संबंधित नहीं है इसलिए इसे प्रारंभ में पूंजीगत आरक्षित माना जाता है और बाद में आय में उसी अनुपात में समायोजित किया जाता है जिसमें ऐसे अंशदानों से अधिगृहीत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का पश्च लेखन किया जाता है ।

अनुसूची - 24 लेखों पर टिप्पणियां

1. क) निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है -

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2007 के अनुसार
क. निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है -		
- पूंजीगत कार्य	13459	10964
- भूमि मुआवजा मामले	शून्य	697
- अन्य	227	227
विवादित आयकर मांग	शून्य	शून्य
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	शून्य	शून्य
विवादित बिक्री कर मांग	शून्य	शून्य
अन्य - उपकर	277	316
कुल	**13963**	**12204**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति शून्य रूपये (पिछले वर्ष शून्य रुपए) की प्रतिपूर्ति की संभावना है।

2. मैसर्स वाइथ सीमन्स हाइड्रो क्राफ्ट, जर्मनी के पक्ष में जारी 497 लाख रूपये (पिछले वर्ष 2501 लाख रूपये) के विदेशी साख पत्र (एफएलसी) 31.3.08 को बकाया है। मैसर्स वाइथ सीमन्स हाइड्रो क्राफ्ट, जर्मनी के पक्ष में जारी 441 लाख रूपये (पिछले वर्ष 4312 लाख रूपये) के देशीय साख पत्र 31.3.08 को बकाया है।

3. क) पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) 5296 लाख रूपये (पिछले वर्ष 12315 लाख रूपये) है। इसमें रेलवे अपवर्तन कार्यों हेतु निष्पादित न की गई 3461 लाख रूपये (पिछले वर्ष 5052 लाख रूपये) की अनुमानित राशि शामिल है।

ख) भूमि हेतु मुआवजे और अन्य संबंधित व्यय के प्रति पूंजीगत प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि 7875 लाख रूपये (पिछले वर्ष 13280 लाख रूपये) है।

4. मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त उद्यम में भागीदार होने के चलते सीसीईए अनुमोदन के अनुसार विभिन्न लेखे पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार योगदान दिया है :

क) इन्दिरा सागर विद्युत स्टेशन

(राशि लाख रूपये में)

निधि के स्रोत	31.03.2007 तक	वर्ष 2007-08 के दौरान	31.03.2008 तक
1. वस्तु रूप में नकदी/समायोजित व्यय	121823	1290	123113
2. प्राप्त नकदी	53857	863	54720
कुल	**175680**	**2153**	**177833**
निधि का उपयोग			
1. इक्विटी पूंजी	66000	-	66000
2. सिंचाई घटक	35434	1881	37315
3. एसएसपी घटक	45278	2403	47681
4. अधिक आर एण्ड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	20400	1835	22235
5. वसूले गए विद्युत प्रभार	279	-	279
6. सिंचाई/ओएसपी की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	-	3308
7. समायोजन हेतु लंबित	4981	(3966)	1015
कुल	**175680**	**2153**	**177833**

ख. ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना

(राशि लाख रूपये में)

निधि के स्रोत	31.03.2007 तक	वर्ष 2007-08 के दौरान	31.03.2008 तक
1.वस्तु रूप में नकदी/समायोजित व्यय	7507	586	8093
2.प्राप्त नकदी	37095	4381	41476
3.सिंचाई/ओएसपी की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	-	3308
कुल	**47910**	**4967**	**52877**
निधि का उपयोग			
1.इक्विटी पूंजी	30016	-	30016
2.सिंचाई घटक	15954	956	16910
3.अधिक आर एण्ड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	-	3107	3107
4.समायोजन हेतु लंबित	1940	904	2844
कुल	**47910**	**4967**	**52877**

5. क) सिंचाई तथा सरदार सरोवर परियोजना घटक के प्रति क्रमशः मध्य प्रदेश सरकार तथा गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान को सहायता अनुदान मानते हुए पूंजीगत आरक्षित में क्रेडिट किया गया है।

ख) ऐसे सहायता अनुदान द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को पूंजीगत आरक्षित मे आवंटित किया जाता है बजाए लाभ एवं हानि लेखे में करने के।

6. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में भू-वंचितों से स्रोत पर कटौती किए गए कर से वसूल की जाने वाली 9 लाख रूपये (पिछले वर्ष 17 लाख रूपये) की राशि जिसकी मुआवजे के भुगतान के प्रति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194एलए के अंतर्गत कटौती नहीं की गई थी और वंचितों को दोहरे भुगतान के प्रति 12 लाख रूपये (पिछले वर्ष 12 लाख रूपये) जिसकी वसूली संदेहास्पद है, इसलिए प्रावधान किया गया है, शामिल है।

7. लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष हेतु लेखे पर प्रभाव निम्नानुसार हैं -

क्रम सं.	लेखांकन नीति	परिवर्तन का लाभ एवं हानि लेखे पर प्रभाव
	नई लेखांकन नीतियां	
1	लेखांकन नीतियां सं.4.3 : सर्वेक्षण तथा जाँच व्यय पर लेखांकन नीति को प्रारम्भ किया जाना।	यह व्यवहार नीति में परिवर्तित किया गया है और अभी तक कोई प्रभाव नहीं।
2	लेखांकन नीति सं.5.1 : कम्प्यूटरों के संबंध में मूल्यह्रास नीति में 30 प्रतिशत शब्द को जोड़ा जाना।	यह व्यवहार नीति में परिवर्तित किया गया है और अभी तक कोई प्रभाव नहीं।
3	लेखांकन नीति सं.8 : विदेशी मुद्रा कारोबार पर लेखांकन नीति में संशोधन	शून्य
4	लेखांकन नीति सं.10.2(बी) : लागत जमा संविदा लेखे से राजस्व की मान्यता के संबंध में लेखांकन नीति के शब्दों में बदलाव	शून्य

8. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को निगम की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5(अनुसूची-23) के अनुसार प्रभारित किया जाता है। विद्युत मंत्रालय ने एक ऐसी टैरिफ नीति अधिसूचित की है जो यह प्रावधान करती है कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दर टैरिफ तथा लेखांकन के प्रयोजन हेतु भी लागू होगी। टैरिफ नीति के अनुरूप सीईआरसी द्वारा मानदण्डों का निरूपण लंबित होने के कारण वर्तमान टैरिफ मानदंडों के अंतर्गत अधिसूचित दरों को वर्ष हेतु मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए उचित समझा जाता है। जहाँ तक लाभ एवं हानि लेखे/आईईडीसी का संबंध है वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित दरों की तुलना में 11298 लाख रूपये (पिछले वर्ष 7535 लाख रूपये कम था) कम है।

9. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है -

(राशि लाख रूपये में)

	वर्ष 2007-2008 हेतु	वर्ष 2006-2007 हेतु
(i) मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित राशि	(65)	शून्य
(ii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में प्रभारित राशि	(184)	(235)
(iii) चालू पूंजीगत कार्य में प्रभारित राशि	शून्य	शून्य
(iv) अचल परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में जोड़ द्वारा समायोजित राशि	शून्य	2

10.क) एनएचडीसी के कर्मचारियों के संबंध में उपदान, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्त के कर्मचारी स्वास्थ्य योजना, अवकाश यात्रा रियायत और स्थानांतरण यात्रा भत्ता (सामान भत्ता) हेतु प्रावधान 31.3.2008 के अनुसार वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। एनएचपीसी से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के संबंध में उक्त को एनएचपीसी से प्राप्त सूचना के आधार पर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। बीमांकित मूल्यांकन के संबंध में लेखाकंन मानक-15आर के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

तालिका 1 : प्रमुख मान्यताएं -

(राशि लाख रूपये में)

	31.03.2008 के अनुसार	31.03.2007 के अनुसार
मृत्यु दर तालिका	मानक तालिका एलआईसी (1994-96) अंतिम तालिका	मानक तालिका एलआईसी (1994-96) अंतिम तालिका
छोड़ने की दर	1 प्रतिशत	1प्रतिशत
छूट दर	8.00 प्रतिशत (समान तिथि को सरकारी बॉण्ड पर बाजार प्रतिफल)	8.30 प्रतिशत (समान तिथि को सरकारी बॉण्ड पर बाजार प्रतिफल)
मुआवजा स्तर में वृद्धि की दर	6 प्रतिशत	5 प्रतिशत
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कर्मचारियों का प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	25	26

तालिका-2 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि लाख रूपये में)

	31.03.2008 के अनुसार			31.03.2007 के अनुसार		
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ	63	134	59	41	69	57
ब्याज लागत	5	11	5	3	5	4
वर्तमान सेवा लागत	29	68	19	26	43	16
अदा किया गया लाभ	(4)	(18)	0	(8)	(25)	0
बीमांकित (लाभ)/ हानि	20	56	(14)	1	42	(18)
वर्ष के अंत में पीवीओ	113	251	69	63	134	59

तालिका - 3 तथा 4 : लागू नहीं

तालिका - 5 : लिया गया बीमांकित लाभ/हानि

(राशि लाख रूपये में)

	31.03.2008 के अनुसार			31.03.2007 के अनुसार		
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष हेतु बीमांकित लाभ/हानि - बाध्यता	20	56	(14)	1	42	(18)
वर्ष हेतु बीमांकित लाभ/हानि - योजनागत परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल लाभ/हानि	20	56	(14)	1	42	(18)
वर्ष के अंत में न ली गई बीमांकित लाभ/हानि	20	56	(14)	1	42	(18)
वर्ष के अंत में न ली गई बीमांकित (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तालिका 6 : तुलन-पत्र में ली गई राशि

(राशि लाख रूपये में)

	31.03.2008 के अनुसार			31.03.2007 के अनुसार		
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	113	251	69	63	134	59
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त-पोषण की स्थिति	(113)	(251)	(69)	(63)	(134)	(59)
न माने गए बीमांकित लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	113	251	69	63	134	59

तालिका 7 : लाभ एवं हानि लेखे/आईईडीसी में ली गई राशि

(राशि लाख रूपये में)

	31.03.2008 के अनुसार			31.03.2007 के अनुसार		
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्तमान सेवा लागत	29	68	19	26	43	16
पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	5	11	5	3	5	4
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष हेतु लिया गया निवल बीमांकित लाभ/हानि	20	56	(14)	1	42	(18)
वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया व्यय	54	135	10	30	90	2

तालिका 8 : तुलन-पत्र में ली गई देयता में संचलन

(राशि लाख रूपये में)

	31.03.2008 के अनुसार			31.03.2007 के अनुसार		
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
प्रारंभिक निवल देयता	63	134	59	41	69	57
उक्त के अनुसार व्यय	54	135	10	30	90	2
घटाएं : अदा किए गए लाभ	4	18	0	8	25	0
अंतिम निवल देयता	113	251	69	63	134	59

(ख)अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान तथा सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते के कारण देयता (31.3.2008 को) क्रमश: 40 लाख रूपये, 30 लाख रूपये और 20 लाख रूपये है (31.3.2007 को क्रमश: 41 लाख रूपये, 16 लाख रूपये तथा 10 लाख रूपये है)।

11. कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित हैं। वेतन समझौते के बारे में भारत सरकार द्वारा गठित समिति का निर्णय लंबित होने के कारण वर्तमान वर्ष की बहियों में 1067 लाख रूपये (पिछले वर्ष 207 लाख रूपये) का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, 1.1.2006 से सीआईएसएफ/अन्य अर्ध सैनिक बल/केन्द्रीय विद्यालय के कार्मिकों के वेतन संशोधन बकाया के प्रति 136 लाख रूपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि मुहैया करवाई गई है।

12.(क)संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं और सविंदाकर्ताओं से जमा/अग्रिम राशि को समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन दर्शाया गया हैं।

(ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत,ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

13. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं -

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	2007-08		2006-07	
	आधारभूत ईपीएस	कम किया गया ईपीएस	आधारभूत ईपीएस	कम किया गया ईपीएस
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (रूपये)	3296100682	3296100682	4543076681	4543076681
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	19625800	19625800	19625800	19625800
प्रति शेयर अर्जन (रूपये)	167.95	167.95	231.48	231.48
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपये)	1000	1000	1000	1000

14. वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी को अंतरित ऋण लागत की राशि 3838 लाख रूपये (पिछले वर्ष 6788 लाख रूपये) है।

15. ओएसपी से एकमात्र लाभग्राही एमपीएसईबी को विद्युत की बिक्री का एनएचडीसी द्वारा दायर याचिका संख्या 56/2007 के प्रति दिनांक 30.10.2007 के सीईआरसी अनंतिम टैरिफ आदेश के आधार पर बिल बनाया गया है।

16. दिनांक 5.9.2005 के मध्य प्रदेश सरकार के पत्र संख्या सीई/एनवीडीए/2005/1575 के अनुसार एनएचडीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के मध्य 27.4.2007 को बौरस (55 मेगावाट), होशंगाबाद (60 मेगावाट) और हंडिया (51 मेगावाट) के सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा विस्तृत जल विद्युत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने तथा उनके निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डीपीआर को मध्य प्रदेश सरकार/एनवीडीए को प्रस्तुत किया जा चुका है। अभी तक निगम ने नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार तथा अनुसूची-6 में दर्शाए अनुसार - सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी तथा पर्यवेक्षीय प्रभारों के शीर्ष के अंतर्गत चालू पूंजीगत कार्य- में विभिन्न क्रियाकलापों पर 522 लाख रूपये (पिछले वर्ष 421 लाख रूपये) की राशि का व्यय किया है।

(राशि लाख रूपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2008 तक	31.03.2007 तक
i)	वेतन, भत्ते तथा लाभ	214	148
ii)	सर्वेक्षण कार्य	234	222
iii)	भू-वैज्ञानिक तथा नींव अन्वेषण	24	24
iv)	किराया	4	2
v)	वाहन किराए पर लेना	27	21
vi)	परामर्शी कार्य/रिपोर्ट तैयार करने के व्यय	19	4
	कुल	**522**	**421**

17.(क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य प्रचालन अर्थात ब्याज आय लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) वर्तमान में निगम के मध्य प्रदेश राज्य में केवल 2 पावर स्टेशन हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

18. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :-

क) संबंधित पक्ष से संबंध -

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध
एनएचपीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम भागीदार
मध्य प्रदेश सरकार	संयुक्त उद्यम भागीदार

ख) निदेशक -

नाम	पदनाम
श्री डी.पी.भार्गव (28.2.2007 से)	पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित।

ग) अवधि के दौरान संबंधित पक्षों/निदेशकों के साथ कारोबार

(राशि लाख रुपये में)

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध	कारोबार का विवरण (31.03.2007 को शेष)	2007-08 (रुपए)	2006-07 (रुपए)
1. एनएचपीसी लि.	संयुक्त उद्यम भागीदार	(1) वर्ष के दौरान निवेश	शून्य	शून्य
		(2) संचित निवेश	100242	100242
		(3) परामर्शी के कारण किया गया भुगतान	26	65
		(4) देय शेष	शून्य	242
		(5) प्राप्य शेष	18	शून्य
2. निदेशक	-	(1) वेतन तथा भत्ते	9	3
		(2) भविष्य निधि में अंशदान	1	-
		(3) आवासीय परिसर हेतु किराया	1	1
		(4) अन्य विविध प्रतिपूर्ति	1	1

19. कंपनी की लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्पस) के लिए परिचालन पट्टों के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं ऐसी नहीं हैं कि उन्हें रद्द न किया जा सके, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं और सामान्यत: एक वर्ष से तीन वर्ष अथवा लम्बे समय के लिए होती हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची, अनुसूची 16 में 71 लाख रुपए की (विगत वर्ष 84 लाख रुपए) कर्मचारियों द्वारा आवासीय उपयोग के लिए भवनों के संबंध में लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों की राशि शामिल है। कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के परिसरों के संबंध में 12 लाख रुपए (विगत वर्ष 10 लाख रुपए) की राशि के लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची 15 के अंतर्गत किराए के रूप में दर्शाया गया है।

20 सांविधिक लेखा-परीक्षकों को पारिश्रमिक लेखा परीक्षक लागत (इसमें अर्ध-वार्षिक लेखापरीक्षा शुल्क और जेब से किए गए व्यय, जहाँ कहीं लागू हों, शामिल है : -

a) सांवधिक लेखापरीक्षक : -

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	2007-08	2006-07
1) लेखा परीक्षा शुल्क	5	6
2) कर लेखा परीक्षा शुल्क	1	1
3) नकदी प्रवाह विवरण शुल्क	-	-
4) प्रमाणीकरण शुल्क	2	1
5) जेब से किए गए व्यय	2	2

ख) लागत लेखापरीक्षक-

(राशि लाख रुपए में)

क) लेखा परीक्षा शुल्क	1	1
ख) जेब से किए गए व्यय	1	-

21. (क) कर योग्य आय के अभाव में आयकर हेतु प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के अनुसार किया गया है।

(ख) भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों हेतु लेखांकन'' पर लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में 15200 लाख रुपए (पिछले वर्ष 18381 लाख रुपए) की संचित विलंबित कर देयता हेतु वर्तमान वर्ष में प्रावधान किया गया है। संचित विलंबित कर देयता के मद-वार ब्यौरे निम्नानुसार है-

(राशि लाख रुपये में)

	आस्थगित कर दायित्व परिसम्पतियाँ विलंबित कर देयता/परिसम्पति	31.03.2008 के अनुसार रुपए	31.03.2007 के अनुसार रुपए
1	विलंबित कर देयता : -	52037	36041
	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास का अंतर		
2	विलंबित कर परिसंपत्ति-आगे ले जाया जाने वाला समाहित न किया गया मूल्यह्रास	10823	10027
3	निवल विलंबित कर देयता	41214	26014

(ग) विलंबित कर परिसंपत्ति को अग्रेनित समाहित न किए गए मूल्यह्रास की राशि के लिए लिया गया है जोकि इसकी लगभग निश्चितता के मद्देनजर है कि ऐसी विलंबित कर परिसंपत्ति के प्रति भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय को वसूला जा सकेगा।

(घ) चूंकि सीईआरसी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कर लाभग्राहियों से वसूले जाने वाले हैं, निवल विलंबित कर देयता के प्रावधान को लाभग्राही से प्राप्य दर्शाया गया है।

22. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2008 के संगत लेखांकन मानक-28 के प्रावधान के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

23. (क) मात्रात्मक ब्यौरे :-

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	2007-08	2006-07
i लाइसेंस क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
ii संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	1520	1000
iii वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)	3431.87	2605.58
iv वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)	3401.67	2591.96

(ख) निम्नलिखित के संबंध में : -

(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2007-08	2006-07
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	1) पूंजीगत वस्तुएं	2039	12803
	2) कलपुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	1) तकनीकी जानकारी	शून्य	शून्य
	2) ब्याज	शून्य	शून्य
	3) अन्य विविध मामले		
	क) पूजीगत कार्य	1343	6940
	ख) दौरे	शून्य	27
ग)*	प्रचाालन यूनिटों में उपभोग किए गए		
	कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य		
	क) आयातित	शून्य	शून्य
	ख) देशीय	176	19
घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	1) ब्याज	शून्य	शून्य
	2) अन्य	शून्य	शून्य

* प्रोदभवन आधार ** नकद आधार

24. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने के चलते, अनुमोदित मात्राओं से परे कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और अतिरिक्त मदों के प्रति अनंतिम भुगतान को चालू पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है।

25. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं –

विवरण	राशि
सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
वर्तमान वर्ष हेतु सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को प्रोदभूत ब्याज और शेष चुकाई न गई राशि	शून्य
सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
पिछले लेखांकन वर्ष से अग्रेणीत ब्याज की राशि के साथ ऐसे ब्याज पर वर्तमान वर्ष के लिए ब्याज	शून्य

26. परिसमाप्त क्षति, यदि कोई हो, का लेखांकन वसूली प्रभावी होने पर किया जाता है और मामले को प्रबंधन द्वारा निपटाया गया समझा जाता है।

27. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ.पी. टोटला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर.के. तनेजा
निदेशक

डी.पी. भार्गव
मुख्य कार्यपालक निदेशक

एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सी.ए. एस.आर. टोटला
भागीदार
सदस्यता संख्या 71774

वी.के. त्रिपाठी
कम्पनी सचिव

एम.डब्ल्यू. खान
महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23 मई, 2008

तुलन पत्र सार और कंपनी के सामान्य व्यापार की रूपरेखा

1. **पंजीकरण ब्यौरे**

पंजीकरण संख्या: 1 0 _ 1 4 3 3 7

राज्य कोड: 1 0

तुलन-पत्र तिथि: 3 1 | 0 3 | 2 0 0 8

2. **वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (लाख रुपए में)**

पब्लिक इश्यु: शू न्‍ य

राइट इश्यु: शू न्‍ य

बांण्ड इश्यु: शू न्‍ य

निजी स्थापन*: शू न्‍ य

* एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त शेयर पूंजी जमा शामिल है।

3. **निधियों को जुटाने तथा उनके नियोजन की स्थिति (लाख रुपए में)**

कुल देयताएं: 7 4 8 4 8 7

कुल परिसंपत्तियां: 7 4 8 4 8 7

निधियों के स्त्रोत

प्रदत्त पूंजी: 1 9 6 2 5 8

आरक्षित तथा अधिशेष: 1 9 9 8 2 0

प्रतिभूत ऋण: 2 8 9 9 1 7

अप्रतिभूत ऋण: शू न्‍ य

निधियों का उपयोग

निवल अचल परिसंपत्तियां: 6 2 6 6 5 8 @

निवेश: शू न्‍ य

निवल वर्तमान परिसंपत्तियां: 5 9 3 3 7

विविध: शू न्‍ य

संचित हानि: शू न्‍ य

@ 1927 लाख रुपए के चालू पूंजीगत कार्य और 41 लाख रुपए के निर्माण भंडार एवं अग्रिम शामिल हैं।

4. कंपनी का कार्य-निष्पादन (लाख रुपए में)

टर्नओवर	कुल व्यय
68110 #	39147

कर पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ
37660	32961

प्रति शेयर अर्जन रुपए में	लाभांश राशि
167.95	9888

8697 लाख रुपए की अन्य आय शामिल नहीं है।

5. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम

1) उत्पाद विवरण

जलविद्युत का उत्पादन

मद कोड संख्या

-

2) उत्पाद विवरण

-

मद कोड संख्या

-

3) उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या

-

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

कृते ओ.पी टोटला एंड कंपनी सनदी लेखाकार	**आर.के तनेजा** निदेशक	**डी.पी. भार्गव** मुख्य कार्यपालक निदेशक	**एस.के. गर्ग** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सी. ए. एस. आर. टोटला भागीदार सदस्यता सं. 71774		**वी.के त्रिपाठी** कंपनी सचिव	**एम.डब्ल्यू खान** महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23 मई, 2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र से अनुबंधित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेतु	
ए) प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	37660		51607	
जोड़े - मूल्यह्रास	10194		6617	
बट्टे खाते मे डाले गए प्रारंभिक व्यय	-		144	
आकस्मिकता हेतु स्व-बीमा	3290		2021	
वापस लिया गया अधिक प्रावधान-लाभांश	3986		-	
पृथक लिए गए ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	18425		12977	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		**73555**		**73366**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
माल सूची में (वृद्धि)/ कमी	(41)		(96)	
विविध देनदार में (वृद्धि)/कमी	6670		(46361)	
ऋण तथा अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(80)		(220)	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(844)		668	
वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	14337	20042	(2429)	(48438)
		93597		**24928**
घटाएं: अदा किया गया कर (निवल)	3774		5836	
प्राप्त किए गए ब्याज को पृथक रूप से लिया गया है	534	4308	245	6081
प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न नकदी (ए)		**89289**		**18847**
बी) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों का क्रय तथा सीडब्ल्यूआईपी का पूंजीकरण	(216)		(60)	
चालू पूंजीगत कार्य	(47389)		(74588)	
निर्माण भंडार तथा अग्रिम	483		5287	
प्राप्त ब्याज	534		245	
निवेश क्रियाकलापो में प्रयुक्त निवल नकदी (बी)		**(46588)**		**(69116)**
सी) वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां	-		-	
शेयर पूंजी जमा की प्राप्तियां	-		-	
ऋण से प्राप्तियां	10016		62510	
ऋण का पुनर्भुगतान	(14083)		-	
एसएसपी तथा सिंचाई घटक के प्रति मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त निधियाँ	7120		9824	
अदा किया गया लाभांश	(6815)		(2122)	
अदा किया गया लाभांश कर	(1158)		(297)	
अदा किया गया ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(22264)		(19765)	
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह (सी)		**(27184)**		**50150**
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		**15517**		**(119)**
नकदी तथा नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)		34940		35059
नकदी तथा नकदी तुल्य (अंतिम शेष)		50457		34940

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में 16364/-लाख रुपये (पिछले वर्ष 13966 लाख रुपये) की राशि शामिल है जो निगम द्वारा एल/सी की सीमांत राशि, स्व-बीमा आरक्षित तथा न्यूनतम एसक्रो शेष के प्रति धारित है जो अन्यथा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. 31.3.2008 को 320800 लाख रुपए के कुल स्वीकृत ऋण में से आहरित न किए गए ऋण की राशि 16800 लाख रुपए (पिछले वर्ष 26816 लाख रुपए) है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ-कहीं आवश्यक हो, पुन: समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित/री-कास्ट किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार — **कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से**

कृते ओ.पी टोटला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर.के. तनेजा
निदेशक

डी.पी. भार्गव
मुख्य कार्यपालक निदेशक

एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सी.ए. एस. आर. टोटला
भागीदार
सदस्यता सं. 71774

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

एम.डब्ल्यू खान
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23 मई, 2008

800 मेगावाट वाली पार्वती – II परियोजना (हिमाचल प्रदेश) – बांध स्थल

अनुबंध-VII

समूह (एनएचपीसी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी एनएचडीसी) के समेकित वित्तीय विवरणों पर बोर्ड को लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

लेंखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

1. हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (एनएचपीसी) और इसकी अनुषंगी कंपनी **नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड** (एनएचडीसी) के 31 मार्च, 2008 के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न समेकित लाभ एवं हानि लेखा, निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय के समेकित विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं और प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरण और घटकों के संबंध में अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नही की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्वातों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. हमने अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है और उसकी लेखा-परीक्षा मैसर्स ओ.पी.टोटला एण्ड कंपनी द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारे मतानुसार जहाँ तक अनुषंगी कंपनी के संबंध में शामिल की गई राशियों का संबंध है, यह पूर्णत : लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर है। समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने की सीमा तक परिसंपत्तियों, राजस्व और निवल नकदी प्रवाह के संबंध में अनुषंगी कम्पनी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

(राशि करोड़ में)

नाम अनुषंगी कंपनी	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुंषगी एनएचडीसी	7484.87	768.07	155.17

4. हम सूचित करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकंन मानक-21, समेकित वित्तीय विवरण की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है।

5. संगम अनुच्छेद के संशोधित खंड 33 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक सदस्य संख्या के 50% से कम नहीं होनी चाहिए, जिसके अनुपालन की आवश्यकता है।

निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार करती है। जून, 2008 तक 5 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

6. (क) सुबानसिरी (मिडिल और अपर) तथा सियांग (अपर) परियोजनाओं में निर्माण कार्य अदालत/राज्य सरकार के हस्तक्षेप/जन आंदोलन आदि की वजह से लंबित हुए काफी अधिक समय अर्थात 2 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं । कंपनी ने ऐसी परियोजनाओं पर राजस्व व्यय किए जाने को जारी रखा है। वर्ष के दौरान ऐसे व्यय की राशि 9.04 करोड़ रूपये थी और 31.3.07 तक किए गए व्यय की राशि 26.34 करोड़ रूपये थी। सामान्यत : स्वीकार्य लेखांकन सिद्वातों के अनुसार ऐसे असामान्य व्यय/हानियों को राजस्व पर प्रभारित किया जाना होता है न कि पूंजीकृत किया जाना। चूंकि इनसे परियोजनाओं के मूल्य में कोई वृद्वि नहीं होती है और इन्हें राजस्व पर प्रभारित करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारे मत में वर्तमान वर्ष हेतु लाभ को 9.04 करोड़ रूपये से, चालू पूंजीगत कार्य और आरक्षित तथा अधिशेष को 35.68 करोड़ रूपये से अधिक बताया गया है।

(ख) चालू पूंजीगत कार्यो में परियोजनाओं नामतः सुबानसिरी (मिडिल तथा अपर) और सियांग (अपर) पर अदालत/राज्य सरकार/जन आंदोलन के हस्तेक्षप के परिणामस्वरूप क्रियाकलाप स्थगित होने की अवधि के दौरान सर्वेक्षण तथा जाँच पर खर्च की गई 1.90 करोड़ रूपये की राशि शामिल है। परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका है।

भारत विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य किया गया, इसके लिए सरकार द्वारा इक्विटी सपोर्ट भी उपलब्ध कराया गया। उक्त अधिसूचना अभी तक वापस नहीं ली गई है। कंपनी निरंतर लेखा प्रक्रिया का पालन कर रही है, जो कि वित्तीय वर्ष 2007-08 की लेखा नीति में दी गई हैं। परियोजना को छोड़े जाने का निर्णय होने पर चार्जिंग ऑफ खर्च को लाभ तथा हानि खाते में लिया गया है। चूंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अब तक परियोजनाओं को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए आकस्मिक खर्च सहित सर्वेक्षण तथा अन्वेषण पर खर्च पूंजीगत कार्य प्रगति के अर्तगत किया जाना जारी है।

7. एनएचपीसी लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी एनएचडीसी के वित्तीय विवरणों को बनाते समय निम्नलिखित व्ययों को राजस्व पर प्रभारित करने के संबंध में समान लेखांकन नीतियां/पद्धतियां नहीं अपनाई गई हैं।

		31 मार्च, 2008 तथा 31 मार्च, 2007	
क्र. सं.	*नीति/पद्धति*	*एनएचपीसी*	*एनएचडीसी*
1	*जलमग्न हुई भूमि सहित पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन से संबंधित भुगतान*	*भूमि-अवर्गीकृत के रूप में मानी गई*	*बांध लागत के रूप में मानी गई*

सहयोगी कंपनी सही समय पर लेखा नीति की समीक्षा के लिए सहमत है।

यदि समान नीति/पद्धति को अपनाया जाता तो समूह का वर्ष हेतु लाभ (अल्पसंख्यक हित का निवल) 6.74 करोड़ रूपये कम होता। इसके अतिरिक्त, अचल परिसंपत्तियों तथा पूंजीगत आरक्षित को क्रमशः 71.44 करोड़ रूपये और 28.32 करोड़ रूपये अधिक बताया गया है, अल्पसंख्यक हित और भण्डार तथा अधिशेष को क्रमशः 21.13 करोड़ रूपये तथा 21.99 करोड़ रूपये अधिक बताया गया है।

8. *कंपनी ने 89.83 करोड़ रूपये के स्व-बीमा आरक्षित (निवल) को लाभ एवं हानि विनियोजन लेखे पर प्रभारित करने के बजाए लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित करके बनाया है इसे परिमाणतमः 89.83 करोड़ रूपये (अल्पसंख्यक हित का निवल) की सीमा तक निवल लाभ को कम बताने में परिणत हुआ है।*

9. *उक्त पैराग्राफ 6 से 8 में उल्लिखित हमारे अभिमतों के अधीन, पता लगाए जाने की सीमा तक उक्त का वर्ष हेतु समूह के लाभ को 74.05 करोड़ रूपये से कम बताए जाने, चालू पूंजीगत कार्य तथा अचल परिसंपत्तियों को क्रमशः 35. 68 करोड़ रूपये और 71.44 करोड़ रूपये से अधिक बताने एवं आरक्षित व अधिशेष, पूंजीगत आरक्षित तथा अल्पसंख्यक हित को क्रमशः 57.37 करोड़ रूपये, 28.32 करोड़ रूपये, और 21.13 करोड़ रूपये से अधिक बताने का निवल प्रभाव हुआ है। अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि हमें दी गई सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण और एनएचपीसी समूह के व्यक्तिगत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करते हुए हमारा यह मत है कि उक्त समेकित विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।*

क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2008 को समूह की स्थिति का,

ख) समेकित लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त अवधि हेतु समूह के लाभ का, और

ग) निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय के समेकित विवरण के मामले में सूचना देने वाली तिथि को समाप्त अवधि तक किए गए व्यय का।

घ) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त अवधि हेतु समूह के नकदी प्रवाह का।

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30 मई, 2008

कंपनी 1997-98 से लगातार इसी तरह की लेखा प्रक्रिया प्रयोग में ला रही है। फिर भी हाल ही में आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति, द्वारा जारी स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान लेखा प्रकिया की समीक्षा की जाएगी।

उपरोक्तानुसार

31 मार्च, 2008 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रूपये में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2008			31 मार्च, 2007		
निधियों के स्रोत							
ए. शेयरधारकों की निधि							
i) शेयर पूंजी	1		11182.49			11198.21	
ii) इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			-			8.83	
iii) आरक्षित तथा अधिशेष	2		7747.23	18929.72		6797.26	18004.30
बी. अल्पसंख्यक हित				1396.69			1257.86
सी. ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3		9902.65			7562.63	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		2952.84	12855.49		2909.16	10471.79
डी. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि				1303.26			1245.98
ई. विलंबित कर देयता (निवल)							
विलंबित कर देयताएं			2429.21			2029.08	
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर			2429.21	-		2029.08	-
कुल				**34485.16**			**30979.93**
निधियों का उपयोग							
ए. स्थिर पूंजी व्यय							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
(क) सकल ब्लाक		27224.56			17027.37		
घटाएं-मूल्यह्रास		3607.46			3073.97		
(ख) निवल ब्लाक			23617.10			13953.40	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		6337.91			13408.92	
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7		1077.74	31032.75		861.66	28223.98
बी. निवेश	8			2046.79			2320.33
सी. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9						
i) निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज		91.91			103.54		
ii) मालसूची		42.75			47.12		
iii) संविदा कार्य प्रगति पर		699.46			279.97		
iv) विविध देनदार		904.58			914.38		
v) नकदी तथा बैंक शेष		2345.87			816.29		
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		234.98			163.67		
vii) ऋण तथा अग्रिम		857.56	5177.11		463.49	2788.46	
घटाएं-वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		2024.96			1294.05		
ii) प्रावधान		1746.87	3771.83		1084.59	2378.64	
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां				1405.28			409.82
डी विविध व्यय (बटटेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11			0.34			25.80
कुल				**34485.16**			**30979.93**
लेखांकन नीतियां	23						
लेखे पर टिप्पणी	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

ए.बी.एल.श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई, 2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रूपये में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2008			31 मार्च, 2007		
आय							
i) बिक्री	12		2982.10			2711.30	
घटाएं - टैरिफ समायोजन		-			(7.17)		
घटाएं - मूल्यहृास के प्रति अग्रिम	12ए		57.27	2924.83		215.81	2502.66
ii) संविदाएं तथा परामर्शी आय	13			326.49			128.75
iii) अन्य आय	14			637.35			311.89
कुल आय				**3888.67**			**2943.30**
व्यय							
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15			345.55			221.37
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16			339.93			251.14
iii) मूल्यहृास	17			545.54			356.70
iv) ब्याज तथा वित्त प्रभार	18			795.79			361.51
v) प्रावधान	19			11.43			23.74
vi) संविदा तथा परामर्शी व्यय	20			319.09			126.43
कुल व्यय				**2357.33**			**1340.89**
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन				**1531.34**			**1602.41**
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21			42.35			9.42
कर पूर्व लाभ				**1488.99**			**1592.99**
कराधान हेतु प्रावधान							
i) वर्तमान कर			164.30			186.89	
ii) छुट-पुट लाभ कर			10.18			9.46	
iii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		15.07			28.36		
iv) विलंबित कर		400.13			351.36		
घटाएं- प्राप्य विलंबित कर समायोजन		400.13	-	189.55	351.36	-	224.71
कर पश्चात लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन से पूर्व)			**1299.44**				**1368.28**
अल्पसंख्यक हित को अंतरित लाभ/ (हानि) का अंश				153.27			214.10
कर पश्चात लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन के पश्चात)			**1146.17**			**1154.18**	
पिछले वर्ष के लेखे से अग्रेणीत शेष				990.96			2893.51
वापस लिया गया अत्यधिक प्रावधान-लाभांश				2.95			83.75
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष				**2140.08**			**4131.44**
i) बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित				23.75			-
ii) लाभ से आरक्षित को विनियोजन				-			2,800.00
iii) लाभांश:							
- अंतरिम				100.00			72.00
- प्रस्तावित				200.00			206.00
iv) लाभांश पर कर:							
- अंतरिम				17.00			10.10
- प्रस्तावित				50.79			52.38
तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष				**1748.54**			**990.96**
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	22						
लेखांकन नीतियां	23						
लेखाओं पर टिप्पणियां	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

ए.बी.एल.श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई, 2008

अनुसूची-1 शेयर पूंजी

(करोड़ रूपये में)

	01.04.2007 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2008 के अनुसार अंतिम शेष
प्राधिकृत: 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर)	15,000.00	-	-	15,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त: पूर्णत: प्रदत्त 10/- रुपए प्रत्येक के 11,182,493,430 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 11,198,212,500 इक्विटी शेयर) पूर्णत: प्रदत्त (उक्त में से 10/- रुपये प्रत्येक के 62,952,960 शेयरों को भारत सरकार के साथ समझौते के अनुपालन में नकदी के अन्यथा विचार पर आवंटित किया गया है।	11,198.21	8.83	24.55*	11,182.49
कुल	**11,198.21**	**8.83**	**24.55**	**11,182.49**

*** देखें लेखे की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 3 (अनुसूची-24)**

अनुसूची - 2 आरक्षित व अधिशेष

(करोड़ रुपये में)

	31मार्च, 2008				31मार्च, 2007			
	01.04.2007 को प्रारंभिक शेष	वृद्धि	कटौतीयां	31.03.2008 को अंतिम शेष	01.04.2006 को प्रारंभिक शेष	वृद्धि	कटौतीयां	31.03.2007 को अंतिम शेष
समेकन पर पूंजीगत आरक्षित	3.54	-	-	3.54	3.54	-	-	3.54
पूंजीगत आरक्षित-परिसंपत्तियों की बिक्री	0.06	-	0.06	-	0.06	-	-	0.06
पूंजीगत अनुदान - मध्य प्रदेश सरकार, एनवीडीए से इंदिरा सागर, सरदार सरोवर परियोजना तथा ओमकारेशवर हेतु	1,127,52	101.81	23.14	1,206.19	1,101.70	45.32	19.50	1,127.52
बॉण्ड शोधन आरक्षित	118.75	23.75	-	142.50	202.50	-	83.75	118.75
सामान्य आरक्षित	4,120,00	-	(0.06)	4,120.06	1,320.00	2,800.00	-	4,120.00
लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	987.42	1,149.12	391.54	1,745.00	2,889.97	1,288.02	3,190.57	987.42
आकस्मिकताओ हेतु स्व-बीमा	441.43	100.53	10.70	531.17	374.58	67.65	0.89	441.34
घटाएं - स्व-बीमा आरक्षित से प्रतिपूर्ति योग्य हानियां	1.37 439.97	10.73 89.80	10.87 (0.17)	1.23 529.94	0.39 374.19	0.98 66.67	- 0.89	1.37 439.97
कुल	**6,797.26**	**1,364,48**	**414.51**	**7,747.23**	**5,891.96**	**4,200.01**	**3,294.71**	**6,797.26**

अनुसूची-3 ऋण निधियां - प्रतिभूत

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
ए. बॉण्ड	570.00	570.00
बी. सावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - भारतीय मुद्रा	9332.65	6992.63
कुल (परिशिष्ट देखें)	**9902.65**	**7,562.63**

अनुसूची-3 का परिशिष्ट

ऋण निधियां - प्रतिभूत

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
(ए). बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)		
बॉण्ड - ओ श्रृंखला *2 (100,000,000/- रुपए प्रत्येक के 7.7% 15 वर्षीय बॉण्ड, जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (सबसे पहले विमोचन 31.03.09) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 57 करोड़ रुपए)	570.00	570.00
कुल बॉण्ड (ए)	**570.00**	**570.00**
(बी). सावधि ऋण		
केनरा बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 17 करोड़ रुपए) (31.01.09 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	85.00	85.00
इंडियन ओवरसीज बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 12.50 करोड़ रुपए) (06.12.08 से 4 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	50.00	50.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 4 करोड़ रुपए) (09.07.07 से अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	36.00	40.00
बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (24.12.06 से 10 वर्षों की 40 त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	85.00	95.00
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (02.05.04 से 5 करोड़ रुपए की 20 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	60.00	70.00
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 14.28 करोड़ रुपए) (13.02.07 से 14 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	78.57	92.86
पंजाब एण्ड सिंध बैंक *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (24.10.06 से 10 वर्षों की 40 त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	85.00	95.00
पंजाब नेशनल बैंक *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 15 करोड़ रुपए) (26.10.04 से 10 वर्षों की 20 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	97.50	112.50
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.14 करोड़ रुपए) (30.01.07 से 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	39.29	46.43
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.14 करोड़ रुपए) (07.01.07 से 7 वर्षों की 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	39.29	46.43
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 21.43 करोड़ रुपए) (18.09.06 से 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	107.14	128.57
केनरा बैंक *4 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (28.06.09 से 4 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	50.00	50.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.04.09 से 12 वर्षों की 24 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	2500.00	2062.00
केनरा बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए) (09.11.07 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	180.00	200.00
सिंडिकेट बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.30 करोड़ रुपए) (23.02.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	164.70	183.00

अनुसूची-3 का परिशिष्ट (जारी)

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए) (31.03.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	180.00	200.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (27.12.11 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *6 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (30.04.12 से 12 वर्षों की 24 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1496.00	296.00
इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (28.02.12 से 3 समान किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	50.00	-
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड *9 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 60,000,000/- रुपए) (15.10.08 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	120.00	-
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड *9 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	70.00	-
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड *10 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.04.10 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	190.00	-
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.07.09 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	260.00	-
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.04.09 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	210.00	-
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 16.67 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	183.33	200.00
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 8.33 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	91.66	100.00
बैंक ऑफ इंडिया *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 29.17 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	320.83	350.00
आंध्रा बैंक *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 8.33 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	91.67	100.00
केनरा बैंक *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 12.50 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	137.50	150.00
देना बैंक *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 8.33 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	91.67	100.00
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 8.33 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	91.67	100.00

अनुसूची-3 का परिशिष्ट (जारी)

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
पंजाब एण्ड सिंध बैंक *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 4.166 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	45.83	50.00
सिडबी *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 8.33 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	91.67	100.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 8.33 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	91.67	100.00
पंजाब नेशनल बैंक *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 22.92 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	252.08	275.00
इंडियन ओवरसीज बैंक *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 4.16 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	45.83	50.00
बैंक ऑफ बड़ौदा *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1.25 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	13.75	15.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 30.00 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	300.00	290.17
इंडियन ओवरसीज बैंक *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 5.00 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	50.00	48.33
कारपोरेशन बैंक *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10.00 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	96.76
केनरा बैंक *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10.40 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	104.00	100.57
सेन्ट्रल बैंक *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 13.80 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	138.00	133.48
पंजाब नेशनल बैंक *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 17.30 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	173.00	167.37
सिडबी *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 3.50 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	35.00	33.84
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.50 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	75.00	74.47
सिंडिकेट बैंक *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.50 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	75.00	72.55
ओरियँटल बैंक ऑफ कामर्स *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 15.00 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	150.00	145.09
इलाहाबाद बैंक *13 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 15.00 करोड़ रुपए) (31.03.2009 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	150.00	87.21
कुल प्रतिभूत ऋण (बी)	**9332.65**	**6992.63**
कुल (ए+बी)	**9902.65**	**7562.63**

अनुसूची - 3 का परिशिष्ट

टिप्पणी

*1. कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन -। के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन /बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित ।

*2. कारपोरेशन के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन /बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित ।

*3. कारपोरेशन के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन-।। के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन /बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित ।

*4. कंपनी के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकटक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित ।

*5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-।। की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित ।

*6. कंपनी के अरूणाचल प्रदेश राज्य में स्थित सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की अचल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लो डैम-।।। जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता-5 जल विद्युत परियोजनाओं की अचल /चल परिसंपत्तियों को समान बंधक/रेहन रखकर संरक्षित ।

*7. कंपनी की उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत ।

*8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम प्रभार द्वारा संरक्षित । प्रभार को 9.5.2008 को आरओसी के समक्ष दायर किया गया है।

*9. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम प्रभार द्वारा संरक्षित। प्रभार को 2.5.2008 को आरओसी के समक्ष दायर किया गया है ।

*10. जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित क्रमशः उड़ी-। विद्युत स्टेशन तथा चमेरा-।। विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की अचल/चल परिसंपत्तियों को बंधक/रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित । प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार को अभी आरओसी के समक्ष दायर किया जाना है ।

*11. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा-। विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की अचल/चल परिसंपत्तियों को बंधक/रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित । प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार को अभी आरओसी के समक्ष दायर किया जाना है।

*12. इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन के दीर्घावधि ऋण के बकाया भाग के संबंध में चल संपत्ति/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख और कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को रेहन के रूप में ऋणदाता के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित ।

*13. ओंकारेश्वर विद्युत स्टेशन के दीर्घावधि ऋण के बकाया भाग के संबंध में चल संपत्ति/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख और कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को रेहन के रूप में ऋणदाता के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित ।

अनुसूची - 4 ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
सावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा		
(ए) भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	2737.41	2710.04
(बी) अन्य	215.43	199.12
कुल (परिशिष्ट देखें)	**2952.84**	**2909.16**

अनुसूची 4 का परिशिष्ट

ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(करोड़ रूपये में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा					
(ए)	**भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत**				
i)	**नौरडिक इंवेस्टमेंट बैंक** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20.21 करोड़ रुपए)	60.62		88.20	
ii)	**क्रेडिट कमर्शियल डीई फ्रांस** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 107.30 करोड़ रुपए)	268.25		346.38	
iii)	**एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 54.74 करोड़ रुपए)	402.42		439.60	
iv)	**जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-1** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 9.77 करोड़ रुपए)	175.89		171.61	
v)	**जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-2** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 32.06 करोड़ रुपए)	641.14		607.43	
vi)	**जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-3** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	472.48		422.95	
vii)	**ड्यूश बैंक तथा अन्य** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	716.61	2,737.41	633.87	2,710.04
(बी)	**अन्य**				
	ईसीबी - बारक्ले तथा एससीबी (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)		215.43		199.12
	कुल		**2,952.84**		**2,909.16**

अनुसूची - 5 अचल परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

		सकल ब्लाक 01.04.2007	सकल ब्लाक वर्धन/ समायोजन	सकल ब्लाक कटौती/ समायोजन	सकल ब्लाक 31.03.2008	मूल्यह्रास 01.04.2007	मूल्यह्रास वर्ष हेतु	मूल्यह्रास समायोजन	मूल्यह्रास 31.03.2008	निवल ब्लॉक 31.03.2008	निवल ब्लॉक 31.03.2007
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	187.53	8.69	2.69	193.53	-	-	-	-	193.53	187.53
ii)	भूमि-पट्टेवाली	46.70	24.18	3.25	67.63	3.05	0.62	(0.97)	2.70	64.93	43.65
iii)	भूमि-अवर्गीकृत/उपयोग का अधिकार	512.87	172.35	9.67	675.55	9.46	0.93	-	10.39	665.16	503.41
iv)	भवन	1,737.14	557.04	25.71	2,268.47	333.88	58.61	(22.30)	370.19	1,898.28	1,403.26
v)	सड़कें तथा पुल	319.39	49.59	8.35	360.63	44.70	7.43	(6.30)	45.83	314.80	274.69
vi)	रेलवे साइडिंग	13.34	11.27	0.35	24.26	0.48	0.51	(0.35)	0.64	23.62	12.86
vii)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाईड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	9,858.27	6,362.60	3.85	16,217.02	1,515.31	308.68	0.11	1,824.10	14,392.92	8,342.96
viii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,859.50	3,010.40	4.28	6,865.62	939.81	193.70	(0.83)	1,132.68	5,732.94	2,919.69
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	89.04	21.60	4.42	106.22	33.79	3.28	(4.39)	32.68	73.54	55.25
x)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	44.45	26.71	13.16	58.00	16.53	2.35	(12.16)	6.72	51.28	27.92
xi)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	24.56	2.49	2.13	24.92	8.07	1.28	(1.43)	7.92	17.00	16.49
xii)	निर्माण उपकरण	75.52	9.02	10.58	73.96	40.56	7.23	(5.99)	41.80	32.16	34.96
xiii)	जल आपूर्ति प्रणाली/ निकास तथा सीवरेज	23.84	2.96	0.58	26.22	1.99	0.50	(0.53)	1.96	24.26	21.85
xiv)	विद्युत संस्थापनाएं	3.25	0.14	0.06	3.33	0.52	0.20	(0.04)	0.68	2.65	2.73
xv)	वाहन	33.26	1.93	6.81	28.38	26.18	1.95	(5.62)	22.51	5.87	7.08
xvi)	विमान/नौका	1.26	0.06	0.30	1.02	0.87	0.10	(0.23)	0.74	0.28	0.39
xvii)	फर्नीचर तथा फिक्सचर	36.09	5.30	3.18	38.21	11.83	2.93	(2.01)	12.75	25.46	24.26
xviii)	कम्प्यूटर	38.03	7.49	4.01	41.51	28.20	4.88	(2.57)	30.51	11.00	9.83
xix)	संचार उपकरण	23.20	3.66	4.25	22.61	11.89	1.60	(1.80)	11.69	10.92	11.31
xx)	कार्यालय उपकरण	33.66	3.63	2.59	34.70	9.77	2.68	(1.67)	10.78	23.92	23.89
xxi)	अनुसंधान एवं विकास	0.16	-	-	0.16	0.03	0.01	-	0.04	0.12	0.13
xxii)	अमूर्त परिसंपत्तियां (सॉफ्टवेयर)	7.32	1.77	1.54	7.55	5.87	1.29	(0.59)	6.57	0.98	1.45
xxiii)	अन्य परिसंपत्तियां	38.59	6.73	4.77	40.55	13.53	2.17	(2.33)	13.37	27.18	25.06
xxiv)	एनएचपीसी का स्वामित्व न होने वाली परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय	1.75	24.92	0.09	26.58	0.35	3.07	0.01	3.43	23.15	1.40
xxv)	750 रु. से अधिक तथा 5000 रुपए से कम मूल्य वाली अचल परिसंपत्तियां	17.31	2.37	2.89	16.79	17.30	2.04	(2.56)	16.78	0.01	0.01
xxvi)	अप्रचलित/अधिशेष परिसंपत्तियां	1.34	0.57	0.77	1.14	-	-	-	-	1.14	1.34
	कुल	**17,027.37**	**10,317.47**	**120.28**	**27,224.56**	**3,073.97**	**608.04**	**(74.55)**	**3,607.46**	**23,617.10**	**13,953.40**
	गत वर्ष	**16,727.36**	**462.95**	**162.94**	**17,027.37**	**2,662.20**	**415.53**	**(3.76)**	**3,073.97**	**13,953.40**	**14,065.16**

अनुसूची - 6 चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपये में)

		01.04.2007	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2008
i)	भवन	1,117.41	231.94	(425.07)	527.42	396.86
ii)	सड़कें तथा पुल	68.89	37.72	9.18	49.22	66.57
iii)	रेलवे साइडिंग	4.49	-	0.01	-	4.50
iv)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	4,992.09	1,138.95	1,988.45	5,796.06	2,323.43
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,500.53	534.29	826.59	2,870.76	990.65
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	15.58	4.04	(0.18)	18.95	0.49
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	23.29	3.10	0.18	24.56	2.01
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	1.18	2.17	(0.06)	1.55	1.74
ix)	निर्माण उपकरण	-	1.80	-	1.80	-
x)	जल आपूर्ति प्रणाली - निकास तथा सीवरेज	1.74	2.59	(0.30)	2.52	1.51
xi)	अमूर्त परिसंपत्तियां	-	1.24	-	-	1.24
xii)	एनएचपीसी के स्वामित्व में न होने वाली परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय	21.46	19.15	(0.06)	24.81	15.74
xiii)	सर्वेक्षण, जाँच, परामर्शी तथा पर्यवेक्षण प्रभार	151.97	10.68	(14.51)	26.52	121.62
xiv)	प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	147.29	305.08	(0.45)	441.65	10.27
xv)	निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय	4,363.00	877.39*	(2,592.96)	246.15	2,401.28
	कुल	**13,408.92**	**3,170.14**	**(209.18)**	**10,031.97**	**6,337.91**
	विगत वर्ष	**10147.70**	**3552.35**	**(25.92)**	**265.21**	**13408.92**

* देखें अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय।

अनुसूची - 7 निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
ए.निर्माण भंडार				
(प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित मूल्यांकित तथा लागत पर किए अनुसार)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	72.21		79.68	
ii) खुले औजार	0.03		0.07	
iii) रद्दी मालसूची	0.07		0.05	
iv) परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	58.95		2.16	
v) संविदाकारों/फैब्रीकेटर्स को जारी सामग्री	61.19		79.19	
घटाएं - निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान	3.29	189.16	16.20	144.95
बी.पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
i) प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	75.82		78.00	
ii) अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)				
- बैंक गारंटी के प्रति	711.66		568.05	
- अन्य	101.10		70.66	
iii) अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	2.28		2.28	
घटाएं - संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान	2.28	888.58	2.28	716.71
कुल		**1077.74**		**861.66**
निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16.20		13.28	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		2.98	
वर्ष के दौरान समायोजन	(12.91)		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		0.06	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		**3.29**		**16.20**
संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2.28		0.02	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		2.26	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		**2.28**		**2.28**

अनुसूची - 8 निवेश

(करोड़ रूपये में)

	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या वर्तमान वर्ष/ (गत वर्ष)	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपए में)	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
दीर्घावधि (व्यापार-जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों)				
ए. उद्धृत				
इक्विटी शेयर $				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	12000000 (12000000)	10	12.00	12.00
इंडियन ओवरसीज बैंक (गैर-व्यापार)	360800 (360800)	10	0.36	0.36
उप-जोड़ (ए)			**12.36**	**12.36**
बी. अनुद्धृत				
बॉण्ड $				
निम्नलिखित राज्य सरकार के 8.50 प्रतिशत करमुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड				
अरूणाचल प्रदेश	7776 (8748)	1,000	0.78	0.87
बिहार	152560 (171630)	1,000	15.25	17.16
हरियाणा	4520000 (5085000)	1,000	452.00	508.50
हिमाचल प्रदेश	142944 (160812)	1,000	14.29	16.08
जम्मू एवं कश्मीर	6165568 (6936264)	1,000	616.56	693.63
झारखंड	114480 (128790)	1,000	11.45	12.88
मेघालय	4256 (4788)	1,000	0.43	0.48
मिज़ोरम	25680 (28890)	1,000	2.57	2.89
नागालैण्ड	55360 (62280)	1,000	5.53	6.23
पंजाब	1782480 (2005290)	1,000	178.25	200.53
राजस्थान	284910 (512838)	1,000	28.49	51.28
सिक्किम	18688 (21024)	1,000	1.87	2.10
त्रिपुरा	21344 (24012)	1,000	2.13	2.40
उत्तर प्रदेश	6295120 (7082010)	1,000	629.51	708.20
उत्तराखंड	699440 (786870)	1,000	69.94	78.69
पश्चिम बंगाल	53776 (60498)	1,000	5.38	6.05
उप जोड़ (बी)			**2034.43**	**2307.97**
जोड़ (ए+बी)			**2046.79**	**2320.33**
$ डीमैट रूप में				
उद्धृत निवेश				
(i) संचयी लागत			12.36	12.36
(ii) संचयी बाजार मूल्य				
- एनएसई उद्धृत			121.03	75.1
- बीएसई उद्धृत			120.20	75.18
अनुद्धृत निवेश				
संचित लागत			2034.43	2307.97

अनुसूची - 9 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2008			31 मार्च, 2007		
ए. निवेश पर उपार्जित ब्याज		91.91			103.54	
बी. माल सूचियां						
(प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)						
i) भंडार तथा कलपुर्जे		62.43			47.36	
ii) खुले औजार		0.68			0.60	
iii) रद्दी माल सूची		1.20			1.00	
iv) मार्गस्थ भंडार जिसका निरीक्षण लंबित है		0.44			0.68	
v) निर्माण स्थल पर सामान		11.05			7.72	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान		2.75			3.03	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जों के लिए प्रावधान ***1**		35.80			13.27	
जोड़			42.75			47.12
सी. चालू कार्य						
चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	699.46			279.97		
डी. विविध देनदार (अप्रतिभूत)						
i) 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण						
- अच्छे माने गए		593.37			159.95	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए		77.13			75.94	
ii) अन्य ऋण						
- अच्छे माने गए		311.21			754.43	
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान ***2**		981.71			990.32	
		77.13			75.94	
कुल			904.58			914.38
ई. नकद एवं बैंक शेष						
i) हाथ में नकदी (0.09 करोड़ रुपए के चैक, ड्राफ्ट, हस्तगत मोहरे शामिल हैं, पिछले वर्ष 58.12 करोड़ रुपए)		0.56			58.61	
ii) बैंक शेष						
• अधिसूचित बैंकों के साथ						
- चालू खाते में		435.37			300.42	
- बचत खाते में		1909.75			457.06	
• अन्य बैंकों के साथ						
- चालू खाते में						
बैंक ऑफ भूटान, फूंटेशोहलिंग		0.19			0.07	
डॉश बैंक, टोकियो शाखा		-			0.13	
जोड़			2345.87			816.29
एफ. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां						
i) प्रोदभूत ब्याज						
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	15.31			-		
- उपभोक्ताओं से देयताओं के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		32.97			43.75	
- जमा	23.94			7.71		
ii) अन्य	70.60			66.42		
iii) विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त दावे	108.26			64.09		
घटाएं - संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान ***3**		16.10			18.30	
कुल			234.98			163.67
जी. ऋण तथा अग्रिम						
ए) ऋण						
i) कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)						
- प्रतिभूत	108.60			101.17		
ii) अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	24.65			29.50		
उपभोक्ताओं से देयताओं के निपटान में राज्य सरकार को ऋण						
अच्छे माने गए अप्रतिभूत	215.58			253.62		
iii) अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम						
- अच्छे माने गए अप्रतिभूत	225.00			-		
बी) अग्रिम						
(नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में प्राप्य)						
i) संविदाकार तथा आपूर्तिकर्ता						
प्रतिभूत	0.07			35.14		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए):						
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	20.83			16.85		
- अन्य	11.39			11.48		
अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	0.50			0.46		
ii) कर्मचारी						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	4.00			2.05		

अनुसूची - 9 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

			31 मार्च, 2008			31 मार्च, 2007
iii) अन्य अग्रिम						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	0.43			0.63		
घटाएं - संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान ***4**	<u>0.50</u>	610.55		<u>0.46</u>	450.44	
iv) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां		219.37			-	
सी) **जमा**						
अग्रिम आय कर	583.69			421.47		
घटाएं कराधान हेतु प्रावधान ***5**	<u>556.05</u>	27.64		<u>408.42</u>	13.05	
जोड़			857.56			463.49
जोड़ (ए से जी)			**5177.11**			**2788.46**

गैर-अधिसूचित बैंकों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष का ब्यौरा

		2007-08			2006-07	
बैंक ऑफ भूटान						
i) चालू खाता			0.30			0.19
ड्युश बैंक, टोकियो शाखा						
i) चालू खाता			12.92			0.99

निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों का ब्यौरा

i) अवधि के अंत में देय राशि		0.02		0.02
ii) वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि		0.03		0.06

उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

प्रावधानों के ब्यौरे

अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जों हेतु प्रावधान *1				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	13.27		9.77	
वर्ष के दौरान वर्धन	10.20		8.70	
वर्ष के दौरान समायोजन	12.91			
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.53		5.07	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	<u>0.05</u>		<u>0.13</u>	
अंतिम शेष		**35.80**		**13.27**
संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	75.94		77.07	
वर्ष के दौरान वर्धन	1.19		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		<u>1.13</u>	
अंतिम शेष		**77.13**		**75.94**
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	18.30		19.18	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.78		1.21	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.08		2.07	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	<u>2.90</u>		<u>0.02</u>	
अंतिम शेष		**16.10**		**18.30**
संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.46		0.44	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.04		0.02	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		**0.50**		**0.46**
कराधान हेतु प्रावधान *5				
पछले तुलन-पत्र के अनुसार	408.42		214.78	
वर्ष के दौरान वर्धन	189.57		224.70	
वर्ष के दौरान समायोजन	21.26		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	62.89		31.06	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	<u>0.31</u>		-	
अंतिम शेष		**556.05**		**408.42**

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
ए.	**देयताएं**				
i)	विविध लेनदार				
	क) लघु औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-		-	
	ख) मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-		-	
	ग) अन्य	733.44		540.86	
ii)	जमा / धारिता राशि	101.33		106.78	
iii)	जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	77.85		81.67	
	घटाएं - जमा कार्यों पर प्राप्य राशि	(23.31)		(0.05)	
iv)	ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	193.56		139.86	
v)	परियोजना/संविदाओं की लागत के प्रति अग्रिम	669.29		273.47	
vi)	सहायता अनुदान - जिनका उपयोग लंबित है	38.59		69.21	
vii)	विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	67.86		-	
viii)	अन्य देयताएं	166.35		82.25	
	कुल देयताएं (ए)		**2024.96**		**1294.05**
बी.	**प्रावधान**				
i)	**प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	206.00		159.00	
	वर्ष के दौरान वर्धन	200.00		206.00	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	206.00		159.00	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		200.00		206.00
ii)	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	52.38		25.28	
	वर्ष के दौरान वर्धन	50.79		52.38	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	46.59		25.28	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	5.79		-	
	अंतिम शेष		50.79		52.38
iii)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	42.00		74.70	
	वर्ष के दौरान वर्धन	159.60		42.01	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.87		46.79	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.04		27.92	
	अंतिम शेष		200.69		42.00
iv)	**उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	31.47		29.82	
	वर्ष के दौरान वर्धन	36.13		31.14	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	27.08		17.25	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	4.48		12.24	
	अंतिम शेष		36.04		31.47
v)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	509.84		421.74	
	वर्ष के दौरान वर्धन	109.95		114.30	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	45.75		26.20	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		574.04		509.84
vi)	**प्रावधान - अन्य**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.72		0.28	
	वर्ष के दौरान वर्धन	34.99		3.51	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.13		0.07	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		37.58		3.72
vii)	**परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	8.87		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		8.87	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		8.87		8.87

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
viii)	**आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.73		1.77	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		0.04	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.63		-	
	अंतिम शेष		0.10		1.73
ix)	**हेजिंग कारोबार पर हानि हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	23.00		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		23.00		-
x)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**				
	पछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		69.89	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		62.72	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		7.17	
	अंतिम शेष		-		-
xi)	**विद्युत के स्व-उपभोग हेतु प्रावधान**				
	पछले तुलन-पत्र के अनुसार	6.45		6.45	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6.45		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		-		6.45
xii)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**				
	पछले तुलन-पत्र के अनुसार	222.13		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	433.84		222.13	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	38.62		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.59		-	
	अंतिम शेष		615.76		222.13
	कुल प्रावधान (बी)		**1746.87**		**1084.59**
	कुल (ए+बी)		**3771.83**		**2378.64**

अनुसूची - 11 विविध व्यय
(बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
i)	शेयर जारी करने का व्यय (आईपीओ)		0.34		1.25
ii)	समायोजन प्रतीक्षित व्यय		-		24.55
iii)	बट्टेखाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	2.90		2.60	
	घटाएं - लंबित जाँच हानियों हेतु प्रावधान	2.90	-	2.60	-
	कुल		**0.34**		**25.80**

अनुसूची - 12 बिक्री

(Rupees in crore)

	31st March, 2008	31st March, 2007
विद्युत की बिक्री	3025.51	2711.64
घटाएं - विद्युत के उत्पादन से आय - प्रारंभ किए जाने से पूर्व (अनुसूची-22 1 (i) को अंतरित)	43.41	0.34
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**2982.10**	**2711.30**

अनुसूची - 12ए - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
वर्ष के दौरान विलंबित	72.16	223.45
घटाएं - वर्ष के दौरान बट्टेखाते में डाला गया	14.89	7.64
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**57.27**	**215.81**

अनुसूची - 13 - संविदाएं तथा परामर्शी आय

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
संविदा आय	324.53	125.46
परामर्शी आय	1.96	3.29
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**326.49**	**128.75**

अनुसूची - 14 - अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
i)	**दीर्घावधि निवेश से आय**				
क)	**व्यापार**				
	- लाभांश - अन्य	1.20		1.20	
	ब्याज				
	सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% करमुक्त बॉण्ड))	189.28		212.53	
ख)	**गैर-व्यापार**				
	लाभांश आय - अन्य	0.11		0.09	
ii)	**अन्य आय**				
क)	**ब्याज**				
	- उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	19.94		21.56	
	- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	15.31		-	
	- भारतीय बैंक (सकल)				
	(स्रोत पर कटौती किया गया कर 18,86,647/- रुपए, पिछले वर्ष 4,81,065/- रुपए)	90.05		50.03	
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	6.64		6.64	
	- लाभग्राही राज्यों से ब्याज	59.35		1.46	
	- अन्य	48.66		36.73	
ख)	विलंब भुगतान अधिभार	2.07		7.92	
ग)	परियोजना के अंतरण पर लाभ	52.00		-	
घ)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.03		0.68	
ड़)	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	12.53		43.16	
च)	विनिमय दर अंतर	4.45		45.91	
छ)	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव समायोजन (ऋण)	189.53		-	
ज)	अन्य	22.66		24.30	
	कुल		**716.81**		**452.21**
	घटाएं: आईईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 ई (ii), 22 I (ii) से (vi) तथा 22 जे (i))		76.45		138.05
	घटाएं: संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित आय (देखें अनुसूची - 20)	3.01		2.27	
	लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल		**637.35**		**311.89**
	# पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले देयताओं/प्रावधानों के ब्यौरे				
क)	खराब तथा संदिग्ध ऋण		-		1.13
ख)	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-		-	
ग)	खराब तथा संदिग्ध दावे		2.90		0.02
घ)	भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	0.05		0.13	
ड.)	आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		1.63		-
च)	मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान		0.04		27.92
छ)	जाँच लंबित होने वाली हानियों हेतु प्रावधान	-		0.01	
ज)	उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	4.48		12.24	
झ)	अन्य प्रावधान/देयताएं, जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है		3.43		1.71
	कुल		**12.53**		**43.16**

अनुसूची - 15 - उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

			31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
i)	भंडार तथा कलपुर्जों का उपभोग		8.08		6.75
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण:				
	- भवन	23.71		15.22	
	- मशीनरी	30.49		31.97	
	- अन्य	43.50	97.70	37.19	84.38
iii)	किराया/किराया प्रभार		26.58		23.33
iv)	दरें तथा कर		2.82		1.17
v)	बीमा		2.53		2.94
vi)	स्व-बीमा आरक्षित		116.65		77.55
vii)	सुरक्षा व्यय		65.46		47.78
viii)	विद्युत प्रभार		30.71		27.75
ix)	यात्रा एवं वाहन		17.99		16.90
x)	स्टाफ कार पर व्यय		9.44		12.16
xi)	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक		8.81		7.77
xii)	विज्ञापन तथा प्रचार		8.07		7.97
xiii)	मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय		0.58		0.67
xiv)	दान		0.07		0.05
xv)	मुद्रण तथा स्टेशनरी		6.31		5.19
xvi)	पुस्तकें तथा आवधिक पत्रिकाएं		0.50		0.55
xvii)	परामर्शी प्रभार - देशीय		3.44		4.78
xviii)	परामर्शी प्रभार - विदेशी		0.23		0.46
xix)	प्रतिपूरक वनीकरण/ कैचमेंट क्षेत्र उपचार पर व्यय		20.96		47.39
xx)	निगम का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय		41.20		19.31
xxi)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		1.60		0.68
xxii)	बट्टेखाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय		-		1.44
xxiii)	बट्टेखाते में डाले खराब ऋण/अग्रिम/दावे		-		0.01
xxiv)	बट्टेखाते में डाले गए भंडार		0.34		0.33
xxv)	बट्टेखाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियां		0.60		0.06
xxvi)	मध्यस्थता/अदालती मामलों पर ब्याज		0.66		3.09
xxvii)	अन्य सामान्य व्यय		37.43		22.60
xxviii)	विनिमय दर अंतर		15.79		18.45
xxix)	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव समायोजन (डेबिट)		17.37		-
xxx)	लेखा-परीक्षा व्यय		0.86		0.70
xxxi)	अनुसंधान एवं विकास व्यय		0.02		0.03
	कुल		**542.80**		**442.24**
	घटाएं: आईईडीसी को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 22 बी, 22 सी, 22 ई (i) तथा 22 जे (ii))		190.88		215.30
	घटाएं: संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		6.37		5.57
	लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल		**345.55**		**221.37**

अनुसूची - 16 - कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
i)	वेतन, मजदूरी और भत्ते	629.81	483.84
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	86.37	68.42
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	79.47	92.65
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	0.05	0.10
	कुल	**795.70**	**645.01**
	घटाएं : आईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची-22ए तथा 22 जे(3))	431.40	377.70
	घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची-20)	24.37	16.17
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**339.93**	**251.14**

अनुसूची - 17 - मूल्यह्रास

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	608.04	415.54
घटाएं : आईडीसी को अंतरित (देखें अनुसूची-22जी तथा 22जे(4)	38.81	39.05
घटाएं : संविदा तथा परामर्शी को अंतरित (देखें अनुसूची-20)	0.55	0.29
घटाएं : पूंजी अनुदान से अंतरित	23.14	19.50
लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल	**545.54**	**356.70**

अनुसूची - 18 - ब्याज तथा वित्त प्रभार

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
i)	निम्नलिखित पर ब्याज:				
	क) बॉण्ड	43.89		75.41	
	ख) विदेशी ऋण	99.37		112.80	
	ग) सावधि ऋण	648.37		467.65	
	घ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	0.06		0.04	
	ड.) ब्याज लागत में समायोजित माना गया विनिमय अंतर	183.35	975.04	-	655.90
ii)	हेजिंग लेन-देन पर हानि		23.00		-
iii)	बॉण्ड निर्गत/सेवा व्यय		1.03		1.25
iv)	बट्टेखाते में डाले गए शेयर निर्गत व्यय		1.11		-
v)	उपभोक्ताओं को छूट		31.09		24.16
vi)	प्रतिबद्धता शुल्क		0.27		0.47
vii)	ऋण पर गारंटी शुल्क		32.52		34.66
viii)	लाभग्राही राज्यों को ब्याज		0.16		2.25
ix)	बैंक प्रभार		1.24		0.94
x)	अन्य वित्त प्रभार		4.92		4.75
	कुल		**1070.38**		**724.38**
	घटाएं : आईईडीसी में अंतरण द्वारा पूंजीकृत ब्याज तथा वित्त प्रभार- (देखें अनुसूची 22डी तथा 22जे(5)		273.03		361.31
	घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची-20)	1.56		1.56	
	लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल		**795.79**		**361.51**

अनुसूची - 19 - प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
i)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	1.19	-
ii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0.04	2.29
iii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	0.78	3.95
iv)	भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	10.03	8.40
v)	कैट योजना/पर्यावरण व्यय हेतु प्रावधान	46.73	184.94
vi)	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	-	8.87
vii)	बट्टेखाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान	0.17	0.35
viii)	अन्य	0.01	0.46
	कुल	**58.95**	**209.26**
	घटाएं : आईईडीसी को अंतरित व्यय - (देखें अनुसूची-22एफ तथा 22जे(6)	46.74	185.52
	घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची-20)	0.78	-
	लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल	**11.43**	**23.74**

अनुसूची - 20 - संविदा एवं परामर्शी व्यय

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
i) प्रत्यक्ष व्यय		391.61		166.45
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	17.38		10.97	
- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना को अंशदान	1.96		1.22	
- स्टाफ कल्याण व्यय	1.76	21.10	1.56	13.75
iii) मरम्मत तथा अनुरक्षण				
- भवन	0.23		0.15	
- मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	0.07		0.03	
- अन्य	0.45	0.75	0.79	0.97
iv) प्रशासन तथा अन्य व्यय				
- किराया/किराया प्रभार	1.61		1.21	
- यात्रा एवं वाहन	1.08		0.74	
- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.40		0.32	
- बीमा	0.02		0.02	
- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0.36		0.23	
- विज्ञापन एवं प्रचार	0.13		0.09	
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.17		0.19	
- अन्य व्यय	0.87		0.89	
- दरें तथा कर	0.00		0.01	
- सुरक्षा	0.25		0.21	
- विद्युत	0.12		0.08	
- परामर्शी प्रभार	0.02	5.03	0.01	4.00
v) मूल्यह्रास	0.43		0.20	
vi) ब्याज तथा वित्त प्रभार		1.56		1.56
vii) प्रावधान	0.78		-	
viii) प्रगति पर कार्य				
- निर्माण संविदा		(103.41)		(61.46)
ix) निगमित/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय:				
क) अन्य आय	(0.08)		(0.12)	
ख) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	0.59		0.60	
ग) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	3.27		2.42	
घ) मूल्यह्रास	0.12	3.90	0.09	2.99
कुल व्यय		**321.75**		**128.46**
घटाएं : प्राप्तियां तथा वसूली		2.93		2.15
वर्ष के दौरान निवल व्यय		**318.82**		**126.31**
पूर्वावधि समायोजन		0.27		0.12
लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल		**319.09**		**126.43**

अनुसूची - 21 - पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
आय				
i) विद्युत की बिक्री	(21.13)		(0.02)	
ii) अन्य	6.30		(4.66)	
उप-जोड़		(14.83)		(4.68)
व्यय				
i) वेतन तथा मजदूरी	0.57		0.19	
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	(9.56)		0.35	
iii) ब्याज	-		0.74	
iv) अन्य	51.87		9.55	
v) मूल्यह्रास	1.30		4.43	
उप-जोड़		44.18		15.26
जोड़		**59.01**		**19.94**
घटाएं : आईईडीसी को अंतरित व्यय - (देखें अनुसूची 22एच तथा 22जे(7)				
पूर्वावधि व्यय	16.46		9.27	
घटाएं : पूर्वावधि आय	0.07		(1.13)	
जोड़		**16.39**		**10.40**
घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची-20)	0.27		0.12	
लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल		**42.35**		**9.42**

अनुसूची – 22 – वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते	234.30		196.55	
ii) उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना को अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	31.66		27.15	
iii) स्टाफ कल्याण व्यय	27.30		38.86	
iv) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-		0.10	
उप-जोड़		293.26		262.66
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण				
i) भवन	6.22		4.76	
ii) मशीनरी	3.92		5.04	
iii) अन्य	7.88		11.30	
उप-जोड़		18.02		21.10
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय				
i) किराया/किराया प्रभार	16.65		14.89	
ii) दरें तथा कर	0.31		0.40	
iii) बीमा	0.49		0.69	
iv) सुरक्षा प्रभार	19.06		23.07	
v) विद्युत प्रभार	6.72		11.38	
vi) यात्रा एवं वाहन	5.89		7.77	
vii) स्टाफ कार पर व्यय	4.00		6.93	
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	3.02		2.82	
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	1.96		2.58	
x) मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय	0.18		0.21	
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी	1.49		1.77	
xii) लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	0.01		0.01	
xiii) *डिज़ाइन तथा परामर्शी प्रभार*				
- देशी	0.94		2.16	
- विदेशी	0.23		0.18	
xiv) प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय	20.96		46.69	
xv) निगम का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय	40.96		18.72	
xvi) बट्टेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	0.80		0.27	
xvii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.07		-	
xviii) अन्य सामान्य व्यय	10.46		5.27	
उप-जोड़		134.20		145.81
घ. ब्याज तथा वित्त प्रभार				
i) निम्नलिखित पर ब्याज				
क) बॉण्ड	0.41		24.64	
ख) विदेशी ऋण	10.42		53.09	
ग) सावधि ऋण	224.17		264.83	
घ) ब्याज लागत को समायोजन माने गए विनिमय अंतर	25.20		-	
ii) निर्गत बॉण्ड / सेवा व्यय	0.59		0.91	
iii) प्रतिबद्धता शुल्क	0.04		0.12	
iv) ऋण पर गारंटी शुल्क	7.09		12.70	
v) अन्य वित्त प्रभार	5.02		4.96	
उप-जोड़		272.94		361.25
ड. विनिमय दर अंतर (निवल)				
i) विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)	0.73		16.84	
घटाएं :-				
ii) विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)	5.64		42.58	
उप-जोड़		(4.91)		(25.74)
च. प्रावधान	46.73		185.46	
उप-जोड़		46.73		185.46
छ. मूल्यह्रास	31.86		32.00	
उप-जोड़		31.86		32.00
ज. पूर्वावधि व्यय (निवल)				
i) पूर्वावधि व्यय	15.73		8.98	
ii) *घटाएं: पूर्वावधि आय*	0.07		(1.13)	
उप-जोड़		15.66		10.11
झ. घटाएं-प्राप्तियां तथा वसूली				
i) विद्युत उत्पादन से आय – कमीशनिंग पूर्व		43.41		0.34
ii) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	47.59		41.49	
iii) विविध प्राप्तियां	11.64		15.89	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.13		0.06	
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान	3.43		30.04	
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	2.86	65.65	0.28	87.76
उप-जोड़		109.06		88.10
ञ. निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय				
i) अन्य आय	(5.16)		(7.71)	
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	37.93		31.55	
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	138.14		115.04	
iv) मूल्यह्रास	6.95		7.05	
v) ब्याज तथा वित्त प्रभार	0.09		0.06	
vi) प्रावधान	0.01		0.06	
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)	0.73		0.29	
उप-जोड़		178.69		146.34
कुल (क से ज)-झ+ञ) अनुसूची-6 को अंतरित		**877.39**		**1050.89**

अनुसूची - 23 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - समेकित

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोदभवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं ।

2. अचल परिसंपत्ति

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं । जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है लेकिन संपत्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि पर सृजित ऐसी परिसंपत्ति जो कारपोरेशन की नहीं हैं, अचल परिसम्पत्ति के अंतर्गत शामिल की गई है।

2.3 जहाँ न तो भूमि और परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अनंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित किया जाना होता है, जो परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 35 वर्ष माना जाता है। तथापि, एनएचडीसी पानी में डूबने वाली भूमि के संबंध में व्ययों को पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन व्यय मानती है, जिसे बांध लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाना है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत अधिप्राप्त की जाने वाली/बनाई जाने वाली परिसंपत्तियो को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (ए) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को, जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है।

3.1 (बी) कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है, जिसमें ये कलपुर्जे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और उपयोग किए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है।

3.1 (सी) जब संबंधित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समापत हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तो ऐसे कलपुर्जों की लागत शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में से निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को भंडार एवं कलपुर्जे माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में निर्माण के दौरान प्रयुक्त अचल परिसंपत्तियों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित प्रासंगिक तथा आरोप्य व्ययों (प्रासंगिक आय का निवल) को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के रूप में किया जाता है जिसे परियोजना के चालू होने पर भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का

निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 मूल्यह्रास को टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90% की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के मामले में जहाँ सीईआरसी द्वारा विनियमों के द्वारा दर को अधिसूचित नहीं किया गया है, वहाँ मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के समानरूपी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया करवाया जाता है, सिवाय कम्प्यूटर तथा पेरीफेरलों के, जहाँ कंपनी द्वारा आंकलित दरों (30% की दर से) को अपनाया जाता है।

5.2 कोई परिसम्पत्ति जिस वर्ष उपलब्ध कराई जाती है, मूल्यह्रास उसी वर्ष यथानुपात तौर पर आंका जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर खर्च को "अमूर्त परिसंपत्ति" माना जाता है और तीन वर्ष से अधिक में इसका ऋण शोधन किया जाता है।

5.6 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, डयूटी में परिवर्तन अथवा इन्हीं तथ्यों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अतिशेष का भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना मूल्यह्रास की दर के आधार पर की जाती है।

5.7 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी के अलावा, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 (क) अधिशेष निर्माण उपकरणों के हिस्से, पुर्जे और कबाड़ को छोड़कर भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का आकलन भारित औसत लागत के अनुसार किया जाता है।

(ख) कबाड़ की लागत का आंकलन उससे प्राप्त होने वाली निवल लागत के आधार पर किया जाता है।

(ग) अधिशेष निर्माण उपकरणों के कलपुर्जों की लागत का आंकलन मूल्य के निम्न स्तर पर और प्राप्त होने वाले निवल मूल्य पर किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों के प्रति क्षति को लेखे में मुहैया करवाया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनकी प्रति औजार लागत 5000/- रुपए अथवा उससे कम है उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी किंतु स्थल पर अनुप्रयुक्त पड़े हुए भंडार को वर्ष के अंत में इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में आईईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों पर लेखांकन मानक-15 (2005) में यथापरिभाषित सेवानिवृत्ति पश्च - लाभ हेतु प्रावधान को वर्ष अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 सेवानिवृत्ति पर अवकाश यात्रा रियायत, अवकाश नकदीकरण और अनुमेय सामान भत्ते हेतु प्रावधान बहियों में वर्ष अंत में किए गए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए पैरामीटर तथा पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के आंकलन पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि वे भौतिक न हों, को संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) ऋणों की चुकौती को सुकर बनाने के लिए प्रारंभिक वर्ष में टैरिफ के एक घटक के रूप में दिए गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है और उसे आने वाले वर्षों की बिक्री में शामिल की जाने वाली विलंबित आय के रूप में माना जाता है।

10.2 (क) निर्माण संविदाओं से राजस्व को निम्नानुसार पूर्णता के प्रतिशत पद्धति पर माना जाता है –

	अनुमानित संविदा लागत के रूप में कार्य की प्रगति	**राजस्व की प्राप्ति**
(क)	66.67% तक	व्यय की गई लागत की सीमा तक, जिसकी प्राप्ति संभाव्य है
(ख)	66.67% से अधिक	पूर्णता के चरण के संदर्भ द्वारा

संविदाओं में प्रत्याशित हानियों सहित हानियों को तत्काल माना जाता है। आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान उन मामलों में और उस सीमा तक किया जाता है, जहां ऐसे किसी दावे को कवर करना आवश्यक समझा जाए जो दोषपूर्ण देयता अवधि के दौरान उत्पन्न होते हों।

10.2 (ख) अन्य परियोजना प्रबंधन/परामर्शी संविदाओं/लागत जमा संविदा के संबंध में राजस्व को समझौते की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर लिया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 उपभोक्ताओं से ब्याज/अधिभार की प्राप्ति पर अथवा एकत्रीकरण की तर्कसंगत निश्चितता होने पर उसे आय के रूप में माना जाता है।

11. निगम का मुख्यालय के व्ययों का आवंटन

निगम का मुख्यालय के खर्चो का आवंटन इस प्रकार किया जाता है–

(क) विद्युत गृहों पर करों और शुल्कों को छोड़कर वर्ष में उनकी ऊर्जा की बिक्री के एक प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को मिले और उसके द्वारा कराए जाने वाले निर्माण संबंधी अनुबंधित कार्यो के लिए वर्ष के दौरान हुए परियोजना खर्च के 5% दर से। इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मामले शामिल नहीं हैं जिनमें समर्पित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के आधार पर खर्च का अलग से आबंटन किया जाता है।

(ग) बकाया खर्च का आवंटन निर्माण परियोजनाओं में वर्ष के दौरान हुए निवल पूंजी खर्च के अनुपात में किया जाता है।

12. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तारीख को विद्युत गृहों के सकल ब्लाक का 0.05 प्रतिशत वार्षिक (स्व-बीमा आरक्षित निधि) में वर्ष दर वर्ष आधार पर अंतरित कर दिया जाता है। इसे लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है और विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।

13. विविध

13.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत निर्माण कार्य संबधी देयताओं को निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति तक हिसाब में नहीं लिया जाता।

13.2 विद्युत गृहों से बनाई जा रही परियोजनाओं को दी जाने वाली विद्युत के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

13.3 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से भुगतान शुदा खर्चों और अवधि पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

13.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

14. ऋण लागत

निर्माण/आधुनिकीकरण और मरम्मत के दौरान आने वाली स्थिर परिसंपत्तियों की ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है, जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

15. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। आयकर को प्रमुख क्रियाकलाप अर्थात विद्युत के उत्पादन से संबंधित सीमा तक लाभग्राहियों को अंतरित किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनिगमित अथवा प्रभावी कर दरों तथा कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है, जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके बदले विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है, जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

अनुसूची - 24
31.3.2008 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखे पर समेकित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में एनएचपीसी लिमिटेड और नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी) नामक इसकी अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. क) लेखांकन के आधार

   i) समेकन में अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरण को कंपनी की रिपोर्टिंग की तिथि तक ही लिया गया है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-21-समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

   ख) समेकन का सिद्धांत-

   कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरण को लाइन-दर-लाइन आधार पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों के बही मूल्य को जोड़कर, अंतर समूह शेषों, अंतर समूह कारोबार और वसूले न गए लाभ तथा हानि को हटाकर मिश्रित करके तैयार किया गया है।

3. समेकित वित्तीय विवरण में ली गई अनुषंगी कंपनी निम्नानुसार हैं-

अनुषंगी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात
नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	51%

4. समेकित वित्तीय विवरण को समान कारोबार और समान परिस्थितियों में होने वाली अन्य घटनाओं हेतु समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है सिवाय कुछ नीतियों के जैसे कि स्व-बीमा आरक्षित का वित्त-पोषण, मुआवजे के प्रति व्यय का उपचार और भूमि तथा सहायता-अनुदान नीति से संबंधित अन्य व्यय।

5. क) निम्नलिखित के अनुसार आकस्मिक देयताएं -

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01/04/2007 को प्रारंभिक शेष	31.03.2008 को अंतिम शेष
निम्नलिखित के मामले में कंपनी के लिए ऋण के तौर पर न माने गए दावे - - पूंजीगत कार्य - भूमि के मुआवजे संबंधी मामले - अन्य	1929.42 132.52	3328.53 84.48
विवादित आयकर मांग	-	-
विवादित एक्साइज मांग	-	-
विवादित बिक्रh कर मांग	2055.53	2045.53
अन्य	285.99	345.06
कुल	**4403.46**	**5803.60**

ख) उपर्युक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) उन दावों की राशि जहाँ मध्यस्थता/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके हैं परन्तु कंपनी में परीक्षण के अधीन हैं, वे आकस्मिक देयता बने हुए हैं और उनके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

ड.) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति 0.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.03 करोड़ रुपए) की प्रतिपूर्ति की संभावना है ।

6. क) मैसर्स वाइथ सीमन्स हाइड्रो क्राफ्ट, जर्मनी के पक्ष में जारी 4.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 25.01 करोड़ रुपए) के विदेशी साख पत्र (एफएलसी) 31.3.08 को बकाया हैं। मैसर्स वाइथ सीमन्स हाइड्रो क्राफ्ट, जर्मनी के पक्ष में जारी 4.41 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 43.12 करोड़ रुपए) का देशीय साख पत्र 31.3.08 को बकाया हैं।

ख) पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि 8506.99 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 8712.01 करोड़ रुपए) है।

ग) भूमि हेतु मुआवजे और अन्य संबंधित व्यय के प्रति पूंजीगत प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि 78.75 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 132.80 करोड़ रुपए) है।

7. कोयलकारो परियोजना को परित्यक्त करने के विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अनुपालन में 24.55 करोड़ रुपए के व्यय, जोकि परियोजना की इक्विटी पूंजी के समान हैं, को भारत सरकार द्वारा वहन किया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों ने 28.7.2006 को हुई वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव के द्वारा इक्विटी पूंजी में कटौती को अनुमोदित कर दिया है। इक्विटी में कमी हेतु प्रविष्टि को वर्तमान वर्ष में किया गया है क्योंकि शेयर पूंजी में कटौती की पुष्टि कंपनी कार्य मंत्रालय के 9.4.2007 के आदेश सं. 40/04/2006-सीएल-3 के माध्यम से प्राप्त हुई है और इसे कंपनियों के पंजीयक द्वारा 20.4.2007 को पंजीकृत किया गया है।

8. क) 2080.40 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2103 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल को कवर करने वाली कुछ परियोजनाओं/इकाइयों की भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/स्वामित्व, जिसकी राशि 52.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 59.51 करोड़ रुपए) होती है, को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। तत्संबंधी पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क आदि पर व्यय को किए जाने पर लेखांकित किया जाएगा।

ख) जम्मू एवं कश्मीर में कुछ यूनिटों के पट्टा अभिलेख का निष्पादन लंबित होने के चलते उनकी पटटे की अवधि को 99 वर्ष लिया गया है, सिवाय कुछ मामलों के जहाँ इसे 30 अथवा 40 वर्ष जैसा भी मामला हो, लिया गया है, और भूमि की लागत को तदनुसार परिशोधित किया गया है। प्रारंभिक भुगतान/पट्टा किराया, जहॉ-कहीं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं हैं, उसे निर्धारण के वर्ष में लेखांकित किया जाएगा।

ग) भूमि में सशक्त सीमा बल (एसएसबी) से 99 वर्ष की अवधि हेतु 1 रुपया प्रति वर्ष के नामितिक किराए पर ली गई भूमि शामिल नहीं है।

घ) सलाल विद्युत स्टेशन के संबंध में 722 कनाल और 18 मरला की भूमि तथा उस पर बनाया गया ढांचा यद्यपि जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कब्जे में है, यह संबंधित स्थिर परिसंपत्ति शीर्षों में दर्शाया जा रहा है।

9. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने पर, अनुमोदित मात्राओं से अधिक कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, उन्हें चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

10. क) एफईआरवी (1.07 करोड़ रुपए) और आयकर ((-)16 करोड़ रुपए) के प्रति वर्ष अंत में समायोजन के कारण बिलिंग को अभी किया जाना है।

ख) दुलहस्ती तथा तीस्ता-V (यूनिट संख्या 2) विद्युत स्टेशन के संबंध में बिक्री को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अनंतिम टैरिफ के आधार पर लेखांकित किया गया है।

ग) ओएसपी से विद्युत की बिक्री एकमात्र लाभग्राही एमपीएसईबी को एनएचडीसी द्वारा दायर याचिका संख्या 56/2007 के प्रति सीईआरसी के दिनांक 30.10.2007 के अनंतिम टैरिफ आदेश के आधार पर बिल किया जा रहा है।

11. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि वसूली योग्य पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम विविध कर्जदार संविदाकर्ताओं के अग्रिम विविध ऋणदाताओं और संविदाकर्ताओं को जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं।

ख) बिक्री के लिए देनदारी के अंतर्गत 120.31 करोड़ रुपए (निवल) की राशि शामिल है, जो मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्व डेसू) से वसूल की जानी है, जो वित्त वर्ष 1996-97 से पहले की अवधि से संबंधित है। प्रबंधन की राय में इस बारे में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी वसूली का मामला विद्युत मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

घ) चूंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को इन्सेंटिव के भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए 32.97 करोड़ रुपए का "अन्य चालू परिसंपत्तियों" (अनुसूची-9) और "अन्य देयताओं" (अनुसूची-10) के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी है।

ड.) वसूली योग्य दावों में जम्मू कश्मीर पीडीसी की ओर बकाया 16.65 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो बगलिहार परियोजना से संबद्ध हैं। यह परियोजना भारत सरकार के आदेशों के अनुसार उन्हें सौंप दी गई थी। सावलकोट परियोजना के बारे में परियोजना के अंतिम रूप से सौंपे जाने के लंबित रहते 10.33 करोड़ रुपए का कुल पूंजी खर्च निगम की परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में जारी है, लेकिन

इस परियोजना के संदर्भ में जे एण्ड के पीडीसी से प्राप्त 5.36 करोड़ रुपए की तदर्थ अग्रिम राशि को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, जिसे अंतिम हिसाब-किताब के समय समायोजित किया जाएगा।

12. क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा सियांग, सुबानिसिरी और दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजनाएं निगम को हस्तांतरित की गईं। इन परियोजनाओं को अंतिम रूप से सौंपे जाने की प्रक्रिया और दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना तथा तवांग बेसिन परियोजनाओं को छोड़कर अरूणाचल प्रदेश राज्य में सभी योजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और अंतिम हिसाब-किताब का मामला ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लंबित रहते इन परियोजनाओं के संदर्भ में परिसंपत्तियों को निगम द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक दर्ज किया गया है।

ख) दिवांग बहुउद्देशीय परियोजना तथा तवांग बेसिन परियोजनाओं हेतु समझौता ज्ञापन के कारण अरूणाचल प्रदेश सरकार को क्रमशः 150 करोड़ रुपए तथा 75 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम के रूप में अदा की गई है। यह अग्रिम 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राज्य को दी जाने वाली निःशुल्क विद्युत के मूल्य के प्रति समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए अरूणाचल प्रदेश राज्य में पहले प्रारम्भ होने वाली एनएचपीसी की किसी भी परियोजना से विद्युत लेने के लिए राज्य सरकार पात्र होगी।

ग) भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में निगम ने जे एण्ड के पीडीसी से उड़ी-।।, किशनगंगा, पकलदुल, सेवा-।।, बरसर, निम्मो-बाजगो, चुटक परियोजनाएं, अधिगृहीत कर ली हैं, जिनके लिए जे एण्ड के पीडीसी ने 84.89 करोड़ रुपए की मांग रखी है। परियोजनाओं को अधिगृहीत करने के बाद हुए व्यय के अतिरिक्त कारपोरेशन ने सेवा-।। परियोजना के अंतर्गत हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों की जांच और जे. एण्ड केपीडीसी के खातों के समाधान के आधार पर 33.66 करोड़ रुपए का कुल व्यय दर्ज किया है, जबकि उक्त परियोजना के लिए 41.45 करोड़ रुपए का दावा किया गया था। 33.66 करोड़ रुपए में से 26 करोड़ रुपए चुकौती कर दी गई है। जे. एण्ड केपीडीसी द्वारा मांगे गए शेष व्यय को उनके द्वारा प्रस्तुत मदों और लेखों के अंतिम समाधान पर दर्ज किया जाएगा।

घ) 1 नवम्बर, 2003 को एनएचपीसी और उत्तराखंड सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुपालन में लखवार व्यासी परियोजना एनएचपीसी को सौंपी गई थी। उत्तराखंड सरकार के साथ क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर लंबित होने के चलते इस परियोजना के एनएचपीसी को सौंपे जाने से पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा खर्च की गई 246.86 करोड़ रुपए की राशि लेखा बहियों में शामिल नहीं की गई है।

13. क) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19.04.2004 के आदेश सं. आईएएस 966 और 1012 के कारण सुबनासिरी अपर और सुबानसिरी मिडल परियोजनाओं का काम लंबित है। इन आदेशों में सुबानसिरी नदी के ऊपर भाग (अपस्ट्रीम) में बांध के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। किंतु इसके बाद अरूणाचल प्रदेश सरकार ने परियोजना के निर्माण के लिए आईए सं. 1362-63 दाखिल की, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 21.07.2006 को सुनवाई की गई और यह मामला राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति को सौंप दिया गया। इस बारे में समिति की सिफारिश तथा निर्णय के लंबित रहते उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमशः 38.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 35.73 करोड़ रुपए) और 33.89 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 32.79 करोड़ रुपए) का पूंजी खर्च चालू पूंजी कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर लंबित होने के कारण सियांग अपर परियोजना के संबंध में 36.27 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 29.94 करोड़ रुपए) का खर्च चालू पूंजी कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह परियोजना सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एनएचपीसी को सौंपी गई थी।

ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार/भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में निगम ने टिप्पणी संख्या 12(ए) में उल्लिखित सियोम तथा सियांग लोअर परियोजना, जिन्हें मूलतः ब्रह्मपुत्र बोर्ड से लिया गया था, को निजी डेवलपरों को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। दोनों परियोजनाओं की डीपीआर दिसम्बर, 2007 में सौंपी गई थी। सियोम परियोजना की अन्य स्थिर परिसंपत्तियों तथा सीडब्ल्यूआईपी को 17.04.2008 को अंतरण के ज्ञापन के माध्यम से मैसर्स सियोम हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर लिमिटेड को सौंप दिया गया है, सिवाय कुछ परिसंपत्तियों के जिन्हें एनएचपीसी द्वारा स्वयं रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, परियोजना की बिक्री से बहियों में 52 करोड़ रुपए के लाभ को लिया गया है। तथापि, मैसर्स जयप्रकाश लिमिटेड को सियांग लोअर परियोजना को सौंपे जाने को अभी पूर्ण किया जाना है और अभी तक 41.90 करोड़ रुपए का व्यय स्थिर परिसंपत्ति तथा सीडब्ल्यूआईपी की अनुसूची के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है और मैसर्स जयप्रकाश लिमिटेड से प्राप्त 78.78 करोड़ रुपए की राशि वर्तमान देयताओं की अनुसूची के अंतर्गत दर्शाई जा रही है।

ध) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार लोकतक डाउनस्ट्रीम परियोजना के निष्पादन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के बारे में एनएचपीसी और मणिपुर सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर लंबित रहने के कारण 29.80 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 29.44 करोड़ रुपए) का व्यय चालू पूंजी कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

14. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 8.1.2007 के आदेश सं.16/47/2001/अ.शा.(एनएचपीसी) के माध्यम से प्रदत्त शेयर पूंजी के 10% हेतु इनीशियल पब्लिक ऑफर हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 8.3.2007 के समसंख्यक आदेश द्वारा भारत सरकार ने निगम को अपने 5% अंश को ऑफलोड करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। पात्र इश्यू व्यय एनएचपीसी तथा भारत सरकार के मध्य बांटे जाएंगे क्योंकि वह बेचने वाला शेयरधारक है। एनएचपीसी से संबंधित व्यय को इश्यू की प्रीमियम प्राप्तियों में से समायोजित किया जाएगा।

15. कारपोरेशन के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित है। वेतन समझौते के बारे में भारत सरकार द्वारा गठित समिति का निर्णय लंबित होने के कारण तर्कसंगत अनुमान आधार पर वर्तमान वर्ष की बहियों में 159.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, अन्य संगठन से एनएचपीसी में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में संशोधित वेतन बकाया के प्रति 29.68 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है।

16. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को निगम की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5(अनुसूची-23) के अनुसार प्रभारित किया जाता है। विद्युत मंत्रालय ने एक ऐसी टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जो यह प्रावधान करती है कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दर टैरिफ तथा लेखांकन के प्रयोजन हेतु भी लागू होगी। टैरिफ नीति के अनुरूप सीईआरसी द्वारा मानदण्डों का निरूपण लंबित होने के कारण वर्तमान टैरिफ मानदंडों के अंतर्गत अधिसूचित दरों को वर्ष हेतु मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए उचित समझा गया है।

17. क) सिंचाई तथा सरदार सरोवर परियोजना घटक के प्रति क्रमशः मध्य प्रदेश तथा गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान को सहायता अनुदान मानते हुए पूंजीगत आरक्षित मे डाला गया है।

ख) ऐसे सहायता अनुदान से प्रदर्शित होने वाली अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित करने के बजाए उसे पूंजीगत आरक्षित में आवंटित किया जाता है

18. भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान की हानि को व्युत्पन्न प्रभार पर मुहैया करवाने की घोषणा के अनुपालन में बाजार मूल्यांकन के मार्क के आधार पर हेजिंग कारोबार पर बहियों में 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे 2003-04 में 534.70 करोड़ जापानी येन के विदेशी मुद्रा ऋण को लेने के लिए किया गया था।

19. क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है-

(करोड़ रुपए में)

		वर्ष 2007-08 हेतु	**वर्ष 2006-07 हेतु**
(i)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	14.42	(1.72)
(ii)	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(4.92)	(25.74)
(iii)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(1.00)	28.43
(iv)	अचल परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में जोड़ द्वारा समायोजित राशि	6.94	(44.39)

ख) एफईआरवी को प्रोदभवन आधार पर लेखांकन मानक-11, जिसे लेखांकन मानक-16 पर एएसआई 10 के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार लेखांकित किया जाता है परन्तु यह लाभग्राही राज्यों से बिक्री के माध्यम से नकद आधार पर प्राप्य है। दोनों अवधारणाओं को समान स्तर पर लाने के लिए विलंबित वर्तमान परिसंपत्तियों/विलंबित वर्तमान देयताओं की लेखांकन प्रक्रिया को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति के मतानुसार 1.4.2004 से पूर्वदर्शी प्रभाव से इस प्रकार प्रारम्भ किया गया है कि लाभ पर कोई प्रभाव न हो। परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष के समायोजन के अतिरिक्त इस कारण से पूर्वावधि हेतु समायोजन (निवल) 20.65 करोड़ रुपए (डेबिट) होता है।

ग) वर्ष के दौरान निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईईडीसी) को अंतरण के द्वारा पूंजीकृत ऋण लागत की राशि 267.34 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 355.44 करोड़ रुपए) है।

20. क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारम्भ/संशोधित किया गया है-

नीति सं.	**विवरण**	**वर्ष के दौरान लाभ पर प्रभाव**
नीति सं. 4.3	सर्वेक्षण तथा जाँच व्यय पर लेखांकन नीति को प्रारम्भ किया जाना।	यह व्यवहार नीति में परिवर्तित किया गया है और अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
नीति सं. 5.1	कम्प्यूटरों के संबंध में मूल्यह्रास नीति में 30 प्रतिशत वर्ड को जोड़ा जाना	यह व्यवहार नीति में परिवर्तित किया गया है और अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
नीति सं. 8	विदेशी मुद्रा कारोबार पर लेखांकन नीति में संशोधन	लेखांकन नीति प्रारम्भ किए जाने के मद्देनजर लाभ पर कोई प्रभाव नहीं, इसे टिप्पणी संख्या 19(बी) में संदर्भित किया गया है।
नीति सं. 10.2(बी)	लागत जमा लेखे से राजस्व की मान्यता के संबंध में लेखांकन नीति के शब्दों में बदलाव	7.53 करोड़ रुपए

21. वर्तमान अवधि के लिए कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान 31.3.08 को किए गए बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार किया गया है। तदनुसार, 31.3.08 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कर्मचारी लाभ पर लेखांकन मानक-15 के अंतर्गत प्रावधान का प्रकटन नीचे दिया गया है-

एनएचपीसी हेतु

तालिका-1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकित मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकित मान्यता-

विवरण	**31.03.2008**	**31.03.2007**
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96) यथासंशोधित	एलआईसी (1994-96) यथासंशोधित
छूट दर	8%	7.5%
भविष्य की वेतनवृद्धि	5.5%	5%

तालिका-2: बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान
वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ	225.38	140.56	111.39	16.45	3.19	9.65
ब्याज लागत	18.03	11.25	8.91	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	12.82	10.02	4.77	19.40	0.39	3.85
अदा किया गया लाभ	(10.60)	(19.04)	(1.17)	(12.08)	(0.07)	(2.29)
बीमांकित (लाभ)/हानि	(4.67)	19.17	3.49	-	-	-
वर्ष के अंत में पीवीओ	240.96	161.96	127.39	23.77	3.51	11.21

तालिका-3: तुलन पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान
वर्ष के अंत में पीवीओ	240.96	161.96	127.39	23.77	3.51	11.21
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	-	-	-	-	-	-
वित्त-पोषण की स्थिति	(240.96)	(161.96)	(127.39)	(23.77)	(3.51)	(11.21)
न माने गए बीमांकित लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	240.96	161.96	127.39	23.77	3.51	11.21

तालिका-4: लाभ एवं हानि लेखा/आईईडीसी लेखे में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान
वर्तमान सेवा लागत	12.82	10.02	4.77	19.40	0.39	3.85
ब्याज लागत	18.03	11.25	8.91	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	-	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु दिया गया निवल बीमांकित (लाभ)/हानि	(4.67)	19.17	3.49	-	-	-
वर्ष हेतु लाभ एवं हानि/ आईईडीसी में लिया गया व्यय	26.18	40.44	17.17	19.40	0.39	3.85

एनएचडीसी हेतु

तालिका-1 निम्नलिखित तिथि को बीमांकित मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकित प्राप्ति -

विवरण	**31.03.2008**	**31.03.2007**
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96)अंतिम तालिका	एलआईसी (1994-96) अंतिम तालिका
छूट दर	8%	8.3%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6%	5%

तालिका-2 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ	0.63	1.34	0.59
ब्याज लागत	0.05	0.11	0.05
वर्तमान सेवा लागत	0.29	0.68	0.19
अदा किया गया लाभ	(0.04)	(0.18)	0
बीमांकित (लाभ)/हानि	0.20	0.56	(0.14)
वर्ष के अंत में पीवीओ	1.13	2.51	0.69

तालिका-3 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के अंत में पीवीओ	1.13	2.51	0.69
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	-	-	-
वित्त-पोषण की स्थिति	(1.13)	(2.51)	(0.69)
न माने गए बीमांकित लाभ/हानि	-	-	-
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	1.13	2.51	0.69

तालिका-4 लाभ एवं हानि लेखे/आईईडीसी में मानी गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कार्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	0.29	0.68	0.19
ब्याज लागत	0.05	0.11	0.05
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	-	-	-
वर्ष हेतु लिया गया निवल बीमांकित (लाभ)/हानि	0.20	0.56	(0.14)
वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखें में लिया गया व्यय	0.54	1.35	0.10

अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान तथा सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते के कारण देयता (30.3.2008 को) क्रमश: 0.40 करोड़ रुपए, 0.30 करोड़ रुपए और 0.20 करोड़ रुपए है।

22. क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

23. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक - 18 इस समूह पर लागू नहीं होते क्योंकि दोनों कारपोरेशन राज्य के नियंत्रण वाले उद्यम हैं। किन्तु समूह के महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक इस प्रकार हैं-

एनएचपीसी

पूर्णकालिक निदेशक:

श्री एस.के.गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एस.के.चतुर्वेदी	निदेशक (कार्मिक)
श्री एस.पी.सेन	निदेशक (तकनीकी) - 8.5.2008 से सेवामुक्त
श्री एस.के.डोडेजा	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त) - 11.2.2008 से नियुक्त

एनएचडीसी

श्री डी.पी. भार्गव	पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक के रूप में पदनामित

24. कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्पस) के लिए परिचालन पटटों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं जो ऐसी नहीं हो, जिन्हें रद्द न किया जा सके, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 11.12 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 12.27 करोड़ रुपए) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत किराया/किराया प्रभार के रूप में दर्शाया गया है।

25. प्रति शेयर अर्जन –

क) एनएचपीसी

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं –

		वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए)		1004.09	924.80
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (रुपये)	- आधारभूत	11174850574	10502319459
	- कम की गई	11183030042	10822615290
प्रति शेयर अर्जन (रुपये)	- आधारभूत	0.90	0.88
	- कम की गई	0.90	0.85
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)		10	10

ख) एनएचडीसी

		वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपये)		329.61	454.31
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	- आधारभूत	19625800	19625800
	- कम की गई	19625800	19625800
प्रति शेयर अर्जन (रुपये)	- आधारभूत	167.95	231.48
	- कम की गई	167.95	231.48
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)		1000	1000

26. भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों हेतु लेखांकन" पर लेखांकन मानक–22 के अनुपालन में संचित विलंबित कर देयता निम्नानुसार है –

(करोड़ रुपए में)

		01.04.2007	31.03.2008
	विलंबित कर देयता		
1)	मूल्यह्रास	2507.52	2954.14
	घटाएं – विलंबित कर परिसंपत्तियां		
2)	संचित समाहित न किया गया मूल्यह्रास	100.27	108.23
3)	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम, जिसे कर गणना में आय माना जाता है	131.23	131.23
4)	संदेहास्पद ऋणों, स्व–बीमा, आकस्मिकताओं तथा अन्य प्रावधानों हेतु प्रावधान	179.84	208.63
5)	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	67.10	76.84
	विलंबित कर देयता (निवल)	**2029.08**	**2429.21**

27. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2008 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)–28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

28. क) निदेशकों को अदा किया गया/अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक (करोड़ रुपए में)

		वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
i)	वेतन तथा भत्ते	0.49	0.31
ii)	भविष्य निधि में अशंदान	0.04	0.03
iii)	आवासीय परिसर हेतु किराया	0.10	0.09
iv)	अन्य लाभ	0.03	0.04
v)	सिटिंग शुल्क	-	-

ख) पूर्णकालिक निदेशकों को भी निम्नानुसार भुगतान किए जाने पर एक वित्त वर्ष में 12000 किलोमीटर तक अधिकारिक यात्राओं तथा निजी यात्राओं हेतु कंपनी के कार के उपयोग की अनुमति दी गई थी –

	नॉन ए.सी. कार	ए.सी. कार
16 एचपी तक	325 रुपए प्रति माह	520 रुपए प्रति माह
16 एचपी से अधिक	490 रुपए प्रति माह	780 रुपए प्रति माह

29. सांविधिक लेखा-परीक्षकों को पारिश्रमिक (करोड़ रुपए में)

	वर्ष 2007-08	वर्ष 2006-07
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.37	0.28
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.07	0.05
लेखा परीक्षा व्यय	0.27	0.26
अन्य मामले	0.06	0.03
लागत लेखा परीक्षक		
- लेखा परीक्षा शुल्क	0.07	0.06
- लेखा परीक्षा व्यय	0.02	0.02

30. उत्पादित तथा बिक्री की गई ऊर्जा के संबंध में मात्रात्मक ब्यौरे –

		वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
(i)	लाइसेंस क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	स्थापित क्षमता (मेगावाट)*	4794.20	3714.20
(iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)**	18094.56	15654.34
(iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)***	16181.29	13874.58

*दुलहस्ती पावर स्टेशन तथा ओमकारेश्वर पावर स्टेशन को वर्तमान वर्ष में प्रारम्भ किया गया। तीस्ता–5 विद्युत स्टेशन की यूनिट–2 का वाणिज्यिक उत्पादन 1 3.2008 से प्रारम्भ हुआ (170 मे.वा.)। तीस्ता–5 विद्युत स्टेशन की यूनिट संख्या 1 तथा 3, जिन्होंने अप्रैल, 2008 में वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ किया है (340 मे.वा.) को उक्त (2) में नहीं लिया गया है।

** अपुष्ट विद्युत शामिल है तथा सहायक उपभोग एवं ट्रांसफॉरमेशन हानि शामिल नहीं है।

*** अपुष्ट विद्युत तथा गृह राज्यों को नि:शुल्क विद्युत छोड़कर ।

(करोड़ रुपए में)

31.

		वर्ष 2007-08 हेतु	वर्ष 2006-07 हेतु
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य		
	1) पूंजीगत वस्तुएं	20.46	211.80
	2) कलपुर्जे	1.76	1.18
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	1) ज्ञान	2.28	2.36
	2) ब्याज	97.62	112.38
	3) अन्य विविध मामले	177.92	232.30
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	1) आयातित	4.23 (53.54%)	3.52 (39.82%)
	2) देशीय	3.67 (46.46%)	5.32 (60.18%)
घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	1) ब्याज	-	-
	2) अन्य	-	-

* प्रोदभवन आधार

** नकद आधार

32. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

सूक्ष्म छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
वर्तमान वर्ष हेतु सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को प्रोदभूत ब्याज और शेष चुकाई न गई राशि	शून्य
सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
पिछले लेखांकन वर्ष से अग्रेणीत ब्याज की राशि के साथ ऐसे ब्याज पर वर्तमान वर्ष के लिए ब्याज	शून्य

33. नकदी तथा नकदी-तुल्य में साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए बैंकों के पास रखी गई सीमांत राशि के प्रति 179.21 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 139.66 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है जो 31.3.2008 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

34. जहाँ कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को पुनः समूह/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
ए. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		1488.99		1592.99
जोड़ें -				
पूर्वावधि सहित मूल्यह्रास	547.39		361.42	
टैरिफ समायोजन/मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	57.27		208.64	
छूट के अतिरिक्त ब्याज	766.27		338.90	
स्व-बीमा	106.10		75.68	
अन्य प्रावधान/समायोजन	4.34		11.14	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि / (लाभ)	-53.37		0.06	
विनिमय दर अंतर/उतारस-चढ़ाव समायोजन लेखा	(136.44)		(1.71)	
लाभांश आय	(1.31)	1290.25	(1.29)	992.84
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		2779.24		2585.83
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(6.17)		(2.61)	
चालू संविदा कार्य में (वृद्धि)/कमी	(419.49)		(186.81)	
प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(212.00)		(707.51)	
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	1295.76	658.10	636.43	(260.50)
कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		3437.34		2325.33
घटाएं - अदा किया गया कर		203.96		214.56
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ए)		**3233.38**		**2110.77**
बी निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों का क्रय/बिक्री और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)		(3159.16)		(3241.54)
परियोजना के अंतरण पर बिक्री प्राप्तियां		105.96		-
निवेश में कमी /(वृद्धि)		273.54		256.44
प्राप्त लाभांश		1.31		1.29
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (बी)		**(2778.35)**		**(2983.81)**
सी वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां		-		630.95
अदा किया गया लाभांश तथा लाभांश कर		(369.59)		(276.77)
अल्पसंख्यक को अदा किया गया लाभांश		(33.39)		
ऋण से प्राप्तियां		2677.64		2217.90
ऋणों का पुनर्भुगतान		(492.05)		(1187.04)
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार		(779.26)		(633.82)
मध्य प्रदेश सरकार से निधि		71.20		45.33
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (सी)		**1074.55**		**796.55**
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि)/(कमी)(ए+बी+सी)		**1529.58**		**(76.49)**
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य		816.29		892.78
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य		2345.87		816.29

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी और बैंक शेष जिसमें चैक/हस्तगत ड्राफ्ट शामिल हैं, आते हैं। 179.21 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 139.66 करोड़ रुपए) की राशि के नकदी तथा नकदी तुल्य निगम के द्वारा साख-पत्र हेतु सीमांत राशि के प्रति धारित हैं। इस राशि में वह स्व-बीमा आरक्षित तथा न्यूनतम एसक्रो शेष शामिल है जो अनुषंगी अर्थात एनएचडीसी लि. द्वारा अन्यथा उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।
2. ऋणों के निपटान हेतु निगम को आवांटित बॉण्ड और उन पर अर्जित ब्याज, जोकि प्रमुख उत्पादन क्रियाकलाप से संबंधित है, को प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी का भाग माना गया है।
3. अचल परिसंपत्तियों और चालू निर्माण कार्य में निवेश में पूंजीकृत 273.03 करोड़ रुपए के ब्याज तथा वित्तीय प्रभार शामिल नहीं हैं।
4. 31.3.2008 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 8383.43 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7049.86 करोड़ रुपए है।
5. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुन: समूह / पुन: व्यवस्थित/री-कास्ट किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2008

390 मेगावाट दुल हस्ती पावर स्टेशन (जम्मू एवं कश्मीर) - बांध

एन एच पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद–121 003 (हरियाणा)

वेबसाइट : http://www.nhpcindia.com